ला, खंड 31, अंक 11

शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007
9 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 64
Dated 20 NOV 2008

सत्यमेव जयते

(खंड 31 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 11, शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007/9 अग्रहायण, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
उपाध्यक्ष द्वारा उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 224	3–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 225 से 240	31–101
अतारांकित प्रश्न संख्या 2002 से 2209	101–487
सभा पटल पर रखे गए पत्र	487–504
राज्य सभा से संदेश	505
लोक लेखा समिति	
साठवां और बासठवां प्रतिवेदन	505
याचिका समिति	
बत्तीसवां से चौतीसवां प्रतिवेदन	505–506
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
तैंतीसवां से छत्तीसवां प्रतिवेदन	506–507
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
विवरण	507
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	507–513, 558–560, 567–570
(एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री एस. जयपाल रेड्डी	507–508
(दो) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के इकतालीसवें, बयालीसवें, छियालीसवें और बावनवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री पी. चिदम्बरम	508–510
(तीन) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विजय हान्डिक	510–511
(चार) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रेम चन्द गुप्ता	511

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री विलास मुत्तेमवार	511-512
(छह) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
कुमारी सैलजा	512-513
(सात) हिन्दू राइटस एक्शन फोर्स (एच आई एन डी आर ए एफ) द्वारा 25 नवम्बर, 2007 को क्वालालम्पुर में आयोजित रैली में भाग लेने वालों को कथित रूप से परेशान किए जाने तथा तदन्तर संबंधित मामले	
श्री प्रणब मुखर्जी	558-560
(आठ) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री आनन्द शर्मा	567-570
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) उड़ीसा के बोलंगीर में आयुध निर्माणी से गोला बारूद ले जा रहे दो रेल वैगनों के गायब होने के बारे में	513-515
(दो) संसद की बैठकों की संख्या में लगातार हो रही कमी के बारे में	516-520
(तीन) दूरदर्शन में कथित अनियमितताओं और कदाचार के संबंध में सीबीआई जांच कराये जाने के बारे में	529-530
नियम 377 के अधीन मामले	545-550
(एक) राजस्थान के अजमेर में अन्नासागर झील और पुष्कर सरोवर की गाद निकालने तथा उनके सौंदर्यीकरण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. रासा सिंह रावत	545-546
(दो) उत्तर प्रदेश के बरेली में लम्बित रेल परियोजनाओं की गति में तेजी लाये जाने की आवश्यकता	
श्री संतोष गंगवार	546-547
(तीन) मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा राजसहायता जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	547-548
(चार) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	548-549
(पांच) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 और राष्ट्रीय राजमार्ग-5क की चन्डीखोल क्रासिंग पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहन जेना	549
(छह) तमिलनाडु में तुतीकोरिन और तिरूनेलवेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को शीघ्र चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अप्पादुरई	549-550
(सात) असम में ब्रह्मपुत्र नदी से हुए नुकसान को न्यूनतम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता	
डा. अरुण कुमार शर्मा	550

विषय	कॉलम
सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*	
(एक) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007	551
(दो) संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुच्छेद 244 और 332 का संशोधन)	551
भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007	552–558, 560–566, 570–581
विचार करने के लिए प्रस्ताव	552
श्री अश्विनी कुमार	552–555, 579–580
श्री हरिभाऊ राठौड़	556
श्री नवीन जिन्दल	556–558
श्रीमती सी.एस. सुजाता	560–561
श्री मोहन सिंह	561–562
श्री गणेश प्रसाद सिंह	562–563
श्री भर्तृहरि महताब	563–566
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	570–572
श्री के.एस. राव	572–573
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	573–575
श्री टी.के. हमजा	575–577
श्री शैलेन्द्र कुमार	577–578
खंड 2 से 30 और 1	581
पारित करने के लिए प्रस्ताव	581
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	581
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	582–589
(एक) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2007	
श्री एल. राजगोपाल	582
(दो) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007	
श्री एल. राजगोपाल	582–583
(तीन) जाति या धार्मिक अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2007	
श्री एल. राजगोपाल	583
(चार) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विजयवाड़ा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2007	
श्री एल. राजगोपाल	584
(पांच) राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2007	
श्री आलोक कुमार मेहता	584
(छह) विस्थापित कृषक (पुनर्वास और अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2007	
श्री हंसराज गं. अहीर	585
(सात) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	585–586
(आठ) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (अनुसूची का संशोधन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	586

विषय कॉलम

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007
(आठवीं अनुसूची का संशोधन)
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 587
(दस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007
(अनुसूची का संशोधन)
श्री तापिर गांव 587–588
(ग्यारह) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007
(धारा 129 का संशोधन)
डा. आर. सेनथिल 588
(बारह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007
(अनुसूची का संशोधन)
डा. आर. सेनथिल 588–589
(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007
(नए अनुच्छेद 24क का अंत:स्थापन)
श्री मोहन सिंह 589
संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004
(नए अनुच्छेद 16क का अंत:स्थापन) 589–611
विचार करने के लिए प्रस्ताव 589
श्री कीरेन रिजीजू 590–592
श्री के.एस. राव 592–596
श्रीमती अर्चना नायक 596–598
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 598–600
श्री देवव्रत सिंह 600–603
श्री ब्रह्मानंद पंडा 603–604
श्री ऑस्कर फर्नांडीज 604–609
श्री मोहन सिंह 609–611
विधेयक वापस लेने के लिए प्रस्ताव 611
अंतर-राज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005 611–627
विचार करने के लिए प्रस्ताव 611
श्री मोहन सिंह 611–614
श्री लक्ष्मण सिंह 614–616
श्री एस.के. खारवेनथन 616–619
प्रो. रासा सिंह रावत 619–622
प्रो. सैफुद्दीन सोज 622–627
विधेयक वापस लेने के लिए प्रस्ताव 627
निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006 627–634
विचार करने के लिए प्रस्ताव 627
श्री सी.के. चन्द्रप्पन 627–632
श्री के.एस. राव 632–634
अनुबंध-I
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 635
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 636–640
अनुबंध-II
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 641–642
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 641–644

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 30 नवम्बर, 2007/9 अग्रहायण, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष द्वारा उल्लेख

छत्तीसगढ़ में बारूदी सुरंग विस्फोट से मृत्यु

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, 29 नवम्बर, 2007 को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक बारूदी सुरंग विस्फोट से दूसरी मिजोरम रिजर्व पुलिस बटालियन के 10 जवानों सहित 12 लोग मारे गए थे।

सभा निर्दोष लोगों और विधि प्रवर्तनकारी एजेंसियों के विरुद्ध ऐसे हिंसक कृत्यों की निन्दा करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मलेशिया में तमिलों का दुर्दशा संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले हमें प्रश्न काल करना चाहिए, मैं आपकी बात प्रश्न काल के बाद सुनुंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस समय इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 'शून्य काल' के दौरान आपको बोलने का अवसर दूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, पहले मेरा नोटिस लिया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के बाद, मैं आपकी बात सुनुंगा।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसे पहले लिया जाना चाहिए। हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे को यहां उठा रहे हैं। हम, तमिलनाडु प्रजातांत्रिक प्रगतिशील गठबंधन के संसद सदस्य वृहस्पतिवार, 29 नवम्बर, 2007 को मलेशिया के मंत्री द्वारा हमारे माननीय नेता तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा. कलैंगनार एम. करुणानिधि के विरुद्ध निंदात्मक टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हैं। *...(व्यवधान)* वे हमारे नेता के विरुद्ध निंदात्मक तथा बिना कारण टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपको जानकारी देनी है कि माननीय मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि वे सम्मेलन में है तथा दो बजे तक व्यस्त रहेंगे। वे सभा में दो बजे के बाद आएंगे। वे इस मामले में सभा को जानकारी देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल के बाद इस विषय को उठाने दीजिए। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। मलेशिया में हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप प्रश्नकाल के बाद हमें बोलने की अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: वह हिन्दुओं से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह भारतीयों से जुड़ा मुद्दा है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैटर आएगा, तब देखेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों को मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवा योजना

***221. श्री एन.एन. कृष्णदासः** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आई.सी.डी.एस. परियोजना का देश के नए क्षेत्रों में विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 अक्तूबर, 2007 तक इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को निधियों के आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के समुचित क्रियान्वयन में पंचायती राज प्रणाली का उपयोग करने का प्रस्तावित तरीका क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) देश भर में आई.सी.डी.एस. स्कीम से अब तक लाभान्वित न हो पाई सभी बस्तियों को इस स्कीम से लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा गया कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल बस्तियों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तरीय सर्वेक्षण करवार अतिरिक्त परियोजनाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की अपनी सुस्पष्ट आवश्यकता बताएं। 34 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 613 परियोजनाओं, 2.20 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 77360 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की अतिरिक्त मांग प्राप्त हुई है। इन मांगों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ समेकित प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ राशि का राज्य-वार आबंटन सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता परिकल्पित है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंचायती राज संस्थाएं आंगनवाड़ियों कार्यकर्त्रियों एवं आंगनवाड़ी सहायिकाओं के चयन, पूरक पोषण के वितरण के पर्यवेक्षण, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के वितरण तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने आदि जैसे आई.सी.डी.एस. स्कीम के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में सहभागिता कर रही हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदासः देश में आई.सी.डी.एस. योजना बाल विकास स्वास्थ्य देख-भाल और महिलाओं को शक्ति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वास्तव में, ये आंगनवाड़ी विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पोषक केन्द्र हैं। लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायक परियोजना से सक्रिय रूप से शामिल हैं तथा समर्पित हैं परन्तु उनकी स्थिति दयनीय है। उन्हें नाममात्र को पारिश्रमिक मिलता है जो उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मानवीय आधार पर उनके पारिश्रमिक में वृद्धि करेगी तथा क्या सरकार उनको प्रत्यक्ष सरकारी कर्मचारी का दर्जा देगी।

श्रीमती रेनुका चौधरीः महोदय, यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है। माननीय सदस्य ने थोड़ा घुमा कर प्रश्न पूछा है। परन्तु उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है।

सर्वप्रथम, यह मुद्दा न्यायालय द्वारा लिया गया था और न्यायालय ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्य एक स्वयंसेवी कार्य है तथा उन्हें मात्र मानदेय दिया जाता है। निस्संदेह एक व्यक्ति के रूप में मैं भी महसूस करती हूं कि उन्हें अधिक भुगतान किया जाना चाहिए। आप इस बात को भी देखें कि राज्य सरकारें इन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का उनकी क्षमता से अधिक उपयोग करती हैं जैसे जनगणना कार्य आदि। अनेक राज्यों ने स्वेच्छा से कोष में अंशदान किया है, मेरे विचार से अन्य राज्यों को भी इस बारे में ध्यान देना चाहिए। यदि राज्य केन्द्र के अनुदान के बराबर अंशदान देते हैं तो उनके मानदेय में थोड़ी वृद्धि की जा सकती है। ये मानदेय है न कि वेतन। इस समय उन्हें स्थायी सरकारी कर्मचारी बनाने का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री एन.एन. कृष्णदासः महोदय, मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख किया है कि सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों के व्यापक विस्तार का निर्णय लिया है। इस परियोजना के विस्तार के लिए हम सरकार के आभारी हैं। लेकिन प्रत्येक क्षेत्र में, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्र में, इन आंगनवाड़ी केन्द्रों की हालत अत्यन्त शोचनीय और खराब है। आईसीडीएस परियोजना के कार्यान्वयन

संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पंचायती राज संस्था को इसके लिए भूमि खरीदकर भवन का निर्माण करना चाहिए। कभी-कभी, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और सहायक माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाते हैं और उनसे 'एमपीएलएडी' योजना के अंतर्गत भवन निर्माण का आग्रह करती हैं। अतः, मैं जानना चाहता हूं कि इसका व्यापक विस्तार करते समय क्या सरकार इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि खरीदने और भवन निर्माण हेतु धनराशि का उपयोग करने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों में छूट देने पर विचार करेगी?

श्रीमती रेणुका चौधरी: महोदय, सर्वप्रथम तो मैं संप्रग सरकार में शामिल सहयोगी और सभी दलों की अत्यंत आभारी हूं। हमने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह निर्णय लिया था कि देश में कहीं भी आंगनवाड़ी का मुद्दा उठने पर हम उसका समाधान करेंगे। अब, विकेन्द्रीकरण की सामान्य संकल्पना के अनुसार, आप यह मानेंगे कि भारत सरकार ने विभिन्न स्थानों पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोले हैं। अब, वे कैसे कार्य कर रहे हैं और उनका निर्माण किस प्रकार किया जाए, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए। आप इस बात को मानेंगे कि हम केन्द्र की ओर से हर प्रकार की सहायता दे रहे हैं और हमें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि राज्य सरकारें वह नहीं कर रही हैं, जो उन्हें वक्त की जरूरत के अनुसार करना चाहिए। कुछ राज्यों में अच्छी कार्यप्रणाली है और कुछ राज्यों में नहीं।

हम पहले ही एमपीएलएडी समिति की सभापति से मिल चुके हैं और उन्होंने सहमति दे दी है कि हम अपनी 'एमपीएलएडी' निधि का उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* हां, हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं। हम सबको सामूहिक रूप से ऐसा करना चाहिए। यह केवल किसी एक मंत्री अथवा किसी एक सरकार का ही कार्य नहीं है। आखिर, वे बच्चे हमारे ही तो हैं। दुर्भाग्य से बच्चे वोट बैंक नहीं हैं बहुत कम लोग इस उद्देश्य की पूर्ति में योगदान देने की जहमत उठाते हैं। अब 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे मतदान के पात्र नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रवि प्रकाश वर्मा: बच्चे वोट बैंक को प्रेरित कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणुका चौधरी: यह कहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। 11वीं योजना में हमने एक सुझाव दिया है जिसमें हमने कहा है कि उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य शुरू करना चाहिए।

भूमि राज्य सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। मैं समझती हूं कि इस बात से हम सभी सहमत हो सकते हैं। आखिरकार मैं वहां भूमि की व्यवस्था तो नहीं कर सकती। इसलिए, राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए और भूमि आबंटित करनी चाहिए और 11वीं योजना में आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। जैसा हमारे सम्मानित सदस्य श्री एन.एन. कृष्णदास जी ने लगभग सभी प्रश्न पूछ लिए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग पूरे देश में यह योजना लागू है और इसके अंतर्गत बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, उसमें बहुत कमियां और खामियां पाई गई हैं। जब शुरू में यह परियोजना चली थी, तब अच्छा-अच्छा खाना, जैसे पंजीरी और डबल रोटी आदि अनेक प्रकार के पुष्टाहार मिलते थे, लेकिन इस वक्त यह हाल है कि जो पंजीरी मिलती है, बच्चे उसे ले जाकर अपने पशु और पक्षियों को खिला देते हैं, क्योंकि वह उनके खाने लायक नहीं होती है। वह ऐसी नहीं होती है कि उसे बच्चे खा सकें।

महोदय, बच्चे देश का भविष्य निर्माण करने वाले होते हैं। उनके पुष्टाहार में यदि इस प्रकार की खामियां होंगी, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के स्तर पर इस योजना का मूल्यांकन होना चाहिए। आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत बच्चों को दिए जाने वाला जो पुष्टाहार है, उसकी मानीटरिंग हो और उसकी जांच हो। जब उन्हें अच्छा पुष्टाहार भोजन के तौर पर दिया जाएगा, तभी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पढ़ने में उनका मन लगेगा। क्या आप ऐसी कोई योजना लागू करेंगी?

श्रीमती रेणुका चौधरी: सर, मैं आनरेबल मैम्बर को बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने बुनियादी मुद्दा उठाया है। यह सही है कि जब तक हम अपने बच्चों को पौष्टिक आहार ठीक समय से नहीं देंगे, तब तक वे तंदुरुस्त कैसे बनेंगे। उन्होंने यह भी बिलकुल ठीक कहा कि बच्चे देश के भविष्य हैं। हमें यह उम्मीद है कि सारी दुनिया में वर्ष 2020 में सबसे जवान देश हमारा ही होगा। ऐसे लोग हमारे देश में ही होंगे, जो कमा के खिला सकें।

महोदय, हम केन्द्र सरकार की ओर से खाना पका कर या बना कर नहीं भिजवाते हैं। यह पूर्णतः विकेन्द्रीकृत है। यह जिम्मेदारी हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को दी है। पैसे हम देते हैं। बाकी सब काम स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। ऐसी शिकायतें मेरे पास बहुत आई हैं। मैं आपसे वादा करना चाहती हूं कि मैं इस मामले की जांच कर रही हूं। आप यह उम्मीद रखिए कि मैं किसी को एक परसेंट भी छूट नहीं देने वाली हूं।

[अनुवाद]

मैं लगाम कस रही हूं और हम वह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, पूरक पौष्टिक आहार मिले, जिसके लिए केन्द्र सरकार ने जिम्मेदारी उठाई है। यह हम करेंगे।

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, आईसीडीएस परियोजना के अंतर्गत केरल में लगभग 23000 आंगनवाड़ी केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों का कार्य-निष्पादन उत्कृष्ट है। वे खेल-खेल में बच्चों को अत्यंत विषयपरक प्रशिक्षण दे रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अनेक निजी नर्सरी विद्यालय हैं, जिनकी संख्या आजकल कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ रही है, वे अत्यंत आडंबरपूर्ण और जटिल ढंग से कार्य करते हैं। नर्सरी में दाखिला देने के लिए, वे पांच वर्ष से भी कम आयु के बच्चों का साक्षात्कार लेते हैं, जिससे बच्चों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है।

अतः, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन अवैज्ञानिक निजी नर्सरी विद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए कोई नया कानून बनाने पर विचार कर रही है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, यह प्रश्न मेरे मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह नर्सरी में दाखिलों और नर्सरी विद्यालयों में दाखिले की प्रक्रिया के बारे में है। हम कल्याण से संबंधित कार्य देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम उन गरीब परिवारों और गरीब लोगों के बच्चों की देखभाल करते हैं। जिन्हें दैनिक मजदूरी पर कार्य करने जाना पड़ता है। जो दैनिक मजदूरी पर जाने को बाध्य हैं। हम भेदभाव नहीं करते। हम, हमारे पास आने वाले प्रत्येक बच्चे को लेते हैं। उम्मीद है, हम ऐसा तब तक करते रहेंगे, जब तक कि सकल घरेलू उत्पाद में इतनी वृद्धि न हो जाए कि लोग अपने बच्चों की देखभाल स्वयं कर सकें। हम विभिन्न स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए 'क्रेच' भी उपलब्ध करा रहे हैं। अतः, हम नर्सरी के दाखिलों में शामिल नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मंत्री महोदया बहुत उत्साही रही है, जैसा कि 'आईसीडीएस' कार्यकर्ताओं के संबंध में लग रहा है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि देश के विभिन्न भागों में आईसीडीएस कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न स्तरों पर भुगतान किया जाता है। किसी राज्य में, उन्हें 1,000 रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरा राज्य उन्हें 4,000 रुपए दे रहा है। उनकी कार्य दशा और वेतनमानों का कोई मानक नहीं है। लेकिन वे उन्हें मिल रहे भुगतान के अनुपात में ज्यादा कार्य कर रहे हैं। इसलिए, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे किसी तारीख विशेष से मानदेय में वृद्धि करने जा रही हैं? मानदेय में वृद्धि के लिए क्या समय-सीमा प्रस्तावित की जा रही है? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि क्या वे राज्य मंत्रियों की बैठक बुलाएंगी और 'आईसीडीएस' कार्यकर्त्ताओं की सेवा शर्तों और कार्यभार को मानकीकृत करेंगी।

श्रीमती रेनुका चौधरी: जब इनसे पहले संसद सदस्य ने प्रश्न पूछा था, तब ही मैंने इस मुद्दे का समाधान कर दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: प्रथम भाग के बारे में, मैं नहीं जानती कि मैंने कब यह कहा है कि मानदेय में वृद्धि करूंगी। अतः वे मुझसे तारीख के बारे में पूछ रहे हैं। मैं वादा नहीं कर सकती। जिस दिन मैं भारत की वित्त मंत्री बन जाऊंगी, मैं इसमें वृद्धि कर दूंगी। लेकिन तब तक हम दूसरे मुद्दे देखते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या आप इस पर विचार करेंगी?

श्रीमती रेनुका चौधरी: गुरुदास दासगुप्त जी, आप अनुभवी राजनीतिज्ञ है और समझ सकते हैं कि मैं संसद में इस तरह का आश्वासन नहीं दे सकती।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आपको यह मुद्दा वित्त मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए।

श्रीमती रेनुका चौधरी: हम, हम दोनों, बाद में साथ बैठकर वित्त मंत्री को मनाएंगे। लेकिन आप मानेंगे कि यह जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का उपयोग अथवा दुरुपयोग अपने उद्देश्यों यथा जनगणना सर्वेक्षण और अन्य कार्यों के लिए करते हैं और उन्हें कार्य को युक्तिसंगत बनाना चाहिए। मैं पूरे देश के लिए सब के लिए ठीक बैठने वाला सूत्र नहीं बना सकती क्योंकि विभिन्न राज्यों की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं और हम आवश्यकता आधारित सेवाएं ही प्रदान करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री भंवर सिंह डांगावास। सबसे पहले तो, आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसी सीट से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप पूछिए।

श्री भंवर सिंह डांगावास: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया बहुत डायनैमिक हैं और लड़कियों की बहुत हितैषी हैं। क्या यह आप बताएंगी कि जो एन.जी.ओज. और अन्य संस्थाएं बालिकाओं के विद्यालय चला रही हैं, जिनमें होस्टल्स हैं, उनकी सहायता के लिए एच.आर.डी. डिपार्टमेंट तो सहायता देता ही नहीं है, क्योंकि चार-चार दफा लोगों ने एप्लाई कर दिया, इसलिए क्या आप उन बालिकाओं की खुराक का जिम्मा लेंगी? जो संस्थाएं या एन.जी.ओज. केवल बालिका विद्यालय चला रही हैं, क्या वहां लड़कियों को अच्छी खुराक सप्लाई करने हेतु पूरा पैसा आपका मंत्रालय देगा?

श्रीमती रेनुका चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, जो लड़कियां 18 साल से कम उम्र की हैं, उनके लिए खासतौर से 'किशोरी शक्ति योजना' के अंतर्गत हम कई प्रान्तों में पौष्टिक आहार पहुंचा रहे हैं। मगर जो वैलफेयर होस्टल्स हैं, वे हमारे सब्जैक्ट में नहीं आते है। आप यदि वे सारे सब्जैक्ट मेरे मंत्रालय को ट्रांसफर करा दें, तो मैं उनके लिए भी जरूर करूंगी। मैं कभी ऐतराज नहीं करूंगी।

श्री भंवर सिंह डांगावास: महोदया, हमारी स्टेट राजस्थान को अभी तक वह सहायता नहीं पहुंची है।

श्रीमती रेनुका चौधरी: मैं, आपकी इजाजत से सबसे पहले राजस्थान में शुरू करूंगी।

श्री भंवर सिंह डांगावास: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सन्दीप दीक्षित: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आदरणीय मंत्री महोदय ने बताया कि किस तरह से आंगनवाड़ी के वर्कर के ऊपर हर तरह का कार्यक्रम लाद दिया जाता है। योजना आयोग में भी कुछ बात चल रही है और अभी जो नई पंचवर्षीय योजना आ रही है, उसमें भी शायद इस बात पर चर्चा हुई थी। इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कहीं प्रपोजल है कि आंगनवाड़ियों में एक की जगह, दो आंगनवाड़ी वर्कर रखे जाएं? क्योंकि यह बहुत ही कल्याणकारी और परोपकारी स्कीम है, जहां भी यह स्कीम अच्छी तरह से चलती है, इसका उस राज्य के विकास पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जितना शायद ही किसी और कोई कार्यक्रम का पड़ता हो। बहुत जगहों से यह डिमांड आई है और बहुत से विशेषज्ञों ने यह कहा है कि एक की जगह अगर हम दो-दो आंगनवाड़ी वर्कर रख सकें, तो उनके ऊपर जो और भार उन राज्य के कार्यक्रमों को चलाने का आता है, उसे वे और अच्छी तरह से, सुचारू रूप से कर सकेंगे और बच्चों के विकास में वे और भी अच्छी भूमिका निभा सकेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदया, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या एक आंगनवाड़ी वर्कर की जगह दो आंगनवाड़ी वर्कर दिए जा सकते हैं?

[अनुवाद]

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय सबसे पहले हमें एक बात समझनी चाहिए।

[हिन्दी]

कि शायद दुनियां में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है, जैसा हमारा देश है, जहां हम वैलफेयर स्कीम में इतने सारे बच्चों को खाना खिलाते हैं और देखभाल करते हैं। यह एक हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि आंगनवाड़ीज में हमारे दो लोग पहले से हैं-एक टीचर है और एक हैल्पर है। दोनों बच्चों की देखभाल करते हैं। हमारा यह प्रयास है कि 11वें प्लान में हम सारे एरियाज को रैशनलाइज करें और एक दिशा देकर देखें और दिखाएं। उसके बारे में मैं अभी कुछ जिक्र नहीं कर सकती हूं। जब तक इसकी ई.एफ.सी. और यह सब कुछ न हो। पहले से दो वर्कर हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: महोदया, वे दो कामगारों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां केवल एक कामगार तथा एक सहायक ...*(व्यवधान)* वे दो कामगारों की बात कर रहे हैं।

श्रीमती रेनुका चौधरी: वह भविष्य पर निर्भर है। हमें देखना होगा कि वहां कितने बच्चे हैं।

[हिन्दी]

यदि मैं यह कहूं कि देश भर में दो वर्कर रहेंगे और बाद में पता चले कि कहीं पर दो ही बच्चे हैं, तो फिर वह लागू नहीं हो पाएगा।

[अनुवाद]

उन्होंने अब इसका विस्तार कर दिया है तथा मांग पर अब लघु आंगनवाड़ी तथा आंगनवाड़ी इत्यादि उपलब्ध करा रहे हैं।

[हिन्दी]

कहीं पर तो वे तीन बच्चों की देखभाल करते हैं।

[अनुवाद]

हम इस प्रकार की एक समान नीति लागू नहीं कर सकते।

श्रीमती अर्चना नायक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीया महिला और बाल विकास मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने आईसीडीएस के अंतर्गत निर्धारित तथा आबंटित निधि जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने तथा निर्धारित एजेंसियों द्वारा निधि के सुचारू प्रयोग हेतु कोई मानिटरिंग इकाई स्थापित की है? धन्यवाद।

श्रीमती रेनुका चौधरी: महोदय, यह समय की आवश्यकता है और माननीय सदस्य को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस समस्या के मूल कारणों को उजागर किया है। परन्तु मेरा विचार है कि सबसे बेहतर मानिटरिंग लोक प्रतिनिधियों के द्वारा हो सकती है, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्य करेंगे और समस्या के हल के लिए स्थानीय इकाइयों पर दबाव डाल सकेंगे। हम पैसा उपलब्ध कराते है हमने करोड़ों रुपये दिए हैं। हमने काफी परिव्यय किया है। यदि निधि वास्तविक लाभार्थी तक नहीं पहुंचता तो यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

राज्यों में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

+*222. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्य सरकारों विशेषकर पंजाब सरकार से अपने राज्यों में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनुरोधों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 लागू हो जाने से, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा ताप उत्पादन हेतु तकनीकी आर्थिक अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। तथापि, जल विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की इच्छुक कोई उत्पादन कंपनी योजना तैयार कर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को उसकी सहमति हेतु प्रस्तुत करेगी, यदि योजना में उस राशि से अधिक पूंजीगत व्यय शामिल होने का अनुमान हो जितना कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है।

केविप्रा ने जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में सूचना प्रदान की है कि सोलह प्रस्ताव के.वि.प्रा. में प्राप्त हुए हैं। इनमें से चार प्रारंभिक जांच के बाद परियोजना प्राधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं सुनिश्चित करने हेतु लौटा दी गई हैं और छह प्रस्ताव वर्तमान में प्रारंभिक जांच की अवस्था में है। वर्ष 2007-08 की शेष छह परियोजनाएं और 2006-07 की एक परियोजना पर सीईए ने स्वीकृति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। चार प्रस्ताव के.वि.प्रा. में लंबित है। दो राज्य क्षेत्र से और एक-एक केन्द्रीय व राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है। जैसा कि अनुबंध में देखा जा सकता है, पंजाब से कोई जल विद्युत परियोजना स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु के.वि.प्रा. के पास लंबित नहीं है।

योजना आयोग ने बिना किसी प्रतिबंध के विद्युत परियोजनाओं (जल एवं ताप विद्युत उत्पादन) के अनुमोदन हेतु राज्य सरकारों को पूरे अधिकार दे दिए हैं। तथापि, योजना आयोग से अनुमति उन जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में अपेक्षित है जहां अंतर राज्यीय मुद्दे शामिल हों। योजना आयोग ने सूचित किया है कि कोई भी अंतर-राज्यीय जल विद्युत परियोजना उनके पास निवेश अनुमोदन हेतु लंबित नहीं है।

अनुबंध

वर्ष 2007-08 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त, इसके द्वारा स्वीकृत एवं स्वीकृति हेतु इसके जांचाधीन प्रस्तावों के ब्यौरे

क्र.सं.	जल विद्युत परियोजनाओं के नाम	पूर्ण सूचना के साथ सीईए में प्रस्तुत करने की तारीख	स्वीकृति की तारीख
1	2	3	4
क. स्वीकृत प्रस्ताव			
1.	आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कारपोरेशन द्वारा आंध्र प्रदेश में लोअर जुराला (6×40 मेगावाट) (राज्य क्षेत्र)	3.06.2007	24.07.2007

1	2	3	4
2.	रंगित चरण-4 (3×40 मेगावाट) जल पावर कारपोरेशन लि. द्वारा सिक्किम में (निजी क्षेत्र)	3.06.2007	6.07.2007
3.	पारे (2×55 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश में नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा (केंद्रीय क्षेत्र)	29.08.2007	24.09.2007
ख. जांचाधीन प्रस्ताव		प्राप्ति का माह	स्थिति
1.	तमिलनाडु में कुंडा 4×125 = 500 मेगावाट तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (राज्य क्षेत्र)	10/06	जांचाधीन
2.	उत्तराखंड में सिंगोली भटवारी 3×33 = 99 मेगावाट एल एंड टी उत्तरांचल हाइड्रो पावर लि. (निजी क्षेत्र)	06/07	जांचाधीन
3.	कर्नाटक में गुंडिया 2×200 = 400 मेगावाट कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (राज्य क्षेत्र)	06/07	जांचाधीन
4.	दिबांग अरुणाचल प्रदेश 12×250 मेगावाट नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (केंद्रीय क्षेत्र)	06/07	जांचाधीन

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की पूरे देश में किल्लत है। पंजाब एक ऐसा राज्य है, जो देश के सैंट्रल पूल में 60 प्रतिशत फूड ग्रेन्स दे रहा है, लेकिन उसको बिजली नहीं मिल रही है और उसके ट्यूबवैल रूके हुए हैं। एनटीपीसी ने पूरे देश में सैंट्रल प्रोजेक्ट लगाए हैं, लेकिन पंजाब में आज तक एक भी नहीं लगा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार का कोई प्लान है कि पंजाब में भी एनटीपीसी की तरफ से कोई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, जहां भी पौसिब्लिटी होती है, वहां एनटीपीसी प्रोजेक्ट लगाती है। पंजाब में भाखड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इतना बढ़िया है जिसमें उत्पादित बिजली की कीमत 13 से 14 पैसे प्रति यूनिट आती है। देश में सबसे सस्ती बिजली वहां मिलती है। यह बहुत साल पहले का प्रोजेक्ट है। यदि पंजाब सरकार ने मांग की, तो मैं जरूर एनटीपीसी अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि लक्ष्य दे दें और जगह वगैरह देख लें। अगर पंजाब सरकार की तरफ से मांग आती है, तो हम जरूर कंसिडर करेंगे।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी फरवरी, 2006 में अमृतसर गए थे और जब उनकी नौलेज में लाया गया, तब उन्होंने घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में जो 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लग रहा है, उसमें से 1400 मेगावाट बिजली पंजाब को दी जाएगी, लेकिन वह प्रोजेक्ट अब नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो कमिटमेंट है, उसके तहत क्या किसी और प्रोजेक्ट से 1500 मेगावाट बिजली पंजाब को देने की आपकी कोई योजना है या नहीं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: महोदय, पंजाब का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरे देश को अनाज पंजाब से जाता है, इसलिए हमारा हमेशा पंजाब के लिए सहयोग रहा है। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर भी कहा था। मैंने दो परसेंट बिजली दे दी है। जाड़े के दिनों में केवल हिमालय रेंजिज में पड़ने वाले स्टेट्स को देने की प्रेक्टिस है, लेकिन पंजाब की परिस्थिति को देखते हुए, दो परसेंट बिजली पंजाब को दे दी है और 27 मेगावाट बिजली हम आज भी सैंट्रल कोटे से वहां दे रहे हैं।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि वहां के मुख्य मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से सहयोग दे रहे हैं, उनसे हमारी बात हो रही है। नए-नए प्रोजेक्ट लगाने के बारे में उन्होंने मेहनत की है। राजपुरा के बारे में शायद आप प्रश्न पूछें, अभी वक्त नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि राजपुरा का प्रोजेक्ट हमने सीए की साइट सलेक्सन कमेटी से क्लियर करा दिया है। अबोहर ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसके बीच में डियर पार्क आता है। उसके लिए अल्टरनेट जगह बताने के लिए हमने कहा है। हमारे पास आने पर वह साइट भी क्लीयर हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने अमृतसर में यह बात जरूर कही थी। जब एक प्रोजेक्ट से देना संभव नहीं होता है, तो हम दूसरे प्रोजेक्ट से बिजली देने का प्रयास करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आशा है कि पंजाब का शेयर मिल जाएगा। जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, उसे ससान से 558 मेगावाट उन्हें मिल जाएगा, मुंद्रा से 475 मेगावाट और तलैया से 200 मेगावाट मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त हम और भी देख लेंगे-तमिलनाडु से भी, जो अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें से भी अगर मिल सकता है, वह हम देख लेंगे। लेकिन सदन को मैं बताना चाहूंगा कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में एक भी मेगावाट का कैपेसिटी एडिशन पंजाब में नहीं हुआ है। आज पंजाब में एनर्जी शार्टेज है 5.2 प्रतिशत और पिकिंग शार्टेज है 10.5 प्रतिशत है. यदि वहां आप कैपेसिटी एडिशन नहीं करेंगे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पिकिंग शार्टेज 40 प्रतिशत तक जा सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैपेसिटी एडिशन करना चाहिए। हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उन्हें स्ट्रेंथेन करना चाहिए। मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि उन पर इस समय सब्सिडी का बोझ बहुत ज्यादा है, उनके पास पैसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि यदि बोर्ड को बाइफरकेट कीजिए तो मालूम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य, जो यहां मंत्री भी रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और काम अच्छा करते हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि हम सभी बैठकर इसमें मदद करने के लिए तैयार हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पंजाब का प्रश्न बहुत डिफिकल्ट है। हम आपके साथ हैं। पंजाब के जो भी प्रश्न होंगे, हम उन्हें सफल करने के लिए तैयार हैं।

सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि बिजली देंगे या नहीं देंगे, उसकी बात तो अलहदा है, ढींडसा जी ने पूछ लिया है, लेकिन पावर फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट चलते हैं, उनके रेनोवेशन, मोर्डनाइजेशन और लाइफ एक्सटेंशन के लिए आफ फंड्स देते हैं, पिछले तीन सालों में पंजाब के लिए आपने कितने फंड्स जारी किए गए हैं और अगर जारी नहीं किए गए हैं, तो इसका क्या कारण है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैंने नोटिस ले लिया है, मैं आपको संबंधित सूचना पहुंचा दूंगा।

श्रीमती सुमन महतो: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या झारखंड राज्य में कोई मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाए जाने का प्रस्ताव, झारखंड सरकार अथवा कारपोरेट सेक्टर का प्रस्ताव आपके पास लम्बित है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह मूल प्रश्न पंजाब से संबंधित है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में एक प्रोजेक्ट है, और हम पूरे देश में नौ प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं। कई राज्य ऐसे हैं, जैसे उड़ीसा को एक-एक चाहिए था, उन्होंने दो मांगे हैं। तमिलनाडु को एक चाहिए था, उन्होंने भी दो मांगे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि यह 4000 मेगावाट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब 16 से 17 हजार करोड़ की कीमत का एक-एक प्रोजेक्ट है। इस देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना में बिजली ही बिजली हो जाएगी। झारखंड में यू.एम.पी.पी. का एक प्रोजेक्ट चर्चा में है। हम पानी के लिए टाई-अप कर रहे हैं, जमीन के लिए भी टाई-अप कर रहे हैं। वहां भी एक अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लग जाएगा।

श्री विजय कृष्ण: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पूरक प्रश्न करने का अवसर दिया।

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें चर्चा आई है कि बिहार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि हालत यह है कि बिहार में बिजली संकट है और मुख्यमंत्री के गृह जिले

और जनपद में भी बिजली नहीं है और रोज परेशानी होती है। जितनी बिजली बिहार को चाहिए, उससे कम उत्पादन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस स्थिति में, जबकि बिहार ने कोई प्रस्ताव नहीं दिया है, क्या भारत सरकांर अपनी ओर से कोई पहल करेगी ताकि इस संबंध में आगे कार्रवाई हो, क्योंकि बिहार में बिजली का संकट है, बिजली की कमी है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः वास्तव में यह प्रश्न केवल पंजाब राज्य से संबंधित था।

श्री सुशील कुमार शिंदेः जी हां, यह पंजाब राज्य तक सीमित था। परन्तु मैं पूरे देश की स्थिति जानता हूं। इसलिए मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है आप ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदेः बिहार ने भी कैपेसिटी एडीशन नहीं किया है। जब तक हमने राज्य में कैपेसिटी एडीशन नहीं करते हैं, तब तक यह संकट दूर नहीं होने वाला है। आप ऐसा समझ लें कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट तो सप्लीमेंटरी काम करती है, मुख्य काम राज्यों को ही करना है। यदि राज्यों के लोग अपनी जनता की खबर नहीं लेंगे, तो यह काम नहीं होगा। हम मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी कहा था कि पी.एफ.सी. की तरफ से लोन चाहिए, आर.ई.सी. की तरफ से लोन चाहिए, हम मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बिहार के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बिहार एक दिक्कत में आया हुआ प्रान्त है, बिजली के बारे में जहां का पी.एल.एफ. बहुत कम है। कहलगांव और बाढ़ के बारे में, मैं जीरो आवर में टेलीविजन पर देख रहा था, शाहनवाज जी ने प्रश्न पूछा था। मैं बताना चाहूंगा कि ये सब प्रश्न इसलिए हैं, क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी एडीशन नहीं किया है। ...*(व्यवधान)* तो भी, जितना भी होगा, जैसे ही हमारे पास सुझाव आ जाएंगे, हम उसको क्लियर कर देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री अविनाश राय खन्ना के प्रश्न के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

वे आपकी पार्टी के आदमी हैं।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदयः रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री शाहनवाज हुसैन जी कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदयः मेरी अनुमति के बिना जो कोई भी बोलें उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्नाः यह स्वाभाविक था, बिजली का विषय ही ऐसा है, थोड़ी सी गर्मी आ गई, तो कोई बात नहीं है।

मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बात कही है कि प्लानिंग कमीशन ने हाईड्रो और थर्मल प्रोजैक्ट्स लगाने के लिए राज्यों को पावर्स डैलीगेट की हैं, लेकिन बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर और नान कन्वेंशनल इनर्जी भी काम आ सकती है। क्या केन्द्र सरकार का ऐसा कोई विचार है कि दोनों न्यूक्लियर और नान कन्वेंशनल इनर्जी का कोई प्रोजैक्ट पंजाब में लगाया जाये, ताकि पंजाब की बिजली की कमी को पूरा किया जा सके?

श्री सुशील कुमार शिंदेः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय सदस्य जी को कहूंगा कि नान कन्वेंशनल बिजली के बारे में मैंने खुद चीफ मिनिस्टर से बात की थी, जब मेरे पास कुछ लोग जर्मनी से आये थे तो मैंने उनके रिप्रजेण्टेटिव को वहां भेजा था। शायद 130 मैगावाट का प्रोजैक्ट वहां लगाने की बात थी। जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट से बिजली बनाने का काम वे करना चाहते हैं। उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। जहां भी पौसिबिलिटी होती है, न्यूक्लियर की हो जायेगी, आप सभी अब सहमति दे रहे हैं, एक बार सिविलियन न्यूक्लियर का काम हो जायेगा तो जहां-जहां भी पौसिबिलिटी है, वहां देखा जायेगा। यह डिपार्टमेंट जरूर देखेगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है तो तमिलनाडु के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में 400 करोड़ रु. की लागत से एक जल विद्युत परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव था और वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामेश्वरम में किया जाना था। आपके माध्यम से मैं माननीय विद्युत मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या उनके मंत्रालय के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा किया जाएगा?

मैं इस सम्मानित सभा को यह बताना चाहती हूं कि तमिलनाडु में बारिश न होने के कारण बिजली की अत्यधिक कमी है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: तटीय क्षेत्र होने के कारण मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने सभा को अभी सूचित किया है कि हम तमिलनाडु में दो अल्ट्रा मेगा परियोजनाएं लगाने जा रहे है। तटीय परियोजनाओं में आयातित कोयले की आपूर्ति की जाएंगी। इस समय मेरे पास जल विद्युत परियोजना की जानकारी नहीं है परन्तु हम तटवर्ती क्षेत्रों में दो अल्ट्रा मेगा परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री प्रबोध पाण्डा: धन्यवाद महोदय यद्यपि मेरा प्रश्न पंजाब से संबंधित नहीं है परन्तु क्या मंत्री महोदय अन्य राज्यों में विद्युत संयंत्रों के संबंध में बताने की कृपा करेंगे। एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी कि सरकार पश्चिम बंगाल के कांटई में स्थित हरिपुर में एक परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने जा रही है। क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकार से परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे देता परन्तु परमाणु ऊर्जा विभाग मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

जटरोफा पौधरोपण हेतु सहायता

***223. डा. टोकचोम मैन्या:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जटरोफा की खेती हेतु गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को दी गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बायो-डीजल के उत्पादन हेतु जटरोफा के बीजों की खरीद हेतु क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जटरोफा/पोंगामिया की नर्सरियां तैयार करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को वर्ष 2005-06 के दौरान 49.00 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2006-07 के दौरान 49.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी। राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला अनुबंध संलग्न है। मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान जटरोफा की खेती के लिए गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(ख) बायो-डीजल के उत्पादन हेतु जटरोफा के बीजों को खरीदने के लिए छत्तीसगढ़ में, राज्य के स्वामित्व वाले माइनर फोरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेसन की इसकी 913 सदस्य सहकारी समितियों के जरिए तथा उत्तराखंड में स्टेट फोरेस्ट डिवेलपमेंट कारपोरेशन (राज्य सरकार का उपक्रम) की नाडल एजेंसियों के रूप में पहचान की गई है। अन्य राज्यों में, बायो डीजल कार्यक्रम से संबंधित कार्यकलाप अभी आरम्भिक अवस्था में हैं।

अनुबंध

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2005-06 में जारी	वर्ष 2006-07 में जारी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	10.75	
2.	बिहार	-	1.00
3.	छत्तीसगढ़	13.50	8.00
4.	गुजरात	4.50	4.00
5.	हिमाचल प्रदेश	1.50	-
6.	झारखंड	-	1.00
7.	कर्नाटक	-	2.00
8.	मध्य प्रदेश	-	9.00
9.	महाराष्ट्र	-	1.00
10.	उड़ीसा	-	4.00
11.	राजस्थान	2.25	5.00

1	2	3	4
12.	तमिलनाडु	10.50	-
13.	उत्तर प्रदेश	-	1.00
14.	उत्तराखंड	-	8.00
15.	पश्चिम बंगाल	-	1.00
	पूर्वोत्तर राज्य		
16.	असम	1.50	2.00
17.	अरुणाचल प्रदेश	-	1.00
18.	सिक्किम	1.50	-
19.	त्रिपुरा	3.00	1.50
	योग	49.00	49.50

डा. टोकचोम मैन्या: महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी तथा श्री चंद्रशेखर साहू को मेरे प्रश्न का व्यापक उत्तर देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरा अनुपूरक प्रश्न इस प्रकार है। देश में ईंधन की मांग को विशेष रूप से जैव ईंधन की मांग को देखते हुए तथा तेल के सीमित भंडारों को ध्यान में रखते हुए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जटरोफा की सघन खेती के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों को कब तक प्रोत्साहन तथा निधि उपलब्ध करायेगी।

श्री चंद्रशेखर साहू: वर्तमान में गैर-सरकारी संगठनों को निधि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है। पायलट परियोजना के तौर पर वर्ष 2005-06 में हमने 49 करोड़ रु. की निधि उपलब्ध करायी तथा वर्ष 2006-07 के दौरान 19 राज्यों में 49.50 करोड़ रु. जटरोफा उगाने के लिए उपलब्ध कराये हैं। हमने गैर-सरकारी संगठनों को कोई निधि उपलब्ध नहीं करायी है। माननीय सदस्य ने पूछा कि हम कब तक गैर-सरकारी संगठनों को निधि उपलब्ध करायेंगे। हमारा एक मिशन हैं जिसके दो चरण, चरण-I तथा चरण-II है यह मामला अभी विचाराधीन है।

महोदय, यह मामला अभी मंत्रियों के समूह के समक्ष विचाराधीन है। चरण-I तथा चरण-II में देश में 5 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि में जटरोफा पौधरोपण आरम्भ किया जाना है। मंत्रियों के समूह की स्वीकृति के पश्चात मिशन आरम्भ होगा। निसन्देह मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के पश्चात हम गैर-सरकारी संगठनों को निधि उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे।

डा. टोकचोम मैन्या: अब तक प्रदान की गयी वित्तीय सहायता के रूप में निधियों की आवक को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मैं अपनी बात दोहराता हूं कि जटरोफा के बीज की खरीद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा उसके अनुरूप बायोडीजल की वृद्धि क्या है?

श्री चंद्रशेखर साहू: जैसा कि मैंने पहले ही उत्तर दिया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे 19 राज्यों को दिया है। राज्यों ने अपनी स्वयं की एजेंसियों के माध्यम से जटरोफा पौधरोपण का कार्य हाथ में लिया है। इसलिए, राज्यों ने स्वयं की पहल की है तथा जटरोफा पौधरोपण आरम्भ किया है। आईओसी ने अपना स्वयं का अनुसंधान व विकास कार्यक्रम आरम्भ किया है तथा बायो डीजल व बायो-ईंधन के लिए जटरोफा एवं अन्य पौधरोपण आरंभ किया है, रेलवे ने भी इसे 25,000 हैक्टेयर भूमि पर आरम्भ किया है।

आंध्र प्रदेश के मामले में पौधरोपण 15,000 हैक्टेयर, छत्तीसगढ़ 1,04,000 हैक्टेयर, गुजरात में 39,000 हैक्टेयर है, कर्नाटक में 7600 हैक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया गया है। रेलवे ने 25,000 हैक्टेयर भूमि पर इसका पौधरोपण किया है तथा इसलिए जटरोफा पौधरोपण के मामले में उपयोग में लायी गयी भूमि का कुल योग 5,70,000 हैक्टेयर है।

मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि मिशन के तहत मूल आंकड़ों में 20 प्रतिशत बायोईंधन व बायोडीजल जोड़ने का लक्ष्य है जो कि अन्यथा आयात किया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब: हमें दिए गए उत्तर तथा सभा पटल पर रखे गए उत्तर से यह पता चलता है कि छह राज्यों को लगभग 8-10 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं तथा केवल छत्तीसगढ़ ने ही इस जादुई पौधे जटरोफा को उगाने के लिए जिसे जैव ईंधन का एक वैकल्पिक स्रोत तथा मौसम परिवर्तन को रोकने का एक उपाय माना जाता है। 21.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए है।

मेरा प्रश्न यह है कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद्, वंदना शिवा व मणिशंकर द्वारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में स्थल कार्य के आधार पर किए गए अध्ययन के बारे में अवगत है, जिसके अनुसार जनजातियों को भूमि उपयोग पर अपने वंशानुगत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है तथा यह उनकी खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। क्या यह ठीक है कि क्या 11 मिलियन भूमि में जटरोफा उगाया जाएगा? क्या राज्यों को सीमांत व खराब भूमि को चिन्हित करने को कहा गया है चूंकि इस भूमि का ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास संपूर्ण प्रभार है।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने राज्यों से सीमांत व खराब भूमि को चिन्हित करने व क्या इस पौधरोपण के कारण जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है चूंकि एक प्रतिवेदन परिचालन में हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय इससे अवगत है या नहीं?

श्री चंद्रशेखर साहू: मैंने पहले ही उत्तर दिया था कि अब यह मंत्री समूह के विचाराधीन है। हमने इसे चिन्हित करने के लिए राज्यों को कोई भी निदेश नहीं दिए हैं। परन्तु भारत में श्रेणी-वार बंजर भूमि है, जो कि संपूर्ण देश में लगभग 6,38,58.31 कि.मी. है।

बंजर भूमि के लिए एक राज्य-वार सूची मौजूद है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उन्हें लिखित में दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उन्हें दे सकते हैं।

श्री चंद्रशेखर साहू: मैं उन्हें लिखित में दूंगा।

जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के संबंध में जिसकी उन्होंने अभी चर्चा की है, मैंने समाचार-पत्र में छपी एक रिपोर्ट भी पढ़ी है, हम निश्चित ही इस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री फ्रांसिस फन्थम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऊर्जा के नये स्रोतों का विकास इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऊर्जा के विकल्प देश के सामने हैं, उसमें जटरोफा के उत्पादन को बढ़ाना शायद एक नयी खोज हमारे लिये हो सकती है, लेकिन जो पैसा इन्होंने विभिन्न प्रांतों को दिया है, वह अत्यंत कम है। उत्तर प्रदेश, बिहार आदि कई ऐसे प्रांत हैं, जहां केवल एक करोड़ रुपया पूरे साल के लिए आवंटित किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस ओर इतना आकर्षित नहीं है कि इस स्रोत को और विकसित किया जाये और एक विकल्प के रूप में देश के सामने लाया जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका मंत्रालय इस स्रोत के विकास के लिए इससे अधिक पैसे का आवंटन करेगी और इसे आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक धनराशि उत्पन्न करायेगी?

[अनुवाद]

श्री चंद्रशेखर साहू: पुनः मैं यह उत्तर देना चाहता हूं कि यह मंत्रियों के समूह के अवलोकनार्थ है, एक बार मिशन आरम्भ हो जाए तत्पश्चात् वास्तविक वित्तपोषण का मुद्दा उठेगा। हमने अभी मात्र प्रायोगिक आधार पर राज्यों को दिया है। राज्यों ने स्वयं आरम्भ कर अपनी कुछ निधियां व्यय की है।

[हिन्दी]

जैसे कि ब्राजील, यूएसए, यूरोप, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि सबने बायो डीजल और बायोफ्यूल पर ज्यादा ध्यान दिया है।

[अनुवाद]

यातायात हेतु वाहनों में उपयोग हेतु इथेनाल के उत्पादन में ब्राजील विश्व में अग्रणी देश है।

[हिन्दी]

सरकार का इसमें जरूर ध्यान है क्योंकि हम जितना डीजल और पेट्रोल इम्पोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से देखें, तो हमें बायोडीजल और इथेनाल की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए सरकार इसमें बहुत सा रुपया खर्च करने को तैयार है। इसके लिए एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बैठाया गया है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद यह काम शुरू होगा।

श्री कीरेन रिजीजू: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। आप जो जटरोफा मिशन लागू करने जा रहे हैं, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। आपकी और डा. रघुवंश प्रसाद की नीयत अच्छी है। मेरी सीरियस कम्पलेंट यह है कि जितना अच्छा यह प्लान है, उतना अच्छा वह आपके मंत्रालय में दिखाई नहीं देता। मैंने आपसे इस बारे में डिटेल्स से चर्चा भी की है। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रौजेक्ट है। आप स्टेट गवर्नमैंट को इन्वाइट करते हैं कि वे प्रौजेक्ट लायें। जब वे प्रौजेक्ट देते हैं, तो स्क्रूटिनी में आप पूरा एक साल लगा देते हैं। आपके यहां 45 हजार पुराने केसेज पैंडिंग्स हैं। दूसरे, आप मिशन लांच करने में काफी टाइम लगा रहे हैं। मेरा स्पेसीफिक क्वेश्चन यह है, आपने मुझे पत्र लिखकर जो जवाब दिया है, उसके अलावा मैं आपसे सीधा-सीधा जवाब मांगता हूं कि आपके यहां अच्छे अधिकारी, साइंटिस्ट हैं, आपके दफ्तर में श्री कृष्णा भी अच्छे अधिकारी हैं, इन लोगों की एक कमेटी कांस्टीच्यूट करके जो पायलट प्रौजेक्ट पैंडिंग्स हैं, आप जब हर स्टेट को पायलट प्रौजेक्ट देने जा रहे हैं, उनको क्या आप इमीजिएटली क्लीयर करेंगे? अगर क्लीयर नहीं करेंगे, तो किस लिए नहीं करेंगे, यह जवाब मैं आपसे चाहता हूं?

श्री चंद्रशेखर साहू: उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 में हम लोगों ने पायलट प्रौजेक्ट्स के लिए 49 करोड़ रुपये और वर्ष 2006-07 में 49.5 करोड़ रुपये दिये हैं। उनके सामने जब आफिसर्स को बुलाकर बात की थी। अब जो भी इनके क्षेत्र से पायलट प्रौजेक्ट आये हैं, उनमें जो भी कमियां हैं, उसे पूरा करने और

देखने के लिए मैंने उनसे सीधे बात की थी। फिर भी कुछ कमी है, तो मैं उसे देखूंगा। लेकिन अभी हमारा पायलट प्रौजेक्ट्स में किसी स्टेट को पैसा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिशन की रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है। अभी प्लानिंग कमीशन में उसका एप्रूवल हुआ है। वह मिशन शुरू है इसलिए अभी पायलट प्रौजेक्ट में हम लोग रुपया देने के लिए तैयार नहीं हैं।

[अनुवाद]

सौर और बायो-गैस ऊर्जा के माध्यम से ग्राम विद्युतीकरण

***224. श्री नरहरि महतो:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में सौर और बायो-गैस ऊर्जा के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों को सौर अथवा बायो-गैस ऊर्जा मुहैया कराने हेतु कोई नई योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मंत्रालय द्वारा उन दूरस्थ, अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों की दूरस्थ अविद्युतीकृत बस्तियों में रोशनी/बिजली की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है जहां ग्रिड कनेक्टिविटी व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं है। ऐसी सुविधाएं विभिन्न अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जो सौर अथवा बायोगैस ऊर्जा हो सकते हैं। तथापि, अब तक शामिल किए गए अधिकांश गांवों में सौर ऊर्जा घरेलू रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए गांव और बस्तियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विविध अनुप्रयोगों की पूर्ति हेतु सौर तथा बायोगैस ऊर्जा के संवर्धन के लिए व्यापक योजनाएं पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, सौर ऊर्जा योजनाओं का उद्देश्य आंशिक लागत सब्सिडी के माध्यम से घरेलू रोशनी प्रणालियों, लालटेनों, पंपों, आदि जैसी सौर ऊर्जा युक्तियों का संवर्धन करना है। पात्रता मानदण्ड और सब्सिडी की राशि युक्त तथा प्रयोगकर्त्ता की श्रेणी, आदि पर निर्भर करती है। वर्ष 2007-08 के लिए 63,500 घरेलू रोशनी प्रणालियों, 7,000 सड़क रोशनी और 34,000 सौर लालटेनों का समग्र आवंटन किया गया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना हेतु 2100 रु. से 11,700 रु. प्रति संयंत्र के बीच की पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। मंत्रालय का उद्देश्य वर्ष 2007-08 के दौरान विभिन्न राज्यों में लगभग 1 लाख बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना करना है। इसके अतिरिक्त विद्युतीकृत गांवों में बिजली की पूरी न की गई मांग को पूरा करने के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन प्रणालियों की संस्थापना के लिए एक योजना भी कार्यान्वयनाधीन हैं।

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए गांवों और बस्तियों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08 (31.10.07 के अनुसार)
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	117	11	0
असम	33	429	203
छत्तीसगढ़	0	43	36

1	2	3	4
गुजरात	36	0	0
हिमाचल प्रदेश	20	0	0
हरियाणा	0	149	0
झारखंड	224	108	0
कर्नाटक	20	0	0
मध्य प्रदेश	50	100	0
महाराष्ट्र	161	94	0
मणिपुर	40	14	0
मेघालय	0	70	0
नागालैंड	0	3	0
उड़ीसा	0	197	0
राजस्थान	230	73	0
उत्तराखंड	0	119	15
पश्चिम बंगाल	5	0	0
कुल	936	1410	254

श्री नरहरि महतो: उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मंत्रालय दूर-दराज के अविद्युतीकृत तथा विद्युतीकृत गांवों के दूर-दराज अविद्युतीकृत भागों में जहां ग्रिड का संपर्क या तो व्यावहारिक नहीं है अथवा लागत प्रभावी नहीं है, में प्रकाश विद्युत के लिए दूरदराज ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। परन्तु निष्पादन अत्यधिक खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सौर व बायोगैस ऊर्जा के माध्यम से वर्ष 2007-08 के दौरान ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में ही सारी चीजें स्पष्ट की हैं। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन है, उसमें स्पष्ट किया है कि जहां ग्रिड कनेक्टिविटी पासिबल नहीं है, ऐसे अविद्युतीकृत जनगणना गांवों और विद्युतीकृत जनगणना गांवों में हमारे माध्यम से विद्युत की आपूर्ति होती है। माननीय सदस्य ने कहा कि ग्रिड कनेक्टिविटी करते हैं, इन सोर्सेज से ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं होती है और यही हमारा कार्यक्रम है। जहां-जहां से भी, राज्य सरकारों से इस प्रकार से प्रोपोजल आते हैं, वे ही इसे आइडेण्टीफाई करते हैं, वहां-वहां उनके माध्यम से ही हम इनको कार्यान्वित करते हैं।

[अनुवाद]

श्री नरहरि महतो: पश्चिम बंगाल के मेरे राज्य में इस कार्यक्रम का निष्पादन अत्यंत खराब है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2007-08 के दौरान मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में बायोगैस स्थापित करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य से सहमत नहीं हूं कि पश्चिम बंगाल में यह कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहा है, बल्कि पश्चिम बंगाल सरकार और वेबरीडा

का मैं अभिनन्दन करना चाहता हूं कि अभी हमारी 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, वहां सिल्वर जुबली सालगिरह मनायी गयी है, और उसमें रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के लिए पश्चिम बंगाल वेबरीडा को पारितोषिक दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को इनफार्मेशन दूंगा, वे अपनी इनफार्मेशन को अपडेट कर सकें कि बायोगैस बेस्ड पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट का जहां तक संबंध है, जिसकी उन्होंने चर्चा की है, उन्हीं के क्षेत्र पुरूलिया में 60 किलोवाट की क्षमता वाला पावर जेनरेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए वेबरीडा ने इनिशिएटिव लिया है। उसमें एक करोड़ रुपए उनका लगा है और बाकी पैसा हमने दिया है। इसके करीब दो गांवों, इस्लामपुर और बिलटोरा में लगभग 400 घरों को बिजली दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री धीरेंद्र-उपस्थित नहीं।

श्री राम कृपाल यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में तालिका भी संलग्न की है जिसमें पिछले तीन वर्षों में दूरस्थ इलाकों में विद्युतीकरण कार्यक्रम वाले गांवों और बस्तियों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। आज सौर ऊर्जा और बायोगैस की चर्चा हो रही है, लेकिन यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं, उनमें हमारा बिहार प्रदेश कहीं भी नहीं है जबकि इसका मूल उद्देश्य जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली नहीं पहुंची हो उस इलाके में, दूरस्थ गांव का विद्युतीकरण करना है। हमारे यहां कई ऐसे इलाके हैं जहां दूर-दूर तक ग्रिड से बिजली देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं दूर की क्या बात करूं, मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में दानापुर विधान सभा क्षेत्र में, जहां दियारा का एरिया है, वह गंगा नदी के दूसरे तट पर है, वहां एक लाख की आबादी है, वह ताल का क्षेत्र है। माननीय सांसद विजय कृष्ण यहां मौजूद हैं, उनका भी ताल का क्षेत्र है, इसलिए उन्हें इस बारे में जानकारी है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः भागलपुर में भी दियारा का इलाका है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया शांत रहें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः कृपया अपना प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः मैं पटना की बात कर रहा हूं। भागलपुर में भी दियारा का इलाका है। बिहार में कई जगहों पर ग्रिड के माध्यम से बिजली का इंतजाम नहीं हो सकता। बिहार सरकार कान में रूई डालकर सोई हुई है। वैसे तो विकास के लिए वहां के मुख्य मंत्री चिंतित रहते हैं, लेकिन विकास कितना हो रहा है, यह इससे पता चलता है कि प्रदेश सरकार ने एक भी प्रस्ताव इन एरियाज को विद्युतीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार के पास नहीं भेजा है। वह केवल घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और विकास के नाम पर ढोल पीटने का काम कर रहे हैं, लेकिन विकास का कार्यों के लिए उनके पास एक भी प्रस्ताव नहीं है। *...(व्यवधान)* बिहार के मुख्य मंत्री विकास के लिए कितने चिंतित हैं, इस प्रश्न के लिखित उत्तर में दिए गए आंकड़ों से पता चल जाता है, क्योंकि इसमें बाहर का नाम ही नहीं है। इसलिए इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। *...(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': आपने इतने साल वहां क्या किया। *...(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादवः एक भी प्रस्ताव नहीं है, जबकि आप लोग विकास के नाम पर सत्ता में आए थे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आपका प्रश्न हो गया, अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप जवाब नहीं सुनना चाहते? अगर जवाब सुनना चाहते हैं, तो कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय के वक्तव्य के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री जी बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हैं, इन्हें क्या परेशानी है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः राम कृपाल जी, आप बैठ जाएं। आपका प्रश्न हो गया है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम कृपाल यादव: लेकिन मैंने तो प्रश्न पूछा ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड में कुछ नहीं जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। मंत्री जी जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न हो गया, अब जवाब सुनें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जवाब चाहिए या नहीं, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, प्रश्न काल समाप्त हो जाएगा, फिर मंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.59 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री विलास मुत्तेमवार: मान्यवर, इस तालिका में बिहार का नाम नहीं है, इसका हमें भी दुख है। सरकार की मंशा है कि जहां भी दूरस्थ गांव हो, उन्हें विद्युतीकृत करने का प्रयास करें। लेकिन राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर वह कोई प्रस्ताव इस संबंध में भेजे तो हमारा मंत्रालय उन गांवों को विद्युतीकृत करने का पूरा प्रयास करेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन

***225. श्री गणेश सिंह:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के दिशानिर्देशों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या एसजीआरवाई के दिशानिर्देशों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई अलग प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) को कार्यान्वित करना होता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के कुछ मामले ग्रामीण विकास मंत्रालय की जानकारी में आए हैं। मामलों को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया था और उन्हें मामले की जांच करने तथा उपयुक्त कार्रवाई की सलाह दी गई थी। कुछ मामलों की राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं से भी जांच करवाई गई थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं। संबंधित राज्य सरकारों को राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की रिपोर्टों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई थी।

(ग) और (घ) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) दिशा-निर्देशों के पैरा 1.5(i), 1.5(ii), 4.4 और 4.5 में यह व्यवस्था है कि वार्षिक आबंटन का 22.5 प्रतिशत जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर आबंटित, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए वैयक्तिक/समूह लाभार्थी योजना के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायत के आबंटन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसावटों/वार्डों में आवश्यकता आधारित ग्राम अवसंरचना सृजन के लिए रखा जाता है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम

***226. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनावार और राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा प्रत्येक परियोजना हेतु कितनी धनराशि मुहैया करायी गयी है;

(ख) इनमें से राज्यवार कितने प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान 3038.54 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 162 त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) परियोजनाएं तथा 2005-06 के दौरान 284.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 14 एपीडीआरपी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं की गई। ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	राज्य	2004-05			2005-06		
		प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लागत (करोड़ रु.)
1.	बिहार	1	1	48.35			0.00
2.	छत्तीसगढ़	0	0	0.00	1	1	3.33
3.	गोवा	1	1	57.80		0	0.00
4.	गुजरात	1	1	30.38		0	0.00
5.	कर्नाटक	30	22	46.09	2	2	26.19
6.	केरल	42	42	554.66		0	0.00
7.	मध्य प्रदेश	14	03	8.32	7	6	4.34
8.	महाराष्ट्र	10	10	203.06	2	2	199.37
9.	पंजाब	6	6	34.80	1	1	6.19
10.	राजस्थान	17	11	77.86		0	0.00
11.	तमिलनाडु	16	16	18.91		0	0.00
11.	उत्तर प्रदेश	23	23	563.45	2	2	45.35
12.	पश्चिम बंगाल	2	2	27.58		0	0.00
13.	असम	2	2	103.38		0	0.00
14.	जम्मू-कश्मीर	4	4	699.03		0	0.00
15.	मणिपुर	4	4	131.49		0	0.00
16.	मेघालय	5	5	186.47		0	0.00
17.	मिजोरम	3	3	50.83		0	0.00
18.	नागालैंड	1	1	76.88		0	0.00
19.	त्रिपुरा	5	5	119.20		0	0.00
	कुल	187	162	3038.54	15	14	284.77

वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यवार एवं परियोजनावार स्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं। एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्यों को विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार रूप से जारी निधियों के ब्यौरे विवरण-III के रूप में संलग्न हैं। इसके अलावा, 1587.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 90 परियोजनाओं के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु आरंभिक कार्य शुरू करने के लिए "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे विवरण-IV के रूप में संलग्न हैं।

(ख) से (घ) 10वीं योजना के लिए एपीडीआरपी के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास लंबित नहीं है। एपीडीआरपी के कार्यान्वयन पर विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सिफारिशों/सुझावों के मद्देनजर इस कार्यक्रम को और अधिक कारगर बनाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एपीडीआरपी संशोधित निबंधन एवं शर्तों के साथ जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

विवरण I

2004-05 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि*	अक्टूबर, 2007 तक भारत सरकार द्वारा जारी कुल निधि
1	2	3	4
	बिहार		
1.	मुंगेर सर्किल	48.35	4.84
	गोवा		
2.	उत्तर और दक्षिण गोवा में सुधार	57.80	11.56
	गुजरात		
3.	बड़ौदा सिटी (एससीएडीए)	30.38	7.60
	कर्नाटक		
4.	होलनरसिहपुरा	0.29	0.03
5.	शिमोगा	1.92	0.19
6.	भद्रावती	1.07	0.11
7.	सागर	0.67	0.07
8.	चिकमंगलूर	1.78	0.18
9.	शाहाबाद	1.32	0.13
10.	अनेकल	5.47	1.09
11.	चंदापुरा	6.01	1.20
12.	चित्रदुर्ग	2.67	0.27

1	2	3	4
13.	चिकबालापुर	1.50	0.15
14.	दोदबालापुरा	2.63	0.26
15.	रामानागरा	1.19	0.12
16.	बंगरपेट	1.93	0.19
17.	हरिहर	0.70	0.14
18.	चन्नापटना	0.68	0.07
19.	चिंतामणि	1.77	0.18
20.	होस्पेट टाऊन	2.38	0.24
21.	बासवकल्यान टाऊन	1.18	0.12
22.	बेल्लारी टाऊन	6.47	0.65
23.	कोप्पल टाऊन	0.98	0.10
24.	यादगिर टाऊन	1.82	0.18
25.	गन्नावथी टाउन	1.66	0.17
	केरल		
26.	नेयार्टिंकारा	2.99	0.75
27.	मावेलीकारा	3.30	0.66
28.	चेरथाला	2.48	0.50
29.	चेंगनूर	4.35	1.09
30.	कोटायम	2.77	0.55
31.	थोडूपूझा	5.06	1.27
32.	पालक्कड़	6.54	1.31
33.	शोरनूर	2.32	0.58
34.	पेयनूर	3.18	0.80
35.	ओटापलम	2.48	0.50
36.	पुनालूर	5.63	1.41
37.	कायमकुलम	6.56	1.31

1	2	3	4
38.	त्रिपुनिथूरा	3.95	0.79
39.	अलुवा	5.17	1.29
40.	अंगामली	5.22	1.31
41.	कालामासेरी	3.04	0.76
42.	नार्थ पारावूर	4.12	1.03
43.	पेरांबूर	5.35	1.07
44.	मूवाटूपूझा-कोथामंगलम	7.03	1.76
45.	कोडुंगलूर	4.24	1.24
46.	इरिंजालाकुडु	5.46	1.37
47.	चलाकुडी	4.97	1.24
48.	गुरुवयूर-चवाकाड	5.63	1.41
49.	कुनमकुलम	5.72	1.43
50.	नेडुमंगड	3.55	0.89
51.	त्रिसूर	12.80	2.56
52.	अटिंग्ल टाउन	3.51	0.70
53.	वारकाला टाउन	4.15	0.83
54.	पारावूर टाउन	2.76	0.69
55.	चित्तूर-ताथामंग	2.28	0.46
56.	कालपेटा टाउन	3.67	0.92
57.	कोइलेंडी टाउन	6.44	0.64
58.	वाडाकारा टाउन	7.83	1.57
59.	थालिपरंबा टाउन	7.74	1.55
60.	पाला टाउन	5.58	1.12
61.	चंगानाचेरी टाउन	3.47	0.87
62.	माटानूर टाउन	2.89	0.58
63.	वैकाम टाउन	3.72	0.93

1	2	3	4
64.	कृथूपरांबा टाउन	3.15	0.63
65.	कोच्चि टाउन	149.35	14.94
66.	त्रिवेंद्रम-II	139.85	13.99
67.	कोझिकोड टाउन-II	84.36	8.44
	मध्य प्रदेश		
68.	अशोक नगर	2.22	0.22
69.	साहजापुर	3.64	0.36
70.	शुजालपुर	2.46	0.49
	महाराष्ट्र		
71.	भंडारा	0.68	0.60
72.	बुलडाना	2.40	1.20
73.	अकोला	11.99	0.19
74.	शेगांव	1.93	0.25
75.	खामगांव	2.50	0.22
76.	मलकापुर	2.23	0.27
77.	यवतमाल	2.69	0.72
78.	उल्हासनगर	7.15	0.66
79.	डोम्बिवली	6.69	0.60
80.	बेस्ट फेज-II	164.90	32.98
	पंजाब		
81.	मलेरकोटला	5.78	1.54
82.	बरनाला	5.81	1.14
83.	संगरूर	4.87	0.69
84.	फाजिल्का	3.55	1.30
85.	जागरांव	5.05	0.29
86.	होशियारपुर	9.74	0.55

1	2	3	4
	राजस्थान		
87.	उदयपुर	39.08	3.91
88.	नागौर सिटी	3.98	0.80
89.	मेड़ता सिटी	2.74	0.55
90.	चित्तौड़गढ़ टाउन	5.98	0.60
91.	निमाहेरा टाउन	3.84	0.77
92.	सीकर टाउन	6.47	0.65
93.	नाथद्वारा टाउन	3.08	0.62
94.	कांकरोली टाउन	2.23	0.22
95.	डुंगरपुर टाउन	2.93	0.29
96.	बांसवाड़ा टाउन	5.02	1.00
97.	फतेहपुर सिटी	2.51	0.50
	तमिलनाडु		
98.	धर्मपुरी टाउन	1.17	0.12
99.	करूर टाउन	0.67	0.07
100.	नागपट्टिनम टाउन	0.92	0.09
101.	रामनंद टाउन	0.75	0.08
102.	तंजावूर टाउन	2.06	0.21
103.	थिरूवरूर टाउन	0.70	0.07
104.	उधागम टाउन	1.15	0.12
105.	विरूद्धनगर टाउन	0.95	0.10
106.	डंडीगुल टाउन	1.41	0.14
107.	कृष्णागिरी टाउन	0.86	0.09
108.	नगरकोइल टाउन	1.73	0.17
109.	तिरूअनामलाई टाउन	2.07	0.21
110.	थूथुकूडी टाउन	1.67	0.17

1	2	3	4
111.	वेल्लोर टाउन	1.69	0.17
112.	शिव गंगा टाउन	0.53	0.05
113.	पेराम्बलूर टाउन	0.58	0.06
	उत्तर प्रदेश		
114.	गाजियाबाद	33.40	8.35
115.	बागपत	14.29	3.57
116.	मेरठ	26.62	5.32
117.	सहारनपुर	19.05	4.76
118.	रामपुर	13.33	2.67
119.	अमरोहा-गजरौला	14.61	3.65
120.	बुलंदशहर-खुर्जा	14.16	3.54
121.	नोएडा	15.43	3.86
122.	संभल (मुरादाबाद)	7.95	1.99
123.	नोएडा फेज-II	49.99	10.00
124.	रायबरेली	27.75	6.94
125.	सुल्तानपुर	28.09	5.62
126.	हरदोई	19.08	3.82
127.	अलीगढ़	28.57	7.14
128.	मथुरा-वृंदावन	23.81	5.95
129.	झांसी	23.56	4.71
130.	एटा	10.49	2.62
131.	मैनपुरी	10.41	2.60
132.	इटावा टाउन	17.56	3.51
133.	आगरा टाउन	85.11	17.02
134.	फिरोजाबाद टाउन	38.31	7.66
135.	शिकोहाबाद टाउन	19.84	3.97

1	2	3	4
136.	आगरा अर्बन	22.04	5.51
	पश्चिम बंगाल		
137.	आईटी एण्ड कमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर	5.08	1.02
138.	जोनल डाटा स्टोरेज एण्ड काल सेंटर	22.50	2.25
	असम		
139.	नार्थ लखीमपुर सर्किल	58.62	41.03
140.	कांच सर्किल	44.76	31.33
	जम्मू-कश्मीर		
141.	जम्मू-II सर्किल	145.55	101.89
142.	बाटोट सर्किल	95.62	66.93
143.	नार्थ सर्किल, सोपोर (बारामुला और कुपवारा)	240.08	72.02
144.	बिजवेहरा (अनंतनाग और पुलवामा)	217.78	65.33
	मणिपुर		
145.	बिष्णुपुर	16.35	4.91
146.	चुर चंदपुर	16.41	4.92
147.	ग्रेटर इंफाल	84.66	25.40
148.	ताहोबल	14.07	4.22
	मेघालय		
149.	केन्द्रीय	59.53	41.67
150.	गारो हिल्स	36.21	25.35
151.	शिलांग (स्काडा)	21.12	6.34
152.	बिरनिहाट (स्काडा)	17.99	5.40
153.	जंतिया हिल्स	51.62	15.49
	मिजोरम		
154.	लुगलेई पावर सर्किल	14.91	14.30
155.	प्रोजेक्ट सर्किल	15.05	10.65

1	2	3	4
156.	ट्रांसमिशन	20.87	8.75
	नागालैंड		
157.	नागालैंड फेज-III	76.88	23.06
	त्रिपुरा		
158.	कुमार घाट सर्किल	27.33	8.20
159.	आऊटर अगरतला	19.60	13.72
160.	उदयपुर	29.63	20.74
161.	अगरतला फेज-2	23.65	7.10
162.	धिलाई सर्किल	18.99	5.70

*परियोजना लागत में भारत सरकार का हिस्सा, काउंटर पार्ट फंडिंग आदि शामिल है।

विवरण II

2005-06 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि*	अक्टूबर, 2007 तक भारत सरकार द्वारा जारी कुल निधि
1	2	3	4
	छत्तीसगढ़		
1.	जगदलपुर	3.33	0.33
	कर्नाटक		
2.	मंगलोर	17.34	3.47
3.	उडुप्पी	8.85	0.89
	मध्य प्रदेश		
4.	बैतुल	2.48	0.25
5.	खानियाधाना	0.29	0.03
6.	कोलारास	0.46	0.05
7.	पोहारी	0.13	0.01
8.	करेरा	0.56	0.06
9.	नरवार	0.42	0.04
	महाराष्ट्र		
10.	थाणे	126.87	12.69
11.	मुलंड एण्ड भांडूप	72.50	7.25
	पंजाब		
12.	धूरी	6.19	0.62
	उत्तर प्रदेश		
13.	बदायूं एण्ड उझानी	18.62	3.72
14.	मैनपुरी जिला के अंतर्गत 8 शहर	26.73	5.35

*परियोजना लागत में भारत सरकार का हिस्सा, काउंटर पार्ट इंडिया आदि शामिल है।

विवरण III

एपीडीआरपी के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी निधि

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (अक्टूबर 2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बिहार	226.19	0.00	0.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	106.14	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	गोवा	82.82	0.00	0.00	0.00
6.	गुजरात	111.40	0.00	0.00	0.00
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	झारखंड	98.27	0.00	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	0.00	12.52	15.65	0.00
10.	केरल	125.89	0.00	18.02	0.00
11.	मध्य प्रदेश	45.00	0.00	48.83	0.00
12.	महाराष्ट्र	21.77	80.78	77.77	0.00
13.	उड़ीसा	19.67	0.00	0.00	0.00
14.	पंजाब	0.00	0.00	23.93	0.00
15.	राजस्थान	40.49	0.00	48.45	0.00
16.	तमिलनाडु	97.66	0.00	0.00	0.00
17.	उत्तर प्रदेश	54.40	39.49	119.69	20.78
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	52.75	0.00	0.00
19.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	9.63
20.	असम	61.88	119.66	115.84	81.21
21.	हिमाचल प्रदेश	0.00	78.41	64.55	0.00
22.	जम्मू-कश्मीर	114.47	93.53	184.89	0.00
23.	मणिपुर	0.00	0.00	40.09	0.00

1	2	3	4	5	6
24.	मेघालय	37.25	0.00	32.07	46.49
25.	मिजोरम	0.00	49.05	0.00	2.95
26.	नागालैंड	19.22	25.75	2.86	0.00
27.	सिक्किम	77.35	0.00	0.00	0.00
28.	त्रिपुरा	28.87	0.00	16.67	22.53
29.	उत्तराखंड	60.00	39.00	0.00	0.00
	कुल	1428.74	590.94	809.31	183.59

विवरण IV

11वीं योजना के लिए पुनर्गठित एपीडीआरपी के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली "सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित" परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/स्कीम	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश (1)	**6.75**
1.	ओंगोल टाउन	6.75
	असम (1)	**3.63**
2.	सिल्चर टाउन के लिए स्कीम	3.63
	बिहार (7)	**129.58**
3.	बिहारशरीफ टाउन	27.26
4.	आरा टाउन	24.33
5.	बक्सर टाउन	14.08
6.	मोतिहारी	16.03
7.	बेतिया टाउन	14.60
8.	समस्तीपुर टाउन	18.01
9.	बेगूसराय टाउन (समस्तीपुर. सर्किल)	15.27
	छत्तीसगढ़ (2)	**8.16**
10.	अम्बिकापुर टाउन	4.30

1	2	3
11.	रायगढ़ टाउन	3.86
	जम्मू-कश्मीर (1)	48.73
12.	लेह क्षेत्र के लिए स्कीम	
	झारखंड (4)	27.91
13.	गिरीडीह	11.46
14.	चाईबासा	9.69
15.	बासुकीनाथ एण्ड दुमका	2.82
16.	सरायकेला और खरसावन	3.94
	कर्नाटक (4)	10.93
17.	कोलार के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	4.92
18.	सिरा टाउन के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	1.25
19.	तिपतूर टाउन के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	2.9
20.	चालाकेर के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	1.86
	मध्य प्रदेश (3)	**1.86**
21.	मुंगोली टाउन	0.71
22.	इसागढ़ टाउन	0.38
23.	चंदेरी टाउन	0.77
	महाराष्ट्र (23)	226.45
24.	धूले के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	10.98
25.	नन्दुरबार के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	6.04
26.	अहमदनगर के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	9.23
27.	परभणी के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	8.77
28.	वाशीम के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	3.16
29.	हिंगोली के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	4.42
30.	लातूर के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	11.63
31.	जालना के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	9.81
32.	बीड के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	6.26
33.	चंद्रपुर के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	3.72

1	2	3
34.	वर्धा के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	4.1
35.	गढचिरोली के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	2.34
36.	सतारा के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	10.53
37.	औरंगाबाद के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	73.39
38.	गोंदिया के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	4.12
39.	पारली-बैजनाथ के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	3.73
40.	इगतपुरी के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	1.45
41.	अरकोट के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	4.07
42.	अम्बाजोगी के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	6.7
43.	इचालकरंजी के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	31.56
44.	बल्लारशाह के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	2.33
45.	वानी के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	2.37
46.	अम्बरनाथ के लिए एसटी एण्ड डी स्कीम	5.74
	नागालैंड (1)	**39.54**
47.	दीमापुर टाउन और समीप के क्षेत्र	39.54
	उड़ीसा (3)	**295.40**
48.	नेस्को के संबंध में संशोधित डीपीआर	101.81
49.	वेस्को के संबंध में संशोधित डीपीआर	87.56
50.	साऊथको के संबंध में संशोधित डीपीआर	106.03
	पंजाब (5)	**33.71**
51.	फरीदकोट	5.24
52.	कपूरथला	12.04
53.	मानसा	8.91
54.	नवांशहर	3.15
55.	रोपड़	4.37
	सिक्किम (1)	**75.85**
56.	सिक्किम फेज-III	75.85

1	2	3
	तमिलनाडु (1)	0.69
57.	थेनी	0.69
	उत्तर प्रदेश (28)	540.57
58.	बहराइच	12.66
59.	बिजनौर	9.15
60.	मिर्जापुर	10.92
61.	बस्ती	17.82
62.	जौनपुर	10.3
63.	प्रतापगढ़	13.5
64.	राबर्टसगंज	7.96
65.	मऊ	15.83
66.	आजमगढ़	16.04
67.	बलिया	10.73
68.	देवरिया	10.66
69.	भदोई	13.4
70.	मंझनपुर	2.09
71.	गाजीपुर	14.11
72.	लखीमपुर	16.58
73.	पीलीभीत	17.98
74.	उन्नाव	15.96
75.	लखनऊ	104.76
76.	हाथरस	25.86
77.	महोबा	16.85
78.	हमीरपुर	13.13
79.	औरैया	29.92
80.	ललितपुर	21.45
81.	कन्नौज	23.65
82.	उरई	21.82
83.	फरूर्खाबाद	29.35

1	2	3
84.	बांदा	26.26
85.	चित्रकूट	11.83
	पश्चिम बंगाल (5)	137.86
86.	बरसात टाउन	25.55
87.	बैरेकपुर टाउन	33.62
88.	चिनसुरा टाउन	21.54
89.	मिदनापुर टाउन	32.13
90.	बहरामपुर टाउन	25.02
	कुल	1587.62

शेयर बाजार में विदेशी निवेश

***227. श्री मोहन सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों द्वारा अनियंत्रित पूंजी निवेश को सीमित करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजारों में निवेश करने हेतु एक पारदर्शी नीति और विनियामक ढांचा पहले से ही है। मौजूदा वृहत आर्थिक स्थिति, बदलती हुई बाजार-परिस्थितियों, बाह्य क्षेत्र प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों और इस नीति को प्रशासित करने में अब तक के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी के परामर्श से सरकार द्वारा समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

***228. श्री संतोष गंगवार:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार, इन बैंकों की ग्राहकों पर कितनी ऋण-राशि बकाया है; और

(ग) इन बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुधारने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या इस समय 95 है। उनकी राज्य-वार संख्या दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार इन बैंकों का बकाया ऋण 48,494.48 करोड़ रुपए था।

(ग) भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें से कुछ हैं:-

(1) व्यावसायिक समेकन, विस्तार, आदि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन। इसके परिणामस्वरूप, इस समय 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कम होकर 95 तक पहुंच गए हैं। बेहतर आधारभूत सुविधाओं, शाखाओं के कंप्यूटरीकरण, अनुभवी कार्य बल का समूह बनने, सामान्य प्रचार और विपणन प्रयासों, आदि के कारण समामेलित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करेंगे। वे एक बड़े क्षेत्र का परिचालन एवं बढ़ी हुई ऋण एक्सपोजर सीमाओं का लाभ भी प्राप्त करेंगे।

(2) वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्रस्ताव में सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऋणात्मक निवल संपत्ति को आरआरबी को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए पणधारकों द्वारा पुनर्पूंजीकृत किया जाएगा।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सलाह दी गई है कि वे उन जिलों, जहां अपना परिचालन नहीं है, को भी कवर करें और त्वरित गति से शाखाओं का विस्तार करें।

(4) गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण में बढ़ोत्तरी।

(5) आय बढ़ाने के लिए गैर-निधि आधारित व्यावसायिक गतिविधियां जैसे बीमा पालिसियों का बेचना, पेंशन, वेतन, आदि के संवितरण का विस्तार करना तथा सरकारी कार्य को कार्यान्वित करना।

(6) वसूलियों में सुधार हेतु "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई)] क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू करना।

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों को स्वीकार करने की अनुमति।

(8) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संघीय उधार की अनुमति।

विवरण

आज की तारीख की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	2
4.	बिहार	5
5.	छत्तीसगढ़	3
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	3
10.	झारखण्ड	2
11.	कर्नाटक	6
12.	केरल	2
13.	मध्य प्रदेश	10
14.	महाराष्ट्र	7
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	मिजोरम	1
18.	नागालैंड	1
19.	उड़ीसा	5
20.	पंजाब	3
21.	राजस्थान	6
22.	तमिलनाडु	2
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	16
25.	उत्तराखण्ड	2
26.	पश्चिम बंगाल	3
	कुल	95

[हिन्दी]

किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं में खून की कमी

***229. श्री महावीर भगोरा:** क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयरन/खून की कमी से पीड़ित किशोरियों तथा गर्भवती महिलाओं की संख्या के संबंध में विश्व में भारत का कौन-सा स्थान है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) रक्ताल्पता के विषय में वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों का श्रेणीक्रम तैयार नहीं किया गया है। अत: यह बता पाना संभव नहीं है कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में लौह तत्व की कमी/रक्ताल्पता से पीड़ित किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है।

(ख) सरकार ने जन-समुदाय में व्याप्त रक्ताल्पता के स्तर में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख को अधिकाधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है। इस मिशन के अधीन रक्ताल्पता नियंत्रण हेतु प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गर्भवती और शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा स्कूल-पूर्व बच्चों को आयरन एवं फौलिक एसिड की गोलियां प्रदान की जाती हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 20 मि.ग्रा. आयरन और 100 एम.सी.जी. फौलिक एसिड अनुपूरक तरल रूप में प्रदान किए जाएंगे। 6-10 वर्ष की आयु के बच्चों को 30 मि.ग्रा. आयरन और 250 एम.सी.जी. फौलिक एसिड, जबकि 11-18 वर्ष की आयु के किशोरों को वयस्कों वाली खुराक दी जाएगी।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें स्वास्थ्य संस्था में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। ग्राम-स्तरीय स्वास्थ्य कार्यकर्त्री 'आशा' जनसमुदाय को पोषण का महत्व समझाने और उन्हें आयरन फौलिक एसिड की गोलियां प्रदान करने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों की जानकारी भी देगी।

(3) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का खाद्य एवं पोषण बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में पोषण शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है।

[अनुवाद]

ऋण चूककर्ता

***230. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंध में ऋण के प्रमुख चूककर्ताओं पर निगरानी के लिए क्या तंत्र उपलब्ध है; और

(ख) इस संबंध में नियमों को और कड़ा बनाने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) बैंक ऋणों के प्रमुख चूककर्ताओं पर निगरानी रखने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक, छमाही आधार पर (अर्थात 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार) 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की राशि के मुकदमा दायर न किए गए ''संदिग्ध'' और ''हानि'' वाले उधार खातों की सूची बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय उपयोग के लिए प्रेषित करता है। 25 लाख रुपए और इससे अधिक की जानबूझकर की गई चूकों के मुकदमा दायर न किए गए खातों की सूची भी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय उपयोग के लिए तिमाही आधार पर भेजी जाती है। इसके अलावा, ऋण सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड 1 करोड़ रुपए और इससे अधिक की राशि के मुकदमा दायर किए गए खातों और 25 लाख रुपए और इससे अधिक राशि के मुकदमा दायर किए गए खातों (जानबूझकर चूक करने वालों) के संबंध में आधारभूत आंकड़ों का रख-रखाव कर रहा है। यह जानकारी सीआईबीआईएल की वेबसाइट www.cibil.com से प्राप्त की जा सकती है। सक्षम आधारभूत आंकड़ों के माध्यम से उधारकर्ताओं के संबंध में प्रभावी कानूनी ढांचे और पर्याप्त, व्यापक एवं विश्वसनीय सूचना प्रणाली का प्रावधान करने के लिए ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया है।

बैंक अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) खातों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई करते हैं और अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वसूली नीतियों के अनुसार अपनी देयराशियों की वसूली करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और बैंकों द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप, इन बैंकों की कुल अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) मार्च 2003 के अनुसार कुल अग्रिमों के 8.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 को कुल अग्रिमों का 2.5 प्रतिशत रह गई हैं।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों का नवीकरण

***231. श्री भाईलाल:**
श्री अनन्त नायक:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जनजातियों के लड़कों तथा लड़कियों हेतु आश्रम और कन्याश्रम स्कूलों के छात्रावासों के जीर्णोद्धार तथा उन्हें आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार जनजातीय छात्रों को उनके छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) अनुसूचित जनजाति छात्राओं और छात्रों के लिए छात्रावास योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों को केवल नए छात्रावासों के निर्माण और विद्यमान छात्रावासों में सीटों के विस्तार के लिए अनुदान निर्मुक्त करता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों को निधियां 50:50 आधार पर निर्मुक्त की जाती है, जबकि संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत और अन्य विश्वविद्यालयों को निर्माण की लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। छात्रावासों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और उनके संचालन तथा नवीकरण का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और विश्वविद्यालयों का है। वर्ष 2007-08 के लिए योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन की राशि 37.00 करोड़ रुपए है, जिसमें पूर्वोत्तर संघटकों के लिए 2.50 करोड़ रुपए शामिल है।

पर्यावरण अनुकूल भवनों हेतु राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली

***232. श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरण अनुकूल भवनों (ग्रीन बिल्डिंग्स) हेतु एक राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार और ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। अक्षय ऊर्जा उपयोग, ऊर्जा दक्षता आदि की दृष्टि से भवनों की रेटिंग करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली विकसित की जा रही है। पूर्व-सक्रिय उपायों का मूल्यांकन 'हरियाली' तथा दी गई रेटिंग की दृष्टि से किया जाएगा। इस रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य उन निर्माण तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के तीव्र अंगीकरण को उत्प्रेरित करना है जिनसे देश में ऊर्जा दक्ष तथा सतत भवनों की डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रणाली अपने गुणात्मक एवं संख्यात्मक मानदंड द्वारा किसी भवन की 'हरियाली' की मात्रा पर इसकी रेटिंग करने में समर्थ होगी।

(ग) और (घ) जी हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा दी एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य हरित भवनों हेतु राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली का विकास तथा प्रचालन है। एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, जिसमें विख्यात वास्तुशिल्पी, इंजीनियर, बिल्डर, विशेषज्ञ और संबंधित सरकारी विभाग तथा एजेंसियों से अधिकारी शामिल होंगे, द्वारा आवश्यक मार्ग-निर्देश दिए जाएंगे और एक तकनीकी सलाहकार समिति तकनीकी परामर्श देगी। रेटिंग सचिवालय टेरी में अवस्थित होगा। यह समझौता ज्ञापन प्रारंभ में पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

राज्यों में विद्युत का उत्पादन तथा उसकी कमी

***233. डा. वल्लभभाई कथीरिया:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक अखिल भारतीय स्तर की तुलना में प्रत्येक राज्य में विद्युत की कमी तथा अति व्यस्त समय की मांग का मेगावाट में ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक दसवीं योजना अवधि में सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रत्येक राज्य में विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का मेगावाट में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) वर्ष 2002-03 से 2006-07 के दौरान देश में व्यस्ततमकालीन मांग एवं व्यस्ततमकालीन कमी निम्नानुसार है-

वर्ष	व्यस्ततमकालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन कमी (मेगावाट)
2002-03	81,492	9,945
2003-04	84,574	9,508
2004-05	87,906	10,254
2005-06	93,255	11,463
2006-07	100,715	13,897

इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न वर्षों में उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के राज्यवार एवं क्षेत्रवार ब्यौरे मेगावाट (मे.वा.) में विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

10वीं योजना के दौरान देश में राज्यवार व्यस्ततमकालीन मांग एवं पूर्ति

(आंकड़े मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)	व्यस्ततमकालीन मांग (मे.वा.)	व्यस्ततमकालीन पूर्ति (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
चंडीगढ़	206	0	188	0	224	0	240	0	264	17
दिल्ली	3417	316	3389	100	3558	68	3722	122	4000	264
हरियाणा	3411	86	3465	187	4037	416	4333	402	4837	636
हिमाचल प्रदेश	770	0	670	0	678	7	788	39	873	0
जम्मू-कश्मीर	1250	190	1268	50	1316	150	1600	375	1530	221
पंजाब	5849	394	5922	300	7122	1563	7731	1573	8971	2413
राजस्थान	3880	60	4134	0	4786	372	5588	738	5794	848
उत्तर प्रदेश	6700	950	7218	1189	7877	1609	8175	1587	9184	1653
उत्तरांचल	771	66	777	40	846	52	991	134	1108	117
उत्तरी क्षेत्र	24092	2203	23817	1546	26834	2709	28154	2954	31516	4872
छत्तीसगढ़	1548	56	1730	164	1893	144	2133	276	2631	724
गुजरात	8641	1305	9820	2616	10162	2584	9783	2173	11619	3509
मध्य प्रदेश	5869	1712	6158	1359	5944	1098	6558	1422	8090	1686
महाराष्ट्र	13697	2713	14503	2635	14986	2522	16069	3709	17455	4776
दमन और दीव		0	190	0	200	0	223	0	210	21
दादर और नगर हवेली		0	315	0	391	0	387	0	415	27
गोवा	296	0	337	0	356	0	368	0	459	40
पश्चिमी क्षेत्र	28677	5824	29704	6047	31085	6957	31,772	6,515	36453	8990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	8491	1633	8679	910	8093	190	8999	457	10208	1567
कर्नाटक	6198	1393	6213	768	5927	315	5949	391	6253	442
केरल	2803	456	2689	263	2451	31	2623	45	2787	59
तमिलनाडु	7364	241	7455	227	7647	92	9375	1078	8860	236
पांडिचेरी	187	0	235	0	240	0	251	0	265	0
लक्षद्वीप		0		0		0	6	0	6	0
दक्षिणी क्षेत्र	22419	1991	23183	1255	23075	711	24,889	1,517	26176	1826
बिहार	1389	64	973	185	980	0	1,314	198	1399	237
डीवीसी	1236	60	1349	150	1400	0	1,531	0	1650	48
झारखंड	488	14	544	69	600	10	669	46	687	16
उड़ीसा	2125	137	2125	138	2220	0	2,437	41	2695	87
पश्चिम बंगाल	3752	334	3836	184	4117	152	4,743	144	4784	115
सिक्किम		0		0		0	47	2	45	0
अंडमान निकोबार		0		0		0	40	8	40	8
पूर्वी क्षेत्र	8076	400	8594	884	8816	283	10,161	484	10491	433
अरुणाचल प्रदेश	45	0	50	0	63	1	85	2	87	11
असम	668	79	738	103	659	38	733	54	771	83
मणिपुर	101	0	115	4	103	0	113	4	106	5
मेघालय	189	0	246	51	264	57	280	75	402	133
मिजोरम	74	0	71	0	69	2	76	4	83	3
नागालैंड	78	0	65	0	74	3	90	3	79	0
त्रिपुरा	182	26	190	25	188	29	171	16	169	27
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1209	74	1259	188	1272	144	1,385	193	1477	311
अखिल भारत	81492	9945	84574	9508	87906	10254	93,255	11,463	100715	13897

विवरण II

10वीं योजना के दौरान राज्यवार/वर्षवार क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य एवं उपलब्धि-केंद्रीय क्षेत्र

(आंकड़ें मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		कुल	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चंडीगढ़											0	0
दिल्ली											0	0
हरियाणा											0	0
हिमाचल प्रदेश			1500	1800	300	0			400	0	2200	1800
जम्मू-कश्मीर			390	0					120	390	510	390
पंजाब										0	0	0
राजस्थान									250	0	250	0
उत्तर प्रदेश						500	500	500	1200	210	1700	1210
उत्तरांचल	250	0	750	0	280	0	900	280	500	1000	2680	1280
उत्तरी क्षेत्र	250	0	2640	1800	580	500	1400	780	2470	1600	7340	4680
छत्तीसगढ़							660	0	1320	0	1980	0
गुजरात											0	0
मध्य प्रदेश			125	500	750	500	125	0	1020	1000	2020	2000
महाराष्ट्र							540	540	577	1280	1117	1820
दमन और दीव											0	0
दादर नगर हवेली											0	0
गोवा											0	
पश्चिमी क्षेत्र	0	0	125	500	750	500	1325	540	2917	2280	5117	3820
आंध्र प्रदेश	500	500				500	500	0			1000	1000
कर्नाटक									220	0	220	0
केरल											0	0
तमिलनाडु	420	210		260				50	500	0	920	520
पांडिचेरी											0	0
दक्षिणी क्षेत्र	920	710	0	260	0	500	500	50	720	0	2140	1520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
डीवीसी					460	210	1000	0	500	250	1960	460
बिहार									1320	500	1320	500
झारखंड									660	0	660	0
उड़ीसा		500	500	500	500	1000	1000	0		0	2000	2000
सिक्किम									510	0	510	0
पश्चिम बंगाल									1200	0	1200	0
पूर्वी क्षेत्र	0	500	500	500	960	1210	2000	0	1490	750	7650	2960
अरुणाचल प्रदेश											0	0
असम			25	25							25	25
मणिपुर											0	0
मेघालय											0	0
मिजोरम									60	0	60	0
नागालैंड											0	0
त्रिपुरा									500	0	500	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	0	25	25	0	0	0	0	560	0	585	25
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	1170	1210	3290	3085	2290	2710	5225	1370	10857	4630	22832	13005

10वीं योजना के दौरान राज्यवार/वर्षवार क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य एवं उपलब्धि-राज्य क्षेत्र

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य/क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		कुल	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चंडीगढ़											0	0
दिल्ली	225.78	225.78									225.78	225.78
हरियाणा						500	500	0			500	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
हिमाचल प्रदेश					126	0			66	126	192	126
जम्मू-कश्मीर									450	0	450	0
पंजाब									668	0	668	0
राजस्थान	75.32	75.32	445	445	140	0		0		235	660.32	755.32
उत्तर प्रदेश								210	710	210	710	420
उत्तरांचल									304	0	304	0
उत्तरी क्षेत्र	301.1	301.1	445	445	266	500	500	210	2198	571	3710.1	2027.1
छत्तीसगढ़									420	250	420	250
गुजरात	125	100	375	106.62	506.62	475	600	997	275	200	188.162	1878.62
मध्य प्रदेश	35	35			40	0	20	0	500	60	595	95
महाराष्ट्र					500	0				250	500	250
दमन और दीव											0	0
दादर नगर हवेली											0	0
गोवा											0	
पश्चिमी क्षेत्र	160	135	375	106.62	1046.62	475	620	997	1195	760	3396.62	2473.62
आंध्र प्रदेश	300	300	150	150					498.2	210	948.2	660
कर्नाटक	210	210		15	165	165	125	110	500	0	1000	500
केरल					100	0					100	0
तमिलनाडु	94	94	150	100	90	0		150	100	30	434	374
पांडिचेरी							100	0			100	0
दक्षिणी क्षेत्र	604	604	300	265	355	165	225	260	1098.2	240	2582.2	1534
डीवीसी											0	0
बिहार											0	0
झारखंड									210	0	210	0
उड़ीसा									150	0	150	0
सिक्किम											0	0
पश्चिम बंगाल							420	0	250	0	670	0
पूर्वी क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	420	0	610	0	1030	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अरुणाचल प्रदेश										0	0	0
असम			100	0					38	100	138	100
मणिपुर	18	18								0	18	18
मेघालय			48	0					84	0	132	0
मिजोरम			102.92	0		22.92				0	102.92	22.92
नागालैंड										0	0	
त्रिपुरा	42	42						21		0	4	63
पूर्वोत्तर क्षेत्र	60	60	250.92	0	0	22.92	0	21	122	100	432.92	203.92
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	5	6
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	1125.1	1100.1	1370.92	816.62	1667.62	1168.92	1765	1488	5228.2	1671	11156.84	6244.64

10वीं योजना के दौरान राज्यवार/वर्षवार क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य एवं उपलब्धि-निजी क्षेत्र

(आंकड़े मेगावाट में)

राज्य/क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		कुल	
	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चंडीगढ़											0	0
दिल्ली											0	0
हरियाणा											0	0
हिमाचल प्रदेश		200	300	100					70	0	370	300
जम्मू-कश्मीर											0	0
पंजाब									500	0	500	0
राजस्थान											0	0
उत्तर प्रदेश											0	0
उत्तरांचल									400	400	400	400
उत्तरी क्षेत्र	0	200	300	100	0	0	0	0	970	400	1270	700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
छत्तीसगढ़											0	0
गुजरात					500	0					500	0
मध्य प्रदेश					578	0	240	0	160	0	978	0
महाराष्ट्र	1444	0									1444	0
दमन और दीव											0	0
दादर नगर हवेली											0	0
गोवा											0	
पश्चिमी क्षेत्र	1444	0	0	0	1078	0	240	0	160	0	2922	0
आंध्र प्रदेश	78	78	464	0	1045	0	520	453		137	2107	668
कर्नाटक			189	0					108	0	297	0
केरल											0	0
तमिलनाडु	250	250				70		87.8		14.8	250	422.6
पांडिचेरी											0	0
दक्षिणी क्षेत्र	328	328	653	0	1045	70	520	540.8	108	151.8	2654	1090.6
डीवीसी											0	0
बिहार									135	0	135	0
झारखंड								120	120	0	120	120
ठड़ीसा											0	0
सिक्किम											0	0
पश्चिम बंगाल											0	0
पूर्वी क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	120	255	0	255	120
अरुणाचल प्रदेश											0	0
असम											0	0
मणिपुर											0	0
मेघालय											0	0
मिजोरम											0	0
नागालैंड											0	0
त्रिपुरा											0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अंडमान निकोबार	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अखिल भारत	1792	548	953	100	2123	70	760	660.8	1493	551.8	7121	1930.6

पेयजल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों की समीक्षा

*234. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त तकनीकी समूह द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) पेयजल आपूर्ति विभाग में ग्रामीण पेयजल तथा स्वच्छता क्षेत्रों में उभर रहे अनेक मुद्दों तथा चुनौतियों की जांच करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए उपाय सुझाने, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है, के लिए उच्चाधिकार प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ समूह (टीईजी) गठित किया गया है।

(ख) 16 अगस्त, 2007 को श्री गौरीशंकर घोष, मिशन के संस्थापक निदेशक, भूतपूर्व प्रमुख, जल एवं स्वच्छता, यूनीसेफ, न्यूयार्क और पूर्व कार्यकारी निदेशक, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सहयोग परिषद (डब्ल्यूएसएससीसी) की अध्यक्षता में टीईजी का गठन किया गया और श्री अजयशंकर, भूतपूर्व मुख्य सलाहकार, योजना आयोग, (2) श्री रविनारायण, भूतपूर्व, सीईओ, कार्य सहायता, (3) प्रो. इंदिरा चक्रवर्ती, निदेशक, आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, भारत सरकार, कोलकाता, (4) श्री सुदर्शन आयंगर, कुलपति, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद तथा (5) डा. ए.के. सुशीला, भूतपूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष सामुदायिक चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली इसके सदस्य हैं। टीईजी के विस्तृत विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

(1) चल रहे कार्यक्रमों की स्थिति का विश्लेषण करना और मुद्दों तथा सामने आ रही चुनौतियों का निर्धारण करना ताकि देश के सभी हिस्सों में ग्रामीण समुदाय को स्थायी रूप से पर्याप्त स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं मिल सकें।

(2) गरीबी को पूरी तरह से कम करने तथा स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता/स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक बल देते हुए गरीबों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना और अन्य कार्यक्रमों जैसे एनआरएचएम, वाटरशेड विकास एवं प्रबंधन, आवास तथा औद्योगिक विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नए अनुसंधान क्षेत्रों, ग्रामीण रोजगार तथा एनआरईजीए इत्यादि के साथ संवर्धित परिचलनात्मक संपर्कों के संबंध में सिफारिश करना।

(3) निचले स्तर पर पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के साथ साफ-सफाई के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उपायों की समीक्षा करना तथा सिफारिश करना और भारत में 2012 तक सभी को स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के सार्वभौमिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासों तथा संसाधनों को उचित ढंग से अनुकूल बनाने की कार्यपद्धति की सिफारिश करना।

(4) जल एवं स्वच्छता प्रौद्योगिकियों तथा इसके उपयोग, अनुसंधान एवं विकास के नए प्रयासों और नवीनतम उपलब्धियों, समेकित जल एवं स्वच्छता प्रबंधन, सतही, भू-जल और वर्षाजल प्रबंधन, आधुनिक प्रौद्योगिकियों में मौजूदा कमियों का निर्धारण करना और इन कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति बनाना तथा उन्हें लागू करना।

(5) ऐसी कार्यविधियों/एजेंसियों/संरचनाओं के संबंध में सुझाव देना जो राज्यों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता का मूल्यांकन करने के पश्चात् लोगों के लिए उपयुक्त तकनीकी जानकारी और ज्ञान उपलब्ध कराने से संबंधित मुद्दों को हल कर सके।

(6) क्षेत्र में उपयुक्त ज्ञान और कौशल के साथ भावी मानव संसाधन की मांग और सभी स्तरों पर मानव संसाधन विकास की कार्यनीति का मूल्यांकन करना। भूमिका/जिम्मेदारी और प्रक्रियाविधि सुझाना जिन्हें मिशन/एजेंसी द्वारा ग्राम/बसावट स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता प्रणालियों की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका स्वामित्व लेने एवं उस पर नियंत्रण करने के लिए स्थानीय निकायों/प्रयोक्ता समूहों, ग्रामीण समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए अपनाई जा सकती है।

(7) जल गुणवत्ता, पेयजल मानकों, स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य, पेयजल स्रोतों के संदूषण को रोकने, पेयजल उपलब्धता को प्रभावित करने वाले अन्य प्रयोजनों के लिए जल निकासी, पेयजल स्रोतों का परिरक्षण आदि और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करने में शामिल सभी मौजूदा उपयुक्त वैधानिक/विनियामक पहलुओं/मामलों पर विचार करना।

(8) लोक स्वास्थ्य और प्रदूषण नियंत्रण आवश्यकताओं के नियंत्रण/विनियमन एवं प्रवर्तन के लिए उपाय सुझाना।

(9) अंतर्राष्ट्रीय और द्विपक्षीय एजेंसियों के क्रियाकलापों और अंशदान की समीक्षा करना और मंत्रालय/मिशन के प्रयासों में मदद करने के लिए अपनी सीमित सहायता को बढ़ाने के लिए उनके क्रियाकलापों के संभाव्य क्षेत्रों और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बेहतर सहयोग के लिए बेहतर समन्वय तंत्र, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एजेंसियों, सिविल सोसायटी, एनजीओ/सीबीओ, निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और पंचायती राज संस्थाओं के साथ बेहतर साझेदारी के लिए किसी नए तंत्र की सिफारिश करना।

(10) निजी क्षेत्र भागीदारी, विशेषकर निजी लघु उद्यम भागीदारी को बढ़ावा देने और आय सृजन के लिए क्षेत्र विकास एवं स्थानीय स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप के लिए क्षेत्र निर्धारित करना।

(11) मिशन की वर्तमान संरचना, मंत्रालय के भीतर इसके संबंध और कार्य प्रणाली, संसाधनों के आबंटन सहित राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ परस्पर संबंध की समीक्षा करना। उभरते मुद्दों एवं चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा ज्ञान आधार, संरचनात्मक कमियों और अपर्याप्तताओं की समीक्षा करना और लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मिशन/विभाग की उपयुक्त पुनर्संरचना/सुदृढ़ीकरण को संबंध में सुझाव देना।

(12) ऊपर में विशेष रूप से उल्लेख न की गई कार्यनीति अथवा योजना सुझाना/सिफारिश करना जो समूह के विचार में मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने में अंशदान कर सके।

(ग) समूह को अपने गठन की तारीख से 4 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

जनजातीय वन अधिनियम, 2006

***235. श्री पी. करुणाकरन:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनजातीय वन अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन न होने के कारण बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों को वन भूमि से बेदखल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अधिनियम के उचित क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर जनजातीय लोगों के वन भूमि से बेदखल होने के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तथापि, वन भूमि से जनजातीय लोगों की इस प्रकार की बेदखली के आरोप से संबंधित प्राप्त शिकायतें आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेज दी गयी हैं।

(ग) यद्यपि, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है, तथापि, अभी तक यह प्रवृत्त नहीं हुआ है, क्योंकि अधिनियम की धारा 1(3) में की गई अपेक्षा के अनुसार अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख नियत करने से संबंधित अधिसूचना अभी जारी की जानी है। इस अधिनियम के

प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने जनता एवं अन्य हितधारियों की टिप्पणियां और सुझाव मांगते हुए प्रारूप अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2007 को पूर्व-प्रकाशित किया था। जनता से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की गई है तथा सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर अधिनियम एवं नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी।

कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टलों में दिन परिचर्या केन्द्र

***236. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की कामकाजी महिलाओं के होस्टलों में दिन परिचर्या केन्द्र शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने होस्टलों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए कोई निरीक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कामकाजी महिलाओं हेतु होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार हेतु सहायता की स्कीम में होस्टल में बच्चों हेतु दिवस देखभाल केन्द्रों का प्रावधान भी है। इस स्कीम के बारे में जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। वर्ष 1972-73 में इस स्कीम के प्रारम्भ होने से अभी तक 321 होस्टलों में 7442 बच्चों हेतु दिवस देखभाल केन्द्र संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों द्वारा किए गए होस्टलों के निरीक्षण का राज्य-वार संलग्न ब्यौरा विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा निरीक्षण किये गये होस्टलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निरीक्षण किये गये होस्टलों की संख्या	निरीक्षण का वर्ष	संचालित होस्टलों की संख्या	गैर-संचालित होस्टलों की संख्या	होस्टलों की संख्या जिनका भवन निर्माण कार्य अधूरा है
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	2005-06	1	3	1
2.	असम	11	2005-06	7	2	2
3.	दिल्ली	5	2005-06	5	-	-
4.	कर्नाटक	5	2005-06	5	-	-
5.	मध्य प्रदेश	6	2006-07	5	1	-
6.	मणिपुर	8	2005-06	4	3	1
7.	मिजोरम	3	2005-06	1	1	1
8.	नागालैंड	8	2005-06	4	1	3
9.	तमिलनाडु	6	2005-06	4	-	2
10.	उत्तर प्रदेश	5	2005-06	5	-	-

राज्य सरकारों द्वारा निरीक्षण किये गये होस्टलों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निरीक्षण किये गये होस्टलों की संख्या	निरीक्षण का वर्ष	संचालित होस्टलों की संख्या	गैर-संचालित होस्टलों की संख्या	होस्टलों की संख्या जिनका भवन निर्माण कार्य अधूरा है
1.	आंध्र प्रदेश	50	2006-07	42	7	1
2.	असम	9	2006-07	9	-	-
3.	चंडीगढ़	5	2006-07	5	-	-
4.	छत्तीसगढ़	8	2006-07	8	-	-
5.	दिल्ली	17	2006-07	15	2	-
6.	हरियाणा	3	2006-07	-	-	3
7.	कर्नाटक	76	2006-07	66	10	-
8.	मध्य प्रदेश	9	2006-07	7	2	-
9.	महाराष्ट्र	85	2006-07	65	18	2
10.	मिजोरम	1	2006-07	-	1	-
11.	नागालैंड	4	2006-07	-	4	-
12.	उड़ीसा	28	2006-07	15	5	8
13.	तमिलनाडु	80	2006-07	72	8	-

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु विदेशी सहायता

***237. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विकास क्षेत्र में विदेशी सहायता से चलाई गई/चलाई जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक के साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विदेशी सहायता के तहत किन परियोजनाओं को लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) (1), ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय विदेशी सहायता से ग्रामीण विकास क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

क्र.सं.	कार्यक्रम		योजना	राज्य का नाम जहां कार्यान्वयन किया जा रहा है
1	2		3	4
1.	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)	(1)	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना की लागत 70 मिलियन अमेरिकी डालर है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 63 मिलियन अमेरिकी डालर का वित्त पोषण किया गया है। परियोजना का उद्देश्य बिहार में ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण में वृद्धि करना है।	बिहार
2.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	(2)	400 मिलियन अमरीकी डालर की लागत वाली ग्रामीण सड़क परियोजना-I अक्टूबर, 2004 से कार्यान्वित की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा परियोजना का वित्त-पोषण किया जाता है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है।	झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश
		(3)	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-I और II 1150 मिलियन अमेरिकी डालर (400 मिलियन अमेरिकी डालर और 750 मिलियन अमेरिकी डालर) की लागत वाली परियोजना क्रमशः नवम्बर, 2004 और अगस्त, 2006 से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना है।	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा
3.	क्षेत्र विकास कार्यक्रम	(4)	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूके द्वारा वित्त-पोषित आंध्र प्रदेश आजीविका परियोजना नवम्बर, 1999 से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 320 करोड़ रुपए है। परियोजना का उद्देश्य गरीबोन्मुख वाटरशेड आधारित स्थायी ग्रामीण आजीविका दृष्टिकोण लागू करना है।	आंध्र प्रदेश
		(5)	पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना 230 करोड़ रु. की लागत वाली परियोजना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग (डीएफआईडी), यूके द्वारा वित्त पोषित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य विशेषकर सर्वाधिक गरीब लोगों के लिए स्थायी आजीविका की व्यवस्था करना है।	उड़ीसा
		(6)	जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक (जेबीआईसी) केरल द्वारा वित्त-पोषित अट्टापेड्डी बंजरभूमि व्यापक पर्यावरण संरक्षण परियोजना वर्ष 1996 में मंजूर की गई।	केरल

1	2		3	4
			परियोजना की कुल लागत 219.31 करोड़ रु. है और जापानी एजेंसी द्वारा 176.89 करोड़ रु. मुहैया कराना है। परियोजना का उद्देश्य केरल में 5,07,000 हेक्टेयर बंजरभूमि का विकास करना है।	
		(7)	हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना। यह परियोजना 23.30 मिलियन यूरो (97.80 करोड़ रु.) के कुल अंशदान के यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्त-पोषित की गई है और हरियाणा सरकार को 6.80 मिलियन यूरो (28.20 करोड़ रु.) अंशदान करना है। परियोजना 1999-2000 में शुरू की गई। परियोजना का उद्देश्य पंचायत और ग्रामीण सरकारी जमीन पर ईंधन, चारा, लकड़ी और फल के लिए पौधरोपण, बालू के टीले के स्थिरीकरण के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाना है।	हरियाणा
		(8)	मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (एमपीआरएलपी) चरण-I। अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी), यूके द्वारा यह परियोजना वित्त पोषित की जाती है। परियोजना की कुल लागत 114.87 करोड़ रु. है। परियोजना का उद्देश्य उन प्रभावी कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन करना है जो ग्रामीण गरीब लोगों की आजीविका में स्थायी रूप से वृद्धि करते हैं।	मध्य प्रदेश
		(9)	मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (एमपीआरएलपी) चरण-II। यह परियोजना 5 वर्षों के लिए जुलाई, 2007 में शुरू की गई। अंतर्राष्ट्रीय विकास (डीएफआईडी), यूके 45 मिलियन पौंड मुहैया कराएगा। परियोजना का उद्देश्य उन प्रभावी कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन करना है जो ग्रामीण गरीब लोगों की आजीविका में स्थायी रूप से वृद्धि करते हैं।	मध्य प्रदेश
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता	(10)	विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित केरल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। अनुमोदित परियोजना लागत 89.8 मिलियन अमेरिकी डालर और आईडीए ऋण 55.5 मिलियन अमेरिकी डालर है। परियोजना जनवरी, 2001 में शुरू हुई।	केरल
		(11)	विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना की लागत 193.44 मिलियन अमेरिकी डालर और आईडीए ऋण 136.6 मिलियन अमेरिकी डालर है। यह परियोजना फरवरी, 2002 में शुरू हुई।	कर्नाटक

1	2	3		4
		(12)	विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वाच्छता परियोजना। अमेरिकी डालर और आईडीए ऋण 181.00 मिलियन अमेरिकी डालर है। परियोजना सितम्बर, 2003 में शुरू हुई।	महाराष्ट्र
		(13)	विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तरांचल ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (स्वजल के पश्चात)। 120 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रस्तावित ऋण अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना सितम्बर, 2006 में शुरू हुई।	उत्तरांचल
		(14)	विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित पंजाब ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। 154 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रस्तावित ऋण अनुमोदित कर दिया गया है। परियोजना मार्च, 2007 में शुरू हुई।	पंजाब
		(15)	ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना, महाराष्ट्र। परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद, अहमदनगर और पुणे जिले में लोगों को स्थायी रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है ताकि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की स्थापना, उन्नयन और पुनर्स्थापन करके उनके स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके अर्थात् स्वास्थ्य और साफ-सफाई को बढ़ावा देकर, पर्यावरण स्वच्छता और स्रोत की सुरक्षा के लिए वाटरशेड विकास जैसे पूरक उपायों द्वारा सहयोग किया जाता है। परियोजना को 22.446 मिलियन यूरो (आसान ऋण) और 1.380 मिलियन यूरो (अनुदान) जर्मन सहायता मिल रही है। दिसम्बर, 2000 में ऋण एवं वित्त-पोषण समझौता पर हस्ताक्षर किए गए।	महाराष्ट्र
		(16)	राजस्थान समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम। परियोजना का उद्देश्य पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की सतत आपूर्ति करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी से जागरूकता सृजन के जरिए स्वच्छता पर्यावरण में सुधार करना है। परियोजना को 78.137 मिलियन यूरो की जर्मन सहायता मिल रही है। जून, 1994 में प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।	राजस्थान
		(17)	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक से सहायता प्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना। परियोजना की कुल लागत 1787.45 करोड़ रु. है। यह परियोजना सितम्बर, 2003 में शुरू हुई।	केरल

1	2		3	4
5.	यूएनडीपी द्वारा वित्त पोषित अन्य ग्रामीण आजीविका परियोजना	(18)	गरीबी उपशमन के लिए सामाजिक जागरूकता और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एनजीओ साझेदारों के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना वर्ष 2003-04 में शुरू हुई और वर्ष 2007-08 में पूरी कर ली जाएगी। यूएनडीपी द्वारा वित्त-पोषित परियोजना की कुल लागत 26.95 करोड़ रु. है।	झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान
2.	विदेशी सहायता से निम्नलिखित परियोजनाएं चलाई जा रही हैं:			
		(1)	विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित 500 मिलियन अमेरिकी डालर की लागत वाली ग्रामीण सड़क परियोजना-2। आर्थिक कार्य विभाग ने यह जानकारी दी है कि प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम और उत्तराखंड
		(2)	तमिलनाडु ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। विश्व बैंक ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 415,000 अमेरिकी डालर का अनुदान दिया है, परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।	तमिलनाडु
		(3)	लगभग 107.70 मिलियन अमेरिकी डालर की लागतवाली ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना। योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन से आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को भेज दी गई है। विश्व बैंक द्वारा निधियां उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	मध्य प्रदेश
		(4)	950 करोड़ रु. की लागत वाली समेकित ग्रामीण परियोजना योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन से आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को भेज दी गई है। विश्व बैंक द्वारा निधियां उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	आंध्र प्रदेश
		(5)	स्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति संबंधी परियोजना योजना आयोग के सैद्धांतिक अनुमोदन से आर्थिक कार्य विभाग को भेज दी गई है ताकि संभाव्य वित्त पोषण के लिए इसे विश्व बैंक को भेजा जा सके।	राजस्थान
		(6)	विश्व बैंक से 422 करोड़ रु. के वित्त-पोषण की आवश्यकता वाले 33 जिलों में जल गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने संबंधी परियोजना की मंत्रालय ने जांच की है और अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु इसे विश्व बैंक को भेजने के लिए आर्थिक कार्य विभाग को सिफारिश की गई है ताकि विश्व बैंक के वित्त-पोषण से चल रही वित्तीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में जल गुणवत्ता समस्याओं को हल किया जा सके। आर्थिक कार्य विभाग ने इसे विश्व बैंक को भेज दिया है।	महाराष्ट्र

(ख) से (घ) हाल ही में विश्व बैंक के साथ निम्नलिखित समझौता किया गया है:

आईडीए ऋण सं. 4323-एक्सडीआर 41,400,000 के लिए दिनांक 9.8.2007 के समझौता द्वारा बिहार में ग्रामीण आजीविका परियोजनाएं।

[हिन्दी]

हवाला कारोबार

***238. श्री हेमलाल मुर्मु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 2007 के "दैनिक जागरण" में "दुबई में जमा होता है हवाला का पैसा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 'हवाला' कारोबार करने के लिए कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, हां।

(ख) जम्मू और कश्मीर पुलिस ने जमाली खान, समीना खान, दानिश अनवर तथा रविन्दर जैन से 52.86 लाख रुपये बरामद किये। जांच के दौरान जमाली खान और जी.एम. भट्ट के आवासों की तलाशी से कुछ विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई। केन्द्रीय व राज्य सरकारों की एजेंसियां इस मामले के सभी पक्षों से निपटने के लिए आपस में मिलकर काम रही हैं।

(ग) चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान हवाला कारोबार से संबंधित मामलों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जिन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उनकी संख्या निम्न प्रकार है:-

वर्ष	व्यक्तियों की सं.
2004-05	325
2005-06	449
2006-07	379
2007-08 (31.10.2007 तक)	121

[अनुवाद]

किशोरी शक्ति योजना

***239. श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने पहले से मौजूद एडोलसेन्ट गर्ल्स स्कीम का किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई.) के रूप में पुन: रूपांकन किया है जिसमें 11 वर्ष से 18 वर्ष की किशोरियों हेतु वर्तमान योजना का दायरा पर्याप्तत: बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या के.एस.वाई. योजना में समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना की अवसंरचना का प्रयोग होता रहेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2000 में तत्कालीन किशोरी स्कीम में संशोधन कर इसे किशोरी शक्ति योजना का नाम देकर इसका 2000 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में विस्तार किया गया।

वर्ष 2005-06 में किशोरी शक्ति योजना का विस्तार 2000 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं से बढ़ाकर देश भर में 6118 परियोजनाओं में किया गया।

(ग) और (घ) जी, हां। किशोरी शक्ति योजना आई.सी.डी.एस. अवसंरचना के माध्यम से चलाए जाने वाला ऐसा विशेष कार्यक्रम है, जिसे 11-18 वर्ष की आयु की किशोरियों के लिए तैयार किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य किशोरियों की स्व-विकास, पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति, साक्षरता एवं अंक ज्ञान संबंधी कौशलों, व्यावसायिक कौशलों इत्यादि से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायतानुदान के रूप में 1.10 लाख रुपये प्रति ब्लाक प्रति वर्ष जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

निजी तथा विदेशी बैंकों द्वारा अधिक शुल्क लिया जाना

***240. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि निजी तथा विदेशी बैंक धन-हस्तांतरण तथा अन्य संव्यवहार के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लगाए जा रहे सेवा शुल्क से अधिक शुल्क ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में आरबीआई की नीति क्या है;

(ग) क्या आरबीआई ने ऐसे बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस बारे में उनके पास कोई विशेष सूचना नहीं है।

सितम्बर 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सेवा शुल्कों के अविनियमन के बाद, बैंकों ने उनके निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से उनके द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा शुल्क निर्धारित करने हेतु प्रचालन संबंधी स्वतंत्रता दी है। तथापि, सेवा शुल्क तय करते समय, बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि शुल्क युक्तिसंगत हो, सेवा लागत के अनुरूप हो तथा कम मूल्य/मात्रा का लेन-देन करने वाले ग्राहकों को आर्थिक रूप से दंडित न किया जाए। इसके अलावा, बैंक शुल्कों की युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने की योजना तैयार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाओं और शुल्क निर्धारण की युक्तिसंगतता सुनिश्चित किए जाने के लिए बैंकों द्वारा अपनाए जाने/अनुपालन किए जाने वाले सिद्धान्तों की पहचान करने तथा सेवा शुल्कों की जानकारी देने के बारे में 2 फरवरी, 2007 को बैंकों को अनुदेश जारी किए हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि ग्राहक को सेवा शुल्कों की अग्रिम जानकारी दी जाए और इन शुल्कों में बदलावों को ग्राहकों को सूचित करने के बाद ही कार्यान्वित किया जाए। बैंकों द्वारा प्रदत्त विप्रेषण सुविधा की एक बुनियादी बैंकिंग सेवा के रूप में पहचान की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड, सेवा शुल्कों, बैंक सेवाएं प्रदान करने में देरी, आदि से संबंधित बैंक ग्राहकों की शिकायत पर ध्यान देने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया है।

'साइंस एक्सप्रेस' में हिन्दी

2002. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जर्मन सहयोग से चलाई जा रही 'साइंस एक्सप्रेस' की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी यात्रा का मार्ग क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त एक्सप्रेस में हिन्दी भाषा में विज्ञान की पर्याप्त शब्दावली की उपेक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर राजभाषा में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान एक्सप्रेस का यात्रा मार्ग विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) जी, नहीं। विज्ञान एक्सप्रेस के 12 प्रदर्शनी कोचों में प्रत्येक में विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों को दिखाया गया है। सुन्दर रूप से अभिकल्पित, विकसित और तैयार प्रदर्शनी की वस्तुएं सरल अंग्रेजी भाषा में जानकारी प्रदान करती हैं। प्रत्येक कोच के संबंधित विषय को हिन्दी में भी दर्शाया गया है और प्रत्येक कोच के प्रवेश द्वार पर इसे मुख्य रूप से लगाया गया है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख करने वाली एक हिन्दी पुस्तिका दर्शकों को दी जाएगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से कदम उठाया गया है कि विज्ञान कोच में तैनात प्रत्येक विज्ञान शिक्षक, जो अधिकांशतः, विज्ञान अथवा इंजीनियरी में स्नातक हैं, हिन्दी और कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में धाराप्रवाह बोल सकें।

विवरण

क्र.सं.	दिनांक	स्टेशन	दिन
1	2	3	4
1.	30.10.07-04.11.07	दिल्ली सफदरजंग	5
2.	05.11.07-08.11.07	कालका	3
3.	08.11.07-12.11.07	चण्डीगढ़	4
4.	12.11.07-15.11.07	अम्बाला कैन्ट	4

1	2	3	4
5.	16.11.07-19.11.07	जम्मू तवी	4
6.	20.11.07-24.11.07	अमृतसर	4
7.	24.11.07-01.12.07	जालंधर सिटी	4
8.	02.12.07-05.12.07	हरिद्वार	4
9.	06.12.07-08.12.07	हल्द्वानी	3
10.	09.12.07-11.12.07	बरेली	3
11.	12.12.07-16.12.07	लखनऊ	4
12.	16.12.07-18.12.07	कानपुर	3
13.	19.12.07-21.12.07	इलाहाबाद	3
14.	22.12.07-25.12.07	वाराणसी	4
15.	26.12.07-29.12.07	पटना	4
16.	30.12.07-01.01.08	कटिहार	3
17.	02.01.08-05.01.08	न्यू जलपाईगुडी	4
18.	06.01.08-08.01.08	न्यू बोंगाई गांव	3
19.	09.01.08-13.01.08	कामाख्या	5
20.	14.01.08-14.01.08	दीमापुर	1
21.	15.01.08-15.01.08	रंगिया	1
22.	16.01.08-19.01.08	अलीपुर द्वार जंक्शन	3
23.	20.01.08-20.01.08	दुर्गापुर	1
24.	21.01.08-25.01.08	धनबाद	5
25.	26.01.08-30.01.08	हटिया	5
26.	31.01.08-04.02.08	राउरकेला	5
27.	04.02.08-06.02.08	खड़गपुर	3
28.	07.02.08-11.02.08	हावडा	5
29.	12.02.08-16.02.08	मनचेश्वर	4
30.	17.02.08-19.02.08	विशाखापट्टनम	4
31.	20.02.08-22.02.08	विजयवाड़ा	3
32.	23.02.08-27.02.08	सिकंदराबाद	5
33.	28.02.08-28.02.08	गंटूर	1
34.	29.02.08-05.03.08	मद्रास अगमोर	5
35.	06.03.08-10.03.08	बंगलोर कैंट	5
36.	11.03.08-14.03.08	कोयम्बटूर	4
37.	15.03.08-19.03.08	ऐर्नाकुलम	4
38.	20.03.08-22.03.08	कन्याकुमारी	3
39.	23.03.08-27.03.08	त्रिवेन्द्रम	4
40.	28.03.08-28.03.08	कोझीकोड	1
41.	29.03.08-02.04.08	मंगलोर	4
42.	04.04.08-08.04.08	मुम्बई (सीएसटीएम)	5
43.	09.04.08-14.04.08	खरकी	5
44.	15.04.08-19.04.08	भरूच	4
45.	19.04.08-24.04.08	वड़ोदरा	5
46.	24.04.08-29.04.08	अहमदाबाद	5
47.	29.04.08-29.04.08	रतलाम	1
48.	30.04.08-03.05.08	लक्ष्मीबाई नगर	4
49.	04.05.08-08.05.08	भोपाल	5
50.	09.05.08-13.05.08	ग्वालियर	4
51.	14.05.08-17.05.08	गांधीनगर-जयपुर	4
52.	18.05.08-21.05.08	जोधपुर	4
53.	22.05.08-24.05.08	लालगढ़	3
54.	25.05.08-27.05.08	भटिण्डा	3
55.	28.05.08-31.05.08	साहिबाबाद	3
56.	31.05.08-04.06.08	दिल्ली कैंट	3
57.	04.0608	दिल्ली सफदरजंग	कार्यक्रम की समाप्ति

[अनुवाद]

वायर ट्रांसफर कंपनियां

2003. श्री नवीन जिन्दल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अनेक "वायर ट्रांसफर कंपनियां" कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मूल देश सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों के माध्यम से आतंकवादी संगठनों द्वारा इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के दुरुपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारत में सीमा पार धनराशियों का विप्रेषण (1) धन अंतरण सेवा योजना और (2) रुपया आहरण व्यवस्था का गति विप्रेषण के माध्यम से किया जाता है। धन अंतरण सेवा योजना के अंतर्गत, भारतीय एजेंटों को योजना के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक सीमा पार विप्रेषण प्राप्त करने के लिए विदेशी एजेंटों के साथ सहयोग करने की अनुमति दी गई है। फिलहाल, 11 विदेशी एजेंटों ने भारतीय एजेंटों के साथ समझौता किया है। इनमें से पांच अमेरिका, दो-दो युनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात और एक-एक कनाडा और बहरीन के हैं। रुपया आहरण व्यवस्था का गति विप्रेषण के अंतर्गत, हांग कांग, सिंगापुर और खाड़ी देशों में स्थित विनिमय गृह तार अंतरण विधि के जरिए भारत में सीमा पार विप्रेषण भेज सकते हैं। अधिकृत डीलर वर्ग-1 बैंक सीमा पार आंतरिक विप्रेषण प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में विनिमय गृहों के साथ समझौता कर सकते हैं। वर्तमान में, 68 विनिमय गृहों ने भारत के अधिकृत डीलर वर्ग-1 के साथ समझौता व्यवस्था की है। इनमें से संयुक्त अरब अमीरात में 23, ओमान में 12, कुवैत में 11, कतर में 9, बहरीन में 8, सिंगापुर और सऊदी अरब में दो-दो और हांग कांग में एक पंजीकृत है।

(ग) से (ङ) इलेक्ट्रानिक धन अंतरण पद्धति के दुरुपयोग की घटनाएं जांच एजेंसियों के ध्यान में आई हैं। यद्यपि, सूचनाओं के संवेदनशील स्वरूप को देखते हुए, उन्हें उजागर नहीं किया जाता है। जब भी ऐसी घटनाओं की सूचना मिलती है, उनकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

बालिका समृद्धि योजना

2004. श्रीमती सी.एस. सुजाता:
श्री जी.एम. सिद्‌दीश्वर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसी सूचना मिली है कि सरकार बालिका समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को आवश्यक धनराशि जारी नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बकाया धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार विशेष रूप से कर्नाटक में 'बालिका शिशु हेतु जन्म उपरांत अनुदान' के अंतर्गत सरकार द्वारा कुल कितनी राशि जारी की गई है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार इस योजना के अंतर्गत जारी की जाने वाली राशि कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (घ) बालिका समृद्धि योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव है और यह मामला राष्ट्रीय विकास परिषद के विचाराधीन है। इसलिए, वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में इस स्कीम के लिए परिव्यय का प्रावधान नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण

2005. श्री गिरिधारी यादव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी बैंकों, सहकारी बैंकों तथा निजी बैंकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को उक्त योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में इन बैंकों के असहयोग से संबंधित कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित राज्यवार योजना लक्ष्यों की तुलना में राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। सहकारी बैंक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण मुहैया नहीं करवाते।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत आवेदनों की अस्वीकृति, ऋण मंजूरी व संवितरण में देरी, आदि से संबंधित शिकायतें समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं और आवश्यक होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के लक्ष्यों को बैंकों के सहयोग से पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर पूर्णतः पूरा कर लिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05			2005-06			2006-07*		
		लक्ष्य (आयोजना) (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण		लक्ष्य (आयोजना) (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण		लक्ष्य (आयोजना) (संख्या)	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण	
			संख्या	राशि		संख्या	राशि		संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	हरियाणा	5100	7755	4294.93	5303	9565	5272.34	5480	11447	6196.83
2.	हिमाचल प्रदेश	3000	2853	2285.89	3557	2929	2438.78	3744	3480	3237.56
3.	जम्मू-कश्मीर	2000	639	667.47	1588	544	583.89	1461	696	724.31
4.	पंजाब	4600	8372	5141.36	4083	8043	4966.79	4236	8320	5147.47
5.	राजस्थान	9100	12919	7087.30	9328	13868	7820.82	9579	15207	8371.16
6.	चंडीगढ़	300	206	123.16	351	72	45.99	491	47	31.90
7.	दिल्ली	4500	819	557.12	5179	682	480.89	5457	526	352.71
8.	असम	7500	8256	5724.27	7387	5671	3635.93	7643	4531	3687.68
9.	मणिपुर	1500	387	304.23	1418	383	348.96	1475	196	149.91
10.	मेघालय	400	568	529.40	361	564	515.14	370	454	363.84
11.	नागालैंड	400	109	102.45	363	2379	3124.97	373	978	1264.65
12.	त्रिपुरा	1000	1747	1379.65	1193	2032	1642.31	1238	1904	1639.22
13.	अरुणाचल प्रदेश	200	440	434.80	173	447	397.55	178	312	265.41
14.	मिजोरम	200	142	133.20	188	472	439.52	195	538	355.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	सिक्किम	100	32	22.80	66	31	19.02	67	38	25.40
16.	बिहार	16000	10396	8887.83	16003	12072	9359.65	16477	8016	6723.02
17.	झारखंड	6500	4804	3783.49	6978	4566	3560.68	7213	4858	3895.59
18.	उड़ीसा	7100	11339	6819.02	6923	12823	7991.59	7125	13821	10347.75
19.	पश्चिम बंगाल	24000	3796	2534.39	24574	4616	3245.55	25449	3415	2714.50
20.	अंडमान एवं निकोबार	150	142	109.21	123	150	109.26	128	118	92.18
21.	मध्य प्रदेश	14000	20642	12738.88	13507	20909	12599.51	13937	20771	12573.89
22.	छत्तीसगढ़	6000	3276	1987.65	5429	3463	2130.18	5612	4128	2566.60
23.	उत्तर प्रदेश	26000	42534	29211.20	26248	40040	29746.62	26929	43077	31454.31
24.	उत्तराखंड	2500	6637	4468.32	2119	7404	5206.67	2189	7095	5142.56
25.	गुजरात	10000	6406	3058.89	9579	6347	3196.81	9859	6020	2614.76
26.	महाराष्ट्र	26000	21819	11963.16	24614	23817	13036.36	25439	20984	11614.04
27.	दमन और दीव	50	4	3.51	19	14	10.66	20	4	3.00
28.	गोवा	500	45	35.20	486	43	36.64	504	21	15.89
29.	दादरा एवं नगर हवेली	50	22	15.00	27	24	16.00	27	3	1.95
30.	आंध्र प्रदेश	21500	22542	14718.59	20767	21334	12604.92	20261	15275	9280.99
31.	कर्नाटक	12000	13931	8866.82	11046	19246	11756.60	11387	18512	10986.46
32.	केरल	17000	16553	8487.30	18685	21447	10249.66	18180	21170	10261.06
33.	तमिलनाडु	20000	16902	6752.80	21565	19534	7531.31	21475	21984	8797.84
34.	लक्षद्वीप	50	4	2.72	48	5	3.90	50	0	0.00
35.	पांडिचेरी	700	329	138.31	722	348	154.07	752	375	165.34
	अन्य		897	918.19		1397	1094.47		886	1009.31
	अखिल भारत	250000	248264	154278.51	250000	267281	165374.01	255000	259207	162074.73

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक आंकड़े

*अनंतिम

महिलाओं का उत्थान

2006. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार 'स्व-शक्ति परियोजना' के अंतर्गत कितनी राशि प्राप्त की गई तथा उपयोग की गई;

(ख) क्या सरकार ने 'स्व-शक्ति परियोजना' के क्रियान्वयन हेतु विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्व-शक्ति परियोजना के अंतर्गत प्राप्त और प्रयुक्त राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (रुपये करोड़ों में)	व्यय (रुपये करोड़ों में)
1.	2004-05	25.00	16.02
2.	2005-06	5.00	1.96 (दिसम्बर, 2005 तक)
3.	2006-07	2.00	0.09

(ख) और (ग) स्व-शक्ति परियोजना के लिए सरकार को मुख्यत: विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से क्रमश: 43.47 करोड़ रुपये और 41.89 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

[अनुवाद]

विद्यालयों में 'जंक फूड'

2007. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल कमीशन फार प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्य सरकारों से विद्यालयों में 'जंक फूड' पर प्रतिबंध लगाने तथा पोषण मानक विकसित करने को भी कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों द्वारा उपर्युक्त मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्यों को पत्र भेजकर उनसे कहा कि वे विद्यालय पोषण नीति तैयार करने के लिए विद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी करने के विषय में विचार करें।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी

2008. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने सरकारी कर्मचारी वर्तमान में नई पेंशन नीति (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल हैं;

(ख) क्या सरकार के पास मौजूदा/पुरानी पेंशन प्रणाली में शामिल कर्मचारियों को एनपीएस का विकल्प देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत 21 नवम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार आने वाले सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या रिकार्ड के अनुसार 1,84,542 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पार्टिसिपेटरी नोट्स पर सेबी की घोषणा के कारण गिरावट

2009. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से विदेशी निवेश को विनियमित करने के संबंध में सेबी की घोषणा के कारण स्टाक बाजार में गिरावट आई जैसा कि दिनांक 26 अक्तूबर, 2007 के 'दि हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेबी द्वारा विलंब से ऐसी घोषणा करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) स्टाक मार्केट सूचकांकों में घटबढ़, अर्थव्यवस्था, सेक्टर और कंपनी के बारे में घरेलू और विदेशी, खुदरा और

संस्थागत निवेशकों का प्रत्यक्ष ज्ञान संबंधी कार्य है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है जिसमें बृहद-आर्थिक वातावरण, अर्थव्यवस्था की विकास संभावना, कंपनी कार्यनिष्पादन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और बाजार के मनोभाव शामिल हैं। इसलिए, एक विशेष घटनाक्रम के लिए बाजार के संचलन को उत्तरदायी ठहराना कठिन है। तथापि, 16 अक्तूबर, 2007 को एफआईआई द्वारा विदेशी व्युत्पाद लिखतों को जारी करने से संबंधित नीतिगत पहलों की घोषणा के अनुसरण में 17 अक्तूबर, 2007 को बाजार के आरम्भिक घंटों में सूचकांकों में 10 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि, प्रस्तावित पहल का आशय स्पष्ट होते ही बाजार में सुधार आया और सूचकांक 18715.82 पर बंद हुआ जो पिछले दिन बंद हुए सूचकांक से 1.76 प्रतिशत नीचे था।

पेशेवरों के संबंध में कानून

2010. श्री के.एस. राव: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पेशेवरों तथा ग्राहकों के हितों के संरक्षण हेतु पेशेवर वकील, चिकित्सकों, वास्तुविद् तथा अन्य के लिए पेशेवर उपेक्षा बीमा कवर अनिवार्य करने हेतु कानून अधिनियमित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा

2011. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1981 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित समेकित कम लागत स्वच्छता योजना के परिचालन में होने के बावजूद देश के भागों में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा विद्यमान है;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस अमानवीय प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए 2007 को अंतिम लक्ष्य के रूप में रखा है;

(ग) क्या सरकार अब भी राज्यों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नई आईएलसीएस योजना के दिशानिर्देशों पर कार्य कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान लक्षित समय को आगे बढ़ाया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां। देश के कुछ भागों में अभी भी मैला ढुलान की प्रथा मौजूद है।

(ख) सरकार देश से मैला ढुलान की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ग) से (ङ) जी, हां। योजना आयोग राज्य सरकारों तथा विभिन्न हितबद्धों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एकीकृत कम लागत सफाई स्कीम के दिशानिर्देशों में संशोधन सरकार के विचाराधीन है। चूंकि एकीकृत कम लागत सफाई एक मांग मूलक स्कीम है, इसलिए एक समयबद्ध ढंग से मौजूदा शुष्क शौचालयों को जलरुद्ध शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में मुंबई

2012. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में बनाने के संबंध में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट को रखे जाने पर प्राप्त जन प्रतिक्रियाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) जन प्रतिक्रियाओं पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) मुंबई को कब तक अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र बनाने के संबंध में कार्य शुरू किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) प्राप्त प्रतिक्रिया में सामान्यतः मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में विकसित करने का समर्थन किया गया है।

(ख) और (ग) समिति की कुछ अनुशंसाओं को प्राथमिकता देकर क्रियान्वित करने के लिए चुना गया है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम योजना में परिवर्तन

2013. श्री तुकाराम गणपत राव रेंगे पाटील: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मौजूदा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम योजना के संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से 2004-05 तक प्राप्त त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम संबंधी (एयूडब्ल्यूएसपी) सभी प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित किए जा चुके हैं। एयूडब्ल्यूएसपी को यूआईडीएसएसएमटी में मिलाने के बाद अर्थात् 2005-06 के बाद से महाराष्ट्र सरकार से इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

दीवारों को गंदा करना

2014. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से चुनाव के दौरान सार्वजनिक दीवारों को गंदा करने के संबंध में बनाए गए कानून को और सख्त बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में दिए गए दिशानिदेश क्या हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार के दौरान संपत्ति के विरुपण को रोकने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। इस विषय पर आयोग के विद्यमान अनुदेश उसके पत्र संख्या 3/7/2007/जेएस-II, तारीख 16 अक्तूबर, 2007 में अंतर्विष्ट हैं, जिसकी एक प्रति सभा के पटल पर विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 3/7/2007/जेएस-II तारीख 16 अक्तूबर, 2007

सेवा में,

1. सचिव,
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली-110001

2. सभी राज्यों और
संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव

3. सभी राज्यों और
संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

विषय: संपत्ति के विरुपण का रोकना-राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन प्रचार-अनुदेश

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आयोग के पत्र सं. 3/71/2007/जेएस-II, तारीख 8 मार्च, 2007 के संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश दिया गया है। इस विषय में कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के लिए पश्चात् आयोग ने इस विषय में विद्यमान अनुदेशों के उपांतरण में निम्नलिखित समेकित अनुदेश जारी किए हैं:

सार्वजनिक स्थान

2. (क) किसी सार्वजनिक संपत्ति/सार्वजनिक परिसरों पर कोई दीवार लेखन, पोस्टरों/पत्रों के चिपकाने या किसी अन्य रूप में विरुपण या कटआउट, विज्ञापन पट्टों, बैनरों आदि के परिनिर्मित करने/संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) तथापि, यदि संदाय पर या अन्यथा ऐसे प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से पहचान किए गए किसी सार्वजनिक स्थान में नारों के लेखन, पोस्टरों के संप्रदर्शन, आदि या कटआउट, विज्ञापन पट्टों, बैनरों, राजनीतिक विज्ञापन आदि के परिनिर्मित करने के लिए स्थानीय विधियां अनुज्ञात करती हैं या उनमें उपबंध हैं तो यह उस विधि के सुसंगत उपबंधों के अनुसार और किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए कड़ाई के साथ अनुज्ञात

किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई ऐसा स्थान किसी विशिष्ट दल (दलों) या अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) द्वारा अधिशासित/एकाधिकारित नहीं है। इस संबंध में सभी दलों और अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

(ग) इसके अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया गया स्थान किसी निर्वाचन की घोषणा के पश्चात् विस्तारित या कम नहीं किया जाना चाहिए।

प्राइवेट स्थान

3. (क) यदि स्थानीय विधियां प्राइवेट स्थानों पर राजनीतिक विज्ञापन आदि के लिए दीवार लेखन, पोस्टर लगाने, विज्ञापन पट्टे/बैनर/कट आउट लगाने को अनुज्ञात नहीं करती हैं तो वह संपत्ति के स्वामी की सहमति से भी अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(ख) किन्हीं स्थानीय विधियों के अधीन किन्हीं निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता या समर्थन उनकी स्वयं की संपत्ति पर उनके निर्वाचन चिह्न दर्शित करते हुए एक दल का झंडा फहरा सकेंगे, बशर्ते कि वे स्वयं की इच्छा शक्ति, स्वैच्छया और किसी दल, संगठन या व्यक्ति के किसी दबाव के बिना ऐसा करते हैं। इस उपबंध के अधीन, राजनीतिक विज्ञापन की प्रकृति के कोई कट आउट या विज्ञापन पट्टा या बैनर किसी प्राइवेट संपत्ति पर अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ग) जहां स्थानीय विधियां स्वामी की अनुज्ञा से प्राइवेट परिसरों पर दीवार लेखन और पोस्टरों के लगाने, विज्ञापन पट्ट, बैनर आदि लगाने को अनुज्ञात करती हैं वहां चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या संबंधित राजनीतिक दल संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुज्ञा अभिप्राप्त करेंगे और इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत या उपगत होने वाले व्यय के साथ संपत्ति के स्वामी का नाम और पता, जिससे एसी अनुज्ञा प्राप्त की जाती है, दर्शित करते हुए संलग्न प्ररूप में एक कथन के साथ इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अभिहित किसी अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त समुदायों के बीच घृणा भड़काने वाली या पैदा करने वाली कोई बात ऐसे लेखन में अनुज्ञेय नहीं होगी। इन दीवार लेखनों आदि पर उपगत व्यय अभ्यर्थी द्वारा दिए गए निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी रिटर्निंग आफिसर या प्राधिकृत अधिकारी को ग्राम/परिक्षेत्र/नगरवार ऐसी जानकारी रिटर्निंग आफिसर या निर्वाचन पर्यवेक्षक या निर्वाचनों के संचालन से संबद्ध किसी अधिकारी द्वारा आसान निरीक्षण के लिए अपेक्षित अनुज्ञा को, उसे अभिप्राप्त करने के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा।

4. यदि कोई राजनीतिक दल/संगम/अभ्यर्थी/व्यक्ति स्थानीय विधि, यदि कोई हो, या उपरोक्त अनुदेशों के उल्लंघन में किसी संपत्ति के विरुपण में संलिप्त रहता है तो रिटर्निंग आफिसर/जिला निर्वाचन अधिकारी तुरंत विरुपण को हटाने के लिए अपराधी को सूचना जारी करेगा। यदि राजनीतिक दल/संगम/अभ्यर्थी/व्यक्ति तुरंत उत्तर नहीं देता है तो जिला प्राधिकारी विरुपण हटाने के लिए कार्रवाई कर सकेंगे और प्रक्रिया में उपगत व्यय विरुपण के लिए उत्तरदायी राजनीतिक दल/संगम/अभ्यर्थी/व्यक्ति से वसूल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, रकम को भी संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा और सुसंगत विधि (विरुपण के रोकने से संबंधित विधि के अधीन, यदि कोई हो, या अन्यों की संपत्ति को जानबूझ कर नुकसान कारित करने के लिए साधारण विधि के उपबंधों के अधीन) के उपबंधों के अधीन अपराधी के अभियोजन के लिए कार्रवाई भी आरंभ की जानी चाहिए।

5. जहां तक यानों का संबंध है, कोई पोस्टर, झंडा या किसी अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री निर्वाचन प्रचार में प्रयुक्त यानों को छोड़कर और जिसके लिए अभ्यर्थियों को अनुज्ञा दे दी गई है और मूल अनुज्ञा यान के विंडशील्ड पर प्रदर्शित कर दी गई है, यानों पर संप्रदर्शित नहीं की जाएगी।

6. किसी भी परिस्थिति के अधीन कोई यान बाह्य परिवर्तन और फिटिंग के साथ जिसके अंतर्गत मोटर यान अधिनियम और नियमों के उल्लंघन में लाउड स्पीकर भी है।

7. मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अनुरोध है कि वे आयोग के निदेशों को जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसरों और अन्य निर्वाचन संबंधी प्राधिकारियों और राज्य में सभी राजनीतिक दलों, जिसके अंतर्गत मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों की राज्य इकाइयां और राज्य में आधार रखने वाले सभी रजिस्ट्रीकृत गैर-मान्यताप्राप्त दल भी हैं और साथ ही जानकारी और अनुपालन के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचना में लाएं।

8. कृपया इस पत्र की अभिस्वीकृति दें। मुख्य चुनाव अधिकारी कृपया यह पुष्टि करें कि ऊपर यथा अपेक्षित कार्यवाही की गई है।

भवदीय,

ह./-

(के.एफ. विल्फ्रेड)

सचिव

......संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे श्री/श्रीमती/सुश्री........द्वारा प्रदर्शित भित्ती लेखनों/पोस्टरों/होर्डिंगों/बैनरों आदि के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण

ग्राम/शहर का नाम..................

क्र.सं.	ऐसी निजी संपत्ति के स्वामी का नाम और पता जिससे लिखित अनुमति प्राप्त की गई है	भित्ती लेखनों या होर्डिंगों या बैनरों या पोस्टरों के ब्यौरे (भित्ती लेखन/होर्डिंग/बैनर/पोस्टर का आकार उपदर्शित किया जाएगा)	भित्ती लेखनों/होर्डिंगों/बैनरों/पोस्टरों आदि पर उपगत या उपगत किए जाने वाला संभावित व्यय (रुपए)
	योग		

संभलपुर तथा मयूरभंज में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ

2015. श्री तथागत सत्पथी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के संभलपुर तथा मयूरभंज में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्र सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) वर्ष 1991 में उड़ीसा की राज्य सरकार ने यह संसूचित किया था कि उन्होंने सिद्धांत रूप में यह विनिश्चय किया था बहरामपुर और संभलपुर या बोलनगीर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठों को स्थापित किया जाए किंतु उड़ीसा उच्च न्यायालय ने ऐसा करना समीचीन नहीं समझा था। राज्य सरकार को यह सलाह दी गई थी कि यदि वह ऐसी वांछा करती है तो वह उच्च न्यायालय पर, उसकी सर्किट न्यायापीठों की स्थापना करने की वांछनीयता के संबंध में पुन: जोर डाल सकती है और उड़ीसा उच्च न्यायालय आदेश, 1948 के खंड 10 के अधीन उच्च न्यायालय को ऐसा करने के लिए मना सकती है। तथापि, तत्पश्चात् राज्य सरकार या उच्च न्यायालय से इस संबंध में कोई और निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को प्रारंभ करने के प्रश्न पर केंद्रीय सरकार द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है, जब राज्य सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है।

विधवा तथा परित्यक्ता स्त्रियों की स्थिति

2016. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विधवा तथा परित्यक्ता स्त्रियों या पतियों द्वारा तलाकशुदा स्त्रियों की संख्या तथा स्थिति का आकलन करने के लिए कोई देशव्यापी सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन महिलाओं के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्वास से संबंधित 'स्वधर योजना' अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कितने स्वधर आश्रय गृह स्थापित किए गए तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) भारत के महापंजीयक देश का

सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण कराते हैं, जिसमें आयु वर्गों, लिंग, वैवाहिक स्थिति तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत जनसंख्या के आंकड़े दर्शाए जाते हैं। इन आंकड़ों में विधवाओं, अपने पति से अलग रह रही महिलाओं तथा तलाकशुदा महिलाओं से संबंधित आंकड़े भी शामिल होते हैं। ये आंकड़े महापंजीयक कार्यालय की वैबसाइट www.censusindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) स्वाधार स्कीम के अंतर्गत अब तक 11,688 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। ब्यौरा इस मंत्रालय की वैबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए स्वाधार आश्रय गृहों तथा इन पर व्यय की गई राशि का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा इस मंत्रालय की वैबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकी नीति

2017. श्री बालेश्वर यादवः क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई दवाओं के विकास हेतु तथा इसमें सरकारी-निजी साझेदारी बढ़ाने के लिए जैवप्रौद्योगिकी नीति को तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नीति कब तक तैयार कर ली जायेगी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी विकास कार्यनीति का भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह कार्यनीति संबंधित मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, नीति क्षेत्र, सिविल समाज, उपभोक्ता दलों, गैर-सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों समेत बहुदलीय स्टेकहोल्डरों के साथ दो वर्षीय राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया का परिणाम है।

यह कार्यनीति विनिर्माण तथा सेवाओं के क्षेत्रों में वर्तमान में उपलब्ध अवसरों के पूर्ण उपयोग को संभव बनाते हुए कृषि, पशु उत्पादकता, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा और सतत प्रौद्योगिकी विकास में दीर्घावधिक लाभ पहुंचाने की संभाव्यता-युक्त नए प्रौद्योगिकी मंचों का प्रभावकारी रूप से प्रयोग करते हुए आविष्कार एवं खोज के लिए एक सशक्त आधार प्रस्तुत करती है। इस कार्यनीति की आधारशिला विभिन्न विधाओं के बीच सामंजस्य और संबद्धता का विकास करने और सहक्रिया में वृद्धि के लिए सभी क्षेत्रों में बहुआयामी कुशलताओं को एक मंच पर लाने पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस कार्यनीति में अनुसंधान एवं विकास के संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करने, निवेश पूंजी सर्जन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आमेलन एवं प्रसारण, आईपीआर, विनियामक मुद्दों, आम जनता में विश्वास पैदा करने और इन सभी पहलुओं के लिए अनुकूल मानव पूंजी की संभावना विद्यमान हैं।

(ग) सरकार द्वारा इस कार्यनीति का विमोचन 13 नवम्बर, 2007 को किया गया।

[अनुवाद]

बच्चों को गोद लेना

2018. श्री सुब्रत बोसः
श्री ब्रजेश पाठकः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार गोद लेने संबंधी एक नई नीति बनाने जा रही है जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की तरह देश में गोद लेने योग्य सभी बच्चों का पंजीकरण किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लोअर सुबनसिरि पनबिजली परियोजना

2019. श्री मणी कुमार सुब्बाः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के धमाजी जिले के लोअर सुबनसिरि पनबिजली परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को देखने तथा इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए किसी विशेषज्ञ पैनल को नामित किया है;

(ख) यदि हां, तो पैनल को कौन-कौन से विशिष्ट मुद्दे दिए गए हैं तथा इसके विचारार्थ विषय क्या है;

(ग) इसके द्वारा क्या मुख्य टिप्पणियां की गई तथा सुझाव दिए गए; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि परियोजना को मंत्रालय के विशेषज्ञ समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की सिफारिश किए जाने के बाद 16.7.2003 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात् विद्युत मंत्रालय ने लोअर सुबानसिरी जल विद्युत परियोजना के पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव की जांच करने एवं इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञों का कोई पैनल नामित नहीं किया है। किन्तु, एनएचपीसी ने सूचित किया है कि उन्होंने सुबानसिरी लोअर प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने के लिए 15.3.2007 को आईआईटी, गुवाहाटी को निम्नलिखित संदर्भ शर्तों के साथ अध्ययन कार्य सौंपा है:

* मानक प्रचालन नीति/इष्टतम प्रचालन नीति के साथ जलाशय अनुकृति अध्ययन के जरिए दस दैनिक/मासिक आधार पर प्रवाह स्थिति डाउनस्ट्रीम का पूर्वानुमान।
* संभावित आकस्मिक जल छोड़े जाने, चाहे वे बांध खराब हो जाने के कारण हो या फिर भरे हुए जलाशय की स्थिति में अपर आवाह क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की स्थिति में जल छोड़े जाने की आवश्यकता के कारण बाढ़ की स्थिति में डाऊनस्ट्रीम का पूर्वानुमान।
* पहले चरण में डाउनस्ट्रीम में पर्यावरणीब प्रभाव पर आंशिक रूप से ध्यान दिया जाएगा।
* उक्त चरण के परिणाम के आधार पर संभावित सुधारकारी उपायों को सुझाया जाएगा।

(ग) और (घ) अभी अध्ययन समाप्त नहीं हुआ है।

एनर्जी पार्कों को स्थापित किया जाना

2020. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार राज्यवार कितने एनर्जी पार्क परिचालन में हैं;

(ख) क्या राज्यों को इस संबंध में अब तक कोई धनराशि आवंटित/जारी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ऊर्जा पार्क कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक 26 राज्यस्तरीय ऊर्जा पार्कों और 484 जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों की सहायता की है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऊर्जा पार्कों हेतु अब तक 40.57 करोड़ रु. की राशि मंजूर की है और 27.21 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

विवरण

मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय ऊर्जा पार्कों का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क	जिला स्तरीय ऊर्जा पार्क
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	30
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	6
3.	असम	1	19
4.	बिहार	–	11
5.	छत्तीसगढ़	1	12
6.	दिल्ली	1	8
7.	गोवा	–	2
8.	गुजरात	1	14
9.	हरियाणा	1	20
10.	हिमाचल प्रदेश	–	9
11.	जम्मू-कश्मीर	1	12
12.	झारखंड	1	7
13.	कर्नाटक	1	30
14.	केरल	1	16
15.	मध्य प्रदेश	–	24
16.	महाराष्ट्र	1	54
17.	मणिपुर	–	10
18.	मेघालय	1	7

1	2	3	4
19.	मिजोरम	1	7
20.	नागालैंड	1	6
21.	उड़ीसा	1	9
22.	पांडिचेरी	1	2
23.	पंजाब	1	20
24.	राजस्थान	–	12
25.	सिक्किम	1	5
26.	तमिलनाडु	1	45
27.	त्रिपुरा	1	9
28.	उत्तर प्रदेश	1	52
29.	उत्तराखंड	1	11
30.	पश्चिम बंगाल	1	7
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	5
32.	चंडीगढ़	1	3
	कुल	26	484

कम्पनियों द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों पर रोक

2021. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या कार्पोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न वित्त, पौधारोपण तथा अन्य कंपनियों की धोखाधड़ी गतिविधियों की निगरानी के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है जिन्होंने गत कुछ वर्षों में जनसामान्य से हजारों करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की तथा गायब हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा कितनी कंपनियों का निरीक्षण किया गया; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) और (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 में किसी कम्पनी द्वारा की गई धोखाधड़ी की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कम्पनियों के निरीक्षण और जांच करने तथा इसके फलस्वरूप ऐसी कम्पनी और इसके अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु एक कानूनी ढांचे का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, वित्त कम्पनियों का भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) तथा पौधारोपण कम्पनियों का भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा सेबी अधिनियम, 1992 के द्वारा विनियमन किया जाता है। उन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा सेबी द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है जो जनता से धन वसूल कर गायब हो जाती हैं।

विगत 3 वर्षों के दौरान इस मंत्रालय द्वारा जिन कम्पनियों के निरीक्षण और जांच की गई हैं, उनका ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी कम्पनियों तथा चूककर्ता निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गायब हुई कम्पनियों के मामले में 95 कम्पनियों तथा इनके प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत प्रारंभिक सूचना रिपोर्टें दर्ज की गई हैं।

विवरण

निरीक्षणों का ब्यौरा

वर्ष	कम्पनियों की संख्या
2004-2005	197
2005-2006	221
2006-2007	220

जांच का ब्यौरा

वर्ष	कम्पनियों की संख्या
2004-2005	9
2005-2006	7
2006-2007	19

फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए निधियां

2022. श्री मोहन रावले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हेतु धनराशि जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार कब तक धनराशि जारी कर देगी?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) केंद्रीय सरकार ने त्वरित निपटान न्यायालयों की, जिन्हें प्रारंभ में 31.03.2005 तक कार्यकरण करना था, स्थापना और कार्यकरण के लिए राज्यों को 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान 433.74 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई थी। सरकार ने 31.03.2005 को सभी राज्यों में कार्यरत 1562 त्वरित निपटान न्यायालयों का कार्यकरण जारी रखने के लिए राज्यों को सहायता की स्कीम को 31.03.2010 तक और पांच वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया था। इन 1562 न्यायालयों में फ्लोर एरिया के विस्तारण और महिलाओं तथा बालकों के लिए प्रसुविधाओं के संनिर्माण आदि को सुकर बनाने के लिए सरकार ने 2005-06 और 2006-07 में राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। नए त्वरित निपटान न्यायालयों के संनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट रूप से कोई केंद्रीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राज्यों द्वारा समाधानप्रद रूप में उपयोग रिपोर्ट दिए जाने के आधार पर 2005-06 में राज्यों को 100 करोड़ रुपए तथा 2006-07 में 102.93 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। इन दो वर्षों में, आवर्ती और अनावर्ती, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए जारी रकम के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II पर हैं।

केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को, अन्य बातों के साथ, न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित सतत योजना स्कीम के अधीन न्यायालयों के सन्निर्माण के लिए पृथक रूप से निधियां उपलब्ध कराती है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवर्ती व्यय के अधीन मंजूर	अनावर्ती व्यय के अधीन मंजूर	2005-06 के दौरान मंजूर रकम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	412.80	137.70	550.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.40	4.80	19.20
3.	असम	96.00	32.00	128.00
4.	बिहार	720.00	240.30	960.30
5.	छत्तीसगढ़	148.80	49.60	198.40
6.	गोवा	24.00	8.00	32.00
7.	गुजरात	796.80	266.00	1062.80
8.	हरियाणा	76.80	25.60	102.40
9.	हिमाचल प्रदेश	43.20	14.40	57.60
10.	झारखंड	427.20	142.60	569.80
11.	कर्नाटक	446.40	149.00	595.40
12.	केरल	148.80	49.60	198.40
13.	मध्य प्रदेश	316.80	105.70	422.50

1	2	3	4	5
14.	महाराष्ट्र	897.60	299.60	1197.20
15.	मणिपुर	9.60	3.20	12.80
16.	मेघालय	14.40	4.80	19.20
17.	मिजोरम	14.40	4.80	19.20
18.	नागालैंड	9.60	3.20	12.80
19.	उड़ीसा	196.80	65.60	262.40
20.	पंजाब	86.40	28.80	115.20
21.	राजस्थान	398.40	133.00	531.40
22.	तमिलनाडु	235.20	78.50	313.70
23.	त्रिपुरा	14.40	4.80	19.20
24.	उत्तर प्रदेश	216.00	72.00	288.00
25.	उत्तराखंड	1162.01	387.79	1549.80
26.	पश्चिम बंगाल	571.20	190.60	761.80
	योग	7498.01	2501.99	10000.00

विवरण II

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	आवर्ती व्यय के अधीन मंजूर	अनावर्ती व्यय के अधीन मंजूर	मंजूर की गई कुल रकम
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	412.80	0	412.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.40	0	14.40
3.	असम	96.00	0	96.00
4.	बिहार	720.00	0	720.00
5.	छत्तीसगढ़	129.60	0	129.60
6.	गोवा	24.00	0	24.00
7.	गुजरात	715.20	640.70	1355.90
8.	हरियाणा	33.60	0	33.60

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	43.20	0.37	43.57
10.	झारखंड	226.00	0	226.00
11.	कर्नाटक	340.80	270.00	610.80
12.	केरल	148.80	0	148.80
13.	मध्य प्रदेश	215.40	0	215.40
14.	महाराष्ट्र	801.60	300.00	1101.60
15.	मणिपुर	9.60	0	9.60
16.	मेघालय	14.40	0	14.40
17.	मिजोरम	14.40	3.28	17.68
18.	नागालैंड	9.60	8.58	18.18
19.	उड़ीसा	196.80	0	196.80
20.	पंजाब	48.00	0	48.00
21.	राजस्थान	398.40	355.24	753.64
22.	तमिलनाडु	235.20	0	235.30
23.	त्रिपुरा	3.80	0	3.80
24.	उत्तर प्रदेश	2107.20	968.49	3075.69
25.	उत्तराखंड	216.00	0	216.00
26.	पश्चिम बंगाल	571.20	0	571.20
	योग	7746.00	2546.66	10292.66

उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस

2023. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च न्यायालयों में कार्य दिवस निचली न्यायालयों की अपेक्षा कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मामलों के त्वरित निपटान के लिए उच्च न्यायालयों के कार्य दिवस को बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उच्च न्यायालयों के कार्य दिवस कब तक बढ़ा दिए जाएंगे?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ङ) उच्च न्यायालयों में कार्यदिवसों का विनियमन संबंधित न्यायालयों द्वारा विरचित नियमों द्वारा किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के सभी उच्च न्यायालयों में एक वर्ष में सामान्यत: 210 कार्यदिवस होते हैं और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यदिवसों का विनियमन संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

न्याय विभाग ने, जुलाई, 2001 में उच्च न्यायालयों में कार्यदिवसों की संख्या और उनकी छुट्टियों में कमी करने के संबंध में उच्च

न्यायालयों के विचार आमंत्रित किए थे। 14 उच्च न्यायालयों से उत्तर प्राप्त हुए थे। उत्तरांचल उच्च न्यायालय ने किसी एक वर्ष में अपने कार्यदिवसों की संख्या को 210 से बढ़ाकर 224 तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 210 से बढ़ाकर 214 कर दिया था। झारखंड को कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि करने का पक्ष नहीं लिया है।

वर्ष 2002-2003 में, इस विभाग में न्यायालयों के कार्यदिवसों की संख्या में वृद्धि करने के मामले की समीक्षा की थी। उच्च न्यायालयों में विद्यमान बड़ी संख्या में लंबित मामलों को कम करने के लिए इस विभाग ने सभी उच्च न्यायालयों को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे थे कि वे अपनी छुट्टियों की अवधि को इस प्रकार नियत करे कि एक वर्ष में उच्च न्यायालयों के कार्यदिवसों की संख्या साधारणतया 222 दिवसों से कम न हो।

जम्मू और कश्मीर में विद्युत परियोजनाओं हेतु एशियाई विकास बैंक से सहायता

2024. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने राज्य में अपनी विद्युत परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनसे पूरी की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद राज्य में कुल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) जी हां, जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि दो परियोजनाएं नामतः न्यू गंदेरबल मल्टीपरपज प्रोजेक्ट (93 मे.वा.) और किरथई-1 जल विद्युत परियोजना (240 मे.वा.) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत की गई हैं। परियोजना के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लदाख के जल विद्युत स्टेशनों से सम्बद्ध विद्युत निकासी एवं पारेषण प्रणालियां और उत्तरी ग्रिड से उसकी संबद्धता को भी एडीबी सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है।

इन परियोजनाओं के पूरा होने के पश्चात राज्य में जोड़े जाने की संभावना वाली कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 333 मे.वा. (गंदेरबल से 93 मेगावाट और किरथई से 240 मेगावाट) होगी।

विवरण

निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं-

योजना का नाम	नदी	क्षमता	स्थान	अनुमोदित आधारभूत लागत (मूल्य स्तर 2006)	उत्पादन की अनुमानित लागत (लेवलीकृत 35 वर्ष)
नई गंदेरवल जल विद्युत परियोजना	सिंध नाला (झेलम नदी की सहायक नदी)	93 मेवा.	तहसील और जिला गंदेरवल (जम्मू और कश्मीर)	4,00 करोड़ (केवल जल विद्युत घटक)	1.40 (रुपये/यूनिट)
किरथई जल विद्युत परियोजना	चन्दरबाग (चेनाव नदी)	240 मेवा.	गुलबर्ग किश्तवार जिला किश्तवार (जम्मू राज्य)	1500 करोड़	2.26 (रुपये/यूनिट)

जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के अंतर्गत अनुदान

2025. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की कुल जनजातीय आबादी की तुलना में उड़ीसा में जनजातीय आबादी के प्रतिशत पर विचार करते हुए राज्य को जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत वार्षिक अनुदान बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से विशेषतः उड़ीसा से जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत अनुदान बढ़ाए जाने के लिए अनुरोध मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी के लिए एससीए) के अंतर्गत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 के दौरान उड़ीसा राज्य को 74 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान निर्मुक्त किया है। टीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत वार्षिक अनुदान का आबंटन, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप संबंधित राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या और क्षेत्र पर आधारित है।

समय-समय पर टीएसपी के लिए एससीए के अंतर्गत अनुदानों में वृद्धि के लिए उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। तथापि, राज्यों को निधियों का आबंटन, दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

डीडीए के पास लम्बित भवन निर्माण योजनाएं

2026. श्री अधीर चौधरी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोहिणी आवास योजना के संबंध में 31 अक्तूबर, 2007 की स्थिति के अनुसार डीडीए के पास लम्बित भवन निर्माण योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ख) क्या भवन निर्माण योजना को स्वीकृति देने हेतु नियमों के अंतर्गत कोई समय-सीमा निर्धारित है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न स्तरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या डीडीए का विचार उन मामलों को वरीयता के आधार पर निपटाए जाने का है जिनके निर्माण की अधिकतम समय-सीमा 31.12.2007 को समाप्त हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या डीडीए का विचार उन आबंटितियों के मामलों में छूट देने का है जिनका निर्माण समय 31.12.2007 को समाप्त हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.10.2007 की स्थिति अनुसार रोहिणी रिहायशी स्कीम के अंतर्गत लंबित भवन निर्माण योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार है:-

क्र.सं.	लंबित होने के कारण	मामलों की संख्या
1.	कुछ संशोधनों तथा दस्तावेजों की उपेक्षा के कारण	41
2.	अनधिकृत निर्माण के अंतर्गत दर्ज होने के कारण	04
3.	मंजूरी की विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत योजनाएं	12
	कुल	57

(ख) और (ग) "भवन निर्माण अनुमति प्रक्रिया 2006" की हैंडबुक में निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है:-

(1) जिस दिन भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त होता है, भवन निर्माण अनुभाग स्थल निरीक्षण के लिए उपयुक्त तारीख और समय देगा, जो आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर की तारीख होगी।

(2) स्थल का निरीक्षण होने के बाद, निरीक्षण की तारीख से 30 दिनों के भीतर मामले की जांच-पड़ताल की जाएगी। यदि स्वामी द्वारा अनुपालन हेतु कोई आपत्ति अथवा संशोधन नहीं मिलते हैं तो प्रस्तुत करने की तारीख से 60 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाएगी।

(3) अन्य मामलों में, जहां संशोधन अथवा अन्य आपत्तियों का अनुपालन आवश्यक है, वहां आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के भीतर पार्टी को सूचित कर दिया जाएगा। ऐसे संशोधन/अनुपालन 30 दिनों के भीतर पूरे कर दिए जाए और अनुपालन के बाद, ऐसे अनुपालन की तारीख से 15 दिनों के भीतर भवन निर्माण अनुमति जारी की जाएगी। पार्टी द्वारा अनुपालन न किए जाने की स्थिति में भवन निर्माण अनुमति नामंजूर अथवा अस्वीकृत की जा सकती है।

(घ) और (ङ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि ऐसे मामलों में सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन प्राप्त होने और आवेदकों द्वारा कमियां, यदि कोई हो, उन्हें हटाने के तत्काल बाद भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

(च) और (छ) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अवसंरचना परियोजनाएं

2027. **श्री जी.एस. सिद्दीश्वरः** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर 50:50 आधार पर कुछ अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धनराशियों की अनुपलब्धता के कारण कई परियोजनाएं लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी लंबित परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारत सरकार ने चुनिन्दा 63 शहरों में शहरी अवस्थापना और सेवाओं के एकीकृत विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया। इस मिशन में दो उप-मिशन शामिल हैं अर्थात् शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) के लिए उप मिशन-1 तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुवाओं (बीएसयूपी) हेतु उप-मिशन-2। उप-मिशन-1 यूआईजी, जिसे शहरी विकास मंत्रालय देखता है, के अंतर्गत केन्द्र सरकार, केन्द्र और राज्य सरकारों के अंश के रूप में 50:50 की भागीदारी से कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं कर रही है। वित्तपोषण पद्धति इस प्रकार है:-

शहरों/कस्बों/यूए की श्रेणी	अनुदान		यूएलबी या पैरास्टेटल अंश/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण
	केन्द्र	राज्य	
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर	35%	15%	50%
2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक और 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	20%	30%
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर में शहर/कस्बे	90%	10%	-
उपरोक्त के अतिरिक्त शहर/यूए	80%	10%	10%
समुद्र के किनारे के 20 किमी. के अंदर और अन्य शहरी क्षेत्रों जो खारे पानी और सतही स्रोतों की अनुपलब्धता के कारण जल की कमी से जूझ रहे हैं उनके डीसेलिनेशन प्लाटों की स्थापना	80%	10%	10%

उप-मिशन-2 बीएसयूपी, जिसका कार्यान्वयन आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, के अंतर्गत केंद्र सरकार शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुवाओं (बीएसूपी) के तहत आवास परियोजनाओं सहित कुछ अवस्थापना परियोजनाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) मुहैया कराती है। वित्तपोषण पद्धति इस प्रकार है:-

शहरों की श्रेणी	अनुदान	
	केन्द्रीय अंश	लाभार्थी अंशदान सहित राज्य/शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल अंश
2001 की जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
2001 की जनगणना के अनुसार एक मिलियन से अधिक और 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहर	50%	50%
पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर में शहर/कस्बे	90%	10%
अन्य शहर	80%	20%

(ग) से (ङ) उप-मिशन-1 यूआईजी के संबंध में प्रश्न नहीं उठता। उप-मिशन-2 बीएसयूपी के अंतर्गत कुछ राज्यों के मामले में योजना आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्धारित की गई धनराशि से परियोजनाओं की कुल लागत अधिक हो गई। धनराशि उपलब्ध होने पर ही इन राज्यों से प्राप्त होने वाली और परियोजनाओं पर तभी विचार किया जायेगा। निम्नलिखित राज्यों के संबंध में वर्ष 2007-08 के लिए धनराशि की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश नहीं की गई है:-

क्र.सं.	राज्य	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) (करोड़ रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.56
2.	मेघालय	0.26
	कुल	0.82

हरित संघटक सहित शहरी विकास योजना

2028. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली, बंगलौर इत्यादि जैसे शहरों में समेकित परिदृश्य विकास सहित हरित संघटक सम्पन्न शहरी विकास योजना बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान के अंतर्गत खुले हरित/स्वच्छ क्षेत्र का प्रावधान है जो कुल क्षेत्र का 10% से 15% है। दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 के अनुसार वन, अभ्यारण्य, रिज क्षेत्र इत्यादि सहित 19509.10 हेक्टेयर (13.16%) प्राकृतिक भाग के रूप में है। जबकि, बंगलौर (प्रारूप मास्टर प्लान 2015) के मौजूदा भू-उपयोग के अनुसार, खुले क्षेत्र के अंतर्गत 1310 हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्र का 3.11% है।

[हिन्दी]

मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं

2029. श्री पंकज चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को अपनी सेवाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में किन बैंकों ने मोबाइल फोन से बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मई, 2007 के अपने परिपत्र के तहत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय अन्तर्वेशन पहल के प्रयोजन हेतु मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी सहित नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की सलाह दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर जनता की प्रतिक्रिया हेतु रखे गए प्रारूप वित्तीय क्षेत्र प्रौद्योगिकी भावी दृष्टिकोण (2008-2010) के अंतर्गत पर्याप्त सुरक्षा कार्य विधि अपनाते हुए मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कहा गया है। तथापि, मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कोई अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है। अब तक उसी बैंक में प्रायोगिक आधार पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है।

[अनुवाद]

दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग

2030. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष 2004-06 के दौरान दर्ज 11300 मामलों में से 615 मामले तथ्यों अथवा कानून की भूल के कारण झूठे घोषित किए गए।

(ख) कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय है। दहेज से संबंधित कोई भी झूठी शिकायत राज्य सरकार के अन्वेषणकर्ता एवं अभियोजन प्राधिकारियों द्वारा निपटाई जाती है।

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियां

2031. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र में कार्यरत निजी विद्युत वितरण कंपनियां सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई एक्ट) की धारा 2(ञ) के तहत "सूचना अधिकार" का आशय उस अधिनियम के तहत सूचना मिलने के अधिकार से है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन या नियंत्रण में है तथा आरटीआई एक्ट की धारा 2(ञ) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण का आशय निम्न के द्वारा स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासकीय संस्था से है।

क. संविधान के द्वारा या अंतर्गत

ख. संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा

ग. राज्य विधान परिषद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा

घ. उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा

तथा इसमें शामिल है-

उचित सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (1) स्वामित्वपूर्ण नियोजित या पर्याप्तरूपेण वित्तपोषित निकाय;

(2) पर्याप्त रूपेण वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन;

तदनुसार, निजी विद्युत वितरण कंपनियां सार्वजनिक प्राधिकरण है यदि उन्हें उपर्युक्त में शामिल किया जाता है।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, निजी कंपनियों को आरटीआई एक्ट की सीमा के तहत लाने का कोई निर्देश नहीं है यदि उन्हें उपर्युक्त के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता।

आंगनवाड़ी केंद्र

2032. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी केन्द्रों में विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में पोषाहार की आपूर्ति नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुपूरक पोषाहार वितरित करने हेतु प्रति लाभार्थी एक रुपया प्रतिदिन की सीमा में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु संसाधन संकट झेल रही राज्य सरकारों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण जनजातीय क्षेत्रों सहित देशभर में चल रहे सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रदान किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 से पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को 1/- रुपये से बढ़ाकर 2/- रुपये प्रति लाभार्थी प्रतिदिन कर दिया है। भारत सरकार वर्ष 2005-06 से पूरक पोषण पर किए गए वास्तविक व्यय के 50% अथवा लागत मानकों के 50%, जो भी कम हो, की केन्द्रीय सहायता भी प्रदान कर रही है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैश्विक तापन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

2033. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 2007 में बाली में वैश्विक तापन संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा तैयार की गयी रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अधिनियम तथा यूरोपीय संघ में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत, अमरीका तथा यूरोपीय संघ में उत्सर्जन का रुझान क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 3 से 14 दिसम्बर, 2007 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाना निश्चित किया गया है।

(ख) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) में भारत ने अन्य जी-77/चीनी देशों के साथ मिलकर आवाज उठाई है कि क्योटो प्रोटोकाल के अनुसार विकसित देशों को इस स्थिति के प्रशमन के लिए अपनी वचनबद्धता पर यथाशीघ्र अमल करना चाहिए। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक पर्यावरणीय समस्या है जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व विकसित देशों का है न कि भारत जैसे विकासशील देश का। तथापि, भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन व्यवस्था में लगा हुआ है। इसमें यूएनएफसीसीसी एवं क्योटो-प्रोटोकाल और यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत आने वाले देशों के अनेक साझेदार भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। विश्व में भारत की ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन संबंधी प्रति व्यक्ति दर न्यूनतम है।

(ङ) यद्यपि भविष्य में उत्सर्जन की प्रवृत्तियां बढ़ने की संभावना है, लेकिन अलग-अलग राष्ट्रों से होने वाले उत्सर्जन की सही मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि ये उत्सर्जन विभिन्न कारकों पर निर्भर हैं। हर देश के इस संबंध में अलग-अलग नीति एवं नियामक प्रणालियां अपनाता है, जैसे पारिस्थितिकी के अनुकूल विकास मार्ग, भावी प्रौद्योगिकियां एवं वैश्विक स्तरों पर प्रशमन नीतियों का कार्यान्वयन।

[हिन्दी]

आईआरडीए तथा सेबी के कार्यकरण की समीक्षा

2034. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आईआरडीए, सेबी जैसी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) निजी क्षेत्र द्वारा प्रभावित होने से इन एजेंसियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) की वार्षिक रिपोर्ट अपनी गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण देते हुए सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं, जो बाद में संसद के सभा-पटल पर रखी जाती हैं। इन संस्थानों की समय-समय पर संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति जैसे मंचों पर समीक्षा भी की जाती है।

(ग) और (घ) आईआरडीए के कार्यकरण को आईआरडीए अधिनियम और बीमा अधिनियम, 1938 में निहित विभिन्न प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। आरआरडीए ने इसके विनियामक और पर्यवेक्षी संबंधी कार्यकरणों को सुचारू रूप से करने के लिए विस्तृत विनियम भी तैयार किए हैं और सभी लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं द्वारा अपने स्वामित्व का ध्यान किए बिना विनियमों का पालन किया जाना है। इसी प्रकार सेबी का कार्यकरण सेबी अधिनियम, 1992 में निहित विभिन्न प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है।

[अनुवाद]

पीपवाव विद्युत परियोजना

2035. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री हरिन पाठक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार तथा एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम में पीपवाव में 1000 मेगावाट विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी को कोयला खनन ब्लाक का आबंटन नहीं किए जाने के कारण यह परियोजना रूकी हुई है;

(घ) यदि हां, तो एनटीपीसी को कोयला खनन ब्लाक के आबंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) एनटीपीसी को कब तक कोयला खनन ब्लाक आबंटित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एनटीपीसी लि., गुजरात पावर कारपोरेशन लि. (जीपीसीएल) एवं गुजरात विद्युत बोर्ड के बीच जीपीसीएल के साथ संयुक्त उपक्रम में, पीपवाव में 1000 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के विकास के लिए 20.2.2004 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की आधारभूत सूचनाएं सुनिश्चित कर ली गई है एवं अधिकतर स्थल विशेष अध्ययन पूरे कर लिए गए।

तथापि, सितंबर, 2006 में गुजरात सरकार ने अपने निर्णय की सूचना दी कि अनुकूल भागीदार के सहयोग से आयातित कोयले अथवा किसी अन्य उपयुक्त ईंधन के आधार पर परियोजना का विकास किया जाए। तदनुरूप, एनटीपीसी को सरकार द्वारा परियोजना में अलग होने की अनुमति दे दी गई।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

रेपो दर

2036. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कितनी बार रेपो दर को बढ़ाया/घटाया है;

(ख) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं विशेषत: होम लोन, पर्सनल लोन तथा आटो लोन पर रेपो दर में वृद्धि में प्रभाव का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रेपो दर घटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आरबीआई द्वारा इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू समष्टि आर्थिक एवं समग्र मौद्रिक दशाओं को ध्यान में रखकर रेपो दर को 31 मार्च, 2004 के 4.50 प्रतिशत से 9 बार बढ़ाकर 31 मार्च, 2007 को 7.75 प्रतिशत कर दिया है।

(ख) और (ग) सीआरआर का ब्याज दरों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, जो बैंक दर, रेपो दर, निधियों की लागत, परिचालन खर्चों, लेन-देन लागत, जोखिम, आदि जैसे अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। बैंक उपर्युक्त कारकों पर विचार करते हुए अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं ब्याज दरें निर्धारित करते हैं। तथापि, रेपो दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप, अधिकांश बैंकों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) बढ़ा दी है।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने मध्यावधि समीक्षा में संकेत दिया है कि जब भी आवश्यक होगा, वह इसके आसान निपटान से पुनर्खरीद दर, प्रतिपुनर्खरीद दर जैसे नीतिगत लिखतों का प्रयोग करके बाजार स्थिरीकरण योजना एवं चलनिधि समायोजन सुविधा सहित सीआरआर एवं खुला बाजार परिचालनों के उपयुक्त प्रयोग के जरिए चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति को जारी रखेगा।

बंगलौर मेट्रो परियोजना

2037. श्री एम. शिवन्ना: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंगलौर शहर में बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना (बीएमआरपी) द्वारा निर्माण हेतु कितने मार्गों को स्वीकृति दी गयी है;

(ख) क्या इन सभी मार्गों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने की समय-सीमा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) बंगलौर में मैट्रो रेल परियोजना के दो करीडोरों के निर्माण के लिए अनुमोदन किया जा चुका है। ये दो कारीडोर इस प्रकार हैं:-

(1) पूर्वी-पश्चिमी कारीडोर- 181. कि.मी.: बैयप्पनहल्ली से मैसूर रोड।

(2) उत्तर-दक्षिण कारीडोर- 14.9 कि.मी.: यशवन्तपुर से आर.वी. रोड जयनगर।

(ख) वैयप्पनहल्ली से क्रिकेट स्टेडियम तक 7 कि.मी. के भूमोपरि खंड अर्थात् खंड-1 में निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

(ग) इस परियोजना को दिसम्बर, 2011 तक पूरा करने का कार्यक्रम है।

(घ) भारत सरकार का कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर) में 50% प्रतिनिधित्व है और कंपनी में 50% इक्विटी भागीदारी है। भारत सरकार जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी) से ऋण दिलाने सहित परियोजना के लिए धनराशि जारी करने, वरिष्ठ तकनीकी कार्मिक उपलब्ध करने, तकनीकी आयोजना और सुरक्षा प्रमाणनन इत्यादि में अपेक्षित सहायता मुहैया करा रही है।

अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाना

2038. श्री के. सुब्बारायण:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को अनुसुचित जनजाति सूची में कुर्मी और कुरूम्बरी जाति को शामिल करने के लिए तमिलनाडु से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास

2039. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि विभिन्न स्थलों पर अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बने छात्रावासों का अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार क्या कार्रवाई की गयी है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारक सिक्कों को जारी किया जाना

2040. श्री पी.सी. थामस: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न नेताओं के नाम में स्मारक सिक्कों को जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) जिन नेताओं या प्रमुख हस्तियों के नाम पर ऐसे सिक्के जारी किए गए हैं उनके नाम क्या हैं तथा इन्हें किस वर्ष जारी किया गया तथा ऐसे नेताओं के संस्मरण में इस प्रकार जारी सिक्कों की संख्या कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) स्मारक सिक्के राष्ट्रीय महत्व/प्रसिद्धि प्राप्त उन भारतीय राष्ट्रिकों के नाम से जारी किए जाते हैं, जिनके कार्यकलाप, प्रभाव और योगदान अलगाव की राजनीति/क्षेत्रवाद/समुदाय/भाषा के अवरोधों से परे होते हैं। यह सम्मान लोक कार्यों से सम्बद्ध पुरुषों/महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कला आदि क्षेत्रों में कार्य करने के साथ-साथ विज्ञान, साहित्य, कला जैसे कार्यकलापों के अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने उत्कृष्टता/पहचान प्राप्त की हो, विशेषकर जिन्होंने उत्कृष्ट कोटि का बौद्धिक योगदान दिया हो, उन्हें भी शामिल किया जाता है। सम्मान केवल मरणोपरांत ही दिया जाता है।

(ग) नेताओं अथवा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम से अब तक कुल 24 स्मारक सिक्के जारी किए गए हैं जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	नेता/व्यक्तित्व	सिक्कों के मूल्यवर्ग की संख्या
1	2	3	4
1.	1964	जवाहरलाल नेहरू	2
2.	1969	महात्मा गांधी	4
3.	1985	इंदिरा गांधी (1917-84)	4
4.	1989	जवाहर लाल नेहरू शताब्दि-1989	4
5.	1991	डा. बी.आर. अम्बेडकर शताब्दि सिक्का-1990	1
6.	1992	राजीव गांधी	1
7.	1996	सरदार वल्लभभाई पटेल	4
8.	1997	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	4
9.	1998	देशबंधु चितरंजन दास	4
10.	1998	श्री अरविंदो	4
11.	1999	छत्रपति शिवाजी	3
12.	2000	संत ज्ञानेश्वर	2
13.	2002	श्यामा प्रसाद मुखर्जी	4
14.	2002	लोक नायक जयप्रकाश नारायण	3
15.	2002	भगवान महावीर	2
16.	2003	दादा भाई नौरोजी	1

1	2	3	4
17.	2003	संत तुकाराम	4
18.	2003	महाराणा प्रताप	3
19.	2003	वीर दुर्गादास	3
20.	2004	के. कामराज	2
21.	2005	लाल बहादुर शास्त्री जन्म शताब्दि	2
22.	2006	महात्मा वासावेश्वर	2
23.	2006	श्री जगत गुरु नारायण गुरुदेव	2
24.	2007	लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक (150वीं वर्षगांठ)	2

तमिलनाडु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान

2041. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: तमिलनाडु में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित विभिन्न संस्थाओं का आज की तिथि के अनुसार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थाओं को आबंटित धनराशि तथा इनके द्वारा उपयोग की गयी राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की तमिलनाडु में नए संस्थान खोलने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी विकास के संदर्भ में लक्ष्य

2042. **श्री प्रहलाद जोशी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक जेएनएनयूआरएम (जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) के अंतर्गत शहरी विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्धारित अपने लक्ष्यों को सरकार ने प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) क्या सरकार जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत उपलब्ध समग्र धनराशि को व्यय करने के लिए किसी विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी रणनीति पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा जेएनएनयूआरएम के घटक शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईटी) के लिए 25500 करोड़ रुपए का संकेतन नियतन किया गया है जो मिशन के तहत परियोजनाओं और अन्य क्रियाकलापों के लिए मंजूर होनी है। परियोजनाओं को अनुमोदन और बाद में धनराशियां जारी करना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) पर निर्भर होता है। इसलिए किसी विशेष राज्य में जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के लिए कोई लक्ष्य तय करना सम्भव नहीं है। मिशन के प्रारंभ होने अर्थात् 3.12.2005 से अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गयी धनराशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

शहरी अवस्थापना और शासन के उप मिशन के तहत जारी धनराशियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4472.50	4710.83	13781.83	22915.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	2006.94	2006.94
3.	असम	0.00	0.00	791.28	791.28
4.	बिहार	0.00	0.00	461.93	461.93
5.	छत्तीसगढ़	0.00	4800.00	1272.80	6072.80
6.	गोवा	0.00	0.00		0.00
7.	गुजरात	1844.00	15576.20	8958.06	26378.26
8.	हरियाणा	0.00	1297.88	1339.84	2637.72
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	522.61		522.01
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	2859.85	3539.03	5808.38
11.	झारखंड	0.00	0.00		0.00
12.	कर्नाटक	0.00	101167.19	4691.20	14858.99
13.	केरल	0.00	4405.00		4405.00
14.	मध्य प्रदेश	474.29	11107.42	768.12	12349.83
15.	महाराष्ट्र	2219.79	41358.21	30167.70	73746.20
16.	मणिपुर	0.00	0.00		0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00		0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00		0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00		0.00
20.	उड़ीसा	0.00	120.26	5158.40	5278.66
21.	पंजाब	0.00	2241.75	1858.03	4110.38
22.	राजस्थान	0.00	4146.98	6949.88	11096.76
23.	सिक्किम	0.00	0.00		0.00
24.	तमिलनाडु	0.00	12913.28	11942.54	24050.82

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00		0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	1860.47	10564.69	12425.16
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00		0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	8708.45	793.53	9501.98
29.	दिल्ली	0.00	0.00		0.00
30.	पांडिचेरी	0.00	0.00		0.00
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00		0.00
32.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1139.72	1139.72
33.	दादर व नगर हवेली	0.00	0.00		0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00		0.00
35.	दमन व दीव	0.00	0.00		0.00
	कुल	9010.58	126295.83	106145.55	941451.96

[हिन्दी]

डीमैट खातों को सील किया जाना

2043. श्री रशीद मसूद: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेबी द्वारा तैयार की गई नीति के अंतर्गत एनएसडीएल तथा सीडीएसएल द्वारा कितने डीमैट खातों को सील किया गया है;

(ख) क्या सेबी द्वारा कुछ वित्तीय संस्थाओं द्वारा नए डीमैट खाते खोलने पर लगे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा आईपीओ के दौरान खुदरा निवेशकों हेतु निर्धारित शेयरों को कुछ व्यक्तियों द्वारा प्राप्त करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) 15 नवम्बर, 2007 की स्थिति के अनुसार, निक्षेपागारों के पास कुल 22,21,660 डीमैट खाते सील हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। निर्णय के बाद हुई सुनवाई के अनुसरण में, सेबी ने लंबित प्रवर्तन कार्यवाहियों के परिणाम आने तक, कुछ वित्तीय संस्थाओं पर नए डीमैट खाते खोलने पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है।

(घ) सरकार और सेबी द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) निक्षेपागारों ने, एक नाम से खोले गए अनेक खातों की पहचान के लिए आवश्यक साफ्टवेयर सहित व्यवस्था लागू की है;

(2) निक्षेपागार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में स्टाक एक्सचेंजों पर केवल कारोबार शुरू होने की तिथि को ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पहचान संख्या सक्रिय करें;

(3) प्रतिभूति बाजारों में कारोबार करने वाले सभी भागीदारों के लिए पैन अनिवार्य किया गया।

किसानों को घटे हुए दर पर ऋण

2044. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री राकेश सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों हेतु ऋण पर ब्याज दर घटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक बैंक किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण नहीं दे रहे हैं;

(घ) क्या जटिल प्रक्रिया की वजह से छोटे किसानों को निजी ऋणदाताओं से ऋण लेने पर मजबूर होना पड़ता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) किसानों द्वारा खरीफ और रबी 2005-06 के लिए, लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक 1,00,000 रुपए तक की मूल राशि पर उधारकर्ताओं की देयता के 2 प्रतिसत अंक के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, खरीफ 2006 से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा सहित 7 प्रतिशत पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के स्रोतों से दिए गए ऋण पर 2 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड को नाबार्ड से लिए गए उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के सभी सरकारी बैंक तथा अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 7 प्रतिशत वार्षिक की दर पर किसानों को फसल ऋण दे रहे हैं। अधिकांश सहकारी बैंकों 7 प्रतिशत वार्षिक पर 3 लाख रुपए तक फसल ऋण देने की भारत सरकार की योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं। तथापि, कुछ राज्यों में सहकारी बैंक निधियों की लागत, परिचालनगत लागत, जोखिम लागत, आदि पर निर्भर करते हुए 7 प्रतिशत के बीच ब्याज दर प्रभारित कर रहे हैं।

(घ) से (च) वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक किसानों को क्रेडिट कार्ड देते हैं, ताकि वे झंझट मुक्त एवं किफायती तरीके से पर्याप्त एवं समय पर ऋण प्राप्त पर सकें, किसान के लिए ऋण-सीमा उसकी परिचालनगत जोत, किसान द्वारा अपनाई गई फसल पद्धति, उस क्षेत्र में अपनाई गई कृषि प्रथाओं, जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित वित्त-मान तथा किसान की चुकौती क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है। दिनांक 31.8.2007 तक, विभिन्न बैंकों द्वारा देश में कुल 6,79,13,576 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भूमिहीन श्रमिकों, बंटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों के उनकी पहचान एवं हैसियत की पुष्टि करने वाले दस्तावेज न होने के कारण उन्हें ऋण देने में आने वाली समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बैंकों से कहा गया है कि भूमिहीन श्रमिकों, बंटाईदारों एवं मौखिक पट्टेदारों को ऋण देने के मामले में फसल उगाने के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को स्वीकार करें।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने कृषि प्रयोजन हेतु ऋण संवितरण सुनिश्चित करने के निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

* वाणिज्य बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 50 लाख नए किसानों को वित्तपोषित करने के लिए कहा गया है।
* बैंकों से कहा गया है कि कृषि ऋणों के लिए कागजी प्रक्रिया को सरल बनाए।
* 50,000 रुपए तक के ऋणों को सम्पार्श्विक एवं मार्जिन रहित बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसी ऋण-राशि के लिए कोई "बेबाकी प्रमाण पत्र" अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से ऋण

2045. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से ऋण लेना कम करने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार द्वारा विदेशी ऋण को प्रबंधनीय सीमाओं के अंदर बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीतियां अपनायी जाती हैं। विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं से सरकारी ऋण लम्बी परिपक्वता अवधि सहित रियायती शर्तों पर औचित्यानुसार प्राप्त किए जाते हैं।

फ्लाई ऐश का उपयोग

2046. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट है;

(ग) यदि हां, तो उन ताप विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने फ्लाई ऐश का शत प्रतिशत उपयोग किया है; और

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में फ्लाई ऐश को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार के प्रस्ताव क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) देश में प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट आज की तारीख में कुल स्थापित क्षमता का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) थर्मल पावर प्लांटों, जिन्होंने फ्लाई-ऐश का शतप्रतिशत उपयोग किया है, का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) ऐश समुपयोजन के कार्य प्राथमिक तौर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की दिनांक 14.9.1999 की अधिसूचना जो कि दिनांक 27.8.2003 की संशोधन अधिसूचना के साथ पठित है, के शासित होते हैं। उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत सभी कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशनों को प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक ऐश समुपयोजन की वार्षिक अनुपालना रिपोर्ट एमओईएफ को प्रस्तुत करनी होती है। वर्तमान में, फ्लाई ऐश का उपयोग रोड के किनारे भराई, निर्माण कार्य, डाईक की ऊंचाई बढ़ाने, खादानों को भरने, धंसे हुए क्षेत्र को विकसित करने तथा सीमेन्ट, कंक्रीट, ईंट इत्यादि के निर्माण के लिए किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में फ्लाई ऐश के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए एनटीपीसी लि. द्वारा सेमिनारों/कार्यशालाओं/मीडिया पब्लिसिटी, ब्राउचरों/पुस्तकों के वितरण इत्यादि का आयोजन किया जाता है।

विवरण I

अद्यतन तिथि के अनुसार देश में स्थित प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट की अधिष्ठापित क्षमता

क्र.सं.	थर्मल पावर स्टेशन का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
1.	कोठागुडम	720
2.	कोठागुडम-5	500
3.	नैल्लोर	30
4.	रामागुंडम "बी"	62.50
5.	रायलसीमा	420
6.	विजयवाड़ा	1260
7.	बोंगईगांव	240
8.	साबरमती	400
9.	बरौनी	320
10.	मुजफ्फरपुर	220
11.	दहाणु	500
12.	बज-बज (जीएस)	500
13.	सदर्न जीएस	135
14.	टीटागढ़ जीएस	240
15.	कोरबा (पश्चिम)	840
16.	कोरबा (पूर्व)	440
17.	बोकारो बी	630
18.	चन्द्रपुरा	750
19.	बोकारो ए	175
20.	दुर्गापुर	350
21.	मेजिया	840
22.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लि.	401
23.	सुरत लिग्नाइट	250
24.	अकरीमोटा	250
25.	गांधीनगर	870
26.	कच्छ	215
27.	सिक्का	240
28.	उकाई	850
29.	वनाकबोरी	1470
30.	फरीदाबाद	165
31.	पानीपत	1360

1	2	3
32.	इन्द्रप्रस्थ	247.50
33.	राजघाट	135
34.	पतरातू	770
35.	रायचूर	1470
36.	अमरकंटक	290
37.	संजय गांधी	840
38.	सतपुड़ा	1142.50
39.	भुसावल	482.50
40.	चन्द्रपुर	2340
41.	खापरखेड़ा	840
42.	कोराडी	1080
43.	नासिक	910
44.	पारस	62.50
45.	पारली	690
46.	नैवेली-I	600
47.	नैवेली-II विस्तार	420
48.	नैवेली-II	1470
49.	रामागुंडम	2600
50.	सिम्हाद्री	1000
51.	कहलगांव	840
52.	कोरबा	2100
53.	बदरपुर	705
54.	विन्ध्याचल	3260
55.	तालचेर (कनिहा)	3000
56.	तालचेर (टीपीएस)	460
57.	रिहंद	2000
58.	सिंगरौली	2000
59.	ऊंचाहार	1050
60.	टांडा	440
61.	दादरी	840
62.	फरक्का	1600
63.	इब वैली	420
64.	भटिंडा	440
65.	लेहरा मुहब्बत	840
66.	रोपड़	1260
67.	कोटा	1045
68.	सुरतगढ़	1250
69.	कुडालोर	250
70.	जोजोबेरा	427.50
71.	ट्रांबे	500
72.	तेनुघाट	420
73.	इन्नौर	450
74.	मेत्तूर	840
75.	नार्थ चेन्नई	630
76.	तूतीकोरिन	1050
77.	अनपरा क और ख	1630
78.	हरदुआगंज	275
79.	ओबरा	1550
80.	पनकी	210
81.	परीछा	640
82.	कोलाघाट	1260
83.	बांडेल	450
84.	संथालडीह	480
85.	बक्रेश्वर	630
	कुल(ए)	68276

2007-08 के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों की अधिष्ठापित क्षमता

क्र.सं.	ताप विद्युत संयंत्र का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	सीपत एसटीपीएस-II	500
2.	मेजिया टीपीएस	250
3.	यमुनानगर	300
4.	पारस टीपीएस विस्तार	250
5.	संजय गांधी टीपीपी (चरण-III विस्तार)	500
6.	रायलसीमा टीपीएस-II	210
7.	संथालडीह	250
8.	ओपी जिंदल (रायगढ़)	250
	कुल (ख)	2510
	कुल (क+ख) अद्यतन (नवंबर, 2007)	70786

विवरण II

वे ताप विद्युत स्टेशन जिन्होंने वर्ष 2006-07 के दौरान फ्लाई-ऐश की शत-प्रतिशत उपयोगिता प्राप्त कर ली है

क्र.सं.	थर्मल पावर प्लांट का नाम	फ्लाई एश की उपयोगिता का %
1	2	3
1.	साबरमती	101.50
2.	बरौनी	288.24
3.	बज-बज जी.एस.	100.00
4.	सदर्न जी.एस.	100.00
5.	टीटागढ़ जी.एस.	100.00
6.	दुर्गापुर	106.39
7.	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	101.65
8.	सुरत लिग्नाइट	100.00
9.	अकरीमोटा	100.00
10.	कच्छ	100.00
11.	पारस	105.26
12.	कोटा	206.47
13.	सुरतगढ़	100.00
14.	कोलाघाट	130.47
15.	बांडेल	150.10

निजी बैंकों द्वारा गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण

2047. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण मुहैया कराने हेतु निजी बैंकों को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी बैंकों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अंतर्गत निजी बैंकों द्वारा मुहैया कराए गए ऋणों का बैंक-वार व राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों यथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी गरीब जनता को ऋण का प्रावधान करने के संबंध में समय-समय पर अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करता है।

(ग) और (घ) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, ग्रामीण गरीब जनता को ऋण प्रदान कर रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एसजीएसवाई तथा एसजेएसआरवाई के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान संवितरित ऋण का बैंक-वार ब्यौरा विवरण दिया गया है। तथापि, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान एसजीएसवाई तथा एसजेएसआरवाई के अंतर्गत संवितरित ऋण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	एसजीएसवाई के अंतर्गत संवितरित ऋण			एसजेएसआरवाई के अंतर्गत संवितरित ऋण		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	0.03	0.00	0.00	1.02	0.20	0.65
2.	बैंक आफ राजस्थान लि.	48.89	97.18	139.09	13.52	53.88	161.92
3.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	8.90	0.70	1.35	7.39	2.03	0.00
4.	यूटीआई बैंक लि.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.00	0.00	9.02
5.	बनारस स्टेट बैंक लि.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.00	0.47	0.00
6.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	61.78	54.01	52.43	14.55	1.34	9.60
7.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	31.03	93.99	11.60	23.06	23.81	27.39
8.	फेडरल बैंक लि.	168.41	318.80	198.00	23.54	30.61	38.16
9.	जे एंड के बैंक लि.	754.93	724.89	742.91	201.70	237.25	166.75
10.	कर्नाटका बैंक लि.	41.59	53.22	19.15	69.76	67.19	56.53
11.	करूर वैश्य बैंक लि.	1.25	1.54	0.00	17.99	22.13	24.46
12.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	7.32	3.24	0.20	27.48	5.90	10.73
13.	रत्नाकर बैंक लि.	1.13	0.25	0.00	3.98	3.34	2.10
14.	सांगली बैंक लि.	24.15	3.97	3.34	8.02	3.54	3.01
15.	साऊथ इंडियन बैंक लि.	188.79	41.37	30.55	13.94	15.38	7.28
16.	तमिलनाडु मर्के. बैंक लि.	0.40	4.16	0.96	3.56	2.11	21.47
17.	युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	45.74	48.07	0	40.89	35.80	0.00
18.	आईएनजी वैश्य बैंक लि.	56.19	72.48	19.34	53.83	32.76	38.16
19.	नैनीताल बैंक लि.	3.53	2.75	5.38	15.45	16.52	25.38
20.	सिटी यूनियन बैंक लि.	41.99	9.96	3.50	2.13	6.70	8.78
21.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	7.93	4.52	2.23	0.90	0.80	0.73
	कुल	1493.98	1535.10	1230.03	542.71	561.76	612.12

[हिन्दी]

सीमा पार से तस्करी

2048. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को व्यापक पैमाने पर सीमा पार से हो रही तस्करी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा पार से भारत में की जा रही तस्करी को रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) इनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क), (ख) और (घ) सीमा पार से विभिन्न प्रकार से माल की तस्करी की जानकारी प्राप्त हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई जब्ती और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मामलों की सं.	मूल्य	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सं.
2004-2005	45424	859.31	472
2005-2006	43676	675.17	445
2006-2007	46043	689.15	390
2007-2008 (अगस्त 2007 तक)	19247	679.57	196

(ग) और (ङ) सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालय और राजस्व आसूचना निदेशालय किसी भी प्रकार के सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए सावधान और सतर्क है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सतर्क रहने तथा अपराधिक क्रियाविधि संबंधी परिपत्र जारी कर दिये हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सतर्क रहने तथा अपराधिक क्रियाविधि संबंधी परिपत्र जारी कर दिये हैं और तस्करी के बारे में प्राप्त आसूचना को क्षेत्रीय कार्यालयों के पास भेजा जा रहा है। अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी समन्वय तथा सूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है। जहां भी जरूरत होती है, गिरफ्तार व्यक्तियों पर सीमा शुल्क, 1962 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता है।

बैंकों में निदेशक मंडल के चयन में अनियमितताएं

2049. श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंकों में निदेशक मंडल के चयन में अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या निदेशक मंडल के सदस्यों ने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में गलत जानकारी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बैंकों के निदेशक मंडल में चयन करने में किसी अनियमितता की कोई भी घटना सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ग) से (ङ) पंजाब एंड सिंध बैंक के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए व्यक्तियों के नामांकन पर विचार करते समय, एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के उपलब्ध जीवन-वृत्त में उनकी शक्षिक योग्यता ''स्नातक'' दर्शाई गई थी। बैंक के निदेशक मंडल में कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नामांकन के पश्चात, निष्ठा प्रपत्र एवं घोषणा में, उन्होंने अपने आप के ''मैट्रिकुलेट'' बताया। सरकार ने, इस विसंगति का पता लगने पर, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, निर्णय लिया है कि दिशानिर्देशों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता के पात्रता मानदण्डों को शिथिल करते हुए उनकी नियुक्ति को जारी रखा जाए।

[अनुवाद]

स्टाक आप्शन्स पर एफ.बी.टी.

2050. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले स्टाक आप्शन्स पर फ्रिन्ज बेनेफिट टैक्स के मूल्यांकन हेतु दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के पश्चात् राजस्व किस हद तक बढ़ेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सरकार दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे चुकी है तथा इसे का.आ. सं. 1805(अ) दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है।

(ख) सरकार द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(1) ऐसे मामले में जहां, विकल्प चुनने की तिथि को, कंपनी का शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, निष्पक्ष बाजार मूल्य उस तिथि को उक्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर की खुलने वाली कीमत और बंद होने वाली कीमत का औसत होगा।

(2) यदि विकल्प चुनने की तिथि को, शेयर एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, तो निष्पक्ष बाजार मूल्य उस स्टाक एक्सचेंज में शेयर की खुलने वाली कीमत और बंद होने वाली कीमत का औसत होगा जो उस शेयर में सबसे अधिक व्यापार करेगा।

(3) यदि विकल्प चुनने की तिथि को, किसी भी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर में कोई व्यापार नहीं होता है, तो निष्पक्ष बाजार मूल्य होगा:

1. विकल्प चुनने की तिथि से सबसे निकटतम तिथि को तथा ऐसी तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तिथि को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर का बंद होने वाला मूल्य; अथवा

2. मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में शेयर का बंद होने वाला मूल्य, जो ऐसे शेयर में सबसे अधिक व्यापार दर्ज करता है, यदि विकल्प चुनने की तिथि से निकटतम तिथि को और इस तिथि से ठीक पूर्ववर्ती तिथि को बंद होने वाला मूल्य एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में दर्ज किया जाता है।

(4) ऐसे मामले में जहां, विकल्प चुनने की तिथि को, कंपनी का शेयर किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, निष्पक्ष बाजार मूल्य कंपनी में शेयर का ऐसा मूल्य होगा जो निर्दिष्ट तिथि को मर्चेंट बैंकर द्वारा निर्धारित है।

(5) 'खुलने वाला मूल्य', 'बंद होने वाला मूल्य', 'इक्विटी शेयर', 'मर्चेंट बैंकर', 'मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज' और 'निर्दिष्ट तिथि' जैसे शब्द उक्त अधिसूचना में परिभाषित किए गए हैं।

(ग) सरकार ने इस आशय का कोई आकलन नहीं कराया है कि ईएसओपी पर अनुषंगी लाभ कर लगाने से राजस्व में कितनी वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

शेयर बाजार पर विशेष समूह की रिपोर्ट

2051. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शेयर बाजार में शेयर के मूल्यों में हो रहे भारी उतार-चढ़ाव की जांच हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य सिफारिश क्या है;

(ग) क्या इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सेबी ने सूचित किया है कि उसने ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर के दृष्टिगत, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेल्लारी विद्युत परियोजना के लिए कोयला ब्लाक

2052. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बेल्लारी ताप विद्युत संयंत्र हेतु कोयला ब्लाकों के आवंटन तथा कर्नाटक में बिजली की कमी को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने बेल्लारी ताप विद्युत स्टेशन यूनिट-2 (500 मे.वा.) के लिए कोयला ब्लाकों नामशः फतेहपुर पूर्व, सयांग और फतेहपुर के आबंटन हेतु अनुरोध किया है। जांच समिति ने 20 जून से 23 जून, 2007 के बीच और 13 सितम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठकों में आवेदनों पर मैरिट आधार पर विचार किया था। समिति ने ये ब्लाक कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) को आबंटित किये जाने की सिफारिश की थी। कोयला मंत्रालय ने पहले बेल्लारी ताप विद्युत संयंत्र, यूनिट-1 (500 मे.वा.) को कोयला आपूर्ति किये जाने हेतु कर्नाटक पावर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल) को केप्टिव कोयला ब्लाक यथा बरंज-I से IV मनोरादीप और किलोनी आबंटित किये थे।

बेल्लारी ताप विद्युत स्टेशन (टीपीएस) यूनिट-2 (500 मे.वा.) को कोयला लिंकेज प्रदान करने के संबंध में कोयला मंत्रालय में स्थाई लिंकेज समिति (दीर्घकालीन) ने 2 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना हेतु आश्वासन पत्र प्रदान करने की सिफारिश की है।

[हिन्दी]

महिला सरकारी वकील और नोटरी

2053. श्री वसंतराव मोरे: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला सरकारी वकीलों और नोटरियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में महिला सरकारी वकीलों व नोटरियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) लोक अभियोजकों और नोटेरियों की नियुक्ति राज्य सरकारों और साथ ही केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इस प्रकार, लोक अभियोजकों और नोटेरियों की केंद्रीयकृत रूप से कोई सूची नहीं रखी जाती है। तथापि, जहां तक इस विभाग का संबंध है, बंबई उच्च न्यायालय के लिए छह महिला अपर लोक अभियोजकों तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के लिए एक महिला कोष लोक अभियोजक (सहायक महासालिसीटर) की नियुक्ति की गई है। जहां तक महिला नोटेरियों की नियुक्ति का संबंध है, राज्य-वार सूची विवरण में दी गई है।

(ख) महिला लोक अभियोजकों और नोटेरियों की नियुक्ति के लिए कोई नियत कोटा नहीं है। तथापि, यह विभाग यह ध्यान रखता है कि यथासाध्य रूप से पर्याप्त महिला लोक अभियोजकों और नोटेरियों को नियुक्त किया जाए।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	नियुक्त की गई महिला नोटेरियों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	असम	02
3.	बिहार	शून्य
4.	गुजरात	46
5.	केरल	20
6.	मध्य प्रदेश	02
7.	तमिलनाडु	08
8.	महाराष्ट्र	99
9.	कर्नाटक	31
10.	उड़ीसा	शून्य
11.	पंजाब	45
12.	राजस्थान	17
13.	उत्तर प्रदेश	32
14.	पश्चिम बंगाल	07
15.	जम्मू-कश्मीर	शून्य
16.	नागालैंड	शून्य

1	2	3
17.	हरियाणा	30
18.	हिमाचल प्रदेश	01
19.	मणिपुर	शून्य
20.	त्रिपुरा	शून्य
21.	मेघालय	शून्य
22.	सिक्किम	शून्य
23.	मिजोरम	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
25.	गोवा	01
26.	उत्तरांचल	शून्य
27.	छत्तीसगढ़	शून्य
28.	झारखंड	शून्य
29.	दिल्ली	65
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	दादरा और नागर हवेली	शून्य
33.	दमन और दीव	शून्य
34.	पांडिचेरी	शून्य
35.	चंडीगढ़	07

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों हेतु नियम

2054. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के संबंध में नियमों को संशोधित किया है तथा कतिपय परिवर्तन व प्रतिबंध लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रतिबंध और परिवर्तन लागू करने की आवश्यकता के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 25 अक्टूबर, 2007 को कतिपय उपाय अनुमोदित किए। इनमें ये शामिल हैं:

1. एफआईआई और उनके उप-लेखों के माध्यम से व्युत्पादों पर आधारित विदेशी व्युत्पाद लिखतों को जारी नवीकृत नहीं किया जा सकेगा।
2. एफआईआई के उप-लेखे नए विदेशी व्युत्पाद लिखत जारी नहीं करेंगे।
3. वे एफआईआई जिनके पास भारत में अभिरक्षा के अंतर्गत आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 40% से कम बकाया (व्युत्पादों को छोड़कर) पार्टिसिपेटरी नोट्स का कल्पित मूल्य है, भारत में अपने एसीयू के वार्षिक आधार पर 5% की संवृद्धि दर पर ही उस समय तक आगे ओडीआई जारी कर सकते हैं जब तक यह प्रतिशत 40% के स्तर तक पहुंचता है।
4. वे विदेशी संस्थागत निवेशक जिनके पास भारत में 40 से अधिक उनके एयूसी के प्रतिशत के रूप में बकाया पार्टिसिपेटरी नोट्स (व्युत्पादों के अतिरिक्त) का कल्पित मूल्य है, कम से कम समतुल्य राशि के विद्यमान पीएन में से रद्द हुए/विमोचित/समाप्त हुए पीएन के बदले में ही पार्टिसिपेटरी नोट्स जारी करेंगे।
5. ओडीआई/पीएन का जारी किया जाना केवल 'विनियमित' कंपनियों तक ही सीमित होगा।
6. एफआईआई और उप-लेखों का पंजीकरण चिरस्थायी होगा।

आवास क्षेत्र हेतु आवंटन

2055. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवास क्षेत्र हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(ख) खर्च न की गयी आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक के दौरान आवास क्षेत्र के लिए किए गए नियतनों, अव्ययित धनराशि और इसके कारणों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

योजना का नाम	2004-05		2005-06		2006-07		नियतन व्यय न करने का कारण
	नियतन	दी गई धनराशि	नियतन	दी गई धनराशि	नियतन	दी गई धनराशि	
वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)	280.58	268.81	249.00	164.02	75.01	10.69	वाम्बे मांग आधारित स्कीम थी तथा राज्य सरकारों को अलग बैंक खाते में प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य अंश जमा कराने के बाद केन्द्रीय संस्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अपेक्षित था। इस स्कीम को 3.12.2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत बीएसयूपी और आईएचएसडीपी स्कीमों में मिला दिया गया है।
दो मिलियन मकानों के निर्माण हेतु आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) को ब्याज सब्सिडी सहायता	5.00	0.00	3.00	0.00	0.01	0.00	आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) को सब्सिडी नहीं दी जा सकी, क्योंकि हडको को मिनिरत्न दर्जा दिया गया था जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सरकारी सहायता से प्रतिबंधित करता है।
शहरों में फुटपाथों पर रहने वालों के लिए रैन बसेरा योजना	4.00	4.00	यह योजना अब राज्य सेक्टर को अंतरित कर दी गई है।				कोई अव्ययित शेष नहीं।
शहरी गरीबी के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी)		लागू नहीं, क्योंकि यह योजना दिसम्बर, 2005 में शुरू की गई है।	*	72.14	908.78	901.77	बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी दोनों मांग मूलक योजनाएं हैं तथा वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वीकृति समिति के विचारार्थ/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)		लागू नहीं, क्योंकि यह योजना दिसम्बर 2005 में शुरू की गई है।	*	0.00	499.99	492.61	

नोट: *वर्ष 2005-06 में सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी दोनों के लिए 334 करोड़ रु. का संयुक्त नियतन किया गया।

ग्रामीण बैंक शाखाएं खोलने हेतु सर्वेक्षण

2056. श्री राम कृपाल यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बिहार में ग्रामीण बैंक शाखाएं खोलने हेतु अपना सर्वेक्षण करवाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। कारोबार की संभावना का निर्धारण करने

के लिए, बैंक, सामान्यत: बिहार सहित पूरे देश में नई शाखाएं खोलने हेतु आर्थिक सर्वेक्षण करवाएं हैं। बिहार में नई शाखाएं खुलवाने हेतु सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों, जिन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण करवाया है, निम्नांकित हैं:-

क्र.सं.	बैंक का नाम	केन्द्र का नाम/(जिला)
1	2	3
1.	इलाहाबाद बैंक	(1) मधेपुर (मधुबनी)
		(2) बेनीपट्टी (मधुबनी)
2.	बैंक आफ बड़ौदा	(1) चोरौट (सीतामढ़ी)
		(2) डुमरीकटसारी (शिवहर)
3.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	(1) पचलखी (सीवान)
		(2) हुनसपूरा (सिवान)
		(3) कच्ची पक्की (मुजफ्फरपुर)
		(4) सराय (मुजफ्फरपुर)
		(5) सलमारी (कटिहार)
		(6) डगरूआ (पूर्णिया)
4.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	पायनल (पटना)
5.	पंजाब नेशनल बैंक	(1) गहीरी कोठी (प. चम्पारण)
		(2) नौतम प्रखण्ड (प. चम्पारण)
		(3) मोपती बाजार (भोजपुर)
		(4) बरहुपर (कैमुर)
		(5) बरकासिहानपूरा (बक्सर)
		(6) मोरार (बक्सर)
		(7) जदाहा (वैशाली)
		(8) महुआ (वैशाली)
		(9) बोधगया (गया)
		(10) अलवरपुर (पटना)
		(11) नदौल (पटना)
6.	यूको बैंक	(1) बिहिया (भोजपुर)
		(2) जगदीशपुर (भोजपुर)
		(3) जमराव (बांका)
		(4) खागढ़ (पटना)
7.	भारतीय स्टेट बैंक	(1) भगवानपुर (वैशाली)
		(2) महुआ (वैशाली)
		(3) लक्ष्मीपुर (जमुई)
		(4) मीनापुर (मुजफ्फरपुर)
		(5) भूताही बाजार (सीतामढ़ी)
		(6) बरहुपर (कैमूर)

पी.जी.सी.आई.एल.

2057. डा. राजेश मिश्रा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) देश में विद्युत वितरण से इतर अन्य क्षेत्रों में काफी धनराशि निवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) का इरादा विदेशी बाजार में प्रवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह अति उच्च वोल्टेज (ई.एच.वी.) स्तर पर, अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के विकास का कार्य करता है। विद्युत पारेषण के अपने मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त पीजीसीआईएल ने दूरसंचार व्यवसाय में भी कदम रखा है, जो देश भर में इसकी विद्युत पारेषण संरचना को बल देता है। भारत सरकार ने इस कार्य के लिए लगभग 934 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमोदन किया है। अधिकतर दूरसंचार नेटवर्क पहले ही स्थापित किए जा चुके है तथा सारे महानगरों एवं प्रमुख शहरों में संयोजन (कनैक्टिविटी) प्रदान किया जा चुका है।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पींजीसीआईएल के 18,919 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से, दूरसंचार व्यवसाय में

3.5% (लगभग 663 करोड़ रुपये) का निवेश किया गया था और वर्तमान वर्ष में अर्थात् 2007-08 में दूरसंचार में केवल 11 करोड़ रुपये (6504 करोड़ रुपये के कुल बजटीय व्यय का 0.17%) का निवेश करने पर विचार किया गया है।

(ग) और (घ) पीजीसीआईएल ने भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं दुबई में विद्युत पारेषण के क्षेत्र में परामर्श का कार्य हासिल किया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रचार

2058. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) के अंतर्गत ग्रामीण श्रम बल की भागीदारी संबंधित जागरूकता की कमी की वजह से संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण परिवारों के बीच इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) प्रचार और जागरूकता पैदा करने वाले ऐसे कार्यक्रमों पर कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) एनआरईजीए के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इस दिशा में ग्राम सभाएं आयोजित की गई तथा ब्लाक स्तर पर सभी सरपंचों का एक दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रयोजन के लिए स्थानीय भाषा के समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उपयोग किया जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में पर्चे तथा पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिला टीमों द्वारा ग्राम शिविर आयोजित किए गए हैं तथा कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने में गैर-सरकारी संगठनों और स्व-सहायता समूहों का सहयोग लिया जा रहा है।

(ग) राज्यों को जागरूकता सृजन के प्रयोजनार्थ 4% प्रशासनिक खर्च के अंतर्गत उपलब्ध निधियां उपयोग करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, केन्द्र द्वारा आईईसी क्रियाकलापों के लिए 531.00 लाख रु. भी रिलीज किए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। राज्यों को कहा गया है कि वे पंचायती राज संस्थाओं को अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम के अंतर्गत उनकी भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के बारे में बताएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यदिवसों की औसत संख्या

2059. श्री सुनील खां:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीए) के अंतर्गत कार्डधारकों को 100 दिन का गारंटीशुदा कार्य मुहैया नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कार्डधारकों को मुहैया कराए गए/कराए जा रहे कार्यदिवसों की औसत संख्या के संबंध में कोई आंकड़ा तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 100 कार्यदिवस की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा मूल्यवान आस्तियों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्य की प्रकृति तथा निर्मित आस्तियां क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) एनआरईजीए मांग आधारित कार्यक्रम है। रोजगार के दिनों की संख्या एक परिवार द्वारा मांगे गए रोजगार के दिनों की संख्या पर निर्भर करेगी। वर्ष 2006-07 के दौरान 2.12 करोड़ परिवारों ने रोजगार की मांग की थी जिसमें से 2.10 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया था। 21.43 लाख परिवारों ने पूरे 100 दिनों का रोजगार किया था। 2007-08 (अक्टूबर, 2007 तक) के दौरान 2.14 करोड़ परिवारों मे रोजगार की मांग की थी जिसमें से 2.11 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। चालू वर्ष

के दौरान अब तक 4.90 लाख परिवारों ने पूरे 100 दिनों का रोजगार किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। 2006-07 तथा 2007-08 (अक्टूबर, 2007 तक) के दौरान एनआरईजीए के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराए गए कार्य दिवसों की औसत संख्या विवरण में दी गई है। इस समय अधिनियम केवल राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। संघ राज्य क्षेत्रों को एनआरईजीए के अंतर्गत 1.4.2008 से कवर किया जाएगा।

(ङ) एनआरईजीए का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के ऐसे वयस्क सदस्यों जो रोजगार की मांग करते हैं तथा अकुशल शारीरिक श्रम वाला कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी प्रदान करके देश में ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस प्रकार एनआरईजीए ग्रामीण लोगों को आजीविका का पूरक साधक मुहैया कराता है। परिवार के सदस्य इस अधिनियम के अंतर्गत मांग पर उपलब्ध कराए गए प्रति परिवार 100 दिनों के गारंटीयुक्त रोजगार के अलावा रोजगार के अन्य उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है। पंजीकृत परिवारों के लिए प्रति वर्ष 100 दिनों का रोजगार पाना अनिवार्य नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत लिए जाने वाले कार्य ऐसे हैं जिनके जरिए स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन किया जा सके।

(च) शुरू किए गए कार्यों की प्रकृति तथा सृजित परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	क्रियाकलाप	2006-07 के दौरान शुरू किए गए कार्यों की सं.	2007-08 के दौरान शुरू किए गए कार्यों की सं.
1.	जल संरक्षण तथा जल एकत्रीकरण	267760	299200
2.	परंपरागत जल निकायों का पुनरुद्धार	60415	76619
3.	सिंचाई सुविधा का प्रावधान	80894	118794
4.	लघु सिंचाई कार्य	28060	43643
5.	सूखारोधन	77580	94087
6.	बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा	17905	21980
7.	ग्रामीण संपर्कता	180049	154580
8.	भूमि विकास	89192	131693
9.	कोई अन्य क्रियाकलाप	33505	550554

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराए गए कार्य दिवसों की औसत संख्या (2006-07)	प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराए गए कार्य दिवसों की औसत संख्या वर्ष 2006-07, अक्टूबर, 2007 तक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	28
2.	अरुणाचल प्रदेश	27	असूचित
3.	असम	72	27

1	2	3	4
4.	बिहार	35	18
5.	गुजरात	44	32
6.	हरियाणा	48	36
7.	हिमाचल प्रदेश	47	66
8.	जम्मू-कश्मीर	27	20
9.	कर्नाटक	41	41
10.	केरल	21	21
11.	मध्य प्रदेश	69	43
12.	महाराष्ट्र	45	45
13.	मणिपुर	100	11
14.	मेघालय	25	29
15.	मिजोरम	15	42
16.	नागालैंड	47	5
17.	उड़ीसा	57	35
18.	पंजाब	49	42
19.	राजस्थान	85	52
20.	सिक्किम	59	6
21.	तमिलनाडु	27	61
22.	त्रिपुरा	67	22
23.	उत्तर प्रदेश	32	15
24.	पश्चिम बंगाल	14	12
25.	छत्तीसगढ़	56	46
26.	झारखंड	37	33
27.	उत्तरांचल	30	27
	कुल	43	30

वित्तीय अनियमितताएं

2060. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) को मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा 10.65 करोड़ रुपये के कर रियायत का दावा करने में की गई अनियमितता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर रियायतों में कदाचार के संबंध में सरकारी क्षेत्र के दोषी संगठनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी नहीं, पिछले तीन कर निर्धारण वर्षों अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में मैसर्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा 10.65 करोड़ रुपए की राशि के लिए कर छूट का दावा करने में ऐसी कोई अनियमितता नहीं देखी गई है। तथापि, कर निर्धारणों को अभी भी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में शहरों का विकास

2061. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में निर्धनों हेतु शहर विकसित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ब्याज दर की समीक्षा

2062. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्याज दर परिदृश्य की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका देश में ऋण उपलब्धता पर संभावित प्रभाव क्या होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) दिनांक 18 अक्तूबर, 1994 से लागू भारतीय रिजर्व बैंक ने गृह ऋण सहित, 2 लाख रुपए से ऊपर के अग्रिमों पर लगाई जाने वाली ब्याज-दर को विनियमित कर दिया है और बैंक स्वयं न्यूनतम मूल उधार दर (बीपीएलआर) और विद्यमान दिशानिर्देशों के अध्यधीन अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से इन ब्याज-दरों को निर्धारित करते हैं। बैंकों को उनकी ऋण सेवाओं के मूल्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बैंकों को यह सलाह दी गई है कि बीपीएलआर निर्धारित करते समय (1) वास्तविक निधि-लागत, (2) परिचालनात्मक व्ययों और (2) प्रावधानित/पूंजीगत प्रभार की विनियामक आवश्यकताओं को कवर करने के लिए न्यूनतम मार्जिन और मार्जिन का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि बीपीएलआर वास्तविक लागत को वस्तुत: प्रतिबिंबित करे। इसलिए प्रत्येक बैंक बीपीएलआर और विस्तार दिशानिर्देशों के अध्यधीन व्यक्ति विशेष उधारकर्ता के लिए ब्याज-दर प्रभार निर्धारित करता है। भारत में प्रचलित ऋण बाजार और छोटे उधारकर्ताओं के लिए रियायत देते रहने की आवश्यकता के आलोक में दो लाख रुपए तक के ऋणों के लिए बीपीएलआर को उच्चतम-दर मानने का प्रचलन जारी है। तथापि, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद के लिए व्यक्तियों को प्रतिभूतियों और ऋण-पत्र/बांड के एवज में और दूसरे गैर-प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के व्यक्तिगत ऋणों, इत्यादि पर बैंक बिना बीपीएलआर के संदर्भ के और ऋण राशि के आकार के ब्याज-दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक 22 अक्तूबर, 1997 से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को अपने निदेशक मंडल आस्ति दायित्व प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के पूर्व अनुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं वाली देशी सावधि जमाओं पर ब्याज-दर निश्चित करने की स्वतंत्रता दी है। अत: जमाओं पर ब्याज-दर का निर्धारण बैंक स्वयं करते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा था कि ब्याज दर का परिणाम मुख्यत: मुद्रास्फीति की स्थिति, वृद्धि संभावनाओं और निवेश-मांग पर निर्भर करता है और ब्याज दर में कम समय में हुए उतार-चढ़ाव की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है।

शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु सब्सिडी योजना

2063. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी गरीबों के लिए आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना नामक एक नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) शहरी गरीबों के लिए आवास मुहैया कराने के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए इस मंत्रालय के वर्ष 2007-08 के बजट में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम का ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

आई.आर.ई.पी.

2064. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा एवं इनकी संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत कई नए गांवों को शामिल करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आई.आर.ई.पी. के अंतर्गत देश में लघु स्तरीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने गांवों को लिया गया है; और

(ङ) लघु स्तरीय ऊर्जा योजना के लिए वर्तमान वर्ष हेतु राज्य-वार कितना बजट आवंटन किया गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक राज्यों के साथ 50:50 लागत भागीदारी आधार पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'संशोधित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)' का कार्यान्वयन किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के उद्देश्य चुनिन्दा ग्राम समूहों में ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाओं को तैयार तथा कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की आयोजना एवं संस्थागत सामर्थ्य का विकास करना था। पहचाने गए ग्राम समूहों में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारंभ की गई परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण-युक्तियां लगाई गई थी। इस कार्यक्रम की सहायता से दिल्ली, लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आनन्द (गुजरात), बंगलौर (कर्नाटक) और शिलांग (मेघालय) में पांच आई.आर.ई.पी. प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किए गए। आई.आर.ई.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत चुनिन्दा ग्राम समूहों के लिए माइक्रो-स्तरीय ऊर्जा योजनाओं की तैयारी हेतु एक प्रावधान था।

11वीं योजना हेतु प्रस्तावों को तैयार करते समय इस आशय का एक निर्णय लिया गया कि चूंकि आईआरईपी ने अपने उद्देश्यों का प्रदर्शन पहले ही कर लिया है, अत: 11वीं योजना के दौरान इसे जारी रखने से किसी लाभप्रद उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन केवल दसवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2006-07 तक ही किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2007-08 के दौरान किसी नए प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) संशोधित आई.आर.ई.पी. योजना का कार्यान्वयन देश में 323 जिलों को शामिल करते हुए 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया। दिनांक 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए गांवों के राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10वीं योजना से आगे लाई गई देयताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रु. का बजट प्रावधान बनाया गया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में इन पांच प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु राज्यों को एक बार के अनुदान हेतु प्रावधान का भी प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

संशोधित आईआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों और गांवों का राज्यवार विवरण (दिनांक 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिले	गांव
1.	आंध्र प्रदेश	13	58
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	219
3.	छत्तीसगढ़	16	16
4.	गुजरात	2	2
5.	हरियाणा	19	186
6.	हिमाचल प्रदेश	12	157
7.	जम्मू-कश्मीर	14	19
8.	झारखंड	7	7
9.	कर्नाटक	27	73
10.	केरल	14	14
11.	मध्य प्रदेश	48	122
12.	मणिपुर	9	22
13.	मेघालय	7	38
14.	मिजोरम	6	22
15.	नागालैंड	6	19
16.	पांडिचेरी	2	11
17.	पंजाब	17	172
18.	तमिलनाडु	14	229
19.	त्रिपुरा	2	27
20.	उत्तरांचल	13	65
21.	उत्तर प्रदेश	70	173
•	कुल	323	1651

जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुदान

2065. श्री विजय बहुगुणा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों के लिए कितना अनुदान जारी किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृति के लिए कितने प्रस्ताव लंबित हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तराखण्ड राज्य सहित देश के जनजातीय लोगों/क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इस मंत्रालय की ये योजनाएं/कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्र विशिष्ट नहीं होती हैं क्योंकि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों में जनजातीय कल्याण के प्रभारी विभागों को निधियां निर्मुक्त की जाती हैं, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि इन योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ लक्षित समूहों/क्षेत्रों तक पहुंचे। पिछले तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 एवं 2006-07) के दौरान उत्तराखण्ड राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियां	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को निर्मुक्त निधियों में से उत्तराखण्ड को निर्मुक्त निधियां
2004-05	102,557.08	412.68
2005-06	138,505.03	242.23
2006-07	157,028.95	1,178.22

(ख) इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्तावों का प्राप्त होना और उन्हें स्वीकृत करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों को निधियों की निर्मुक्ति राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय लोगों की जनसंख्या की प्रतिशतता, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संगत योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करना, निधियों की उपलब्धता और विगत में निर्मुक्त निधियों के उपयोग के आधार पर की जाती है।

संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले अपार्टमेंट का निर्माण

2066. श्री ए. साई प्रताप: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजधानी के वी.आई.पी. क्षेत्र में संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले अपार्टमेंटों का निर्माण करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले अपार्टमेंटों के निर्माण के लिए दो प्रस्ताव है। स्थिति इस प्रकार है:-

1. राज्य सभा सदस्यों और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों के लिए फिरोजशाह रोड पर 214 फ्लैटों के निर्माण का प्रस्ताव दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है। डीयूएसी ने कहा है कि जोन 'डी' (नई दिल्ली) के जोनल प्लान जिसकी उनके द्वारा जांच की जा रही है के अनुमोदन के बाद ही इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

2. लोक सभा सदस्यों के लिए बी.डी. मार्ग पर 52 क्वार्टरों और उनके साथ 104 सर्वेन्ट क्वार्टरों के निर्माण का एक प्रस्ताव है। इनके निर्माण के लिए स्थानीय निकाय का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। निर्माण के लिए भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस भूमि पर बने 5 बंगले अभी खाली नहीं हुए हैं और लोक सभा सचिवालय द्वारा इन्हें सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा जाना है।

महाराष्ट्र से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रस्ताव

2067. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी लागत सहित तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को अस्वीकृत किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) महाराष्ट्र सरकार से संबंधित कितने प्रस्ताव इस समय सरकार के पास लंबित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराता है। तथापि, केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित विभिन्न राज्यों के अनुसंधान तथा विकास संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्वयंसेवी संगठनों, राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों एवं अन्य स्वायत्त संगठनों से प्राप्त वैज्ञानिक अनुसंधान प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जाती है। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान क्रमशः 57.85 करोड़ रुपये, 48.73 करोड़ रुपये और 57.55 करोड़ रुपये की कुल लागत पर क्रमशः 266, 473 और 363 अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं को निधियां प्रदान की हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केनरा बैंक द्वारा अति लघु एवं लघु उद्योग को ऋण का संवितरण

2068. श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केनरा बैंक को वर्ष 2006-07 के दौरान अति लघु तथा लघु उद्योग इकाइयों को ऋण के संवितरण के लिए पुरस्कार दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के किन-किन अन्य बैंकों को इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। स्थायी समिति द्वारा तय किये गए मापदंडों के आधार पर, केनरा बैंक को, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमी (एमएसई) क्षेत्र को ऋण देने के लिए वर्ष 2006-07 के लिए एमएसई को ऋण देने में उत्कृष्टता के लिए प्रथम और द्वितीय राष्ट्रीय पुरस्कार क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया है, जबकि स्टेट बैंक आफ मैसूर को विशेष पुरस्कार दिया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी बैंकों तथा कंपनियों द्वारा देश में लाभ का निवेश

2069. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् विदेशी बैंकों तथा कंपनियों द्वारा भारत में अर्जित लाभ की काफी बड़ी राशि प्रति वर्ष देश के बाहर भेजी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी नीति तैयार की है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, के लिए इस प्रकार के लाभ के एक भाग का पुनर्निवेश देश में किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कर जाल का विस्तार

2070. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आयकर कवर के अंतर्गत कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है; और

(ख) देश में कर दायरे का और विस्तार करने, विशेषकर व्यवसायी लोगों को शामिल करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) पिछले पांच वर्षों से आयकर निर्धारितियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	कर निर्धारितियों की कुल संख्या (आंकड़े लाख में)
2002-03	300.19
2003-04	301.78
2004-05	308.08
2005-06	315.37
2006-07	319.26

(ख) कराधार को विस्तृत करने का सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। कराधार को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) आयकर विभाग का व्यापक रूप से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके कराधार में तेजी से वृद्धि होने की आशा है।

(2) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से, सभी भागीदारी फर्मों द्वारा आय विवरणी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

(3) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से, विवरणी प्रस्तुत करने के आधार को "कुल आय" से परिवर्तित कर के "कुल सकल आय" कर दिया गया है।

(4) आयकर अधिनियम की धारा 10 (23कक) के तहत छूट को आंशिक रूप से वापिस ले लिया जाना।

(5) मूलभूत ढांचे और अन्य परियोजनाओं में निवेश से आय पर धारा 10 (23छ) के तहत छूट को वापिस लिया जाना।

(6) कुछेक सहकारी बैंकों को उपलब्ध कर लाभों को वापिस लिया जाना।

(7) वार्षिक सूचना विवरणी (एआईआर) डाटा के प्रयोग से कराधार में वृद्धि होने की आशा है।

चुनाव सुधार

2071. श्री विजय कृष्ण: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधारों के लिए प्रस्ताव/सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जी, हां। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन सुधारों से संबंधित 22 प्रस्तावों का एक सेट भारत सरकार को अग्रेषित किया है, जिसके ब्यौरे निर्वाचन आयोग के प्रेस टिप्पण सं. ईसीआई/पीएन/26/2006, तारीख 2.8.2004 द्वारा जनता की साधारण जानकारी के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं।

(ग) निर्वाचन विधियों के सुधार की प्रक्रिया एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है और वर्तमान में सभापति, राज्य सभा के विनिश्चय के अनुसार निर्वाचन सुधारों के संपूर्ण विषय को, जिसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग किए गए प्रस्ताव भी हैं, समीक्षा करने तथा रिपोर्ट दिए जाने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया है।

स्थानीय निकायों को भुगतान

2072. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यों के नगर निगम तथा पंचायती राज संस्थाओं को कितनी राशि का भुगतान किया जाना था और वास्तव में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनुदान को जारी कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

सरकारी बंगलों का रख-रखाव

2073. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी आवास/बंगलों के रख-रखाव के लिए सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार ने इसमें अनियमितताओं को नोटिस किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों में सीपीडब्ल्यूडी सरकारी आवास/बंगलों का उचित रख-रखाव करने के अपने कार्य में असफल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी मकानों/बंगलों के रखरखाव पर पिछले तीन वर्ष के दौरान वर्षवार व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	व्यय (करोड़ रु. में)
2004-05	205.93
2005-06	206.77
2006-07	260.38

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

2074. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने उद्योग में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नए कानून का अधिनियमन करने की अनुशंसा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में कामकाजी महिलाओं पर अत्याचारों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विषय पर सुझाए गए प्रारूप विधेयक के अलावा उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं की सुरक्षा हेतु किसी नए कानून की सिफारिश नहीं की है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, भारतीय दंड संहिता एवं महिलाओं हेतु विशिष्ट

कानूनों के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 में क्रमश: 154333, 155553 एवं 164765 है। कामकाजी महिलाओं के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए किए जा रहे उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महिला सशक्तिकरण एवं उनके विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए किये जा रहे उपाय

संविधान के अनुसार, कानून व व्यवस्था तथा अन्य आपराधिक मामले राज्य के विषय हैं और इस प्रकार संबंधित अधिनियमों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों तथा उनके अधीन तंत्रों का उत्तरदायित्व है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का पंजीकरण, अन्वेषण, अभिज्ञान तथा निवारण मूल रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, भारत सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कई उपाय किये गए हैं, जैसे:

* महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया, जो परिवार में होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को और अधिक कारगर तरीके से संरक्षण प्रदान करता है।
* व्यथित महिलाओं के लिए स्वाधार स्कीम के अंतर्गत हेल्पलाइनों की स्थापना।
* आश्रय, अनुरक्षण, परामर्श, क्षमता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता तथा अन्य सेवाएं प्रदान करने वाली अल्पावास गृह और स्वाधार जैसी स्कीमों के माध्यम से हिंसा पीड़ितों को सहायता सेवाएं।
* अवैध देह व्यापार के पीड़ितों को छुड़ाने एवं उनके पुनर्वास के साथ-साथ देह व्यापार के स्रोत क्षेत्रों में विशेष स्कीमों के माध्यम से निवारण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए सहायतानुदान स्कीम।
* राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोगों के माध्यम से शिकायतों का समाधान।
* कानूनी साक्षरता तथा कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन।
* (1) जागरूकता विकास तथा समर्थन और (2) राष्ट्रीय महिला कोष, स्वयंसिद्धा परियोजना तथा प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्कीमों का कार्यान्वयन।
* महिलाओं के प्रति भेदभावपरक प्रावधानों को हटाने तथा महिलाओं के साथ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करने के उद्देश्य से कानूनों की समीक्षा।
* न्यायपालिका, पुलिस एवं नागरिक प्रशासन को महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना।
* महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त मामलों की रिपोर्टों का केन्द्र एवं राज्य सरकारों के सम्बद्ध प्राधिकारियों के साथ अनुवर्तन।

संबंधित अधिनियमों में विधायी संशोधनों के अलावा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित कानूनों का कारगर प्रवर्तन करने तथा प्रवर्तन का प्रबोधन करने और दाण्डिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में सुधार की ओर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने और महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के निवारण हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। सुझाए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* महिलाओं के संरक्षण का दायित्व संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना।
* दहेज संबंधी हिंसा विरोधी कानून का कठोर प्रवर्तन।
* पुलिस थानों में महिला पुलिस प्रकोष्ठों तथा विशेष रूप से महिला थानों की स्थापना।
* हिंसा पीड़ितों को परामर्श प्रदान करना।
* बलात्कार पीड़ितों को परामर्श प्रदान करना।
* महिलाओं के अवैध देह व्यापार के उन्मूलन हेतु उपाय करना। राज्यों से अवैध देह व्यापार के मामलों में सलाह देने के लिए राज्य सलाहकार समितियों का गठन करने के लिए भी कहा गया है।
* अधिकाधिक महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती सुनिश्चित करना।
* पुलिस कर्मियों को महिलाओं पर अत्याचारों से संबंधित विशेष कानूनों का प्रशिक्षण प्रदान करना।
* त्वरित विचारण न्यायालयों की स्थापना।

* परिवार न्यायालयों की स्थापना।
* राज्य सरकारों द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियमों की अधिसूचना जारी करना।

एन.सी.पी.सी.आर. का प्ले स्कूलों का दौरा

2075. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने सुरक्षा मुद्दों संबंधी मामलों के उल्लंघन के लिए प्ले स्कूलों का औचक निरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पश्चात क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ एवं चक्रवात चेतावनी प्रणाली

2076. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से भीषण बाढ़ तथा चक्रवात की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो जान एवं माल की क्षति सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए आसन्न चक्रवात तथा बाढ़ के बारे में पूर्व चेतावनी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाढ़ तथा चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने में सहायता करने हेतु चक्रवात चेतावनी प्रणाली लागू करने का क्या प्रयास किया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2007 की मानसून ऋतु के दौरान हुई भारी वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बाढ़ आई। बाढ़ से हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। मानसून के दौरान होने वाली चक्रवाती परिसंचरण (अवदाब/गहन अवदाब) के बनने, इसकी तीव्रता और आगे बढ़ने के बारे में 3-5 दिन की समयावधि में ठीक से पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। साथ ही भारी वर्षा होने के बारे में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित प्राधिकरणों को उचित चेतावनियां जारी की जाती हैं और इस बारे में सूचित किया जाता है।

आईएमडी, बाढ़ पूर्वानुमान के लिए केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा उपयोग करने हेतु लघु अवधि (24-72 घंटे) के नदी बेसिन पैमाने पर वर्षा की मात्रा संबंधी अनुमान (क्यूपीएफ) तैयार करता है। सीडब्ल्यूसी बाढ़ संबंधी पूर्वानुमान जारी करता है।

(ङ) सरकार विद्यमान चक्रवात चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए गहन प्रयास कर रही है। सीडब्ल्यूडीएस प्रणाली को अपग्रेड कर एनालाग प्रकार से डिजिटल प्रकार के सीडब्ल्यूडीएस में बदला जा रहा है।

विवरण

मानसून-2007 के दौरान चक्रवातीय विक्षोभों के कारण जान-माल की हानि

चक्रवातीय विक्षोभ	नुकसान
1	2
4-6 अगस्त, 2007 का गहन अवदाब	**आंध्र प्रदेश** मारे गए लोगों की संख्या: 2+1 (लापता) प्रभावित लोग: 14567 फसलों की हानि: 16153 हैक्टेयर बागवानी: 337.2 हैक्टेयर क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या: 43 (पूर्ण रूप से) 154 (आंशिक रूप से) ढांचे को नुकसान: 2167.87 लाख रु.

1	2
21-25 सितंबर, 2007 का अवदाब	**पश्चिम बंगाल** मारे गए लोगों की संख्या: 176 प्रभावित लोग: 2 लाख **उड़ीसा** मारे गए लोगों की संख्या: 39 प्रभावित लोग: 45 लाख प्रभावित गांवों की कुल संख्या: 5051 कुल आवासीय मकानों को हुई हानि: 64,000
11-16 नवंबर, 2007 का प्रचंड चक्रवाती तूफान	**पश्चिम बंगाल*** मारे गए लोगों की संख्या: एक प्रभावित लोग: उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना में 14885 क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या: 1151 फसलों को नुकसान: 7400 हैक्टेयर प्रभावित लोगों की कुल संख्या उत्तरी 24 परगना में 12 और दक्षिणी 24 परगना में 34 विद्युत ऊर्जा को नुकसान: तटीय बेल्ट में बिजली आपूर्ति कट गई बाढ़: विद्याधरी नदी बांध टूटने के कारण गाजीखली और खोघाट के पास के व्यापक क्षेत्रों में बाढ़ आई।

*प्रेस रिपोर्टों पर आधारित मूल्यांकन।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2077. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना" के अतंर्गत आंगनवाड़ी कार्यकताओं तथा सहायकों को जीवन बीमा कवर के लिए वर्ष 2004-05 हेतु 55,47,040 रुपए के केन्द्र सरकार के हिस्से को जारी करने के लिए इससे अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को वर्ष 2004-05 के लिए "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के जीवन बीमे की 55,47,040/- रुपये की अपने हिस्से की राशि निर्मुक्त करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, वर्ष 2004-05 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत सरकार के अंशदान के रूप में 10.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था। बाद में, जीवन बीमा निगम ने अपनी मांग का पुन: निर्धारण करते हुए वर्ष 2004-05 के लिए 5.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए जाने के लिए कहा। तदनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2004-05 में भारतीय जीवन बीमा निगम को 5.00 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की।

जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना

2078. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना किस राज्य में किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने और निगमित करने के लिए तथा उससे संबंधित अथवा उसकी प्रासंगिक सामग्री प्रदान करने के लिए पहले ही राज्यसभा में 23.08.2007 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया है।

राष्ट्रमंडल खेल गांव

2079. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने यमुना तट क्षेत्र में राष्ट्रमंडल खेल गांव के निर्माण पर आपत्ति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) कुछ गैर-सरकारी संगठनों/पर्यावरणविदों ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों, भूमिगत जल के रिचार्ज होने में बाधाएं उत्पन्न होने, आदि जैसे मसलों के आधार पर प्रस्तावित राष्ट्रमण्डल खेलगांव के निर्माण पर आपत्ति व्यक्त की है। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिनांक 14.12.2006, 22.1.2007, 29.03.2007 तथा 23.04.2007 के अपने पत्रों के तहत पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी दे दी है। गैर-सरकारी सगंठनों/पर्यावरणविदों से सरकार से विभिन्न स्तरों पर उनकी आशंकाओं की जानकारी ली। चूंकि उनकी आशंकाएं तर्कसंगत नहीं पाई गयी थी इसलिए दिल्ली विकास प्राधिकरण चुने गए स्तर पर राष्ट्रमण्डल खेलों के संबंध में विकास कार्य से संबंधित अपनी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों के लिए ऋण

2080. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित सहकारी बैंकों की स्थितियों में सुधार के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) अल्प अवधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने एक पुनरुत्थान पैकेज को मंजूरी दी है। जो राज्य इस पैकेज को लागू करना चाहते हैं, उन्हें कुछ विधिक और संस्थागत सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

31 मार्च 2004 तक के तुलन पत्र को सही करने और विधिक और संस्थागत सुधारों के अध्यधीन पूंजी को एक विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर तक बढ़ाने के लिए, इस पैकेज के अंतर्गत एसटीसीसीएस के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एसटीसीसीएस के वित्तीय, प्रबंधकीय और शासकीय मापदंडों की सुदृढ़ता बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए, एसटीसीसीएस के संस्थागत और मानव संसाधन के उन्नयन करने, कंप्यूटरीकरण और उचित आंतरिक नियंत्रण और लेखा प्रणाली के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी।

नाबार्ड, इस पैकेज के लिए के प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है। अब तक, 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र इस पैकेज के कार्यान्वयन के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें से 13 राज्य-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने भारत सरकार और नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये राज्य देश के 64% प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (71,125) का और 75% जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का संचयित कवर करते हैं।

भारत सरकार के हिस्से के रूप में 423.63 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को और 240.35 करोड़ रुपए हरियाणा को पात्र पीएसीएस के पुर्नपूंजीकरण के लिए दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

2081. श्री नवीन जिन्दल:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007-08 के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कर संग्रहणों में उर्ध्वगामी प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) कर संग्रहण के संवेग को कायम रखने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2006-07 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अक्टूबर, 2007 तक (अप्रैल से अक्टूबर) प्रत्यक्ष करों का निबल संग्रहण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

कर शीर्ष	2007-08 (अक्टूबर, 07 तक)	2006-07 (अक्टूबर, 06 तक)	प्रतिशत वृद्धि
निगमित आयकर	78785	54072	45.70%
वैयक्तिक आयकर (अन्य करों सहित)	50079	35946	39.32%
कुल	128864	90018	43.15%

(ग) प्रत्यक्ष करों से संग्रहण कर प्रशासन और कर अनुपालन स्तर में निरंतर सुधार दर्शाता है।

(घ) कर संग्रहण की अति के बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

* सभी मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों को अघोषित आय, स्रोत पर कम कर कटौती का पता लगाने और कराधार बढ़ाने के विचार से और अधिक सर्वेक्षण करने की सलाह दी गई है।

* प्रतिदायों का त्वरित निर्गम, करदाताओं की शिकायतों का प्रत्युत्तर आदि के माध्यम से कर मशीनरी को और अधिक करदाता अनुकूल बनाया जा रहा है।

* पर्याप्त मात्रा में बकाया वाले मामलों की पहचान करना जो आयुक्तों (अपील), आईटीएटी और समझौता आयोग के समक्ष लंबित हैं और इन अपीलों को तेजी से निपटाने के लिए इन प्राधिकारियों से कहना।

* विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शीर्ष करदाताओं के अग्रिम कर भुगतानों की मानीटरिंग।

* सूचना को जोड़ने तथा अधिक मूल्य के लेनदेनों की रिपोर्टिंग के लिए विभागीय कार्य प्रक्रिया और डाटाबेसों का और कंप्यूटरीकरण।

* कर कानूनों के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए मल्टी मीडिया अभियान।

तुइरियाल जल विद्युत परियोजना

2082. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुइरियाल जल विद्युत परियोजना को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है एवं इसके कितना नुकसान होने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) जी, हां। तुरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का कोई, वनीय भूमि पर फसल मुआवजे के भुगतान हेतु मांग के कारण, परियोजना स्थल पर कानून व्यवस्था के बिगड़ने तथा पर्याप्त समय लगने एवं डिजाइन परिवर्तनों के फलस्वरूप लागत में वृद्धि होने के कारण जून, 2004 से रूका हुआ है। 368.72 करोड़ रुपये के लागत की इस परियोजना को जून, 1997 में स्वीकृत किया गया था जिसका मूल्य स्तर अक्तूबर, 2004 से बढ़ाकर 687.80 करोड़ रुपये हो गया है।

विभिन्न स्टेकहोल्डरों के त्याग द्वारा परियोजना को वित्तीय रि-इंजीनियरिंग के माध्यम से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। परियोजना के व्यवहार्य गैप फंडिंग हेतु एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को भिजवाया गया था। चूंकि, व्यवहार्य गैप फंडिंग हेतु भेजा गया प्रस्ताव अर्हताएं पूरी नहीं कर सका। अतएव बाद में, विद्युत मंत्रालय ने नीपको को एनईआर विभाग से 200 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त करने संबंधी विकल्प खोजने विषयक संभावनाओं का पता लगाने का कहा है। इस संबंध में एनईआर विभाग से की गई अनेक बैठकों में विचार-विमर्श

किया गया है। मिजोरम सरकार से भी 12% निःशुल्क विद्युत की अपनी हिस्सेदारी के त्याग अथवा समग्र विद्युत को संशोधित मूल्य पर खरीदने का अनुरोध किया गया है।

इस प्रकार परियोजना के द्वारा कार्य को पुनः प्रारंभ करने के 3 वर्षों के उपरांत उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है।

परियोजना को अन्यथा अथवा कार्यों को पुनः प्रारंभ करना, इसे जारी रखने के निर्णय पर निर्भर करता है।

पावर फाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा धन जुटाया जाना

2083. श्री मोहन रावले: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) की घरेलू विद्युत क्षेत्र के लिए स्रोत जुटाने के लिए विदेशी बाजार में प्राइवेट इक्विटी फंड शुरू करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार 11वीं योजना की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों जैसे विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक के साथ वार्ता कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) निजी इक्विटी के माध्यम से निज़ी निवेश किए जाने को गति प्रदान करने तथा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, पीएफसी ने निजी विद्युत परियोजनाओं हेतु, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से इक्विटी निधियों को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया प्रारंभ की है। इस समय पीएफसी प्रस्तावित निजी इक्विटी पहल के लिए विश्व बैंक तथा ए.डी.बी. के साथ वार्ता नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

छोटे-मोटे अपराध

2084. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि छोटे-मोटे अपराध के अभियुक्तों को पीड़ित को मुआवजे का भुगतान करने पर रिहा/छोड़ा जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे-मोटे अपराधों के लिए कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा नियम कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) जानकारी दिल्ली उच्च न्यायालय से मांगी गई है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) छोटे-मोटे अपराधों के लिए कोई विधि विरचित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

छठे वेतन आयोग के समक्ष सर्विसेज के अनुरोध

2085. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छठे केन्द्रीय वेतन आयोग को रक्षा सेवाओं के लिए वेतन तथा भत्तों एवं अन्य सुविधाओं में अधिक वृद्धि करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। रक्षा सेवाओं ने उच्चतर वेतनमानों, भत्तों और बेहतर सेवा-स्थितियों की मांग की है। रक्षा सेवाओं द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मांगों/अनुरोधों पर छठा केन्द्रीय वेतन आयोग विचार कर रहा है।

महिलाओं के लिए ग्रामीण विकास योजनाएं

2086. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिलाओं के उत्थान हेतु सरकार द्वारा लागू की जा रही ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी योजनाओं के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित तथा उपयोग में लाई गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय देश भर में गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास संबंधी कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। मंत्रालय के बड़े कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सृजित 368.31 करोड़ श्रम दिवसों के कुल रोजगार में से 94.87 करोड़ श्रम दिवसों के रोजगार का सृजन महिलाओं के लिए किया गया था। स्वर्णजयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई) एक स्व-रोजगार कार्यक्रम जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना तथा स्थाई आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करने के लिए उन्हें ऋण तथा सब्सिडी उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक में बनाए गए 50% समूह विशेष रूप से महिलाओं के लिए होंगे जिनमें कुल स्वरोजगारियों में से कम-से-कम 40% महिला स्वरोजगारी होनी चाहिएं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता प्राप्त 56.73 लाख स्वरोजगारियों में से 33.62 लाख स्वरोजगारी महिलाएं थीं। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के मकानों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि मकान परिवार की महिला सदस्य के नाम आवंटित किए जाएं अथवा विकल्प के रूप में पति तथा पत्नी दोनों के नाम संयुक्त रूप से आवंटित किए जाएं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित 82.41 लाख मकानों में से महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त रूप से उनके नाम आवंटित मकानों की संख्या 63.33 लाख थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए), जो देश के चुनिंदा जिलों में लागू कर दिया गया है, में यह प्रावधान है कि महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जाए कि इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत तथा काम की मांग करने वाली महिलाएं कुल लाभार्थियों की कम-से-कम एक तिहाई हों। वर्ष 2006-07 के दौरान यह सूचित किया गया है कि एनआरईजीए के अंतर्गत महिलाओं के लिए सृजित रोजगार कार्य दिवसों की संख्या 41% से अधिक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला न्यायालय

2087. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न प्रकार के महिला शोषण के मामलों के निपटान हेतु देश में राज्य-वार कितने महिला न्यायालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसे न्यायालयों की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरक्षण नीति

2088. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में अधिकारी काडर में पदोन्नति में आरक्षण नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नाबार्ड ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं जो कि पदोन्नतियों में आरक्षण के संबंध में डीओपीटी के अनुदेशों का उल्लंघन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) लिपिक संवर्ग से अधिकारी संवर्ग के स्केल-I में पदोन्नति में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तथापि, चूंकि पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है,

अत: अधिकारी संवर्ग में एक स्केल से दूसरे स्केल में पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। नाबार्ड ने 10 अक्तूबर, 2005 के अपने पत्र द्वारा भारत सरकार के 05.09.2005 से पत्र सं. 4(2)/2000-आर.आर.बी. में निहित अनुदेश परिचालित किए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति

2089. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु भूजल से सतही जल को प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) पेय जल आपूर्ति राज्य का विषय है तथा भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार पेय जल आपूर्ति योजनाओं के स्थायित्व को प्रोत्साहन दे रही है। एक रणनीति के रूप में जल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें सतही जल के समझदारी से प्रयोग सहित भू-जल तथा वर्षा जल संभरण भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति

2090. श्री महावीर भगोरा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य शर्त बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल नि:शुल्क सीट पर अध्ययन करने वाले अभ्यर्थी ही नए नियमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त नियम को लागू करने से पूर्व सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पोस्ट मैट्रिकुलेशन अथवा पोस्ट सेकेंडरी स्तर पर अध्ययन करने वाले सभी अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जानी होती हैं ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें बशर्ते माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय 1,08,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति केवल उन विद्यार्थियों को दी जाती है, जिन्हें ''फ्री सीट'' (सरकारी सीट अथवा सहायता प्राप्त सीट के नाम से जानी जाने वाली) के प्रति प्रवेश प्राप्त होता है, चाहे वह सरकारी संस्थानों में हो अथवा निजी संस्थानों में; और निजी संस्थानों के मामलों में, जहां प्रवेश 12वीं कक्षा की परीक्षा के अंकों के आधार पर होता है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के मामले में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए 60% का बैंच मार्क है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था, तथापि, ''फ्री सीटों'' और 60% के बैंच मार्क से संबंधित शर्तें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए कार्यान्वित की जा रही इसी प्रकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में इन परिवर्तनों को शामिल करने के सरकार के निर्णय के अनुपालन में अनुसूचित जनजाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल की गई हैं।

बीपीएल जनसंख्या में वृद्धि

2091. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कतिपय राज्यों में बीपीएल सूची तैयार करते समय गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों (बीपीएल) में प्रत्यक्ष वृद्धि के कारणों की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) जहां एक ओर राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तथा उनके अनुपात का आंकलन योजना आयोग द्वारा किया जाता है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास मंत्रालय बीपीएल परिवारों की जनगणना के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान तथा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत उनकी सहायता की जा सके। बीपीएल जनगणना 2002 के दिशानिर्देशों में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से बीपीएल परिवारों की कुल संख्या का पता लगाने का अनुरोध किया था जैसा कि योजना आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए सीमांत गरीबों के लिए 10% लोचनीयता का प्रावधान करते हुए निर्धारित किया गया था।

मंत्रालय ने बीपीएल सूची तैयार करते समय बीपीएल जनसंख्या में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए किसी उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, जन शिकायतों का निवारण करने के लिए द्वि-स्तरीय अपील तंत्र के रूप में एक सांस्थानिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत बीपीएल सूची में किसी आपत्ति को एसडीएम अथवा तहसीलदार, जैसा भी मामला हो, के समक्ष दर्ज कराया जा सकता है। इसके बाद भी यदि आपत्ति का समाधान न हो तो जिला कलेक्टर के समक्ष दूसरी अपील दर्ज कराई जा सकती है।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन उपकरणों का विनिर्माण

2092. श्री के.एस. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश में विनिर्मित विद्युत उपकरणों के लिए मांग अनुमान तथा आपूर्ति व्यवस्थाएं क्या है;

(ख) देश में विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण स्थापित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नई नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निजी कंपनियों को दी जा रही रियायतें एवं छूटें किस प्रकार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) 17वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण द्वारा प्रक्षेपित विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 11वीं योजना के दौरान 78000 से अधिक क्षमता अभिवृद्धि परिकल्पित की गई है। इस तथ्य पर विचार करते हुये कि यह परिकल्पित क्षमता पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं की वास्तविक उपलब्धियों से काफी अधिक है, विद्युत उपस्करों के निर्माण हेतु भी क्षमता पर्याप्त बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। देश में निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने/स्थापित करने के लिए विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी स्टाक होल्डरों के साथ मामला उठाया है। भारी उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (जो कि विद्युत उपकरणों का प्रमुख निर्माता है) अपनी क्षमता बढ़ाकर दिसंबर, 2007 तक 10,000 मेगा वाट वार्षिक और दिसंबर, 2009 में 15,000 मेवा वाट वार्षिक कर रहा है। इस संबंध में फिलहाल किसी नई नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र

2093. श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए आबंटित की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत किश्तें जारी किए जाने हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कुछ राज्यों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना परवर्ती धनराशि स्वीकृत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए निधियों के

मानदंडात्मक आवंटन (डीजल उपकर) का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिए निर्धारित शर्तें पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के पैरा 19 में दी गई हैं तथा मंत्रालय की वेबसाईट (pmgsy.nic.in) पर उपलब्ध हैं। यह निर्धारित किया गया है कि स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए निधियां राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों को दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाएंगी। पहली किस्त जो कि परियोजनाओं के स्वीकृत मूल्य का 50 (अथवा वार्षिक आबंटन, इनमें से जो भी कम हो) होगी तभी रिलीज की जाएगी जब इस संबंध में अपेक्षित शर्तों, यदि कोई पहले निर्धारित की गई हों, पूरी कर ली गई हों। इसके अलावा, निधियों के रिलीज उपलब्ध निधियों के 60% हिस्से का उपयोग कर लिए जाने और विगत वर्ष के पिछले वर्ष आबंटित सड़क कार्यों में से कम-से-कम 80% कार्य पूरे कर लिए जाने और उस वर्ष से पहले के सभी वर्षों में आबंटित शत-प्रतिशत कार्य पूरे कर लिए जाने तथा अन्य शर्तें, यदि पिछली किस्त रिलीज करते समय निर्धारित की गई हों, पूरी किए जाने के तथा पहले रिलीज की गईं निधियों के लिए निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी।

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आगे की निधियों की रिलीज के लिए पहले रिलीज की गई निधियों के उपयोग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना एक पूर्वापेक्षा है। आगे, निधियों की रिलीज की मंजूरी में अब यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि निधियां पाने वाले संगठन की ओर से उस योजना के संबंध में कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र बाकी न हो जिसके तहत निधियां रिलीज की गई हैं।

विवरण

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार मानदण्डात्मक आवंटन

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	100	100	105
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	52	57
3.	असम	176	176	181
4.	बिहार	332	332	337
5.	छत्तीसगढ़	235	235	240
6.	गोवा	5	5	5
7.	गुजरात	60	60	65
8.	हरियाणा	25	25	30
9.	हिमाचल प्रदेश	82	82	87
10.	जम्मू-कश्मीर	60	60	65
11.	झारखंड	170	170	175
12.	कर्नाटक	105	105	110
13.	केरल	25	25	30
14.	मध्य प्रदेश	435	435	440
15.	महाराष्ट्र	140	140	145
16.	मणिपुर	28	28	45
17.	मेघालय	40	40	45
18.	मिजोरम	27	27	32
19.	नागालैंड	25	25	30
20.	उड़ीसा	268	268	273
21.	पंजाब	30	30	35
22.	राजस्थान	229	229	234
23.	सिक्किम	25	25	30
24.	तमिलनाडु	85	85	90
25.	त्रिपुरा	35	35	40
26.	उत्तर प्रदेश	370	370	375
27.	उत्तरांचल	95	95	100
28.	पश्चिम बंगाल	221	221	226
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0	0	10
	कुल	3480	3480	3625

टिप्पणी: (1) 1.50 रु. प्रति लीटर के उपकर पर आधारित आवंटन।

(2) इसमें 5% विशेष आवंटन इत्यादि शामिल नहीं है।

(3) इसमें एनआरआरडीए इत्यादि को रिलीज की गई निधियां शामिल नहीं हैं।

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण

2094. डा. टोचकोम मैन्या: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल परीक्षण किटों का उपयोग करने तथा हैंडपम्पों में रख-रखाव के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा उनके अंतर्गत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ग) पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। एआरडब्ल्यूएसपी के भाग के रूप में, संबंधित राज्यों द्वारा यथानिर्णीत आवश्यकता आधारित एवं राज्य विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, वर्ष 2005-06 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के तहत क्षेत्र परीक्षण किट प्रदान किए जाने और प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने का प्रावधान है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 6446 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें 1,36,167 निचले स्तर के कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है। तथापि, केन्द्र स्तर पर लैंगिक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों में गरीबों को आवास

2095. श्री सुभाष महरिया: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में शहरी क्षत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को उपलब्ध करवायी गई आवास सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को आवास सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। वाम्बे-जिसे अब आईएचएसडीपी (जेएनएनयूआरएम) में शामिल कर लिया गया है तथा जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को मुहैया कराई गई आवास सुविधाओं का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत बीएसयूपी और आईएचएसडीपी दोनों घटकों के तहत शहरी क्षेत्रों में आवास के साथ-साथ नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करायी जाती है। नागरिक सुविधायें मुहैया कराने के लिए केन्द्रीय सहायता शहर/कस्बे की श्रेणी के आधार पर परियोजना लागत की 50% से 90% तक होती है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत स्वीकार्य घटक विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)-राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2004-05 आवास पूर्ण	2005-06 आवास पूर्ण	2006-07 आवास पूर्ण	2007-08 आवास पूर्ण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12545	8959	0	0
2.	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	0	0
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	3140	0	0
8.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0
10.	दिल्ली	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	216	500	0	0
13.	हरियाणा	0	0	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	210	178	0	0
16.	झारखंड	0	0	0	0
17.	कर्नाटक	0	1593	0	0
18.	केरल	1000	4221	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	400	200	0	0
21.	महाराष्ट्र	29323	6550	0	0
22.	मणिपुर	0	393	0	0
23.	मेघालय	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0
25.	नागालैंड	0	505	0	0
26.	उड़ीसा	60	0	0	0
27.	पांडिचेरी	555	0	0	0
28.	पंजाब	0	0	0	0
29.	राजस्थान	200	44	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
31.	तमिलनाडु	34067	23128	10006	0
32.	त्रिपुरा	0	86	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	218	0	0	0
34.	उत्तरांचल	0	0	0	0
35.	पश्चिम बंगाल	253	252	0	0
	कुल	79047	49749	10006	0

विवरण II

शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (उप मिशन-II)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	2005-06 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	2006-07 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	2007-08 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया था	49000	30320	0
2.	अरुणाचल प्रदेश		0	0	100
3.	असम		0	0	0
4.	बिहार		0	0	5268
5.	छत्तीसगढ़		0	27976	0
6.	चंडीगढ़		0	25728	0
7.	दिल्ली		0	0	27980
8.	गोवा		0	0	
9.	गुजरात		0	72368	11736
10.	हरियाणा		0	3248	0
11.	हिमाचल प्रदेश		0	252	0
12.	जम्मू-कश्मीर		0	0	0
13.	झारखंड		0	0	0
14.	कर्नाटक		0	14511	4184
15.	केरल		0	4748	0

1	2	3	4	5	6
16.	मध्य प्रदेश		5764	26205	1320
17.	महाराष्ट्र		0	100578	13250
18.	मणिपुर		0	0	0
19.	मेघालय		0	0	300
20.	मिजोरम		0	0	0
21.	नागालैंड		0	3504	0
22.	उड़ीसा		0	0	133
23.	पांडिचेरी		0	0	1136
24.	पंजाब		0	0	5152
25.	राजस्थान		0	17337	0
26.	सिक्किम		0	0	0
27.	तमिलनाडु		0	44021	0
28.	त्रिपुरा		0	0	256
29.	उत्तर प्रदेश		0	4680	14896
30.	उत्तरांचल		0	0	0
31.	पश्चिम बंगाल		0	60312	6668
	कुल		54764	435768	92829

एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2004-05 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	2005-06 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	2006-07 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या	2007-08 अनुमोदित रिहायशी इकाइयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) 3 दिसम्बर, 2005 को शुरू किया गया था		25170	4087
2.	अरूणाचल प्रदेश			0	0
3.	असम			613	4780
4.	बिहार			4167	2333
5.	छत्तीसगढ़			14846	0

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा			0	0
7.	गुजरात			6200	7943
8.	हरियाणा			14641	0
9.	हिमाचल प्रदेश		0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर		0	0	2654
11.	झारखंड		0	0	0
12.	कर्नाटक		0	4070	6224
13.	केरल		0	5985	3497
14.	मध्य प्रदेश		0	14644	947
15.	महाराष्ट्र		0	13036	6703
16.	मणिपुर		0	0	0
17.	मेघालय		0	0	0
18.	मिजोरम		0	0	0
19.	नागालैंड		0	2496	0
20.	उड़ीसा		0	0	0
21.	पंजाब		0	0	1627
22.	राजस्थान		136	10759	1914
23.	सिक्किम		0	0	0
24.	तमिलनाडु		0	12934	5184
25.	त्रिपुरा		0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश		0	2032	0
27.	उत्तरांचल		0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल		0	12824	4372
29.	दिल्ली		0	0	0
30.	पांडिचेरी		0	0	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0	0	0
32.	चंडीगढ़		0	0	0
33.	दादरा और नगर हवेली		0	0	0

1	2	3	4	5	6
34.	लक्षद्वीप		0	0	0
35.	दमन और दीव		0	0	0
	कुल		136	144417	52265

विवरण III

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवा उप मिशन
एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम

स्वीकार्य घटक

(1) स्लमों का एकीकृत विकास, अर्थात् चुनिंदा शहरों के स्लमों में आवास एवं अवस्थापना परियोजनाओं का विकास।

(2) शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाओं के विकास/सुधार/अनुरक्षण संबंधी परियोजनाएं।

(3) स्लम सुधार और पुनर्वास परियोजनाएं।

(4) जल आपूर्ति/सीवरेज/जल निकासी/सामुदायिक शौचालयों/स्नानघरों आदि संबंधी परियोजनाएं।

(5) स्लम निवासियों/शहरी गरीबों/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों/समूहों के लिए किफायती कीमतों पर आवास।

(6) नालियों/वर्षा जल नालियों का निर्माण और सुधार।

(7) स्लमों और ठोस कचरा प्रबंधन का पर्यावरणीय सुधार।

(8) पथ प्रकाश।

(9) नागरिक सुविधाएं जैसे सामुदायिक भवन, बाल-देखरेख केन्द्र आदि।

(10) इस घटक के अंतर्गत अर्जित संपत्ति का प्रचालन और अनुरक्षण।

(11) शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का संकेन्द्रणन।

टिप्पणी: पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू और कश्मीर में स्कीमों/परियोजनाओं के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के अलावा भूमि की लागत का वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।

परिसम्पत्तियों की घोषणा

2096. श्री गणेश सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारी प्रतिवर्ष अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सूचनाएं जनता के लिए उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमावली के अंतर्गत परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं निपटान पर घोषणा प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसी घोषणाओं को सार्वजनिक बनाने हेतु नियमावली में कोई उपबन्ध नहीं हैं।

ग्लोबल वार्मिंग

2097. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में की गई सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की ''जलवायु परिवतन 2007'' नामक चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट (एआर 4) 17 नवंबर, 2007 को जारी की गई। आईपीसीसी रिपोर्टों में जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक मूल्यांकन उपलब्ध कराया गया है, और इस संबंध में कोई नीति तैयार कर उसे कार्यान्वित करने की बात नहीं की गई है।

(ग) और (घ) ग्लोबल वार्मिंग के महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई योजना बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की स्थापना की गई है।

स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)

2098. श्री संतोष गंगवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकलन वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान स्रोत पर कटौती की गई कर धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कर विवरणी के जरिए करदाताओं द्वारा इसमें से दावा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप वर्ष-वार कितनी धनराशि की वापसी की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में स्रोत पर काटे गए कर के विवरण इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	निगम कर	आय कर	योग
2004-05	14654	29319	43973
2005-06	26908	31698	58606
2006-07	29048	41641	70689

(ख) आयकर विभाग द्वारा ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) स्रोत पर कर कटौती के कारण होने वाले प्रतिदायों के ऐसे ब्यौरे नीचे रखे जाते हैं। तथापि, वित्त वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में जारी किए गए स्रोत पर कर कटौती, अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर, नियमित कर निर्धारण इत्यादि को शामिल करने वाले प्रतिदाय निम्नलिखित हैं:

शीर्ष-वार प्रतिदाय (करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	निगम कर	आय कर	योग
2004-05	22509	6005	28514
2005-06	23560	6472	30032
2006-07	30617	6618	37235

[अनुवाद]

गुजरात में नोटरियां

2099. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटरियों के कोटे की संख्या में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) अधिसूचना सा.का.नि. 330(अ) तारीख 8.5.2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ) तारीख 1.5.2007 द्वारा नोटरी नियम, 1956 की अनुसूची को संशोधित करके गुजरात राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या को 625 से बढ़ाकर 938 किया गया है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चालू विद्युत परियोजनाएं

2100. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्यों में चालू विद्युत परियोजनाओं का उनकी क्षमता तथा निजी क्षेत्र द्वारा 2002-07 के दौरान हस्ताक्षर किए गए

समझौता ज्ञापन के संदर्भ में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक अखिल भारतीय स्तर पर तथा प्रत्येक राज्य की पारेषण तथा संवितरण हानि कितनी रही?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) राज्य सरकारों से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) वर्ष 2002-2003 से 2005-2006 के दौरान राज्य विद्युत यूटीलिटियों के संबंध में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) हानियों को राज्य-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है। वर्ष 2006-2007 के लिए सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

राज्य विद्युत यूटिलिटीज की एटी एंड सी हानि (%)

क्षेत्र	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6
पूर्वी	बिहार	77.64	66.25	66.01	67.46
	झारखंड	72.63	62.47	69.24	54.10
	उड़ीसा				
	केन्द्रीय एस्को	29.40	49.97	55.81	42.55
	नार्दन एस्को	40.26	45.05	39.52	36.77
	सदर्न एस्को	36.76	38.21	35.65	45.48
	वेस्टर्न एस्को	39.70	38.32	35.89	37.84
	सिक्किम	80.12	66.67	63.60	64.45
	पश्चिम बंगाल	26.62	32.87	23.91	26.60
	कुल	44.37	46.92	43.07	40.70
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	61.73	16.34	25.43	37.19
	असम	39.43	43.35	39.31	
	केंद्रीय असम ईडीसीएल				37.77
	लोअर असम ईडीसीएल				28.25
	अपर असम ईडीसीएल				39.62
	मणिपुर	76.81	69.70	88.56	77.83
	मेघालय	42.39	39.35	38.12	18.47
	मिजोरम	49.63	38.70	24.61	16.92
	नागालैंड	53.74	55.63	43.13	45.04

1	2	3	4	5	6
	त्रिपुरा	34.27	14.84	20.78	24.08
	कुल	44.10	42.30	41.17	33.28
उत्तरी	दिल्ली				
	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	51.78	45.72	41.98	39.06
	बीएसईएस यमुना पावर लि.	62.49	55.54	51.70	48.58
	नार्थ दिल्ली पावर लि.	56.39	48.16	35.89	28.01
	हरियाणा				
	दक्षिण हरियाणा बीवीएनएल	41.40	40.53	43.96	40.78
	उत्तर हरियाणा बीवीएनएल	42.54	40.09	43.37	41.90
	हिमाचल प्रदेश	29.52	9.26	21.71	15.15
	जम्मू-कश्मीर	68.22	68.79	68.33	68.25
	पंजाब	26.45	25.52	24.00	25.84
	राजस्थान				
	अजमेर बीवीएनएल	41.22	46.21	49.76	47.55
	जोधपुर बीवीएनएल	41.99	45.75	47.57	47.03
	जयपुर बीएलएन	39.99	41.68	43.22	42.26
	उत्तर प्रदेश				
	मध्य वीवीएन		39.48	38.72	49.46
	पश्चिम वीवीएन		38.29	32.40	42.43
	पूर्वी वीवीएन		45.36	58.07	46.08
	उत्तरांचल	37.59	43.48	45.62	38.20
	कुल	37.85	40.14	41.25	40.41
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश				
	एपीसीपीडीसीएल	30.19	18.99	23.96	18.82
	एपीईपीडीसीएल	17.62	0.00	14.27	12.67
	एपीएनपीडीसीएल	27.09	9.80	21.91	15.26
	एपीएसपीडीसीएल	27.44	17.06	20.55	16.51

1	2	3	4	5	6
	कर्नाटक				
	केपीटीसीएल				
	बंगलौर एस्काम	35.70	28.91	27.62	35.75
	गुलबर्ग एस्काम	43.53	43.86	42.99	52.74
	हुबली एस्काम	47.72	31.65	41.65	40.38
	मंगलौर एस्काम	35.68	25.82	26.63	20.83
	चेस्काम				46.03
	केरल	36.19	32.73	32.12	25.95
	पांडिचेरी	41.67	20.53	16.46	16.05
	तमिलनाडु	20.02	20.64	19.41	20.46
	कुल	28.05	22.71	23.92	23.73
पश्चिम	छत्तीसगढ़	37.48	30.99	32.30	38.19
	गोवा	22.99	21.28	17.27	15.92
	गुजरात	31.24	35.48	35.15	
	दक्षिण जीवीसीएल				22.40
	मध्य जीवीसीएल				24.61
	पश्चिम जीवीसीएल				43.05
	उत्तर जीवीसीएल				27.57
	मध्य प्रदेश	49.42	41.52	54.27	50.35
	एमपी मध्य केवीवीसीएल				43.20
	एमपी पश्चिम केवीवीसीएल				46.91
	एमपी पूर्वी केवीवीसीएल				26.51
	महाराष्ट्र	44.25	38.95	26.62	50.22
	एमएसईडीसीएल				35.71
	कुल	40.45	37.55	34.58	36.88
	कुल योग	36.64	34.90	34.33	34.54

(स्रोत-पीएफसी)

विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी

2101. श्री निखिल कुमारः
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमारः
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुखः

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई ताप विद्युत संयंत्र अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता को पूरा करने में तेल तथा गैस की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने देश में विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला लिंकेज प्राप्त करने के लिए भारतीय तथा विदेशी कंपनी के साथ कोई संयुक्त उद्यम बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे संयुक्त उद्यमों द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं के कोयला संकट का किस प्रकार से समाधान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) देश में थर्मल विद्युत स्टेशों को कोयला आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं है। 27 नवम्बर, 2007 को, 29 थर्मल विद्युत स्टेशनों के पास 7 दिन से कम का क्रिटिकल स्टाक था। इनमें से 15 सुपर क्रिटिकल हैं जिनमें 4 दिन से कम का स्टाक है। विद्युत स्टेशनों पर आल इंडिया स्टाक लगभग 22 एमटी की नियामक आवश्यकता के विरुद्ध 8.689 मिलियन टन (एमटी) था। इसका कारण वर्षा ऋतु के दौरान तथा बाद में बंद, अवरोधों तथा अन्य कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण कोयला खानों विशेष रूप से सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल), भारत कोकिंग कोल फील्ड लिमिटेड (बीसीसीएल) और पूर्वी कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) के कोलफील्डों में कोयले का कम उत्पादन होना है। विभिन्न गैस आधारित विद्युत संयंत्र भी अपनी क्षमता के अनुरूप विद्युत उत्पादित करने में गैस की कमी का सामना कर रहे हैं। 31 अक्टूबर, 2007 को 90% संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) के लिए 69.69 एमएमएस सीएमडी की गैस आवश्यकता के विपरीत, अप्रैल-अक्टूबर, 2007 की अवधि के दौरान औसत गैस आपूर्ति 35.82 एमएमएस सीएमडी रही है।

(ग) और (घ) एनटीपीसी ने कोयला ब्लाकों और एकीकृत कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के विकास, प्रचालन एवं देखरेख को शुरू करने के लिए एक या उससे अधिक संयुक्त उद्यम कंपनियों के विकास हेतु कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे।

एनटीपीसी ने स्टील और विद्युत क्षेत्रों में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक उपाय के रूप में विदेश से कोकिंग कोल और थर्मल प्राप्त करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना हेतु स्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी) और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

एनटीपीसी ने देश में अपने विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला लिंकेज को सुरक्षित करने हेतु किसी विदेशी कंपनी के साथ अब तक कोई संयुक्त उद्यम करार नहीं किया है।

(ङ) रणनीतिक गठबंधन को विकसित करने के साथ-साथ तकनीकी शक्ति प्राप्त करने के भाग के रूप में बढ़ी हुई ईंधन सुरक्षा के लिए संयुक्त उद्यमों पर विचार किया गया है।

राज्यों द्वारा शहरी परिवहन तथा योजना हेतु नोडल विभाग

2102. श्री अधलराव पाटील शिवाजीरावः
श्री रवि प्रकाश वर्माः

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को शहरी परिवहन तथा योजना हेतु एक नोडल विभाग की स्थापना करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) एक लाख से अधिक की आबादी वाले सभी शहरों के लिए शहरी परिवहन व्यवस्था हेतु एक विभाग/मंत्रालय को नोडल विभाग/मंत्रालय नामित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह-पत्र जारी कर दिया गया है।

(ख) और (ग) शहरी परिवहन व्यवस्था राज्यों का विषय है, इस प्रकार इस विषय के संबंध में अगली कार्यवाही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग

2103. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसी कितनी सिफारिशें हैं, जिन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला आयोग" की वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 की वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित सिफारिशें विवरण में दर्शाए गए विभिन्न विषयों/क्षेत्रों/मुद्दों से संबंधित हैं। इन वार्षिक रिपोर्टों को इनके ज्ञापन के साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के ज्ञापनों का संकलन तैयार किया जा रहा है। आयोग की वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित सिफारिशें निम्नलिखित विषयों/क्षेत्रों/मुद्दों से संबंधित हैं:-

वार्षिक रिपोर्ट 2003-04:

1. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956
2. गर्भाधान-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994
3. भारत में महिला पत्रकारों की स्थिति
4. बजट: महिला एवं निर्धनता संवेदी परिप्रेक्ष्य: प्राथमिकता-प्राप्त आबंटन, ग्रामीण निर्धनता और स्वास्थ्य देखरेख तथा प्रक्रिया

वार्षिक रिपोर्ट 2004-05:

1. जिला थाणे में विदेशियों को अवयस्क बालिकाओं की तथाकथित बिक्री
2. भारतीय दण्ड संहिता का अध्ययन
3. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976
4. कारखाना अधिनियम, 1948
5. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
6. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
7. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
8. मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
10. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970
11. बागान श्रम अधिनियम, 1951
12. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966
13. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996
14. चलचित्र अधिनियम, 1952
15. वैश्विकरण के दौर में विपणन-योग्य कौशलों का अध्ययन-भारतीय संदर्भ में अध्ययन
16. किसान महिलाओं पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों का अध्ययन
17. जल एवं महिलाओं पर रिपोर्ट
18. किसान महिलाओं के प्रौद्योगिकीय सशक्तिकरण के विषय में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल की रिपोर्ट
19. भारत में विकास के परिणामस्वरूप विस्थापन की अध्ययन रिपोर्ट: महिलाओं पर प्रभाव
20. भारत में खेलकूद के क्षेत्र में महिलोन्मुख मुद्दों का अध्ययन
21. महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की आयोजना प्रक्रिया; महिलाओं के प्रति हिंसा

22. महिलाएं एवं ऋण के विषय में कार्यशाला
23. उद्योगों में कार्यरत महिलाएं
24. संपत्ति में हिस्सेदारी के महिलाओं के अधिकार
25. प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 का समुचित प्रवर्तन

वार्षिक रिपोर्ट 2005-06:

1. मुजफ्फर नगर का इमराना मामला
2. मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक शकुंतला वर्मा के हाथ काटे जाने के मामले की जांच
3. बलात्कार पीड़ितों हेतु राहत एवं पुनर्वास स्कीम
4. विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2005
5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2005
6. बलात्कार से संबंधित कानूनों और तत्संबंधी अन्य उपबंधों में संशोधन
7. कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और शिकायत समाधान) विधेयक, 2006
8. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 की समीक्षा: पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश
9. परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005
10. बुजुर्ग व्यक्ति (भरण-पोषण, देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2005
11. वृद्धाश्रम
12. बुजुर्गों का संरक्षण
13. साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण तथा पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005
14. अभिरक्षा संस्थाओं का दौरा
15. अस्पतालों और मानसिक चिकित्सालयों का दौरा
16. विशेष अध्ययन-राजस्थान और तमिलनाडु में लघु उद्यम विकास में महिला स्व-सहायता दलों की कारगर भूमिका
17. राजस्थान में एच.आई.वी./एड्स के प्रति महिलाओं की असुरक्षा का अध्ययन: इस समस्या पर काबू पाने तथा पहले से संक्रमित महिलाओं की दशा में सुधार के उपाय सुझाने के लिए
18. दिल्ली स्थित विज्ञान और प्रौद्योगिकी/अनुसंधान और विकास संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति
19. उड़ीसा के संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कर्मकारों का यौन उत्पीड़न
20. महाराष्ट्र में महिलाओं के सामाजिक विकास पर स्व-सहायता दलों के प्रभाव का मूल्यांकन
21. पूर्वोत्तर में परंपरागत जनजातीय कानून तथा इन कानूनों के महिलाओं पर प्रभाव का अध्ययन
22. महिलाओं के पर्याप्त आवास, भूमि तथा आजीविका के अधिकार पर राष्ट्रीय कार्यशाला।

सोने का आयात

2104. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कच्चे सोने पर आयात शुल्क में कटौती तथा तैयार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) चालू वित्तीय वर्ष (अर्थात् 2007-08) के दौरान सरकार के पास कच्चे सोने पर आयात शुल्क में कटौती तथा तैयार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ऋणों पर लिए जाने वाले छिपे शुल्क

2105. श्री बालेश्वर यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों की कुछ छिपी शर्तें/शुल्क होते हैं, जिनकी अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सितम्बर, 1999 से बैंकों को विभिन्न प्रकार की अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा-शुल्क निर्धारित करने की स्वतंत्रता दे दी गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों से कहा गया है कि निर्धारित प्रपत्र में विभिन्न सेवा शुल्कों का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।

ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता, जिसे उनके बोर्डों द्वारा विधिवत् अनुमोदित करके तैयार किया जाना अपेक्षित है, के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंकों से कहा गया है कि धनराशि को ध्यान में रखे बिना सभी प्रकार के ऋणों के संबंध में ऋण आवेदन प्रपत्रों में कार्यवाही हेतु देय शुल्क/प्रभार, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी, आवेदन-पत्र अस्वीकृत होने की दशा में ऐसे शुल्क की वापस की जाने वाली राशि, पूर्व-भुगतान विकल्प तथा उधारकर्ता के हित पर प्रभाव डालने वाला कोई अन्य मामला शामिल किया जाना चाहिए, ताकि अन्य बैंकों के साथ सार्थक तुलना की जा सके और उधारकर्ता द्वारा सुविज्ञ निर्णय लिया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से यह भी कहा है कि ऋणदात्री संस्था और उधारकर्ता द्वारा समझौता वार्ता के बाद निर्धारित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं को संचालित करने वाली शर्तें एवं अन्य चेतावनी में कटौती लिखित रूप से होनी चाहिए और उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों से कहा गया है कि ऋणों की मंजूरी/संवितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार में उद्धृत सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति सहित ऋण-करार की प्रति अपरिहार्य रूप से दें।

[अनुवाद]

बेघर लोग

2106. श्री के. सुब्बारायण: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसे लोगों की संख्या का आकलन है, जिनका अपना कोई घर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक परिवार हेतु घर सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करने का है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) भारत की जनगणना, 2001 के अनुसार 19.44 लाख आबादी के पास मकान नहीं हैं जिनमें से 7.89 लाख लोग शहरी क्षेत्रों में हैं।

(ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते आवास की व्यवस्था करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार ने मकानों की समस्या के समाधान और इसकी कमी को पूरा करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सात वर्ष की अवधि (2005-06 से 2011-2012) के लिए तैयार किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी निर्धनों के लिए मूलभूत सेवा (बीएसयूपी) कार्यक्रम का लक्ष्य 63 चुने हुए मिशन नगरों में शहरी निर्धनों को आवास तथा मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराना है और इसी प्रकार का प्रावधान मिशन के अंतर्गत न आने वाले नगरों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में किया गया है। योजना आयोग द्वारा 7 वर्ष की मिशन अवधि के लिए जेएनएनयूआरएस के तहत बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अंतर्गत क्रमशः 13650 करोड़ रुपए तथा 4450 करोड़ रु. का नियतन किया गया है। इसके अलावा, निम्न आय वर्ग (एलआईजी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास की व्यवस्था हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम के लिए 2007-08 के बजट में 30 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सी.आर.आर. में वृद्धि

2107. श्री अबु अयीश मंडल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने तंत्र से भारी मात्रा में धनराशि निकालने के लिए नकद आरक्षी अनुपात (सी.आर.आर.) में 50 आधार अंकों की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे लघु तथा लंबी अवधि की ब्याज दरें प्रभावित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति की अपनी मध्यावधि समीक्षा में नकदी की वर्तमान स्थिति और प्रचलित समष्टि-आर्थिक एवं मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर 10 नवम्बर, 2007 से शुरू होने वाले पखवाड़े से

आरक्षित नकदी निधि (सीआरआर) को बैंकों की निवल मांग एवं मियादी देयताओं को 7.00% से 50 आधार अंक बढ़ाकर 7.50 कर दिया है।

(ग) और (घ) सीआरआर का ब्याज दरों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, जो बैंक दर, रेपो दर, निधियों की लागत, परिचालन खर्चों, लेन-देन लागत, जोखिम आदि जैसे अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। बैंक उपर्युक्त कारकों पर विचार करते हुए अपने निदेशक-बोर्ड के अनुमोदन से स्वयं ब्याज दरें निर्धारित करते हैं।

ऋण के संवितरण में विलंब

2108. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण के आवेदनों की अस्वीकृति दर बहुत अधिक है तथा ऋण संवितरणों में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्हें इस संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने "ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता" के संबंध में बैंकों को मार्ग-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि ऋणदाता को ऋण की सीमा और उसकी निबंधन एवं शर्तों की सूचना उधारकर्ता को देनी चाहिए और उधारकर्ता को उसकी पूर्ण जानकारी में दी गई इन निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति रिकार्ड में रखनी चाहिए। बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जानी वाली ऋण सुविधाओं को नियंत्रित करने वाली निबंधन एवं शर्तों तथा अन्य आपत्तियों, जो ऋणदाता संस्था तथा उधारकर्ता द्वारा बातचीत के बाद तय की गई हो, की सूचना लिखित रूप में दी जानी चाहिए और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित की जानी चाहिए। ऋण करार में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक-एक प्रति सहित, ऋण करार की प्रति उधारकर्ता को दी जानी चाहिए। इसके अलावा, ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उधारकर्ताओं के ऋण आवेदन का उचित मूल्यांकन किया जाए, ऋणदाताओं को ऋण आदि के मामले में लिंग, जाति और धर्म के आधार पर उधारकर्ताओं के बीच भेद-भाव नहीं करना चाहिए। बैंकों को ग्राहकों को ऋण की अस्वीकृति की सूचना भी देनी होती है। इसके अलावा, ऋण आवेदन के निपटान में निर्धारित समय-सीमा का पालन न करना बैंकिंग ओमबड्समैन स्कीम, 2006 के तहत शिकायत करने का एक आधार है।

भारत पर अमरीकी वित्तीय संकट का प्रभाव

2109. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका के वित्तीय बाजार के संकट का भारत के वित्तीय बाजारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में उचित उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में हाल ही में हुई घटनाओं का भारतीय वित्तीय बाजारों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों में स्थितियां सुव्यवस्थित रहीं। क्रेडिट बाजार भी सामान्य रूप से कार्य करता रहा। इक्विटी बाजारों में निवल एफआईआई निवेशों में कुछ गिरावट आई थी। तथापि, यह गिरावट कई उन्नत तथा अन्य उभरते हुए बाजारों में हुई गिरावट की तुलना में अपेक्षाकृत कम थी। अगस्त-मध्य, 2007 के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा दिए गए समर्थन के दम पर अब इक्विटी बाजार संभल गए हैं।

(ग) और (घ) प्राधिकरणों का यह प्रयास रहा है कि वित्तीय बाजारों में सुव्यवस्थित स्थितियां कायम रखी जाएं। इन घटनाओं से निपटने के लिए और किसी भी प्रकार की व्यवस्थागत समस्याओं, जिनमें भुगतान और निपटान संबंधी मुद्दे शामिल हैं, के निवारण हेतु प्रक्रियाएं और साधन पहले से मौजूद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय बाजारों में मौजूदा उतार-चढ़ाव और भारतीय वित्तीय बाजार पर उसके प्रभाव को ध्यानपूर्वक मानीटर करने के लिए एक प्रक्रम तैयार किया है। अभी उसमें वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों में हो रहे घटनाक्रम के संबंध में आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त प्रतिक्रिया करने पर बल दिया जा रहा है।

जनजातीय लोगों की यात्राओं का आदान-प्रदान हेतु योजना

2110. श्री अनन्त नायक:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों की यात्राओं का आदान-प्रदान नामक एक नई केन्द्रीय योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत कोई यात्रा आयोजित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मंत्रालय ने जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं के आदान प्रदान नामक किसी नई केन्द्रीय योजना की शुरूआत नहीं की है। तथापि, मंत्रालय 2001-02 से जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं के आदान प्रदान की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य जनजातीय प्रतिनिधि मंडल के उद्भासित दौरों का आयोजन करना है, ताकि वे अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों की संस्कृति, परम्पराएं तथा आर्थिक विकास/पद्धतियों का एक व्यापक संदर्श प्राप्त कर सकें। राज्य सरकारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस प्रकार के दौरे 10 दिनों की यात्रा अवधि के लिए आयोजित करें, जिसमें यात्रा में लगने वाला समय सम्मिलित न हो और 10 जनजातीय लोगों के एक समूह में कम से कम 3 महिलाएं सम्मिलित हों और स्थानीय निकाय अथवा पंचायतों के कम से कम 3 निर्वाचित सदस्य हों।

(ग) और (घ) योजना के अंतर्गत 2001 और उसके बाद के दौरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

विवरण

जनजातीय लोगों द्वारा यात्राओं के आदान-प्रदान की योजना के अंतर्गत 2001-02 और उसके बाद के दौरों में भाग लेने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2
	2001-2002
1.	गुजरात
2.	कर्नाटक
3.	मिजोरम
4.	त्रिपुरा
	2002-2003
1.	आंध्र प्रदेश
2.	गुजरात
3.	केरल
4.	मणिपुर
5.	मेघालय
6.	राजस्थान
7.	त्रिपुरा
	2003-2004
1.	आंध्र प्रदेश
2.	असम
3.	गुजरात
4.	हिमाचल प्रदेश
5.	मध्य प्रदेश
6.	मिजोरम
7.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह
8.	दादर और नगर हवेली
	2004-2005
1.	आंध्र प्रदेश
2.	छत्तीसगढ़
3.	गुजरात
4.	केरल
5.	मध्य प्रदेश
5.	मेघालय
7.	मिजोरम
8.	उड़ीसा

1	2
9.	राजस्थान
10.	सिक्किम
11.	त्रिपुरा
	2005-2006
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	छत्तीसगढ़
5.	गुजरात
6.	उड़ीसा
7.	झारखण्ड
8.	कर्नाटक
9.	केरल
10.	मध्य प्रदेश
11.	महाराष्ट्र
12.	राजस्थान
13.	त्रिपुरा

[हिन्दी]

रेहड़ी-पटरी वालों हेतु राष्ट्रीय नीति

2111. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमएचयूपीए) ने यह सूचित किया है कि शहरी फेरीवालों के संबंध में राष्ट्रीय नीति वर्ष 2004 में तैयार की गई थी। नीति की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

शहरी फेरीवालों के संबंध में राष्ट्रीय नीति-2004 की मुख्य विशेषताएं

* कानूनों में उपयुक्त अधिनियमित, संबंधित कानूनों को निरस्त करके तथा उपयुक्त कानून संशोधन करके, उपयुक्त कानून बनाकर, कार्यान्वित करके फेरीवालों को कानूनी हैसियत प्रदान करना तथा शहरी विकास/जोनिंग योजनाओं में समुचित हाकिंग जोन मुहैया कराना।
* शहरी विकास/जोनिंग में हाकिंग जोन बनाने सहित पहचान किए गए स्थान का उपयुक्त उपयोग करने हेतु सुविधाएं मुहैया कराना।
* विवेकाधीन लाइसेंसों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों को घेरने की संख्यात्मक सीमाएं लगाने से बचने और नाम मात्र के शुल्क आधारित स्थान लेने के नियमन को अपनाना। जहां कीमत, गुणता और मांग जैसे बाजार घटक वेंडरों को शामिल करने की संख्या निर्धारित होगी वहां ऐसी मांग असीमित नहीं हो सकती।
* शहरी फेरीवालों को शहरी वितरण प्रणाली के आन्तरिक और वैध भाग के रूप में उन्हें मानकर शहरी विकास/जोनिंग योजनाओं का विशेष घटक बनाना।
* शहरी फेरीवालों के बीच स्व:अनुपालन को बढ़ावा देना।
* फेरीवालों के संगठनों अर्थात् संघों/सहकारिताओं/संगठनों और संगठनों के अन्य रूपों को उनकी अधिकारिता के लिए प्रोत्साहित करना।
* शहरी फेरीवालों के संबंध में (संघों/सहकारिताओं संगठनों), स्वैच्छिक संगठनों/स्थानीय प्राधिकरणों/पुलिस, रेजिडेंट वेलफेअर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और अन्य के प्रतिनिधित्व से शहरी फेरी कार्यकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भागीदारी तंत्र गठित करना।
* सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा, आदि) की सुविधा/प्रोत्साहित करने के लिए और सीएचजी/सहकारिता/संघों/लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) आदि के प्रोत्साहन के जरिए शहरी फेरीवालों के लिए क्रेडिट सुलभता की व्यवस्था करना।

गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता

2112. श्री रामदास आठवले:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विधिक सहायता योजना के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने लोग राज्य-वार लाभान्वित हुए; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान, राज्यवार, निःशुल्क विधिक सहायता हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत किए गए तथा कितने लंबित हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-I, II और III के रूप में संलग्न हैं।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या उसमें प्रतिरक्षा करनी है, विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति–

(1) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है,

(2) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है,

(3) स्त्री या बालक है,

(4) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (1) में यथापरिभाषित निःशक्त व्यक्ति है,

(5) बहुविनाश, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक संकट का शिकार है,

(6) औद्योगिक कर्मकार है,

(7) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत किसी संरक्षण गृह; या किसी किशोर गृह; या किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह की अभिरक्षा भी है,

(8) ऐसा व्यक्ति है जिसकी वार्षिक आय, यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रकम और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित रकम से कम है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में यह सीमा मूल रूप से 12,000 रुपए नियत की गई थी और अब इस आय संबंधी अधिकतम सीमा को केंद्रीय सरकार द्वारा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। उच्च न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष मामलों के संबंध में आय सीमा मूल रूप से 9,000 रुपए थी जिसे 29.02.2004 और 01.03.2004 को कोलकाता में हुई राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चौथी वार्षिक बैठक में बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का संकल्प लिया गया था। इसके अनुसरण में 19 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों ने आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है और शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी आय सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण I

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे उपदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2500000
2.	अरुणाचल प्रदेश	747244
3.	असम	1000000
4.	छत्तीसगढ़	50000
5.	गोवा	655000
6.	गुजरात	1500000

1	2	3
7.	हरियाणा	533000
8.	हिमाचल प्रदेश	1216199
9.	कर्नाटक	1285361
10.	केरल	5584000
11.	मध्य प्रदेश	499900
12.	महाराष्ट्र	140000
13.	मणिपुर	150000
14.	मेघालय	237522
15.	मिजोरम	350000
16.	नागालैंड	200000
17.	उड़ीसा	700000
18.	पंजाब	1500000
19.	राजस्थान	2000000
20.	तमिलनाडु	1000000
21.	त्रिपुरा	1215000
22.	उत्तर प्रदेश	1577000
23.	पश्चिम बंगाल	2920000
24.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	500000
25.	दिल्ली	18200000
26.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	500000
27.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	3500000

विवरण II

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे उपदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2500000
2.	अरुणाचल प्रदेश	400000
3.	असम	1500000
4.	छत्तीसगढ़	1515000
5.	गुजरात	3000000
6.	हरियाणा	1750000
7.	हिमाचल प्रदेश	1000000
8.	जम्मू-कश्मीर	600000
9.	झारखंड	1500000
10.	कर्नाटक	1500000
11.	केरल	6500000
12.	मध्य प्रदेश	800000
13.	महाराष्ट्र	3585400
14.	मणिपुर	300000
15.	मिजोरम	562000
16.	नागालैंड	665000
17.	उड़ीसा	1500000
18.	पंजाब	1300000
19.	राजस्थान	1500000
20.	सिक्किम	246215
21.	तमिलनाडु	2000000
22.	त्रिपुरा	2200000
23.	उत्तर प्रदेश	4155000
24.	उत्तराखंड	6554490
25.	पश्चिमी बंगाल	4424000
26.	दादरा और नागर हवेली	200000
27.	दिल्ली	20132710
28.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	500000
29.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	5000000

विवरण III

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे उपदर्शित करने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	2006-07
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	500000
2.	अरुणाचल प्रदेश	300000
3.	असम	2450000
4.	बिहार	500000
5.	छत्तीसगढ़	3808000
6.	गुजरात	2000000
7.	हरियाणा	2500000
8.	हिमाचल प्रदेश	1450000
9.	जम्मू-कश्मीर	600000
10.	झारखंड	3398000
11.	कर्नाटक	2138600
12.	केरल	3700000
13.	मध्य प्रदेश	500000
14.	महाराष्ट्र	1791000
15.	मणिपुर	300000
16.	मिजोरम	500000
17.	नागालैंड	300000
18.	उड़ीसा	2200000
19.	पंजाब	1500000
20.	राजस्थान	1200000
21.	तमिलनाडु	2500000
22.	त्रिपुरा	800000
23.	उत्तर प्रदेश	4071000
24.	उत्तरांचल	2768000
25.	पश्चिम बंगाल	5069000
26.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	100000
27.	दिल्ली	22000000
28.	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	700000
29.	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	5000000

कंपनियों में श्रम कानूनों का क्रियान्वयन

2113. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनियों को श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में कार्पोरेट कार्य विभाग को एक अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपबंध हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कंपनियों ने अनुपालन रिपोर्ट नहीं सौंपी है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास

2114. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसंधान एवं विकास में भारत का निवेश अन्य विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षित स्तर से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में वैज्ञानिक क्रियाकलापों को बढ़ाने हेतु अनुसंधान एवं विकास प्रणाली को उदार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने योजना आयोग को 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास के लिए कोई योजना सौंपी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान का कार्य कराने के लिए एक स्वायत्त निकाय का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर व्यय ब्राजील और चीन जैसे कुछ विकासशील देशों की तुलना में कम है, किन्तु यह अर्जेंटीना, क्यूबा, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अनेक विकासशील देशों की तुलना में अधिक है। समग्र रूप से, अनुसंधान और विकास पर भारत का व्यय विगत वर्षों के दौरान बढ़ा है जो वर्ष 2000-01 में 16198.78 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2002-03 में 18000.16 करोड़ रुपये हो गया है तथा वर्ष 2004-05 में इसके और बढ़कर 21639.58 करोड़ रुपये हो जाने की आशा है। वर्ष 2002-03 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय लगभग 0.80 प्रतिशत था।

(ग) और (घ) सरकार ने अपने नीतिगत संशोधनों के माध्यम से देश में वैज्ञानिक क्रियाकलापों को बढ़ाने के संकेत दिये हैं जिसमें यूके, यूएसए, जापान, आदि जैसे विकसित देशों की तरह निजी क्षेत्र में बढ़ी हुई भागीदारी होगी। वैज्ञानिक/एजेंसियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परवर्ती योजना परिव्ययों को बढ़ाने के अतिरिक्त सरकार ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान, विभिन्न वैज्ञानिक और आर्थिक मंत्रालयों के क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सहायता, अनुसंधान और विकास व्यय पर आयकर राहत, प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर कटौती, सरकार निधिकृत अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में प्रयोग हेतु आयातित वस्तुओं पर भागीदारियों को प्रोत्साहन के रूप में सहायता जैसे अनेक राजकोषीय प्रोत्साहनों और अन्य सहायता उपायों के माध्यम से उद्योग में अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक पहलें की हैं।

(ङ) से (ज) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए योजना आयोग को एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की गयी है जिसमें निम्नलिखित सहित अनेक नई पहलें हैं (1) एसईआरबी, (2) उच्चतर शिक्षा में विज्ञान (एसएचई) में छात्रवृत्तियों सहित अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष इंसपायर), (3) बुनियादी अनुसंधान के लिए वृहत सुविधाएं, (4) सुरक्षा प्रौद्योगिकियां, (5) जल प्रौद्योगिकी, (6) नवोन्मेष समूह आदि। सरकार देश में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान को बढ़ावा देने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए एक स्वायत्त विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना करने का प्रस्ताव कर रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ाने तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के स्वायत्त रूप में कार्य करने की आशा है।

[हिन्दी]

म्यूचुअल फंड घोटाला

2115. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री काशीराम राणा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को म्यूचुअल फंडों से जुड़े किसी घोटाले की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) सेबी ने सूचित किया है कि उन्हें विगत तीन वर्षों में म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी घोटाले की कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ितों के बीमा राशि के दावे

2116. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को उनके बीमा राशि के दावों के निपटान के रूप में पर्याप्त राहत और मुआवजा प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों को सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई राहत/मुआवजा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(राशि करोड़ रु. में)

बीमा कंपनी का नाम	निपटाए गए दावों की संख्या	दावों के लिए अदा की गई राशि
भारतीय जीवन बीमा निगम	108	1.69
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. (एनआईएसीएल)	22514	431.98
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लि. (ओआईसीएल)	7221	319.68
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. (एनआईसीएल)	5952	212.18
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. (यूआईआईसीएल) .	6570	216.19

शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा

2117. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री सुब्रत बोस:
श्री रनेन बर्मन:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रत्येक इकाई की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और परियोजना लागत सहित परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को प्रोत्साहन दिए जाने और उनकी स्थापना के लिए वित्तीय और अन्य सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी डेवलपरों को ऐसी परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो निजी डेवलपरों के लिए सरकार द्वारा क्या मापदंड और शर्तें निर्धारित की गई हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) दस राज्यों में शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति संबंधी लगभग 95 मेवा. की समग्र क्षमता वाली अब तक कुल 52 परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिए गए हैं। प्रत्येक परियोजना की लागत इसकी अवस्थिति, अपशिष्ट की विशेषताओं, लगाई गई प्रौद्योगिकी और परियोजना के प्रदर्शन अथवा वाणिज्यिक प्रकृति पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों हेतु अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से

अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्रता तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन वित्तीय सहायता हेतु प्रावधान विवरण-II में दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, आदि के माध्यम से क्षमता निर्माण, सूचना के प्रसार और जागरूकता सृजन की भी व्यवस्था है।

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य सरकारी संगठनों द्वारा अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से आरंभ की जा सकती हैं। पर्याप्त तकनीकी, वित्तीय तथा प्रबंधन सामर्थ्य वाले निजी विकासकर्ता और उद्योग भी इन परियोजनाओं को प्रारंभ करने के पात्र हैं।

विवरण I

दिनांक 31.10.2007 तक प्रारंभ की गई शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति की परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण		संस्थापनाधीन		कुल		अपशिष्ट प्रकार
		संख्या	क्षमता (मेवा. समतुल्य)	संख्या	क्षमता (मेवा. समतुल्य)	संख्या	क्षमता (मेवा. समतुल्य)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
शहरी अपशिष्टों पर आधारित परियोजनाएं								
1.	आंध्र प्रदेश	3	12.75	-	-	3	12.75	म्यूनिसिपिल ठोस अपशिष्ट और सब्जी मंडी अपशिष्ट
2.	गुजरात	1	0.50	1	3	2	3.50	मल जल शोधन संयंत्र में बायोगैस
3.	पंजाब	1	1.00	-	-	1	1.00	पशु गोबर
4.	तमिलनाडु	1	0.25	-	-	1	0.25	सब्जी मंडी अपशिष्ट
5.	उत्तर प्रदेश	1	5.00	-	-	1	5.00	म्यूसिपिल ठोस अपशिष्ट
	कुल	7	19.50	1	3	8	22.50	
औद्योगिक अपशिष्टों पर आधारित परियोजनाएं								
6.	आंध्र प्रदेश	12	23.95	3	10.66	15	34.61	डिस्टीलरी, बूचड़खाना, खाद्य प्रसंस्करण, कुक्कुट
7.	गुजरात	3	2.90	-	-	3	2.90	डिस्टीलरी और खाद्य प्रसंस्करण
8.	हरियाणा	-	-	1	1.00	1	1.00	डिस्टीलरी
9.	कर्नाटक	2	3.00	-	-	2	3.00	डिस्टीलरी और खाद्य प्रसंस्करण
10.	मध्य प्रदेश	2	2.78	-	-	2	2.78	डिस्टीलरी और खाद्य प्रसंस्करण
11.	महाराष्ट्र	3	2.76	-	-	3	2.76	डिस्टीलरी और खाद्य प्रसंस्करण
12.	पंजाब	4	9.83	-	-	4	9.83	डिस्टीलरी और खाद्य प्रसंस्करण और कागज

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	तमिलनाडु	7	6.98	-	-	7	6.98	चर्मशोधन, खाद्य प्रसंस्करण, कागज और कुक्कट
14.	उत्तर प्रदेश	5	5.73	-	-	5	5.73	डिस्टीलरी और खाद्य प्रसंस्करण
15.	उत्तरांचल	1	1.52	1	1.08	2	2.60	खाद्य प्रसंस्करण
	कुल	39	59.45	5	12.74	44	72.19	

विवरण II

शहरी तथा औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु त्वरित कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान

	अपशिष्ट/प्रौद्योगिकियां		पूंजीगत सब्सिडी
I.	**शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति**		
1.	म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्टों (एम.एस.डब्ल्यू.) से उत्पन्न आर.डी.एफ. के दहन पर आधारित फास्ट ट्रेक परियोजनाएं	:	1.5 करोड़ रु./मेगावाट तक
2.	एम.एस.डब्ल्यू. के बायोमिथेनेशन पर आधारित परियोजनाएं	:	2 करोड़ रु./मेगावाट तक
3.	गैसीकरण/पायरोलिसिस पर आधारित प्रदर्शन परियोजनाएं और एम.एस.डब्ल्यू. हेतु प्लाज्मा आर्क प्रौद्योगिकियां	:	3 करोड़ रु./मेगावाट तक
4.	मलजल (सी-वेज) उपचार संयंत्रों में उत्पन्न हो रहे बायोगैस से विद्युत के उत्पादन हेतु परियोजनाएं	:	2 करोड़ रु./मेगावाट तक
5.	अन्य शहरी अपशिष्टों हेतु बायोमिथेनेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजनाएं	:	3 करोड़ रु./मेगावाट तक
II.	**औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति**		
1.	बायोगैस से औद्योगिक अपशिष्ट		
	(i) निम्न ऊर्जा घनत्व वाले तथा कठोर औद्योगिक अपशिष्टों का बायोमिथेनेशन	:	1.0 करोड़ रु./मेगावाट समतुल्य
	(ii) अन्य औद्योगिक अपशिष्टों का बायोमिथेनेशन	:	0.50 करोड़ रु./मेगावाट समतुल्य
2.	बायोगैस से विद्युत उत्पादन	:	0.80-1.00 करोड़ रु./मेगावाट
3.	ठोस औद्योगिक अपशिष्ट से विद्युत उत्पादन	:	0.80 करोड़ रु./मेगावाट

हुडको सहायता के माध्यम से बिहार में परियोजनाएं

2118. श्री राम कृपाल यादव:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को वित्तीय सहायता हेतु अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के माध्यम से विकसित किए जाने वाले कस्बों/टाउनशिप का ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) ने बताया है कि उनके पास बिहार सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम

2119. श्री काशीराम राणा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अभी तक राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम का विलय दिनांक 3 दिसम्बर, 2005 से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक तथा एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) में कर दिया गया है।

[अनुवाद]

एनआरईजीएस के तहत कार्य और उनकी मानीटरिंग

2120. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईजीएस) के अंतर्गत सरकार द्वारा कार्यों की प्राथमिकता तय करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों द्वारा कार्य के चयन हेतु प्राथमिकता सूची का अनुपालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार उन राष्ट्रीय स्तर के मानीटरों और क्षेत्राधिकारियों की भूमिका से संतुष्ट है जो इस अधिनियम के तहत कार्य की प्रगति को मानीटर करते हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक की गई समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(छ) कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में ऐसे मानीटरों द्वारा उल्लिखित व्यवहारिक कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) एनआरईजीए के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार अधिनियम की अनुसूची (1) की धारा (1) में सूचीबद्ध किया गया है। ये कार्य इस प्रकार हैं:-

(1) जल संरक्षण तथा जल एकत्रण;

(2) सूखा रोधन (वनरोपण तथा वनीकरण);

(3) सिंचाई नहरें जिसमें माइक्रो तथा लघु सिंचाई कार्य शामिल हैं;

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अथवा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों या भूमि सुधार संबंधी लाभार्थियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए सिंचाई सुविधा, बागवानी और भूमि विकास सुविधाओं का प्रावधान;

(5) तालाबों के शुद्धिकरण सहित पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण;

(6) भूमि विकास;

(7) जलरुद्ध क्षेत्रों में जल निकास सहित बाढ़ नियंत्रण एवं संरक्षण कार्य;

(8) बारहमासी पहुंच की व्यवस्था के लिए ग्रामीण सम्पर्कता और;

(9) संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कार्य।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान इस अधिनियम के तहत शुरू किए गए कुल कार्यों में से लगभग 62% कार्य जल संरक्षण एवं जल एकत्रण, सूखा रोधन, सिंचाई सुविधाओं एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित हैं। चालू वर्ष के दौरान अब तक शुरू किए गए कार्यों में से लगभग 65% कार्य इन श्रेणियों से संबंधित हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। एनआरईजीए के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। दिनांक 20.6.2007 को उच्चतम स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में एनआरईजीए की समीक्षा की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव (ग्रामीण विकास) द्वारा भी समय-समय पर कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें की जाती हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान, सभी राज्यों को कवर करने की दृष्टि से क्षेत्रीय समीक्षा समिति की तीन बैठकें हुई हैं। अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के सदस्य भी विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

20-23 अगस्त, 2007 और 5-6 सितंबर, 2007 के दौरान संसद सदस्यों के साथ पारस्परिक चर्चा में भी एनआरईजीए की प्रगति की समीक्षा की गई थी। अधिनियम की प्रगति की जांच करने के लिए राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ता और मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा करते हैं। राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं ने अब तक चरण-1 और चरण-2 जिलों के 331 दौरे किए हैं।

(छ) राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं ने कार्यों के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई का उल्लेख नहीं किया है।

[हिन्दी]

झारखण्ड के लिए मेट्रो रेल

2121. श्री धीरेंद्र अग्रवाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखंड में मेट्रो रेल शुरू करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के नवीनतम संस्करण का प्रकाशन

2122. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण कब प्रकाशित किया गया था और आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था;

(ख) क्या भारत के संविधान के नए संस्करण में नवीनतम संशोधन शामिल कर दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भारत के संविधान के नए संस्करण को प्रकाशित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नवीनतम संस्करण को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) भारत के संविधान के नवीनतम द्विभाषी संस्करण 26 जनवरी, 2005 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें संविधान (बानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 तक और उसके सहित सभी संशोधनों को सम्मिलित किया गया है। उक्त संस्करण की मुद्रित प्रतियां विक्रय के लिए प्रकाशन नियंत्रक, सिविल साइंस, दिल्ली और इस विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के पास 22 मार्च, 2005 से उपलब्ध है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) संविधान को कब तक तक चौरानवे बार संशोधित किया गया है, जिनमें से अंतिम संशोधन संविधान (चौरानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2006 है तथा नवीनतम संस्करण के प्रकाशन के लिए कार्यवाही की जा रही है और उसे शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

अन्तर्विनियामक समन्वय समूह की स्थापना

2123. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय सलाहकारों के लिए न्यूनतम शिक्षा और विनियामक मानदंड निर्धारित करने हेतु एक उच्च-स्तरीय अंतर्विनियामक समन्वय समूह की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ विषय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नियमों को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा और यह समूह कब तक कार्य करना आरंभ करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) गैर-प्रतिभूति बाजार में निवेश संबंधी सलाह के विनियमन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, भारत में मौजूदा कानूनी स्थिति आदि से संबंधित मुद्दों की विस्तृत जांच हेतु एक समिति गठित की गई है।

(ग) समिति को दो माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।

एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों को भूमि और विकास कार्यालय द्वारा आबंटित भूमि

2124. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या युवाओं और कामकाजी महिलाओं के होस्टल के निर्माण प्रचालन के लिए भूमि और विकास कार्यालय द्वारा न्यासों, सोसाइटियों और गैर-सरकारी संगठनों को दिल्ली के एन.डी.एम.सी. क्षेत्र में भूमि पट्टे पर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आबंटियों, न्यासों/सोसाइटियों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक को आबंटित भूमि का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या पट्टा समझौते के तहत पट्टे पर दिए गए ऐसे परिसरों से वाणिज्यिक कार्यकलापों का निषेध है;

(घ) यदि हां, तो क्या आबंटियों द्वारा पट्टे की शर्तों के उल्लंघन के मामले आए हैं; और

(ङ) उनके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। चाणक्यपुरी में 0.81 एकड़ तथा 2.149 एकड़ के दो भूखण्ड क्रमशः नेशनल यूथ होस्टल ट्रस्ट तथा विश्व युवक केन्द्र को यूथ होस्टल तथा होस्टल बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, हां। लीजकरार की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की गई है। नोटिस जारी करके संस्थाओं को निदेश किया गया है कि वे उल्लंघनों का निराकरण करें। उल्लंघनों का निराकरण नहीं करने के कारण और आगे कार्रवाई की जा सकती है अर्थात् लीज को समाप्त किया जा सकता है और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अधीन पुनः प्रवेश तथा कार्रवाई की जा सकती है।

टिहरी बांध के विस्थापितों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

2125. श्री विजय बहुगुणा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) टिहरी जल विकास निगम लि. ने टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर अभी तक कुल कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस प्रयोजनार्थ अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) टीएचडीसी ने सूचित किया है कि अक्टूबर, 2007 तक उन्होंने टिहरी बांध से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन पर 1232.35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(ख) उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने नवम्बर, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री के पास टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित/कट आफ एरिया के लिए 248.00 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की अतिरिक्त मांग की है। इसके अलावा उत्तराखंड के पुनर्वास निदेशालय ने टिहरी बांध के प्रभावित लोगों के पुनर्वास व पुनर्स्थापन कार्यों के लिए टीएचडीसी 144.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियां मांगी है।

(ग) माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड द्वारा की गई मांग मुख्यतः उत्तराखंड के पुलों तथा सड़कों को जोड़ने से संबंधित है। चूंकि

ये मांगें पुनर्वास व पुनर्स्थापन के अनुमोदित प्रावधानों से परे है अतएव उन्हें परियोजना लागत में से वहन नहीं किया जा सका।

टीएचडीसी ने दिनांक 25.9.2007 के पत्र के तहत उत्तराखंड के पुनर्वास निदेशालय से, उनके द्वारा 144.20 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांगों के बारे में ब्यौरे दर्शाने का अनुरोध किया है।

महानगरों, बड़े और छोटे शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

2126. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों, बड़े और छोटे शहरों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का उचित सर्वेक्षण/पहचान नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार महानगरों, बड़े और छोटे शहरों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पुनर्सर्वेक्षण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या सरकार का विचार महानगरों, छोटे और बड़े शहरों के गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को विशेष रियायतों पर रोजगार, मेडिकल सुविधाएं और आवास उपलब्ध कराने का है; और

(ज) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग समय-समय पर शहरी गरीबों की संख्या संबंधी अनुमान जारी करता है। हाल ही में योजना आयोग ने एनएसएसओ सर्वेक्षण के 61वें चक्र के आधार पर वर्ष 2004-05 के लिए शहरी गरीबों के राज्यवार अनुमान जारी किए हैं। वर्तमान में, शहरी गरीबों का कोई नया अखिल भारतीय सर्वेक्षण किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) से (ज) शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों की जीवन दशा सुधारने के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक रोजगारपरक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से अखिल भारतीय आधार पर चलाया जा रहा है। एसजेएसआरवाई के अंतर्गत शहरी गरीबों को स्वरोजगार हेतु व्यक्तिगत/समूह लघु उद्यम लगाने के लिए सहायता दी जाती है और सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके उन्हें मजदूरी रोजगार भी मुहैया किया जाता है। शहरी गरीबों की आश्रय और बुनियादी सुविधाओं की जरूरतें, हाल ही में शुरू किए गए, 63 चुनिंदा शहरों हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सुवाओं (बीएसयूपी) के जरिए और 63 चुनिंदा शहरों से भिन्न शहरों/नगरों के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के जरिए पूरी की जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा, शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित कार्यक्रमों को मिलाकर सुनिश्चित की जाती है।

ताप विद्युत संयंत्रों की समीक्षा

2127. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ताप विद्युत संयंत्रों के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में इन संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विद्युत उत्पादन और वितरण कार्य में निजी एजेंसियां भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां, देश के थर्मल पावर प्लांटों के कार्य निष्पादन की समीक्षा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा नियमित आधार पर की जाती है तथा सेन्ट्रल सेक्टर पावर यूटिलिटियों के थर्मल पावर स्टेशनों के कार्य निष्पादन की समीक्षा विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है।

विभिन्न राज्यों में स्थापित थर्मल पावर स्टेशनों की विद्युत उत्पादन क्षमता को दर्शाने वाला विस्तृत ब्यौरा विवरण-I (31.10.2007 की स्थिति के अनुसार) में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां, निजी क्षेत्र में थर्मल एवं हाइड्रो पावर स्टेशनों का राज्यवार विवरण दर्शाने संबंधी विवरण तथा विभिन्न राज्यों में विद्युत वितरण से जुड़ी प्राइवेट एजेंसियों का ब्यौरा विवरण-II और III में दिया गया है।

विवरण I

31.10.2007 को थर्मल पावर स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	इकाई	स्वामित्व	परियोजना का नाम	पी.एम.	यूनिटों की संख्या	क्षमता (मेगावाट)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	उत्तरी क्षेत्र (एनआर)							
1.	चंडीगढ़	राज्य क्षेत्र	सरकार (चंडीगढ़)	गवर्मेंट पावर प्रोजेक्ट	डीजल	1	2	2.00
	कुल (चंडीगढ़)							2.00
2.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्था यूनिट-2	स्टीम	1	62.5	62.50
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्था यूनिट-3	स्टीम	1	62.5	62.50
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्था यूनिट-4	स्टीम	1	62.5	62.50
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	इंद्रप्रस्था यूनिट-5	स्टीम	1	60	60.00
3.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	राजघाट पावर प्रोजेक्ट	स्टीम	1	67.50	67.50
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	आईपीजीसीएल	राजघाट पावर प्रोजेक्ट दिल्ली	स्टीम	1	67.50	67.50
4.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	30	30.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	30	30.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	30	30.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	30	30.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	30	30.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	30	30.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	34	34.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	34	34.00
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	34	34.00
5.	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	104.6	104.60
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	104.6	104.60
	दिल्ली	राज्य क्षेत्र	पीआरपीसीएल	प्रगति पावर प्रोजेक्ट	जीटी-गैस	1	121.1	121.20
	कुल (दिल्ली)							994.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	हरियाणा	राज्य क्षेत्र	एचजीपीसी	अंबाला पावर प्रोजेक्ट (स्टेज 1)	डीजल	1	0.218	0.22
	हरियाणा		एचजीपीसी	अंबाला पावर प्रोजेक्ट (स्टेज 2)	डीजल	1	0.3	0.30
	हरियाणा		एचजीपीसी	अंबाला पावर प्रोजेक्ट (स्टेज 3)	डीजल	1	0.4	0.40
	हरियाणा		एचजीपीसी	अंबाला पावर प्रोजेक्ट (स्टेज 4)	डीजल	1	1	1.00
7.	हरियाणा		एचजीपीसी	फरीदाबाद डीजल पावर प्रोजेक्ट	डीजल	2	1	2.00
8.	हरियाणा		एचजीपीसी	फरीदाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट	स्टीम	1	60	60.00
	हरियाणा			फरीदाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट	स्टीम	1	60	60.00
	हरियाणा			फरीदाबाद थर्मल पावर प्रोजेक्ट	स्टीम	1	60	60.00
9.	हरियाणा		एचजीपीसी	ताऊ देवीलाल टीपीएस	स्टीम	1	250	250.00
	हरियाणा		एचजीपीसी	ताऊ देवीलाल टीपीएस	स्टीम	1	250	250.00
10.	हरियाणा		एचजीपीसी	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 1	स्टीम	1	110	110.00
	हरियाणा		एचजीपीसी	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 1	स्टीम	1	110	110.00
	हरियाणा		एचजीपीसी	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 1	स्टीम	1	110	110.00
	हरियाणा		एचजीपीसी	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 1	स्टीम	1	110	110.00
	हरियाणा		एचजीपीसी	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 2	स्टीम	1	210	210.00
	हरियाणा		एचजीपीसी	पानीपत थर्मल पावर स्टेशन 2	स्टीम	1	210	210.00
	कुल (हरियाणा)							1543.92
11.	हिमाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एचपीएसईबी	केयलांग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.13	0.13
	कुल (हिमाचल प्रदेश)							0.13
12.	जम्मू-कश्मीर	राज्य क्षेत्र	जे एंड के पीडीसी	बेमीना डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	5	5.00
13.	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	करनाह डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.06	0.06
14.	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	लेह गैस पावर स्टेशन	डीजल	1	2.18	2.18
15.	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00
	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00
	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00
	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00
	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00
	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	पम्पोर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	25	25.00
16.	जम्मू-कश्मीर		जे एंड के पीडीसी	उप्पल सिंह डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.7	1.70
	कुल (जम्मू व कश्मीर)							183.94
17.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	अंता गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	88	88.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	अंता गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	88	88.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	अंता गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	88	88.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	अंता गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	149	149.00
18.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	औरिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	102	102.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	औरिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	102	102.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	औरिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	औरिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	औरिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	औरिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
19.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
20.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	दादरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	दादरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	दादरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	दादरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	दादरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	146.5	146.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	दादरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	146.5	146.50
21.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरीदाबाद सीसीजीटी	जीटी-गैस	1	143	143.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरीदाबाद सीसीजीटी	जीटी-गैस	1	143	143.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरीदाबाद सीसीजीटी	जीटी-गैस	1	144	144.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	नेशनल कैपीटल रिजन पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	नेशनल कैपीटल रिजन पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	नेशनल कैपीटल रिजन पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	नेशनल कैपीटल रिजन पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
23.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रिहद थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रिहद थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रिहद थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रिहद थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
24.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
25.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	टांडा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
26.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र)							9362.00
27.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
28.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
29.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	राइस स्ट्रा (जलखेरी)	स्टीम	1	10	10.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पंजाब	राज्य क्षेत्र		रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
30.	पंजाब	राज्य क्षेत्र	पीएसईबी	रोपड़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कुल (पंजाब)							2130.00
31.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र		कोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र		कोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	कोटा थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 4 यूनिट 6	स्टीम	1	195	195.00
32.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	गिराल थर्मल पावर स्टेशन (लिग्नाइट)	स्टीम	1	125	125.00
33.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	धौलपुर गैस सीसीजीटी	जीटी-गैस	1	110	110.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	धौलपुर गैस सीसीजीटी	जीटी-गैस	1	110	110.00
34.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	रामगढ़ गैस पावर स्टेशन चरण-2	जीटी-गैस	1	37.5	37.50
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	रामगढ़ गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	रामगढ़ गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	35.5	35.50
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	रामगढ़ गैस पावर स्टेशन चरण-2	जीटी-गैस	1	37.8	37.80
35.	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	सूरत थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	सूरत थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	सूरत थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	सूरत थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	राजस्थान	राज्य क्षेत्र	आरआरवीयूएनएल	सूरत थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	कुल (राजस्थान)							2753.80
36.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा थर्मल पावर स्टेशन चरण-1	स्टीम	1	210	210.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा थर्मल पावर स्टेशन चरण-1	स्टीम	1	210	210.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा थर्मल पावर स्टेशन चरण-1	स्टीम	1	210	210.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा थर्मल पावर स्टेशन चरण-2	स्टीम	1	500	500.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	अनपरा थर्मल पावर स्टेशन चरण-2	स्टीम	1	500	500.00
37.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
38.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
39.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	पनकी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	पनकी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
40.	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	उत्तर प्रदेश	राज्य क्षेत्र	यूपीआरवीयूएनएल	परीछा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कुल (उत्तर प्रदेश)							4380.00
	कुल उत्तरी क्षेत्र							21350.69
II.	पश्चिमी क्षेत्र							
41.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	50	50.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	50	50.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	50	50.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	50	50.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र		कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	120	120.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र		कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	120	120.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र		कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (पूर्व)	स्टीम	1	250	250.00
42.	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र	सीएसईबी	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (वेस्ट)	स्टीम	1	210	210.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र		कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (वेस्ट)	स्टीम	1	210	210.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र		कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (वेस्ट)	स्टीम	1	210	210.00
	छत्तीसगढ़	राज्य क्षेत्र		कोरबा थर्मल पावर स्टेशन (वेस्ट)	स्टीम	1	210	210.00
43.	छत्तीसगढ़	प्राइवेट	मैसर्स ओ.पी. जिंदल	रायगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	कुल (छत्तीसगढ़)							1780.00
44.	गोवा	प्राइवेट	रिलायंस सालगौकार	सलगांवकर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	48	48.00
	कुल (गोवा)							48.00
45.	गुजरात	प्राइवेट	एईसीओ प्रा.	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	गुजरात	प्राइवेट		साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	गुजरात	प्राइवेट	एईसीओ प्रा.	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गुजरात	प्राइवेट		साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	गुजरात	प्राइवेट		साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
46.	गुजरात	प्राइवेट	एईसीओ प्रा.	वटवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00
	गुजरात	प्राइवेट	एईसीओ प्रा.	वटवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00
	गुजरात	प्राइवेट	एईसीओ प्रा.	वटवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	34	34.00
47.	गुजरात	प्राइवेट	इसार प्रा.	एस्सार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	गुजरात	प्राइवेट	इसार प्रा.	एस्सार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	गुजरात	प्राइवेट	इसार प्रा.	एस्सार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	गुजरात	प्राइवेट	इसार प्रा.	एस्सार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	185	185.00
48.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	भुज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.07	0.07
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	भुज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.15	0.30
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	भुज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.3	0.30
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	भुज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	4.2	8.40
49.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	धुवरण थर्मल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.6	0.60
50.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	धुवरण थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	धुवरण थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
51.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	द्वारका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.12	0.36
52.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	गांधीनगर डीजल थर्मल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.3	0.80
53.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	गांधीनगर डीजल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	गांधीनगर डीजल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	गांधीनगर डीजल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	गांधीनगर डीजल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
54.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	70	70.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	70	70.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	कच्छ लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	75	75.00
55.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	मुहआ डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.28	1.28
56.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	मांडवी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.15	0.15
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	मांडवी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.56	1.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	पनधाना डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.02	1.02
58.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	सिक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	सिक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
59.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	उकाई थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
60.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	उरान थर्मल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.28	1.28
61.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	डीजल	4	0.4	1.60
62.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
63.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	हजीरा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52	52.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	हजीरा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52	52.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईबी	हजीरा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.1	52.10
64.	गुजरात	प्राइवेट	जीआईपीसीएल (प्रा.)	हजीरा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	106	106.00
	गुजरात	प्राइवेट	जीआईपीसीएल (प्रा.)	बड़ौदा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	54	54.00
65.	गुजरात	प्राइवेट	जीआईपीसीएल (प्रा.)	सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
	गुजरात	प्राइवेट	जीआईपीसीएल (प्रा.)	सूरत लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
66.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरण गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	38.77	38.77
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरण गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	67.85	67.85
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरण गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	72	72.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	धुवरण गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	40	40.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	गांधी नगर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
68.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उतरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उतरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उतरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	उतरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00
69.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएसईसीएल	वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
70.	गुजरात	प्राइवेट	जीएसईसीएल	पगुथन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	135	135.00
	गुजरात	प्राइवेट	जीएसईसीएल	पगुथन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	135	135.00
	गुजरात	प्राइवेट	जीएसईसीएल	पगुथन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	135	135.00
	गुजरात	प्राइवेट	जीएसईसीएल	पगुथन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	250	250.00
71.	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएमडी कारपोरेशन	अकरीमोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
	गुजरात	राज्य क्षेत्र	जीएमडी कारपोरेशन	अकरीमोटा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
72.	गुजरात	प्राइवेट	सुरत ई कारपोरेशन प्रा.	सूरत पावर जेनरेटिंग कंपनी	डीजल	2	0.1	0.20
	कुल (गुजरात)							6721.00
73.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
74.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	बीरसिंहपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
75.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
76.	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी राजस्थान के साथ	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	मध्य प्रदेश	राज्य क्षेत्र	एमपीएसईबी	सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	कुल (मध्य प्रदेश)							2782.50
77.	महाराष्ट्र	प्राइवेट	बीएसईएस प्रा.	दहाणु थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	महाराष्ट्र	प्राइवेट		दहाणु थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
78.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	55	55.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	भुसावल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		भुसावल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
79.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
80.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
81.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	105	105.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	105	105.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	105	105.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	105	105.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
82.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	नासिक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		नासिक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	नासिक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		नासिक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		नासिक थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
83.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	पारस थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	55	55.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	पारस थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
84.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	पारली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	20	20.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		पारली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	20	20.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	पारली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		पारली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		पारली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		न्यू पारली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
85.	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र	एमएसईबी	उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	108	108.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	108	108.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	108	108.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	108	108.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	120	120.00
	महाराष्ट्र	राज्य क्षेत्र		उरान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	120	120.00
86.	महाराष्ट्र	प्राइवेट	टाटा	ट्रांबे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	महाराष्ट्र	प्राइवेट	टाटा	ट्रांबे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	120	120.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87.	महाराष्ट्र	प्राइवेट	टाटा	ट्रांबे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	150	150.00
	महाराष्ट्र	प्राइवेट	टाटा	ट्रांबे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	500	500.00
	महाराष्ट्र	प्राइवेट	टाटा	ट्रांबे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	500	500.00
	कुल (महाराष्ट्र)							9542.00
88.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	गांधार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	गांधार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	गांधार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	131	131.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	गांधार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	255	255.00
89.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कवास गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	106	106.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कवास गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	106	106.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कवास गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	106	106.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कवास गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	106	106.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कवास गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कवास गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
90.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
91.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	240	240.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	240	240.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	260	260.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	240	240.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	240	240.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	260	260.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	240	240.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	240	240.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	ज्वांट वेंचर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी	रत्नागिरि गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	260	260.00
92.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
93.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	विन्ध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (पश्चिमी क्षेत्र)							9372.00
	कुल पश्चिमी क्षेत्र							30245.70
III.	दक्षिणी क्षेत्र							
94.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	कोठागुडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
95.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन बी	स्टीम	1	62.5	62.50
96.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	रायलसीमा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
97.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजयवाड़ा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
98.	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजेश्वरम (एपीजीपी कोर)	जीटी-गैस	1	173.3	173.30
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजेश्वरम (एपीजीपी कोर)	जीटी-गैस	1	33	33.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजेश्वरम (एपीजीपी कोर)	जीटी-गैस	1	33	33.00
	आंध्र प्रदेश	राज्य क्षेत्र	अपजेनको	विजेश्वरम (एपीजीपी कोर)	जीटी-गैस	1	33	33.00
99.	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	बीएसईबी	पेद्दापुरम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	142	142.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	बीएसईबी	पेद्दापुरम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	78	78.00
100.	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	जीवीके इंड	जेगरूपाडु गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.8	52.80
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	जीवीके इंड	जेगरूपाडु गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.8	52.80
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	जीवीके इंड	जेगरूपाडु गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.8	52.80
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	जीवीके इंड	जेगरूपाडु गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	77	77.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	जीवीके इंड	जेगरूपाडु गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	140	140.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	जीवीके इंड	जेगरूपाडु गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	80	80.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	कोन्डापल्ली कॉ.	कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	कोन्डापल्ली कॉ.	कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	कोन्डापल्ली कॉ.	कोंडापल्ली गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	126	126.00
102.	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	एलवीएस पावर कॉ.	एलवीएस डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	18.4	18.40
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	एलवीएस पावर कॉ.	एलवीएस डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	18.4	18.40
103.	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	वेमागिरी पावर कॉ.	वेमागिरि सीसीपीपी	जीटी-गैस	1	233	233.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	वेमागिरी पावर कॉ.	वेमागिरि सीसीपीपी	जीटी-गैस	1	137	137.00
104.	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	47	47.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	47	47.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	47	47.00
	आंध्र प्रदेश	प्राइवेट	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	67	67.00
	कुल (आंध्र प्रदेश)							5045.00
105.	कर्नाटक	प्राइवेट	जिंदल (प्रा. कॉ.)	तोरांगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	130	130.00
	कर्नाटक	प्राइवेट		तोरांगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	130	130.00
106.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	केपीसीएल	रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
107.	कर्नाटक	प्राइवेट	शरियालसीमा लि. (प्रा.)	बेल्लारी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	12.6	25.20
108.	कर्नाटक	प्राइवेट	टनीर बावी पावर प्रा.लि.	तनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	कर्नाटक	प्राइवेट		तनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	कर्नाटक	प्राइवेट		तनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	कर्नाटक	प्राइवेट		तनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	कर्नाटक	प्राइवेट	टनीर बावी पावर प्रा.लि.	तनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	50	50.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.	कर्नाटक	प्राइवेट	टाटा प्रा. कॉ.	बेलगाम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	81.3	81.30
110.	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र	वीवीएनएल	येलाहंका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		येलाहंका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		येलाहंका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		येलाहंका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		येलाहंका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	कर्नाटक	राज्य क्षेत्र		येलाहंका डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	कुल (कर्नाटक)							2184.42
111.	केरल	प्राइवेट	बीएसईएस प्रा. कॉ.	कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	39	39.00
	केरल	प्राइवेट	बीएसईएस प्रा. कॉ.	कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00
	केरल	प्राइवेट		कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00
	केरल	प्राइवेट		कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00
112.	केरल	प्राइवेट	कासारगोडे प्रा. कॉ.	कसरगोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	7	3.12	21.84
113.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	ब्रम्हपुत्र डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	केरल	राज्य क्षेत्र		ब्रम्हपुत्र डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	केरल	राज्य क्षेत्र		ब्रम्हपुत्र डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	केरल	राज्य क्षेत्र		ब्रम्हपुत्र डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
	केरल	राज्य क्षेत्र		ब्रम्हपुत्र डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	21.32	21.32
114.	केरल	राज्य क्षेत्र	केएसईबी	कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	केरल	राज्य क्षेत्र		कोझीकोड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	16	16.00
	कुल (केरल)							430.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	अगत्ती डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.14	1.14
116.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	अमीनी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.03	1.03
117.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	अंदरोत डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.25	1.25
118.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बंगारम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.09	0.09
119.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बित्रा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.058	0.06
120.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चेतलात डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.43	0.43
121.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कदमत डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.8	0.80
122.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कलपेनी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.06	1.06
123.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कवारत्ती डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.8	1.80
124.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	किलटन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.51	0.51
125.	लक्षद्वीप	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मिनीकाय डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.8	1.80
	कुल (लक्षद्वीप)							9.97
126.	पांडिचेरी	राज्य क्षेत्र	पीपीसीएल (गैस)	कराइकल डीजल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	9.6	9.60
	पांडिचेरी	राज्य क्षेत्र	पीपीसीएल (गैस)	कराइकल डीजल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	22.9	22.90
	कुल (पांडिचेरी)							32.50
127.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन (विस्तार)	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन (प्रथम)	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	50	50.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	50	50.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	50	50.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	50	50.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	50	50.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	50	50.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	100	100.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	100	100.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	100	100.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-1	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2	स्टीम	1	210	210.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नवेली लिग्नाइट	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन-2	स्टीम	1	210	210.00
128.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कायमकुलम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	115.3	115.30
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कायमकुलम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	115.3	115.30
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कायमकुलम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	119.4	119.40
129.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
130.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (दक्षिणी क्षेत्र)							6440.00
131.	तमिलनाडु	प्राइवेट	बालाजी पावर कॉं. प्रा.लि.	समयानल्लूर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	7	15.143	106.00
132.	तमिलनाडु	प्राइवेट	जीएमआर वासापी पावर प्रा. कॉं.	बेसिन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
	तमिलनाडु	प्राइवेट	जीएमआर वासापी पावर प्रा. कॉं.	बेसिन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
	तमिलनाडु	प्राइवेट	जीएमआर वासापी पावर प्रा. कॉं.	बेसिन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
	तमिलनाडु	प्राइवेट	जीएमआर वासापी पावर प्रा. कॉं.	बेसिन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
133.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	कुट्टालाम सीसीपीपी	कुट्टालम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	50	50.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	कुट्टालाम सीसीपीपी	कुट्टालम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	37	37.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134.	तमिलनाडु	प्राइवेट	पीपीएन पावर कॉ. लि.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	225	225.00
	तमिलनाडु	प्राइवेट	पीपीएन पावर कॉ. लि.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	105.5	105.50
135.	तमिलनाडु	प्राइवेट	समलपट्टी पावर को.	समलपट्टी गैस पावर स्टेशन	डीजल	7	15.094	105.66
136.	तमिलनाडु	प्राइवेट	एसटी सीएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	नैवेली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
137.	तमिलनाडु	प्राइवेट	अबन पावर को. लि.	करूप्पुर सीसीजीटी	जीटी-गैस	1	70	70.00
	तमिलनाडु	प्राइवेट	अबन पावर को. लि.	करूप्पुर सीसीजीटी (वेस्ट हीट स्टीम)	जीटी-गैस	1	49.8	49.80
138.	तमिलनाडु	प्राइवेट	वलेन्थरावी पावर को.लि.	वालनथरावी जीपीएस	जीटी-गैस	1	38	38.00
	तमिलनाडु	प्राइवेट	वलेन्थरावी पावर को.लि.	वालनथरावी जीपीएस	जीटी-गैस	1	14.8	14.80
139.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	बेसिन ब्रिज गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		बेसिन ब्रिज गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		बेसिन ब्रिज गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		बेसिन ब्रिज गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
140.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		एन्नौर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
141.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कोविलकलप्पल गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	38	38.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	कोविलकलप्पल गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	69	69.00
142.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	मेतूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		मेतूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		मेतूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		मेतूर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
143.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	नरीमनम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	5	5.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		नरीमनम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	5	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	नार्थ मद्रास गैस पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		नार्थ मद्रास गैस पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		नार्थ मद्रास गैस पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
145.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र		तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
146.	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	वलूथूर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	34	34.00
	तमिलनाडु	राज्य क्षेत्र	टीएनईबी	वलूथूर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	कुल (तमिलनाडु)							4565.76
	कुल दक्षिणी क्षेत्र							18708.09
IV.	**पूर्वी क्षेत्र**							
147.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कैंपबेल बे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	2.77	2.77
148.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कार निकोबार डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	2.55	2.55
149.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चैंपियन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.12	0.12
150.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चाथम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	12.5	12.50
151.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चौरा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.15	0.15
152.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	डुगोंग क्रीक डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.04	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हंसपुरी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.027	0.03
154.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैवलोक डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.52	0.52
155.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	जगन्नाथ डेरा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.012	001
156.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कचाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.015	0.02
157.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कमरोटा आइलैंड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.71	0.71
158.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कचाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.58	0.58
159.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कोंडुल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.03	0.03
160.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लिटिल अंडमान डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.28	1.28
161.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लोंग आइलैंड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.175	0.18
162.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मोहनपुर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.015	0.02
163.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	नील आइलैंड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.4	0.40
164.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	पश्चिम सागर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.039	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	फीनिक्स बे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	5.71	5.71
166.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	पीलोभनी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.04	0.04
167.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	पिलोमिल्लो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.03	0.03
168.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	पिलोपांजा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.03	0.03
169.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	पिलपिल्लो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.065	0.07
170.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	राज निवास डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.26	0.26
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रंगत बे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	4.14	4.14
171.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रंगत बे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	5	1.2	6.00
172.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सैक्रेटेरियट डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.13	0.13
173.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	शाम्पेन काम्प्लेक्स डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.02	0.02
174.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सीता नगर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.45	1.45
175.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	स्मिथ आइलैंड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.03	0.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
176.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	साउथ बे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.01	0.01
177.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	स्ट्रेट आइलैंड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.02	0.02
178.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	टापोंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.04	0.04
179.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	टेरेसा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.14	0.14
180.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सूर्यचक्र पीसी	बंबूफ्लैट डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	5	10.00
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	राज्य क्षेत्र	सूर्यचक्र पीसी	बंबूफ्लैट डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	5	10.00
	कुल (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह)							60.05
181.	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	50	50.00
	बिहार	राज्य क्षेत्र		बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	50	50.00
	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	110	110.00
	बिहार	राज्य क्षेत्र		बरौनी थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	110	110.00
182.	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	110	110.00
	बिहार	राज्य क्षेत्र		मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	110	110.00
183.	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	पटना थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	1.5	1.50
	बिहार	राज्य क्षेत्र		पटना थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	1.5	1.50
	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	पटना थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	3	3.00
	बिहार	राज्य क्षेत्र	बीएसईबी	पटना थर्मल पावर स्टेशन	टीम	1	7.5	7.50
	कुल (बिहार)							553.50
184.	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन-बी	स्टीम	1	210	210.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन-बी	स्टीम	1	210	210.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	बोकारो थर्मल पावर स्टेशन-बी	स्टीम	1	210	210.00
185.	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	140	140.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	140	140.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	140	140.00
186.	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	140	140.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
187.	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मैथान थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मैथान थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मैथान थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
188.	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	210	210.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	210	210.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	210	210.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	210	210.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	250	250.00
	डी.वी.सी.	केन्द्रीय क्षेत्र	डी.वी.सी.	मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	250	250.00
	कुल (डी.वी.सी.)							3190.00
189.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	200	200.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
190.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
191.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन-2 यूनिट-3	स्टीम	1	500	500.00
192.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	62.5	62.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	एन.टी.पी.सी.	तालचेर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	कुल एनटीपीसी							6410.00
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (डी.वी.सी.+ एन.टी.पी.सी.) (पूर्वी क्षेत्र)							9600.00
193.	झारखण्ड	प्राइवेट	टाटा प्रा.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	झारखण्ड	प्राइवेट	टाटा प्रा.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	झारखण्ड	प्राइवेट	टाटा प्रा.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
194.	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	100	100.00
195.	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	झारखण्ड	राज्य क्षेत्र	जेएच. एसईबी	तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कुल (झारखण्ड)							1620.00
196.	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओपीजीसी लि.	इब वैली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	उड़ीसा	राज्य क्षेत्र	ओपीजीसी लि.	इब वैली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	कुल (उड़ीसा)							420.00
197.	सिक्किम	राज्य क्षेत्र	सरकार (सिक्किम)	गंगटोक	डीजल	1	4	4.00
198.	सिक्किम	राज्य क्षेत्र	सरकार (सिक्किम)	रामपूल	डीजल	1	1	1.00
	कुल (सिक्किम)							5.00
199.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	बज-बज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	बज-बज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
200.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	न्यू-कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	न्यू-कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	न्यू-कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	न्यू-कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
201.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	सदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	स्टीम	1	67.5	67.50
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	सदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	स्टीम	1	67.5	67.50
202.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
203.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डी.पी.एल.	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डी.पी.एल.	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डी.पी.एल.	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	75	75.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डी.पी.एल.	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	75	75.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डी.पी.एल.	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	75	75.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डी.पी.एल.	डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
204.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	चिंकौरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	10	10.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट		चिंकौरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	10	10.00
205.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	दिशेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	3	3.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	दिशेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	5	5.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट		दिशेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	5	5.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट		दिशेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	5	5.00
206.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	सीबपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	1.5	1.50
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	सीबपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	1.875	1.88
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	सीबपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	2	2.00
	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	दीसरगढ़ प्रा.	सीबपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	3	3.00
207.	पश्चिम बंगाल	प्राइवेट	सुंदरबन प्रा.	सुंदरबन थर्मल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.14	0.14
208.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
209.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बांडेल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बांडेल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बांडेल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बांडेल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	बांडेल थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
210.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	210	210.00
211.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीपीडीसी	संथालडीह थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
212.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	बालारगढ़ डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.84	0.84
213.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कूच बिहार डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.97	1.97
214.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	दीघा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.13	0.13
215.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	हल्दिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	हल्दिया गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
216.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	जैदलंक डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.4	0.40
217.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	जलपाईगुड़ी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.378	1.38
218.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कलिमपोंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.57	0.57
219.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	गालिंदु डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	3.07	3.07
220.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कस्बा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	कस्बा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
221.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	लेलोंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.9	0.90
222.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	पत्थर प्रतिमा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.29	0.29
223.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	रामयोंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.88	1.88
224.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	रुद्रनगर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05
	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	रुद्रनगर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.58	0.58
225.	पश्चिम बंगाल	राज्य क्षेत्र	डब्ल्यूबीएसईबी	सिलीगुड़ी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
	कुल (पश्चिम बंगाल)							4408.57
	कुल पूर्वी क्षेत्र							16667.12
V.	उत्तरी क्षेत्र							
226.	अरुणाचल प्रदेश	राज्य क्षेत्र	सरकार (अरुणाचल प्रदेश)	कुल डीजल	डीजल	1	15.88	15.88
	कुल (अरुणाचल प्रदेश)							15.88
227.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
228.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
229.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	गलोकी (मोबाइल गैस टीबी)	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	गलोकी (मोबाइल गैस टीबी)	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	गलोकी (मोबाइल गैस टीबी)	जीटी-गैस	1	3	3.00
230.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	कोबालुगढ़ी गैस पावर स्टेशन (मोबाइल)	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	कोबालुगढ़ी गैस पावर स्टेशन (मोबाइल)	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	कोबालुगढ़ी गैस पावर स्टेशन (मोबाइल)	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	कोबालुगढ़ी गैस पावर स्टेशन (मोबाइल)	जीटी-गैस	1	3	3.00
231.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	15	15.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	15	15.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	15	15.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	15	15.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	लकवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	20	20.00
232.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	12.5	12.50
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	23	23.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	23	23.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	23	23.00
	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	22	22.00
233.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	नामरूप वेस्टहीट गैस पावर स्टेशन (एमएफ)	स्टीम	1	30	30.00
234.	असम	राज्य क्षेत्र	एएसईबी	एएसईबी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	20.69	20.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235.	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	आदमटिल्ला डीजल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	आदमटिल्ला डीजल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	आदमटिल्ला डीजल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
236.	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3.5	3.50
	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3.5	3.50
	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3.5	3.50
	असम	प्राइवेट	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	5	5.00
	कुल (असम)							619.69
237.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बंगप्पा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.01	0.01
238.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चिंगाई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05
239.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	धकपोंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.02	0.20
240.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैमम्बो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.02	0.20
241.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैमम्बो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.14	0.14
	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैमम्बो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.2	0.20
	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैमम्बो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.24	0.24
	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैमम्बो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	8	0.25	2.00
	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हैमम्बो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	1	2.00
242.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कागोमखुलम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05
243.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	इम्फाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.25	0.25
244.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	खोपुलम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.2	0.40
245.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लीमाइंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.69	0.69
	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	इम्फाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.06	1.06
246.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	इम्फाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	6	18.00
	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	इम्फाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	6	18.00
247.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लिम्फाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.64	0.64
248.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मोरा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.2	0.20
249.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	नेमग्भा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.08	0.08
250.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	नन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	फेंगन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05
252.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	पोरबुंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.02	0.20
253.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सेक्टल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05
254.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	ताम्मेंगलोंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.2	0.20
255.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	टेंईमिक डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.1	0.20
256.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	टेंगोनपूल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.2	0.20
257.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	थानलोन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.2	0.20
258.	मणिपुर	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	ताऊसोम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.3	0.03
	कुल (मणिपुर)							45.41
259.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईबी एसईबी	बेघमारा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.11	0.11
260.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईबी एसईबी	डालू डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.05	0.05
261.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईबी एसईबी	नांगलभारा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.69	0.69
262.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईबी एसईबी	टूरा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.12	1.12
263.	मेघालय	राज्य क्षेत्र	एमईबी एसईबी	उलियारंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.08	0.08
	कुल (मेघालय)							2.05
264.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बिटाटे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बिटाटे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.25	0.50
265.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बुआरपुई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.056	0.06
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बुआरपुई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.01	0.10
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बुआरपुई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.25	0.25
266.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बैराबी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	22.92	22.92
267.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चमफई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	5	0.25	1.25
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चमफई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.5	1.50
268.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चांकगटे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.1	0.30
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	चांकगटे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.56	0.56
269.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	डरलान डीजल पावर स्टेशन	डीजल	4	0.25	1.00
270.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	हनाथियाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.25	0.75
271.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	खावाल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	4	0.25	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
272.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कोलासिब डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.25	0.75
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कोलासिब डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.8	0.80
273.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लांगतलई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	6	0.25	1.50
274.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लुआंगमुअल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	4	0.88	3.52
275.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लुंगलेई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.248	0.74
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लुंगलेई डीजल पावर स्टेशन	डीजल	7	0.25	1.75
276.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	लुंगसेन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.1	0.20
277.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मुआलथूदम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मुआलथूदम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.25	0.25
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मुआलथूदम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.56	0.56
278.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	साइहा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	4	0.25	1.00
279.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सैतुअल डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.25	0.75
280.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सरछिप डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.25	0.75
281.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	तावीपुई "एन" डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.56	1.68
282.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	टीलाबुंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	5	0.1	0.50
283.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	तुईपांग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.056	0.06
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	तुईपांग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.1	0.20
284.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	वेस्ट फालिंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.056	0.06
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	वेस्ट फालिंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	0.25	0.50
285.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	जालनम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.056	0.06
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	जालनम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	जालनम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	3	0.25	0.75
286.	मिजोरम	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	जुआंगतुई	डीजल	2	2.5	5.00
	कुल (मिजोरम)							51.86
287.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	अगरतला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	21	21.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	अगरतला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	21	21.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	अगरतला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	21	21.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	अगरतला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	21	21.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288.	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	30	30.00
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33.5	33.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33.5	33.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33.5	33.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33.5	33.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33.5	33.50
	केन्द्रीय क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र	नीपको	कैथलगुरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33.5	33.50
	कुल केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)							375.00
289.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	दिमपुर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	1.1	1.10
290.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कोहिमा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.5	0.50
291.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	मोकाकचुंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.2	0.20
292.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	तेनसुंग डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
293.	नागालैंड	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	जुनबेहटो डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
	कुल (नागालैंड)							2.00
294.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	अगरतला डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	3.489	3.49
295.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बारामुरा गैस पावर स्टेशन इएक्सटीएन	जीटी-गैस	1	21	21.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बारामुरा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	5	5.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	बारामुरा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	6.5	6.50
296.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	धोस मोंगर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.4	0.40
297.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कैलाश पालु डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.15	0.15
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	कैलाश पालु डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.25	0.25
298.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	खामा डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.216	0.22
299.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2	जीटी-गैस	1	8	8.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2	जीटी-गैस	1	8	8.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2	जीटी-गैस	1	8	8.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2	जीटी-गैस	1	8	8.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2	जीटी-गैस	1	8	8.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2	जीटी-गैस	1	8	8.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2, यूनिट-7	जीटी-गैस	1	21	21.00
	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	रोखिया गैस पावर स्टेशन फेस-2, यूनिट-7	जीटी-गैस	1	21	21.00
300.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सुबरूम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
301.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	सुनेवेम डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.1	0.10
302.	त्रिपुरा	राज्य क्षेत्र	सरकारी विभाग	टेलीनम्मे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.141	0.14
	कुल (त्रिपुरा)							132.35
	कुल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							1244.23
	कुल अखिल भारत थर्मल							88215.83

विवरण II

31.10.2007 के अनुसार देश में निजी ताप विद्युत स्टेशनों की सूची

ताप

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	इकाई	स्वामित्व	परियोजना का नाम	मुख्य ईंधन	यूनिट संख्या	क्षमता (मेगावाट)	कुल क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	छत्तीसगढ़	निजी	जिंदल	रानीगंज थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
2.	गोवा	निजी	रिलायंस सालगोकार	सालगोकार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	48	48.00
3.	गुजरात	निजी	एईसीओ प्रा.	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	गुजरात	निजी		साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	गुजरात	निजी	एईसीओ प्रा.	साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	गुजरात	निजी		साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
	गुजरात	निजी		साबरमती थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	110	110.00
4.	गुजरात	निजी	एईसीओ प्रा.	वातवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गुजरात	निजी	एईसीओ प्रा.	वतवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	33	33.00
	गुजरात	निजी	एईसीओ प्रा.	वतवा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	34	34.00
5.	गुजरात	निजी	इसार प्रा.	इसार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	गुजरात	निजी	इसार प्रा.	इसार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	गुजरात	निजी	इसार प्रा.	इसार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	110	110.00
	गुजरात	निजी	इसार प्रा.	इसार गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	185	185.00
6.	गुजरात	निजी	जीआईपीसीएल (प्रा.)	बड़ौदा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	106	106.00
	गुजरात	निजी	जीआईपीसीएल (प्रा.)	बड़ौदा गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	54	54.00
7.	गुजरात	निजी	जीआईपीसीएल (प्रा.)	सुरत लिग्नाईट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
	गुजरात	निजी	जीआईपीसीएल (प्रा.)	सुरत लिग्नाईट थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	125	125.00
8.	गुजरात	निजी	गुजरात पेगुथान	पेगुथान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	135	135.00
	गुजरात	निजी	गुजरात पेगुथान	पेगुथान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	135	135.00
	गुजरात	निजी	गुजरात पेगुथान	पेगुथान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	135	135.00
	गुजरात	निजी	गुजरात पेगुथान	पेगुथान गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	250	250.00
9.	गुजरात	निजी	सुरत ई को.प्रा.	सुरत पावर जनरेटिंग को.	डीजल	2	0.1	0.20
	कुल							2070.20
10.	महाराष्ट्र	निजी	बीएसईएस प्रा.	धनु थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	महाराष्ट्र	निजी		धनु थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
11.	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	ट्रोमवे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	60	60.00
	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	ट्रोमवे गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	120	120.00
12.	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	ट्रोमवे थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	150	150.00
	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	ट्रोमवे थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	ट्रोमवे थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	500	500.00
	कुल							1830.00
13.	आंध्र प्रदेश	निजी	बीएसईएस	पेद्दापुरम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	142	142.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	बीएसईएस	पेद्दापुरम गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	78	78.00
14.	आंध्र प्रदेश	निजी	जीवीके इंड	जेगरुपाडू गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.8	52.80
	आंध्र प्रदेश	निजी	जीवीके इंड	जेगरुपाडू गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.8	52.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश	निजी	जीवीके इंड	जेगरुपाडू गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	52.8	52.80
	आंध्र प्रदेश	निजी	जीवीके इंड	जेगरुपाडू गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	77	77.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	जीवीके इंड	जेगरुपाडू गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	140	140.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	जीवीके इंड	जेगरुपाडू गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	80	80.00
15.	आंध्र प्रदेश	निजी	कोन्डापल्ली	कोन्डापल्ली गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	कोन्डापल्ली	कोन्डापल्ली गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	112	112.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	कोन्डापल्ली	कोन्डापल्ली गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	126	126.00
16.	आंध्र प्रदेश	निजी	एलवीएस पावर कॉ.	एलवीएस डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	18.4	18.40
	आंध्र प्रदेश	निजी	एलवीएस पावर कॉ.	एलवीएस डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	18.4	18.40
17.	आंध्र प्रदेश	निजी	वेमागिरी पावर कॉ.	वेमागिरी, सीसीपीपी	जीटी-गैस	1	233	233.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	वेमागिरी पावर कॉ.	वेमागिरी, सीसीपीपी	जीटी-गैस	1	137	137.00
18.	आंध्र प्रदेश	निजी	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	47	47.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	47	47.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	47	47.00
	आंध्र प्रदेश	निजी	एसपीजीएल (स्पेक्ट्रम)	गोदावरी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	67	67.00
	कुल							1640.20
19.	आंध्र प्रदेश	निजी	जिंदल (प्रा. को.)	टोरंगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	130	130.00
	आंध्र प्रदेश	निजी		टोरंगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	130	130.00
20.	आंध्र प्रदेश	निजी	श्रीरियालसीमा लि. (प्रा.)	बेल्लारी डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	12.6	25.20
21.	आंध्र प्रदेश	निजी	टनीर बावी पावर प्रा.को.	टनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	आंध्र प्रदेश	निजी		टोरंगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	आंध्र प्रदेश	निजी		टोरंगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	आंध्र प्रदेश	निजी		टोरंगल्लू थर्मल पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	42.5	42.50
	आंध्र प्रदेश	निजी	टनीर बावी पावर प्रा.को.	टनीर बावी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	50	50.00
22.	आंध्र प्रदेश	निजी	टनीर प्रा.कॉ.	बेलगांव डीजल पावर स्टेशन (टाटा)	डीजल	1	81.3	81.30
	कुल							586.50
23.	केरल	निजी	बीएसईएस प्रा.को.	कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	39	39.00
	केरल	निजी	बीएसईएस प्रा.को.	कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	केरल	निजी		कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00
	केरल	निजी		कोचीन गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	45	45.00
24.	केरल	निजी	कासरगोडे प्रा.को.	कासरगोडे डीजल पावर स्टेशन	डीजल	7	3.12	21.84
	कुल							195.84
25.	तमिलनाडु	निजी	कालावी पावर कारपोरेशन प्रा.लि.	समयानल्लूर डीजल पावर स्टेशन	डीजल	7	15.143	106.00
26.	तमिलनाडु	निजी	जीएमआर वासवी पावर प्रा.को.	बेसीन ब्रिज डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
	तमिलनाडु	निजी	जीएमआर वासवी पावर प्रा.को.	बेसीन ब्रिड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
	तमिलनाडु	निजी	जीएमआर वासवी पावर प्रा.को.	बेसीन ब्रिड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
	तमिलनाडु	निजी	जीएमआर वासवी पावर प्रा.को.	बेसीन ब्रिड डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	50	50.00
27.	तमिलनाडु	निजी	पीपीएन पावर को.लि.	पिल्लीपेरमालनल्लूर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	225	225.00
	तमिलनाडु	निजी	पीपीएन पावर को.लि.	पिल्लीपेरमालनल्लूर गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	105.5	105.50
28.	तमिलनाडु	निजी	समलपट्टी पावर को.	समलपट्टी गैस पावर स्टेशन	डीजल	7	15.094	105.66
29.	तमिलनाडु	निजी	एसीटीएसएमएस इलेक्ट्रिक कंपनी	नवेली थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
30.	तमिलनाडु	निजी	अबन पावर को.लि.	कारूपुर सीसीजीटी (विस्ट हीट स्टीम)	जीटी गैस	1	70	70.00
	तमिलनाडु	निजी	अबन पावर को.लि.	कारूपुर सीसीजीटी (विस्ट हीट स्टीम)	जीटी गैस	1	49.8	49.80
31.	तमिलनाडु	निजी	वालेनथर्वी पावर को.लि.	वालेनथर्वी जीपीएस	जीटी गैस	1	38	38.00
	तमिलनाडु	निजी	वालेनथर्वी पावर को.लि.	वालेनथर्वी जीपीएस	जीटी गैस	1	14.8	14.80
	कुल							1164.76
32.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	निजी	सूर्यचक्र पीसी	बम्बो फ्लैट डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	5	10.00
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	निजी	सूर्यचक्र पीसी	बम्बो फ्लैट डीजल पावर स्टेशन	डीजल	2	5	10.00
	कुल							20.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	झारखंड	निजी	टाटा प्रा.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	झारखंड	निजी	टाटा प्रा.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	झारखंड	निजी	टाटा प्रा.	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	120	120.00
	कुल				स्टीम			360.00
34.	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	बुग-बुग थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	बुग-बुग थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	250	250.00
35.	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	न्यू कोसीपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	न्यू कोसीपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	30	30.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	न्यू कोसीपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	न्यू कोसीपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	50	50.00
36.	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	साउथर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	स्टीम	1	67.5	67.50
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	साउथर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	स्टीम	1	67.5	67.50
37.	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	सीईएससी प्रा.	टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	60	60.00
38.	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	चीनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	10	10.00
	पश्चिम बंगाल	निजी		चीनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	10	10.00
39.	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	दिसरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	3	3.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	दिसरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	5	5.00
	पश्चिम बंगाल	निजी		दिसरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	5	5.00
	पश्चिम बंगाल	निजी		दिसरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	5	5.00
40.	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	सीबपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	1.5	1.50
	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	सीबपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	1.875	1.88
	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	सीबपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	2	2.00
	पश्चिम बंगाल	निजी	डिसरगढ़ प्रा.	सीबपोर थर्मल पावर स्टेशन	स्टीम	1	3	3.00
41.	पश्चिम बंगाल	निजी	सुंदरवन प्रा.	सुंदरवन डीजल पावर स्टेशन	डीजल	1	0.14	0.14
								1081.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	आदमटीला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	आदमटीला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	आदमटीला गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3	3.00
43.	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3.5	3.50
	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3.5	3.50
	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	3.5	3.50
	असम	निजी	डीएलएफ पावर को.	बासखंडी गैस पावर स्टेशन	जीटी-गैस	1	5	5.00
	कुल							24.50
	कुल (ताप)							9271.51
हाइड्रो								
1.	हिमाचल प्रदेश	निजी	जयप्रकाश एच.पी. लि.	बापसा हाइड्रो पावर स्टेशन यूनिट-2	हाइड्रो	1	100	100.00
	हिमाचल प्रदेश	निजी	जयप्रकाश एच.पी. लि.	बापसा हाइड्रो पावर स्टेशन यूनिट-1	हाइड्रो	1	100	100.00
	हिमाचल प्रदेश	निजी	जयप्रकाश एच.पी. लि.	बापसा हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	1	100	100.00
2.	हिमाचल प्रदेश	निजी	मलाना एचई प्रोजेक्ट	बापसा हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	2	43	86.00
3.	उत्तराखंड	निजी	जेपीपीवीएल	विष्णुप्रयाग एचईपी	हाइड्रो	4	100	400.00
4.	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	भीरा हाइड्रो पावर स्टेशन पीएसएस	हाइड्रो	1	150	150.00
	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	भीरा हाइड्रो पावर स्टेशन पीएसएस	हाइड्रो	6	25	150.00
5.	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	भीवपुरी हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	3	24	72.00
6.	महाराष्ट्र	निजी	टाटा	खोपाली हाइड्रो पावर स्टेशन	हाइड्रो	6	12	72.00
	कुल (हाइड्रो)							1230.00

विवरण III

भारत में निजी वितरण कंपनियां (डिस्काम)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्षेत्र/राज्य का नाम जहां प्रचालन में है	प्रचालन वर्ष
1	2	3	4
1.	कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को. (सीईएससी)	कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	1897
2.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी को.लि. (टोरेंट पावर लि.)	अहमदाबाद (गुजरात)	1913

1	2	3	4
3.	सुरत इलेक्ट्रिसिटी को.लि. (टोरेंट पावर लि.)	सुरत (गुजरात)	1920
4.	बीएसईएस (रिलायंस इनर्जी लि.)	मुम्बई (महाराष्ट्र)	1929
5.	टाटा पावर लि.	मुम्बई (महाराष्ट्र)	1907
6.	टाटा टी लि.	मुन्नार (केरल)	1948
7.	दिसरगढ़ पावर को.लि.	रानीगंज-आसनसोल बेल्ट (प. बंगाल)	1919
8.	नोएडा पावर को.लि. (एनपीसीएल)	ग्रेटर नोएड (उत्तर प्रदेश)	1993
9.	एनईएससीओ	नार्थ-इस्टर्न सेक्टर (उड़ीसा)	1999
10.	डब्ल्यूएससीओ	वेस्टर्न सेक्टर (उड़ीसा)	1999
11.	एसओयूटीएचसीओ	सदर्न सेक्टर (उड़ीसा)	1999
12.	सीईएससीओ	सेन्ट्रल सेक्टर (उड़ीसा)	1999
13.	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	ईस्ट एंड सेन्ट्रल दिल्ली	2002
14.	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	वेस्ट एंड साउथ दिल्ली	2002
15.	नार्थ दिल्ली पावर लि. (एनडीपीएल)	नार्थ एंड नार्थ-वेस्ट दिल्ली	2002
	डिस्काम की फ्रेंचाइजी के रूप में कार्यरत निजी		
1.	टोरेंट पावर लि.	भिवंडी (महाराष्ट्र)	2006

सरकार की आवास सूचकांक शुरू करने की योजनाएं

2128. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश भर के शहरों में आवास स्टाकों की उपलब्धता और रीयल एस्टेट कीमतों को दर्शाने के लिए एक हाऊस स्टार्ट अप इंडेक्स (एच.एस.यू.आई.) शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हाऊस स्टार्ट अप इंडेक्स के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग स्टार्टअप इंडेक्स (एचएसयूआई) तैयार करने की विधि विकसित करने हेतु एक तकनीकी परामर्शी दल (टीएजी) का गठन किया है। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, जो कि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक संबद्ध कार्यालय है, इस तकनीकी परामर्शी दल का सदस्य है। अब तक इस दल की दो बैठकें हुई हैं।

ग्रामीण ऋण का विस्तार

2129. श्री विजय कृष्ण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में सरकारी बैंकों द्वारा दिया जा रहा ग्रामीण ऋण मात्र 36 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में ग्रामीण ऋण का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सभी बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण की तुलना में, विगत तीन वर्षों यथा 2004-05 से 2006-07 के दौरान विशेष कृषि ऋण योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि हेतु संवितरणों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरण	सभी बैंकों द्वारा कृषि हेतु संवितरण	कुल ऋण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का हिस्सा
2004-2005	65218	125309.37	52.04%
2005-2006	94278	180485.57	52.23%
2006-2007	122442.52	203296.38	60.21%

(ग) वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान सभी अभिकरणों तथा वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता क्रमशः 105000 करोड़ रुपए, 141000 करोड़ रुपए और 175000 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 125309.37 करोड़ रुपए, 180485.57 करोड़ रुपए और 203296.38 करोड़ रुपए रही।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत राज्यों से प्रस्ताव

2130. श्री वसंतराव मोरे: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छोटे और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के तहत विभिन्न नगरपालिकाओं और निगमों के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन नगरपालिकाओं/निगमों को उक्त योजना के अंतर्गत अनुदान जारी किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी हां। छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए केन्द्र प्रायोजित शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत 468 कस्बों में 1049506.426 लाख रु. की अनुमोदित लागत वाली 579 परियोजनाएं 20 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों की राज्य स्तरीय स्वीकृत समितियों द्वारा अनुशंसित की गई हैं। ये परियोजनाएं 23 नगर निगमों, 311 नगरपालिका परिषदों/बोर्डों, 121 कस्बा पंचायतों, 13 जनगणना कस्बों से संबंधित हैं। इनका ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। 280 कस्बों में 345 परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय एजेंसियों को अब तक 183788.30 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। ये परियोजनाएं 16 राज्यों के 15 नगर निगमों, 186 नगरपालिका परिषदों/बोर्डों, 76 कस्बा पंचायतों तथा 3 जनगणना कस्बों से संबंधित हैं। इनका ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) कोई विलंब नहीं हुआ है। राज्यों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता तथा निर्धारित आबंटनों के अनुसार स्कीम के दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य सरकारों/राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को धनराशियां दी जाती हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित कस्बों की कुल सं.	नगर निगम	नगर परिषद/बोर्ड	कस्बा पंचायत	जनगणना कस्बे
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	75	2	62	5	6
2.	असम	7		2	4	1

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिहार	9		1	8	
4.	छत्तीसगढ़	3	1	2		
5.	गुजरात	48	2	44	1	1
6.	हरियाणा	4		4		
7.	हिमाचल प्रदेश	3		3		
8.	जम्मू-कश्मीर	8		1	7	
9.	केरल	10	1	9		
10.	कर्नाटक	30	1	23	6	
11.	मध्य प्रदेश	32	7	23	2	
12.	महाराष्ट्र	47	3	42		2
13.	मणिपुर	5		5		
14.	नागालैंड	7			6	1
15.	उड़ीसा	3	1	2		
16.	राजस्थान	27		27		
17.	तमिलनाडु	91		23	58	
18.	त्रिपुरा	8			8	
19.	उत्तर प्रदेश	35	4	25	6	
20.	पश्चिम बंगाल	13	1	12		
21.	दादर एवं नगर हवेली	2				2
22.	दमन एवं दीव	1		1		
	कुल	468	23	311	121	13

विवरण II

क्र.सं.	राज्य का नाम	नगर निगम	नगर परिषद/ बोर्ड	कस्बा पंचायत	जनगणना कस्बे	कस्बों और शहरों की संख्या	परियोजनाओं की संख्या	एसएलएससी द्वारा अनुमोदित लागत	पात्र केन्द्रीय अंश (अनुमोदित लागत का 80 प्रतिशत/ 90 प्रतिशत	दी गई कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (प्रोत्साहन रहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	30	5	2	39	44	130953.87	104763.10	54033.99
2.	असम		1	2	1	4	4	2933.19	2639.87	1363.93
3.	बिहार		1	3		4	4	9537.67	7630.14	3958.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	छत्तीसगढ़	1	2			3	3	6118.65	4894.92	2447.46
5.	गुजरात	2	23			25	25	21272.23	17017.78	8560.26
6.	हिमाचल प्रदेश		3			3	3	1805.88	1444.70	749.44
7.	जम्मू-कश्मीर		1	7		8	34	27579.08	24821.17	12824.27
8.	कर्नाटक	1	9	4		14	17	23417.87	18734.30	9718.41
9.	केरल		8			8	8	15642.00	12513.60	6491.43
10.	मध्य प्रदेश	1	15	2		18	27	19746.62	15797.30	7898.65
11.	महाराष्ट्र	2	16			18	25	50834.50	40667.60	19086.70
12.	उड़ीसा	1	2			3	5	8842.90	7074.32	3669.86
13.	राजस्थान		22			22	22	14338.05	11470.44	5897.87
14.	तमिलनाडु		23	53		76	82	37617.64	30094.11	15047.06
15.	उत्तर प्रदेश	4	18			22	28	58469.95	46775.96	24264.99
16.	पश्चिम बंगाल	1	12			13	14	18736.93	14989.54	7775.85
	कुल	15	186	76	3	280	345	447847.03	361328.85	183788.30

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) योजना

2131. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में आईसीडीएस प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु दूसरी किस्त के रूप में 172 लाख रुपये की धनराशि जारी करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक राज्य के लिए आई.सी.डी.एस. कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वर्ष 2006-07 के लिए राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना 298.00 लाख रुपये के बजट के साथ 15.6.2006 को अनुमोदित की गई तथा 108.00 लाख रुपये की पहली किस्त 18.7.2006 को जारी की गई। अनुमोदित राज्य प्रशिक्षण कार्य योजना के शेष 190.00 लाख रुपये की राशि की दूसरी किस्त राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने पर 20.2.2007 को जारी की गई।

तमिलनाडु में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना का विकास

2132. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तमिलनाडु सरकार ने 10-वर्षीय भावी योजना में 156 न्यायालय भवनों के संनिर्माण के लिए 206.26 करोड़ रुपए और न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए 299 आवासों के संनिर्माण के लिए 6.89 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए प्रस्ताव किया था। तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को इस विभाग के, ग्यारहवीं योजना में "न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास" स्कीम के लिए लागत की मांग करने संबंधी प्रस्ताव में संगणित किया गया था। योजना आयोग ने न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए चालू केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम, जिसके नाम को पुनरीक्षित करके 'न्यायपालिका के लिए सक्षमता निर्माण और अवसंरचना सुविधाएं' कर दिया गया है, के अधीन तमिलनाडु राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 701.08 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेश में शाखाएं खोला जाना

2133. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विदेश में बैंकवार कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या कुछ और बैंक आगामी वर्षों में विदेश में अधिक शाखाएं खोलने का विकल्प तलाश रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जनवरी, 2005 से चार राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विदेश में 11 शाखाएं खोली हैं, जिनमें से इलाहाबाद बैंक ने 1, बैंक आफ बड़ौदा ने 5, बैंक आफ इंडिया ने 4 और केनरा बैंक ने 1 शाखा खोली है।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा अपनी व्यावसायिक योजनाओं के अनुसार विदेश में शाखा/कार्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है। भारतीय बैंकों के विदेश में अपनी शाखाएं/कार्यालय खोलने हेतु किए गये आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार लागू कानूनों, विनियमों, मानदंडों एवं प्रक्रियाओं के तहत विचार करती है।

[हिन्दी]

शहरों में एमआरटीएस

2134. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक शहरों ने रेलवे की तर्ज पर मास रेपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (एमआरटीएस) की स्थापना में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके लिए बीओटी परियोजनाएं तैयार की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राज्य सरकारों से उनके नगरों में एक आरटीएस प्रणाली की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये रेल आधारित प्रणालियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत स्पेशल पर्पस वेहिकल्स (एसपीवी) द्वारा चलाई जाएंगी जो चेन्नई, मुंबई आदि में रेल मंत्रालय के एमआरटीएस प्रस्तावों से भिन्न है जिनमें ये प्रणालियां रेल मंत्रालय के सीधे प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं।

(ख) प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विवरण में बंगलौर, दिल्ली, गुड़गांव तक विस्तार और नोएडा में पहले से स्वीकृत परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

(ग) शहरी परिवहन राज्यों का विषय है अत: खुली प्रतियोगी बोली द्वारा की बीओटी सांझेदार चुनने का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है।

(घ) हैदराबाद और मुंबई के मामले में यह प्रणाली उपर्युक्त माडल के अनुरूप चलाई जाएगी जिसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न शहरों में एमआरटीएस (मेट्रो परियोजनाओं) के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव

1. दिल्ली में मेट्रो का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) तक विस्तार के लिए प्रस्ताव

क्र.सं.	परियोजना	दूरी (किमी में)	लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	दिल्ली मेट्रो का दिल्ली में न्यू अशोक नगर से नोएडा सेक्टर-32 तक विस्तार	7.0	827

1	2	3	4
2.	दिल्ली मेट्रो का फरीदाबाद तक विस्तार	13.875	2028
3.	द्वारका सेक्टर-21 से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक एक्सप्रेस लिंक	3.50	1569
4.	जहांगीरपुरी से बादली तक मेट्रो संपर्क	3.425	394

2. एनसीआर को छोड़कर अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव

प्रस्तावित एमआरटीएस प्रणाली (मेट्रो रेल प्रणाली) का विवरण	प्रस्ताव
1	2
हैदराबाद: तीन कारीडोरों में कुल दूरी-66.39 किमी. यापुर-एलबी नगर-29.87 किमी. सिंकदराबाद-मलकनुमा-14.78 किमी. सिगुड़ा-शिल्पारामाम-21.74 किमी. अनुमानित निर्माण लागत-8760 करोड़ रु. निर्माण की अनुमानित अवधि 4 वर्ष है।	आंध्र प्रदेश सरकार का निर्माण, परिचालन एवं अंतरण (बीओटी) आधार पर सरकारी निजी साझेदारी में तथा व्यवहार्यता अंतर वित्त प्रबंध के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके परियोजना निर्धारित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने बताया है कि 5 पूर्व अर्हताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कंसोतियां कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।
मुंबई मेट्रो: मुंबई मेट्रो रेल परियोजना चरण-1 का पहला कारीडोर वरसोवा-अंधेरी-घाटकोपर कुल दूरी-11.07 किमी. गैर-सरकारी सांझेदार (रिलायंस ग्रुप नीत मुंबई मेट्रो कंसोसिम-1) द्वारा अनुमानित पूर्ति लागत 2,356 करोड़ रु. है।	**प्रथम कोरीडोर:** महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व कालम में उल्लिखित निजी सांझेदार के माध्यम से पीपीपी रूप में निर्माण, स्वामित्व परिचालन एवं अंतरण (बीओटी) आधार पर परियोजना निष्पादित करने का निर्णय किया है। उन्होंने व्यवहार्यता अंतर वित्त के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एनयूआरएम) से केन्द्रीय सहायता की मांग की है।
दूसरा कोरीडोर: चारकोप-बांद्रा-मुंबई कुल दूरी-31.87 किमी. अनुमानित पूर्ति लागत-5527 करोड़ रु. (भूमि की लागत के बिना)	**दूसरा कोरीडोर:** महाराष्ट्र सरकार ने व्यवहार्यता अंतर वित्त के रूप में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करके बीओटी आधार पर पूर्णतया भूमिपोपरि दूसरा कारीडोर बनाने का निर्णय किया है। 8 कंसोर्तिया ने पूर्व गहैता दस्तावेज राज्य सरकार को प्रस्तुत किए हैं। राज्य सरकार ने अभी निजी सांझेदार का चयन नहीं किया है।
तीसरा कारीडोर: कोलावा-माहिम-बांदार कारीडोर कुल दूरी-19.95 किमी. (जिसमें 17.73 किमी. भूमिगत कारीडोर शामिल है) अनुमानित लागत 10,751 करोड़ रु.	**तीसरा कारीडोर:** महाराष्ट्र सरकार का भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व में किसी सरकारी कंपनी को स्पेशल पर्पस वेहिकल (एसपीवी) गठित करके तथा जापान बैंक आफ इंटरनेशनल कोओपरेशन (जेबीआईसी) सहायता के साथ परियोजना निष्पादित करने का प्रस्ताव है जैसा कि दिल्ली मेट्रो और बंगलौर मेट्रो के मामले में है।
कोची मेट्रो: कुल दूरी-25.3 किमी.	केरल सरकार का दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) माडल अर्थात् भारत सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त उद्यम

1	2
(पूरा भूमयोपरि) अलवाए से पेट्टा (त्रिपुनीतुरा) अनुमानित लागत-1966 करोड़ रु. 3008 करोड़ रु. अद्यतन	सरकारी कंपनी द्वारा परियोजना निष्पादन करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार से पूछा गया है कि क्या उन्होंने पीपीपी द्वारा कार्यान्वयन पर विचार किया है।
चेन्नई मेट्रो:- निम्नलिखित दो कारीडोरों में कुल दूरी 50 किमी. 1. टोलगेट से चेन्नई एयरपोर्ट-27.5 किमी. 2. चेन्नई और से गुडी-22.5 किमी. अनुमानित पूर्ति लागत-9347 करोड़ रु.	राज्य सरकार का डीएमआरसी माडल पर एक सरकारी कंपनी द्वारा जेबीआईसी ऋण के साथ परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।
कोलकाता मेट्रो:- पूर्व-पश्चिम मेट्रो कारीडोर हावड़ा स्टेशन से साल्ट लेक सेक्टर-4 कुल दूरी-13.77 किमी. (8 किमी. भूमिगत तथा 5.7 किमी. भूपयोपरि) अनुमानित पूर्ति लागत-5165 करोड़ रु.	राज्य सरकार का डीएमआरसी माडल पर एक सरकारी कंपनी द्वारा जेबीआईसी ऋण के साथ परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकिंग नेटवर्क

2135. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकिंग नेटवर्क सक्षम नहीं है क्योंकि अधिकांश बैंक शाखाओं में एक व्यक्ति तैनात है या उनमें बैंकिंग कार्यकरण का विकास करने की क्षमता की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। बैंक वित्तीय सेवाओं के लिए विशेष केन्द्रों में कारबार की संभावना के आधार पर उपयुक्त स्टाफ की तैनाती करते हैं और ऐसे क्षेत्रों में कम मात्रा में कारबार होने के कारण अपनी ग्रामीण शाखाओं में कम स्टाफ की तैनाती करते हैं।

31.3.2006 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण क्षेत्रों में 30516 कार्यालय थे जिनमें एक व्यक्ति से अधिक स्टाफ था और 94 कार्यालय एक व्यक्ति वाले कार्यालय थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कार्य बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जनवरी, 2006 को "बैंकिंग सेवाएं का प्रसार करके वित्तीय अंतर्वेशन कारबार सुविधा प्रदाता एवं सम्पर्कियों का उपयोग" के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। परिपत्र की एक प्रति उनकी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। विभिन्न बैंकों ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कारबार संपर्की/कारबार प्रदाताओं को नियुक्त किया है।

अल्प सुविधा प्राप्त तथा बैंक सुविधा रहित जनसंख्या को बचत एवं ऋण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुषंगियों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/स्व सहायता समूहों (एसएचजी), व्यष्टि वित्त संस्थाओं (एमएफआई) तथा अन्य नागरिक समुदाय संगठनों (सीएसओ) की सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी है। ये अनुषंगियां कारबार सुविधा प्रदाता/संपर्की के रूप में कार्य करेंगी। कारबार सुविधा प्रदाता/संपर्की के अधीन इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त वित्तीय सेवाओं में मांग आपूर्ति अंतराल को काफी हद तक भरा जाने और आने वाले समय में बचत सहित व्यष्टि वित्त पोर्टफोलियो के महत्वपूर्ण हिस्से को कवर किए जाने की आशा है।

वित्तीय रूप से वंचित जनसंख्या को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कवर करने के उद्देश्य से, सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सरलीकृत कार्यविधि

तथा बिना किसी सम्पार्श्विक के सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ न्यूनतम शेष खाता खोलना, छोटे उधारकर्ताओं के लिए एक-बारगी निपटान योजना; प्रतिभूति के बिना पात्र हितधारियों को जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करना; सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को बढ़ाना, आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को बंद किया जाना

2136. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने देश के विभिन्न भागों में विशेष रूप से दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित अपनी ग्रामीण शाखाओं को बंद करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की तत्काल शाखा प्राधिकार नीति के अंतर्गत, 55 वाणिज्यिक बैंक शाखा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा के अलावा) वाले ग्रामीण क्षेत्रों में घाटा उठाने वाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि बंद करने से केन्द्र बैंक सुविधा से रहित हो जाएगा। बैंकों द्वारा एक से ज्यादा वाणिज्यिक बैंक शाखा वाले केन्द्र में ग्रामीण शाखा के समापन का प्रस्ताव जिला परामर्शी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, वार्षिक शाखा विस्तार योजना में भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रस्तावों पर मामलेवार आधार पर विचार करता है और ग्रामीण शाखाएं बंद करने की मंजूरी कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति, प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही दी जाती है।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से 31.08.2007 को मणिपुर में अपनी तमेई शाखा बंद कर दी है। मणिपुर के ग्रामीण केन्द्र में शुरू में खोली गई तमेई शाखा का कामकाज गंभीर विद्रोही समस्याओं के कारण 1982 में रोक दिया गया था। हालत में कोई खास सुधार न होने के कारण, शाखा बंद कर दी गई। अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने ग्रामीण केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाएं बंद नहीं की हैं।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक तथा आवासीय सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण

2137. श्री सुभाष महरिया: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में वाणिज्यिक तथा आवासीय सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माणों को सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) केन्द्र सरकार की व्यवसायिक और रिहायशी संपत्तियों में अवैध निर्माण रोकना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय/विभाग/प्राधिकरण तथा अन्य भूमि तथा भवनों के स्वामित्व वाली सरकारी एजेंसियां अनधिकृत निर्माण को रोकने तथा हटाने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करते हैं। विभिन्न एजेंसियों से संबंधित सरकारी संपत्तियों में अनधिकृत निर्माण की विस्तृत सूची शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है। अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा मौजूदा नियमों तथा कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई, जहां कहीं अनुमेय हो, की जाती है।

अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना

2138. श्री संतोष गंगवार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना को केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी कुल अनुमानित लागत, विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इस पर अब तक कितना व्यय किया गया है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कामेंग जल विद्युत परियोजना (600 मे.वा.) को निवेश अनुमोदन दिनांक 2.12.2004 को प्रदान कर दिया गया था।

(ख) सीसीईए की स्वीकृति के अनुसार परियोजना की लागत मार्च, 2004 के मूल्य स्तर पर 2496.90 करोड़ रुपये है। प्रत्येक 150 मे.वा. क्षमता की 4 यूनिटों के साथ परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मे.वा. होने की प्रत्याशा है। परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है और इसमें दिनांक 31.10.2007 तक 606.26 करोड़ रुपये (अनंतिम) का व्यय किया जा चुका है।

(ग) परियोजना अब मार्च 2011 तक चालू किए जाने हेतु निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन-प्रणाली

2139. श्री महावीर भगोरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती शहरी जनसंख्या को देखते हुए शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति की समीक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सरकार ने अप्रैल, 2006 में राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति का अनुमोदन कर दिया है। इस प्रकार फिलहाल इस नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत धोखाधड़ी

2140. श्री निखिल कुमार:
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:
श्रीमती संगीता कुमार सिंह देव:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से झारखंड में ग्रामीण विकास योजनाओं से संबंधित धनराशि की धोखाधड़ी के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी शिकायतों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के जरिए गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण अवसंरचना एवं बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। मुख्य योजनाएं हैं—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)। इस मंत्रालय में ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, लाभार्थियों के गलत चयन, उपलब्ध कराई गई तथा सृजित परिसंपत्तियों की खराब गुणवत्ता, निधियों के दुरुपयोग, कार्यक्रम दिशा-निर्देशों का अनुपालन न किये जाने तथा निधियों के विपथन के संबंध में झारखण्ड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अलग-अलग व्यक्तियों, गैर-सरकारी संगठनों, संसद सदस्यों एवं राज्य विधान सभा सदस्यों सहित जन प्रतिनिधियों से भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

इन शिकायतों को जांच तथा उपयुक्त उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकार के ध्यान में तुरंत लाया जाता है। मंत्रालय के अधिकारियों तथा मंत्रालय द्वारा पैनलबद्ध किए गए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा इन शिकायतों की जांच की जाती है। मामला दर मामला आधार पर शिकायतों की उचित छानबीन एवं जांच के पश्चात राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। यदि कार्यान्वयन एजेंसियां तथा राज्य सरकारें इस मंत्रालय द्वारा भेजी गई इन शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई नहीं करती हैं तथा दोषी अधिकारियों को दण्ड नहीं देती हैं तो उन्हें निधियों की रिलीज बंद कर दी जाएगी।

एनआरजीएस के अंतर्गत पुरस्कार

2141. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसाइटी समूहों के लिए पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के बारे में

जागरूकता फैलाने में भूमिका निभाते हैं जैसाकि दिनांक 27 अक्तूबर, 2007 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) से (ङ) मामला सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

डीडीए की भूमि पर अतिक्रमण

2142. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की भूमि पर किए गए अतिक्रमण का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए द्वारा वर्ष-वार क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या संबंधित/सक्षम अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है जिनके कार्यकाल में ऐसे अतिक्रमण हुए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि उसकी लगभग 1398.53 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

पूर्वी क्षेत्र	-	679.84 एकड़
पश्चिमी क्षेत्र	-	142.75 एकड़
उत्तरी क्षेत्र	-	248.99 एकड़
दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र	-	107.15 एकड़
दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र	-	149.04 एकड़
रोहिणी क्षेत्र	-	70.76 एकड़

(ख) डी.डी.ए. द्वारा अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए ढहाने का कार्यक्रम नियत किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान डी.डी.ए. ने अतिक्रमणों को हटाकर लगभग 257.35 एकड़ भूमि वापिस प्राप्त की है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	वापिस प्राप्त की गई भूमि
2005	50.93 एकड़
2006	107.82 एकड़
2007	98.60 एकड़

(ग) से (ङ) डी.डी.ए. सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। 1.4.2002 से 30.9.2007 तक की अवधि के दौरान डी.डी.ए. ने ऐसे आठ अधिकारियों पर दण्ड लगाया है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा धन भेजना

2143. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान एनआरआई द्वारा देश में भेजे गए धन का बैंकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान प्रबंधन सूचना प्रणाली में 5 लाख रुपए से कम की निर्दिष्ट सीमा वाले बैंक-वार व्यक्तिगत विप्रेषण से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए अनिवासी व्यक्तियों से 5 लाख रुपए से कम के अनुमानित व्यक्तिगत विप्रेषण क्रमशः 16,093 करोड़ रुपए 24,333 करोड़ रुपए तथा 34,775 करोड़ रुपए थे।

अनिवासी व्यक्तियों से वर्ष 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए 5 लाख रुपए एवं इससे अधिक की निर्दिष्ट सीमा वाले कुल व्यक्तिगत विप्रेषण क्रमशः 15,253 करोड़ रुपए, 30,247 करोड़ रुपए तथा 65,038 करोड़ रुपए थे। इन विप्रेषणों का बैंक-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

5 लाख रुपए एवं इससे अधिक की व्यक्तिगत विप्रेषण निर्दिष्ट सीमा वाली अनिवासी जमाओं तथा निजी अंतरण के संबंध में प्राधिकृत डीलर (एडी) शाखाओं द्वारा प्राप्त विप्रेषण

राशि रुपयों में (करोड़)

प्राधिकृत डीलर बैंक	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	1435.27	2696.74	23429.27
एंटवर्प डायमंड बैंक एनवी	2.24	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	250.07	308.83	313.52
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	108.45	122.70	77.74
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	113.33	84.76	111.32
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	10.57	8.95	15.48
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	227.85	396.80	428.17
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	11.56	8.56	10.03
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	21.17	19.45	19.87
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.	42.68	82.40	170.80
बैंक ऑफ बड़ौदा	288.53	433.85	474.42
इलाहाबाद बैंक	15.83	22.00	21.52
बैंक आफ इंडिया	694.46	945.20	1299.19
बैंक आफ महाराष्ट्र	68.75	60.63	38.18
केनरा बैंक	608.57	1320.40	1220.33
देना बैंक	22.83	52.61	68.31
इंडियन बैंक	116.63	126.16	191.59
इंडियन ओवरसीज बैंक	195.92	384.93	602.79
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	92.06	115.96	144.55
यूनियन बैंक आफ इंडिया	443.99	643.05	654.30
पंजाब नेशनल बैंक	169.67	131.08	224.99
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	5.53	13.39	11.18
यूको बैंक	38.19	36.46	68.81

1	2	3	4
सिंडिकेट बैंक	227.46	396.99	826.12
आंध्रा बैंक	223.71	91.50	101.45
कार्पोरेशन बैंक	99.23	127.77	162.55
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	48.66	110.41	204.69
पंजाब एंड सिंध बैंक	7.53	12.78	15.43
विजया बैंक	42.01	75.65	138.23
एचडीएफसी बैंक लि.	769.95	2006.74	3288.36
सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि.	56.97	91.20	164.15
आईडीबीआई बैंक लि.	103.05	17.60	3.71
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.	22.86	55.93	87.68
क्रंग थाई बैंक पब्लिक कंपनी लि.	0.09	0.00	0.00
बैंक आफ राजस्थान लि.	6.29	13.60	12.32
कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	30.78	37.47	66.24
सिटी यूनियन बैंक लि.	4.53	7.05	20.22
करूर वैश्य बैंक लि.	122.34	53.24	73.90
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	11.60	8.80	15.32
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लि.	14.82	16.62	23.20
फेडरल बैंक लि.	400.66	793.87	943.06
कर्नाटक बैंक लि.	34.85	65.24	93.44
भारत ओवरसीज बैंक लि.	44.34	66.80	74.62
साउथ इंडियन बैंक लि.	189.63	291.73	451.09
लार्ड कृष्णा बैंक लि.	6.25	13.32	11.04
आईएनजी वैश्य बैंक लि.	328.05	441.5	1006.47
जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	10.52	20.12	8.96
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	32.78	37.43	26.70
दि धनलक्ष्मी बैंक लि.	12.02	40.28	255.72
यूटीआई बैंक लि.	130.37	316.42	1039.99

1	2	3	4
एसबीआई कामर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	6.37	20.83	10.80
इंडसइंड बैंक लि.	92.21	281.78	834.78
आईसीआईसीआई बैंक लि.	794.77	7421.30	13778.43
एबीएन एमरो बैंक एनवी	239.97	418.94	632.71
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	5.81	13.21	67.41
बैंक आफ अमेरिका एनटी एंड एसए	29.98	39.36	66.14
दि बैंक आफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजी लि.	42.55	31.92	26.28
बीएनपी परिबास	32.06	104.22	99.99
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	574.78	2772.65	1972.00
सिटी बैंक एनए	2377.92	1981.96	4216.63
हांग कांग एंड शंघाई बैंकिंग कार्पोरेशन लि.	2364.31	2349.92	3132.61
ड्यूश बैंक (एशिया)	436.69	544.83	843.74
अबू धाबी कामर्शियल बैंक लि.	35.20	58.11	112.20
मशरेक बैंक पीएससी	8.30	1.74	0.09
कैल्योन बैंक	3.09	4.77	0.35
बैंक आफ नोवा स्कोटिया	18.28	16.81	24.79
सोसाइटी जनरेल	131.79	591.64	375.19
ओमान इंटरनेशनल बैंक एसएओजी	51.36	43.49	40.30
बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत बीएससी	14.90	34.64	40.30
डीबीएस बैंक लि.	0.24	265.98	14.96
स्टेट बैंक आफ मारीशस लि.	12.72	12.67	2.38
बैंक आफ सीलोन	9.59	1.28	2.86
बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	0.31	0.06	0.23
चो हुंग बैंक	4.81	6.90	13.53
चाइनाट्रस्ट कामर्शियल बैंक	0.14	1.00	2.34
कुल	15252.63	30247.29	65037.96

[हिन्दी]

न्यायालय में लंबित मामले

2144. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री हरि सिंह चावड़ा:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मुकदमेबाजी तथा न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां।

(ख) भारत के विधि आयोग और साथ ही सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने बढ़ती मुकदमेबाजी और अधिक संख्या में न्यायालय मामलों के लंबित रहने के कारणों का समय-समय पर अध्ययन किया है और उन पर रिपोर्ट की है। बढ़ती मुकदमेबाजी और अधिक संख्या में न्यायालय मामलों के लंबित रहने के कुछ महत्वपूर्ण कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में कमी को सुकर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि करना, त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करना, विशेष अधिकरणों जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आय-कर अपील अधिकरण की स्थापना करना है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम भी सरकार के क्रियान्वयनाधीन है। मध्यकता, बातचीत और माध्यस्थम् सहित विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को बढ़ावा दिया गया है। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ, किसी पक्षकार को मंजूर किए जाने वाले स्थगनों की संख्या को सीमित किया गया है तथा दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से 'सौदा अभिवाक्' की अवधारणा को प्रारंभ किया गया है।

विवरण

ऐसे कारक, जिनकी मुकदमेबाजी में वृद्धि करने वाले और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ाने वाले कारकों के रूप में पहचान की गई है

* जनसंख्या में वृद्धि।
* नई विधियों का अधिनियमन।
* निर्वाचन याचिकाओं के मद्दे अतिरिक्त बोझ।
* मुकदमेबाजों द्वारा जनहित याचिकाओं का अंधाधुंध सहारा लिया जाना (कभी-कभार कष्टप्रद रूप में)।
* प्रथम अपीलों का एकत्रण।
* अधिकारिता के प्रयोग पर परिसीमाओं की अनदेखी करते हुए द्वितीय अपीलों का फाइल किया जाना।
* अपीलों और खंडपीठ द्वारा सुनवाईयों का बाहुल्य।
* अनावश्यक स्थगनों का मंजूर किया जाना।
* पुराने मामलों के निपटान को पूर्विकता न देना।
* कुछ उच्च न्यायालयों की सामान्य मूल सिविल अधिकारिता जारी रखना।
* न्यायाधीश पदसंख्या की अपर्याप्तता।
* उच्च न्यायालयों में रिक्तियों के भरे जाने में विलंब होना।
* उच्च न्यायालयों से संबद्ध कर्मचारिवृंद की अपर्याप्तता।
* न्यायाधीशों की असंतोषप्रद रूप में नियुक्ति।
* अपर्याप्त आवास।
* अर्धन्यायिक आदेशों के विरुद्ध अपील के लिए पर्याप्त मंच उपलब्ध कराने में असफल रहना।
* बार के कुछ सदस्यों के हाथों में असामान्य रूप से कार्य का इकट्ठा होना।
* न्यायाधीशों का समय का पर्बंद न होना।
* सिविल पुनरीक्षण-अधिकारिता का अंधाधुंध प्रयोग।
* लंबी बहस और बृहत्त निर्णय।
* सरकारी काउंसेलों का अंसतोषप्रद चयन।

* हड़ताल आदि के कारण वकीलों का न्यायालयों में उपसंजात न होना।
* जल्दबाजी में बनाए गए और सदोष विधान।
* निर्णयों/आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय में असामान्य विलंब।
* लेटर्स पेटेंट अपीलें।
* मामलों के वर्गीकरण और समूहन में अपर्याप्तता।
* संविधान न्यायपीठें और उनमें बार-बार परिवर्तन।
* न्यायालयों को असामान्य रूप से बंद करना।
* आसीन न्यायाधीशों की जांच आयोगों के रूप में नियुक्ति।
* दांडिक मामलों में पेपर बुक का मुद्रण।

मास्टर प्लान दिल्ली-2021 का कार्यान्वयन

2145. श्री बालेश्वर यादव:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 को लागू करने के संबंध में डीडीए से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्रीय और स्थानीय क्षेत्र योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या एमपीडी-2021 की अधिसूचना के बावजूद 15 मीटर से कम ऊंचाई की ईमारतों तथा तीन मंजिल के ग्राउंड प्लान वाली ईमारतों में रह रहे दिल्ली के निवासियों को अभी भी राहत नहीं मिल रही है;

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार विद्यमान अतिरिक्त आवासीय इकाइयों को नियमित करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का "इंफ्लूएंस जोन" तथा "मेट्रो कोरीडोर्स" में आवासीय आवश्यकता को बढ़ाने/नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी 2021) को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (डीडी एक्ट) के प्रावधानों के अनुसार 7.2.2007 को अधिसूचित किया गया था और अधिसूचना के पश्चात् इसके प्रवर्तन के लिए डी.डी.ए. से और कोई प्रस्ताव अपेक्षित नहीं है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में यह व्यवस्था की गई है कि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर आंचलिक विकास योजनाओं (जेडडीपी) को अंतिम रूप दिया जाए। आंचलिक विकास योजनाओं को तैयार करने के संबंध में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

स्थानीय क्षेत्र योजनाएं स्थानीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान/जेडडीपी के दायरे में तैयार की जानी है। स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की तैयारी आंचलिक विकास योजनाओं की अधिसूचना के पश्चात् की जाती है।

(ग) से (च) दिनांक 7.2.2007 को अधिसूचित दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम भू-कवरेज, फर्शी क्षेत्रफल अनुपात (एफएआर) और भवनों की 15 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्लाटों पर रिहायशी प्लाटिड आवास में भवनों के लिए विकास नियंत्रण मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। अन्य निबन्धनों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन अनुमत्य भू-कवरेज, एफएआर और 15 मीटर की अधिकतम ऊंचाई का प्रतिबंध उन तलों की संख्या निर्धारित करता है जो किसी आकार के भू-खण्ड में बनाए जा सकते हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निर्धारित इन मानदण्डों के दायरे में अतिरिक्त कवरेज/अतिरिक्त ऊंचाई संबंधी निर्माण के नियमतीकरण का अनुरोध करने वाले भू-स्वामियों/आबंटियों को जुर्माना, कम्पाऊंडिंग प्रभार तथा सुधार कर या अतिरिक्त एफएआर प्रभार और विशेष कम्पाऊंडिंग प्रभार का भुगतान सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित दरों पर करना अपेक्षित है। तथापि, यह इस मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अध्यधीन है। उच्चतम न्यायालय ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 1985 की रिट याचिका संख्या 4677 में दिनांक 7.5.2007 के आदेश के तहत दिल्ली नगर निगम को अतिरिक्त तल के निर्माण की अनुमति न देने का निर्देश दिया। बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23.7.2007 के अपने आदेश के तहत् दिनांक 7.5.2007 के अपने पहले आदेश को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया कि दिनांक 7.5.2007 के आदेशों के तहत लगाई गई रोक दी जा रही स्वीकृतियों के संबंध में थी। इस रोक का आशय उन मामलों से नहीं था जिनमें 1998 के संशोधनों द्वारा यथा संशोधित 1990 (2001 मास्टर

प्लान के आधार पर निर्माण अनुमत्य थे। इन आदेशों को देखते हुए वर्तमान में रिहायशी यूनिट के बिना अतिरिक्त तल (तीसरा तल) की अनुमति केवल 24 मीटर और उससे अधिक चौड़ी सड़कों के सामने वाले 250 वर्ग मीटर और उससे अधिक वाले प्लाटों के लिए है।

(छ) और (ज) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में द्रुत जन परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस)/प्रमुख परिवहन कोरिडोर्स के मध्यम से दोनों तरफ 500 मीटर (अधिकतम) चौड़ी बैल्ट को ''इफ्लूएंस जोन'' के रूप में परिभाषित किया है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) के साथ परामर्श करके अभी निर्धारित किया जाना है। ''इंफ्लूएंस जोन'' के पुनर्विकास की स्कीम संबंधित स्थानीय निकाय/भू-स्वामी/निवासियों द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार तैयार की जाएगी और लागू विकास नियंत्रण संबंधित उपयोग जोन/उपयोग परिसरों के लिए अनुमत्य होंगे। स्कीमों का अनुमोदन एमआरटीएस के संबंधित फेस का निष्पादन शुरू होने के बाद ही दिया जाएगा।

विवरण

आंचलिक विकास योजना की स्थिति/प्रगति

क्र.सं.		अंचल	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदन की तिथि	दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2021 के अंतर्गत आंचलिक योजना की तैयारी की स्थिति
1	2	3	4	5	6
वर्ग 1: संशोधित की जा रही अनुमोदित आंचलिक परियोजनाएं					
1.	''ए''	पुराना शहर (1) वाल्ड सिटी (569 हेक्टे.)	1159	4.6.99	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
		(2) वाल्ड सिटी शहर के अलावा अन्य (590 हेक्टे.)			आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
2.	''बी''	नगर विस्तार (करोल बाग)	2304	4.6.99	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
3.	''सी''	सिविल लाइन	3959	24.9.98	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।

1	2	3	4	5	6
4.	"डी"	नई दिल्ली (मध्य दिल्ली)	6855	07.10.99	प्राधिकरण ने दिनांक 3.10.07 को आयोजित बैठक में आंचलिक योजना पर विचार करने का कार्य स्थगित किया क्योंकि एनडीएमसी क्षेत्र के लिए एक योजना डीयूएसी/एनडीएमसी द्वारा तैयार की जा रही है।
5.	ई	यमुना पार	8797	6.7.98	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना
6.	"एफ"	साउथ दिल्ली-1	11958	5.6.98	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
7.	"जी"	पश्चिमी दिल्ली-1 (छावनी रक्षा भूमि/एयरपोर्ट और ग्रामीण क्षेत्रों सहित)	11865	26.5.06	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
8.	"एच"	उत्तर-पश्चिमी दिल्ली-1	5677	26.5.06	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
9.	के-2	पश्चिमी दिल्ली-2 (द्वारका)	6408	21.08.06	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
10.	एम	उत्तर-पश्चिमी दिल्ली-2 (रोहिणी)	5543	26.5.06	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 3.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
11.	पी-1	उत्तर-पश्चिमी दिल्ली-3 (पूर्वी भाग जोन एमएन और पी नरेला)	9866	26.5.06	आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
श्रेणी-2: एमपीडी-2021 के अंतर्गत फरवरी, 2008 तक तैयार की जाने वाली आंचलिक योजना					
12.	जे	दक्षिणी दिल्ली-2	15178		आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।

1	2	3	4	5	6
13.	के-1	पश्चिमी दिल्ली-2 (द्वारका और रोहिणी के बीच का क्षेत्र)	6515.4		तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा दिनांक 3.9.07 को अनुमोदित की गई और प्राधिकारी को विचारार्थ प्रस्तुत की।
14.	एल	पश्चिमी दिल्ली-2	22979		आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.10.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।
15.	एन	जोन-एन उत्तर-पश्चिमी दिल्ली-3	13975		तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा दिनांक 3.9.07 को अनुमोदित की गई और प्राधिकारी को विचारार्थ प्रस्तुत की।
16.	ओ	जमुना नदी/यमुना मुहाना (जोन-ओ)	9700		दिनांक 3.10.07 को हुई प्राधिकारी की बैठक में उपराज्यपाल के अधीन उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत आंचलिक योजना शुरू की जानी है।
17.	पी-2	उत्तरी दिल्ली	8194		आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 19.11.07 को अनुमोदित एमपीडी-2021 के अनुसार संशोधित आंचलिक योजना।

[अनुवाद]

रुपये की मूल्य वृद्धि के कारण लाभ

2146. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान अमरीकी डालर की तुलना में रुपये की मूल्य वृद्धि के कारण विदेशी ऋण पर ब्याज के भुगतान के माध्यम से कुल कितना लाभ हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): चूंकि 2006-07 में 45.28 रुपये के स्तर पर प्रति डालर रुपये की औसत विनिमय दर मूल्यह्रास प्रतिबिंबित करती है, 2006-07 में विदेशी ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में रुपये मूल्य में कोई लाभ नहीं हुआ था। अप्रैल-जून, 2007, वह नवीनतम अवधि जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, के दौरान कुल विदेशी ऋण पर 1,523 मिलियन अमरीकी डालर की ब्याज राशि (अमरीकी डालर मूल्य में) का भुगतान किया गया था। ब्याज भुगतान मौजूदा विनियम दरों के आधार पर ऐसी विभिन्न मुद्राओं, जिनमें विदेशी ऋण मूल्यवर्धित किया जाता है, में किए जाते हैं। तथापि, अप्रैल-जून, 2007 के दौरान लाभ में हुई बढ़ी वृद्धि के आकलन के प्रयोजनार्थ इस तिमाही के दौरान 41.23 रुपये प्रति अमरीकी डालर की औसत विनिमय दर की तुलना 2006-07 के 45.28 रुपये प्रति अमरीकी डालर की औसत विनिमय दर से की गई है। इसके अनुसार, भारतीय रुपये के मूल्य में यह लाभ (अप्रैल-जून, 2007 के दौरान विदेशी ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में) रुपये के मूल्य में वृद्धि के कारण लगभग 617 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

कृषि ऋण का संवितरण

2147. श्री अबु अयीश मंडल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण संवितरित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान संवितरित कृषि ऋणों का सरकारी क्षेत्र के बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा फसल ऋण माफ किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नियमित रूप से कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले दो वर्ष के दौरान संवितरित कृषि ऋणों का बैंकवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 के दौरान फसल ऋण माफ नहीं किए हैं। तथापि, किसानों द्वारा खरीफ और रबी 2005-06 के लिए, लिए गए फसल ऋणों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए प्रत्येक 1,00,000 रुपए तक की मूल राशि पर उधारकर्ताओं की देयता के 2 प्रतिशत अंक के बराबर राशि उनके खाते में जमा कर दी गई थी। इसके बाद, खरीफ 2006 से यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान को मूल राशि पर 3 लाख रुपए की ऊपरी सीमा सहित 7% पर अल्पावधि उत्पादन ऋण प्राप्त हो, सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों को उनके स्वयं के स्रोतों से दिए गए ऋण पर 2% वार्षिक की ब्याज सहायता तथा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड से लिए गए उनके ऋणों पर रियायती दरों पर पुनर्वित्त दे रही है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए विशेष कृषि ऋण योजना

वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान कृषि को बैंकवार संवितरण

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	संवितरण	
		2005-06*	2006-07*
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	20895.76	25248.66
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर जयपुर	980.74	1319.89
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1387.13	1799.82
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	814.73	1123.15
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1274.00	1660.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	3203.15	3683.32
7.	स्टेट बैंक आप सौराष्ट्र	1628.24	1939.78
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1729.32	2090.48
9.	इलाहाबाद बैंक	2847.33	3525.24
10.	आंध्रा बैंक	2724.75	3468.25
11.	बैंक आफ बड़ौदा	4302.38	5452.46
12.	बैंक आफ इंडिया	4399.67	5778.64
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1673.18	2134.00
14.	केनरा बैंक	7211.20	9404.11

1	2	3	4
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3294.28	4472.90
16.	कार्पोरेशन बैंक	1106.61	2115.91
17.	देना बैंक	901.42	1315.40
18.	इंडियन बैंक	3604.37	4651.70
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	4207.57	5896.91
20.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	1486.13	2602.83
21.	पंजाब नेशनल बैंक	9855.93	12954.36
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1697.37	2566.73
23.	सिंडिकेट बैंक	3107.14	4388.37
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4438.00	5333.39
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1401.00	1902.64
26.	यूको बैंक	2375.64	3112.57
27.	विजया बैंक	1730.75	2273.55
28.	आई.डी.बी.आई. बैंक	–	227.44
	कुल	94277.79	122442.50

*अनंतिम।

[हिन्दी]

आर्थिक अपराध स्कंध के पास मामले

2148. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आर्थिक अपराध स्कंध के पास दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से निपटाए गए मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें उक्त मामलों में सजा दी गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तैयार कपड़ों का अवैध निर्यात

2149. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित कई राज्यों से तैयार कपड़ों का अवैध रूप से निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(घ) क्या इस अवैध निर्यात में उत्पाद शुल्क विभाग के कुछ अधिकारी तथा कुछ अन्य अधिकारी भी संलिप्त हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी पाए गए व्यक्तियों तथा इसमें संलिप्त उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) जी हां, ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मामलों की सं.	इनमें शामिल राजस्व (गलती से प्राप्त किये गये निर्यात प्रोत्साहन की राशि)
2004-2005	38	0.33
2005-2006	38	0.76
2006-2007	43	1.03
2007-2008 (जुलाई 2007 तक)	24	0.12

(घ) और (ङ) जी हां, विगत तीन वर्षों के दौरान 14 सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी ऐसे अवैध निर्यात कार्य में संलिप्त पाये गये थे।

(च) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी और गलत पाये गये निर्यातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि उनसे शुल्क की मांग क्यों न की जाये या उन पर जुर्माना/शास्ति क्यों न लगाई जाये। आचार नियमावली तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है।

बैंकों/बीमा कंपनियों में रिक्त पद

2150. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री तापिर गाव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष से अब तक विभिन्न अनुसूचित बैंकों तथा बीमा कंपनियों में श्रेणी-1 तथा 2 के बैंक-वार तथा बीमा कंपनी-वार कितने आरक्षित पद रिक्त हैं; और

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

13वां वित्त आयोग

2151. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 13वें वित्त आयोग से पारिस्थितिकी प्रबंधन तथा पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों का एक साथ सामना करने के लिए करों को केन्द्र और राज्यों के बीच बांटने की सिफारिश करने को कहा है, जैसाकि दिनांक 2 नवम्बर, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों को उनके विकास से समझौता करके अधिक हरित क्षेत्र बनाए रखने के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) जी हां। तेरहवें वित्त आयोग के विचारार्थ विषय के अनुसार केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों का केन्द्र और राज्यों के बीच वितरण करने के लिए सिफारिशें करते समय सहायता अनुदान आदि को शासित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में आयोग कतिपय बातों को ध्यान में रखेगा जिनमें संपोषणीय विकास के अनुरूप पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की व्यवस्था करने की जरूरत शामिल है। आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2009 तक उपलब्ध कराने की आशा है।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

2152. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत परियोजनाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत देश में स्थापित कार्यक्रम अनुपूरक इकाइयों का राज्यवार, स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत देश में सरकार के पास लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(च) ऐसे प्रशासनिक विलम्ब रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) कार्यक्रम के दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों से यह अपेक्षित है कि वे सभी निविदाओं के लिए मानक बोली दस्तावेज का पालन करें। मंत्रालय की वेबसाइट (pmgsy.nic.in) पर उपलब्ध मानक बोली दस्तावेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना देने के संबंध में निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं:-

(1) संविदा प्राप्त करने की अर्हता के लिए प्रत्येक बोली लगाने वाले को एक न्यूनतम टर्नओवर प्राप्त करना होगा तथा एक निर्धारित राशि का उतना ही कार्य पूरा कर लिया होना चाहिए।

(2) प्रत्येक बोली लगाने वाले को यह दर्शाना होगा कि उसके पास निर्धारित उपस्कर, तकनीकी मैनपावर तथा निर्धारित वित्तीय परिसम्पत्तियां/साख सुविधा उपलब्ध है।

(3) बोली को अनअर्हक करार दिया जाएगा यदि बोली लगाने वाला निर्धारित मदों को भ्रामक अथवा गलत प्रस्तुत करता है, अथवा उसके निष्पादन का रिकार्ड खराब है।

(4) काम दिए जाने से पहले बोली लगाने वाले के पास निर्धारित बोली क्षमता होनी चाहिए।

(ख) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की जिमेदारी राज्य सरकारों पर है। निष्पादन एजेंसी के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग नोडल विभाग होता है। कार्यक्रम दिशा-निर्देशों में राज्यों द्वारा ऐसी निष्पादन एजेंसियों की पहचान करने का प्रावधान है जिनकी हर जिले में उपस्थिति हो तथा जो समयबद्ध सड़क निर्माण कार्य में पूरी तरह से सक्षम हों। निष्पादन एजेंसी के पास जिले अथवा जिलों के एक सुसंगत समूह में एक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई होगी। राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विधिक स्थिति वाली राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एसआरआरडीए) की पहचान का भी प्रावधान है। निधियां प्राप्त करने, कार्यों को सरल बनाने तथा कार्यक्रम के समन्वय की जिम्मेदारी एसआरआरडीए की है। विभिन्न राज्यों में पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन करने वाली नोडल एजेंसियों तथा राज्य ग्रामीण विकास एजेंसियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट: (pmgsy.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ग) से (च) अब तक किसी राज्य के लिए परियोजना स्वीकृत करने में कोई अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है तथा पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों की शर्तों को पूरा करने वाले सभी प्रस्तावों को अक्तूबर, 2007 तक स्वीकृत कर दिया गया है। बिहार (चरण-6 नामांकित निष्पादन एजेंसियों तथा विश्व बैंक दोनों), झारखण्ड (चरण-5), कर्नाटक (चरण-7), मध्य प्रदेश (चरण-9), महाराष्ट्र (चरण-6), उत्तर प्रदेश (चरण-6), उत्तराखण्ड (चरण-6) तथा राजस्थान (चरण-8) से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा चल रही है तथा संवीक्षा पूरी हो जाने पर उठाए गए मुद्दों पर राज्यों से प्राप्त आवश्यक अनुपालन प्राप्त होने पर इस पर अधिकार सम्पन्न समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

डोमेस्टिक वायलेन्स एक्ट

2153. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री के.एस. राव:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम और प्रोटेक्शन आफ वूमेन फ्रोम डोमेस्टिक वायलेन्स एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन तथ्यों के बारे में उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के महिला आयोगों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अधिनियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इन अधिनियमों में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष 2004-06 के दौरान दर्ज 11300 मामलों में से 615 मामले तथ्यों अथवा कानूनी संबंधी भूल के कारण झूठे घोषित किए गए।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के किसी प्रकार के दुरुपयोग के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार को उड़ीसा अथवा अन्य किसी राज्य महिला आयोग से उक्त अधिनियमों के दुरुपयोग की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शहरी भूमि की हदबंधी में सुधार

2154. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में शहरी भूमि हदबंदी हटा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे शहरी क्षेत्रों में भूमि की होर्डिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर आवासीय इकाई लेने की काफी कम संभावना रह जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में आवासीय क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए शहरी भूमि हदबंदी में संशोधन करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में आसान ऋण उपलब्ध करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार शहरी भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा (1) असम, (2) गुजरात, (3) हरियाणा, (4) कर्नाटक, (5) मध्य प्रदेश, (6) पंजाब, (7) उड़ीसा, (8) राजस्थान, (9) उत्तर प्रदेश, (10) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली (11) पांडिचेरी, (12) चंडीगढ़ द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(घ) चूंकि भूमि राज्यों का विषय है, इसलिए राज्य सरकार से अपेक्षा है कि वे समुचित भूमि विकास नीतियां बनाकर और भवन निर्माण योजनाओं की मंजूरी हेतु भवन निर्माण उपनियमों एवं प्रक्रियाओं को समुचित रूप से लागू करके सट्टे के प्रयोजनार्थ भूमि की होर्डिंग को रोकें।

(ङ) विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध हैं।

भारत में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) का विस्तार

2155. श्री मोहन रावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) के बारे में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के "द नेक्स्ट बिलियन कंज्यूमर्स" की रिपोर्ट की जानकारी है, जैसा कि दिनांक 7 नवंबर, 2007 के 'द इकोनामिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) का अनुमान है कि भारतीय जनसंख्या का केवल 34 प्रतिशत हिस्सा ही औपचारिक बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। अधिक वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूजन) के लिए बीसीजी द्वारा दिए गए सुझावों में, अन्य बातों के अलावा, मोबाइल फोन के माध्यम से अगले एक अरब (नेक्स्ट बिलियन) बैंकिंग ग्राहकों तक पहुंचना; ब्याज दर की सीमाएं बढ़ाना अथवा हटाना; बैंकों को एनबीएफसी के साथ सहभागिता करने की अनुमति देना; ग्रामीण शाखाओं के लिए अनुमोदित कार्यकलापों की सूची का विस्तार करना; ऐसे उपाय शुरू करना जिनमें लघु वित्त संस्थाएं अगले एक अरब ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें; तथा समावेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी अवसंरचना को बढ़ाना शामिल है।

वित्तीय समावेशन के प्रति सरकार की पहल का लक्ष्य न केवल ऋण प्रबंधन है बल्कि जनता को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना भी है। हाल में किए गए विशिष्ट उपायों में ये शामिल हैं- 'शून्य शेष' अथवा 'नो फ्रिल' खाते शुरू करना; बैंकों का दायरा बढ़ाने के लिए स्मार्ट कार्डों/मोबाइल प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं; ग्राहकों की अनन्य पहचान करने के लिए बायोमीट्रिक प्रणालियां; 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन हासिल करने के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक जिला निर्धारित करने की प्रायोगिक परियोजना; ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक संतुष्टि के निर्धारण के लिए सर्वेक्षण करना; बैंकों को व्यापार सुविधाकर्ता (बीएफ) तथा व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) माडल का प्रयोग करके वित्तीय तथा बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्व-सहायता समूहों की लघु वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी को छोड़कर) तथा अन्य सिविल सामाजिक संगठनों की सेवाओं को मध्यवर्ती के रूप में प्रयुक्त करने की अनुमति देना; डाकघरों को व्यापार प्रतिनिधियों के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए इस्तेमाल करने हेतु बैंकों और डाक प्राधिकारियों के बीच करार; ग्राहक सेवाओं की सुपुर्दगी को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उपाय; और व्यापक वित्तीय समावेशन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्य विशिष्ट कार्य दलों का गठन करना।

भारतीय जीवन बीमा निगम में अव्यवस्था

2156. श्री राम कृपाल यादव:
श्री आलोक कुमार. मेहता:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आउट स्टेशन चैकों के माध्यम से प्रीमियम के संग्रहण में भारतीय जीवन बीमा निगम में अव्यवस्था की जानकारी है;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम आउट स्टेशन चैकों के माध्यम से प्रीमियम जमा करने पर पालिसी धारक से अधिक धनराशि वसूल कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि आउट स्टेशन चैकों के माध्यम से प्रीमियम से संग्रहण के बारे में भारतीय जीवन बीमा निगम में अव्यवस्था नहीं है। वास्तव में, एलआईसी प्रीमियम अदायगी से संबंधित आउट स्टेशन चैकों को पालिसीधारकों की सुविधाओं के लिए स्वीकार करती है।

(ख) से (घ) एलआईसी ने आगे यह भी सूचित किया है कि पालिसी संबंधी सेवा प्रदान की जाने वाली शाखा में आउट स्टेशन चैकों के माध्यम से प्रीमियम जमा करने पर पालिसीधारकों को किसी प्रकार का बैंक शुल्क अदा नहीं करना होता है। तथापि, पालिसीधारक सेवा प्रदान करने वाली शाखा से इतर शाखा में आउट स्टेशन चैकों के माध्यम से प्रीमियम अदा कर रहा है तो पालिसीधारक पर वास्तविक बैंक शुल्क के साथ-साथ प्रति लिखत 20/- रु. का लेन-देन प्रभार लगाया जाता है।

[हिन्दी]

अन्य देशों को ऋण

2157. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूगांडा, तनजानिया, केन्या और सूडान सहित अनेक देशों ने भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किए गए ऋण को नहीं चुकाया है;

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों को वसूल करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत सरकार से ऋण प्राप्त किया और इन ऋणों को किस तारीख से प्राप्त किया गया तथा आज की स्थिति के अनुसार संबंधित देशों पर कितना ऋण बकाया है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे अशोध्य ऋणों की राशि को संबंधित देशों के निजी उद्यमों में निवेश करने पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

संशोधित किराया नियंत्रण मानदंड

2158. श्री के.एस. राव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किरायेदारों द्वारा संपत्ति पर जबर्दस्ती कब्जा करने संबंधी भूस्वामियों की समस्याओं का निवारण करने, बाजार दर के अनुसार किराए में संशोधन सर्वोत्तम निर्माण पद्धतियों से परिपक्व और दीर्घकालीन पट्टा बाजार विकसित करने हेतु संशोधित किराया नियंत्रण मानदंड तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा किन बाधाओं का सामना किया जा रहा है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) किराया नियंत्रण राज्यों का विषय है। दिल्ली के संबंध में दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में मुख्यत: निम्नलिखित खंडों में संशोधन करने की परिकल्पना की गई है:- (1) समझा गया किराया, (2) किराएदारी पंजीकरण, (3) किराया वृद्धि, (4) किराएदारी उत्तराधिकार तथा (5) किराएदारों की बेदखली।

(ग) और (घ) दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को दिनांक 23.8.1995 से अधिनियमित किए जाने के तत्काल बाद उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों के खिलाफ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। तदोपरांत इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के बाद अधिनियम को लागू करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 जुलाई, 1997 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। 13वीं लोक सभा भंग होने तक विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। 14वीं लोक सभा के गठन के बाद, सरकार द्वारा विधेयक पर नए सिरे से विचार किया जाना है।

विनिर्माताओं के विरुद्ध लंबित मामले

2159. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कार्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 30 सितंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) के अंतर्गत विभिन्न विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्रवाई के उद्योग-वार कितने मामले लंबित हैं; और

(ख) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एमआरटीपी) आयोग एक राष्ट्रीय स्तर का अर्ध-न्यायिक निकाय है, जो किसी भी एनटिटी के एकाधिकारिक, प्रतिबंधित या अनुचित व्यापार व्यवहारों में संलिप्त होने के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत कार्रवाई करता है। 30 सितम्बर, 2007 तक, आयोग में लंबित मामलों की कुल संख्या निम्न थी:-

क्र.सं.	जांच/आवेदन	30.09.2007 को लम्बित मामले
1.	एकाधिकारिक व्यापारिक व्यवहार जांच	4
2.	प्रतिबंधित व्यापारिक व्यवहार जांच	283
3.	अनुचित व्यापारिक व्यवहार जांच	639
4.	क्षतिपूर्ति आवेदन	1121

(ख) एक अर्धन्यायिक निकाय होने के कारण, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग एमआरटीपी अधिनियम के अनुसार सुनवाई पूरी करने के पश्चात् मामले निपटाएगा। सरकार द्वारा इन मामलों के निपटान में कोई निर्णय/कार्रवाई नहीं की जाती है।

महाराष्ट्र हेतु जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें

2160. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है और कितनी अभी भी लंबित हैं; और

(घ) परियोजनाओं को स्वीकृति देने और धनराशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा संचालित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के शहरी अवस्थापना और शासन (यूआईजी) घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) विवरण में दी गई है।

(ग) अभी तक, महाराष्ट्र राज्य के लिए जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन घटक (यूआईजी) के तहत 47 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी है। महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रस्तुत 6 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(घ) राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मिलते ही उनका मूल्यांकन किया जाता है और स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विवरण

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी घटक के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर)

क्र.सं.	शहर	क्षेत्र	परियोजना का नाम
1	2	3	4
1.	ग्रेटर मुम्बई	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	मीठी नदी तथा इसके आसपास के क्षेत्र के विकास और संरक्षण के लिए कार्य योजना
2.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	मुम्बई-4 के लिए मध्य वैतरणा जल आपूर्ति परियोजना
3.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	सीवरेज निपटान परियोजना
4.	ग्रेटर मुम्बई	अन्य शहरी परिवहन	बान्द्रा-वरली समुद्र आधारित परियोजना
5.	ग्रेटर मुम्बई	तीव्रजन परिवहन प्रणाली	ठाणे-ठाणे मेट्रो के लिए एमआरटीएस स्कीम
6.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	मुम्बई सीवरेज निपटान परियोजना चरण-2
7.	ग्रेटर मुम्बई	द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली	मुम्बई मेट्रो वरसोवा-अंधेरी घाटकोपर कारीडोर
8.	ग्रेटर मुम्बई	द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली	मुम्बई मेट्रो-कोलाबा-बांद्रा-चारकोप कारीडोर
9.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	खेरवाड़ी-पश्चिमी एक्सप्रैस हाईवे पर फ्लाईओवर-एमआईयूपी
10.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	स्थानीय एयरपोर्ट पर पश्चिमी एक्सप्रैस हाइवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
11.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	ढिन्दोशी-जीएमएलआर पर पश्चिमी एक्सप्रैस हाइवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
12.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	टाइम्स आफ इंडिया पर पश्चिमी एक्स्प्रैस हाइवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
13.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	ठाकुर परिसर में पश्चिमी एक्सप्रैस हाइवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
14.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	सियोन डुप्लीकेशन में पूर्वी एक्सप्रैस हाईवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
15.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	सुमन नगर में पूर्वी एक्सप्रैस हाइवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
16.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	नवघर जंक्शन में पूर्वी एक्सप्रेस हाइवे पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी

1	2	3	4
17.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	प्रिंस आफ वेल्स म्यूजियम से एपीएलआर तक पूर्वी फ्री वे-एमयूआईपी
18.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	साहर रोड पर एलिवेटिड रोड-एमयूआईपी
19.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	एलबीएस मार्ग (सियोन-मुलंद)-एमयूआईपी
20.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	एसवी रोड (बान्द्रा-दहीसर)-एमयूआईपी
21.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	मनपाड़ा जंक्शन से घोडवन्दर रोड तक और कावला तक कलक्शन सिस्टम तथा थाने के स्लम में सीवर नेटवर्क के विस्तार के लिए डीपीआर
22.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	ठाणे की अतिरिक्त 110 एमएलडी जल आपूर्ति के लिए डीपीआर
23.	ग्रेटर मुम्बई	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	ठाणे की एकीकृत नाला विकास परियोजना चरण-2
24.	ग्रेटर मुम्बई	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	एकीकृत नाला विकास चरण-1
25.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	कोपरी (ठाणे) में सीवरेज संशोधन संयंत्र
26.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	पंपिंग स्टेशन तथा इसके कलक्शन सिस्टम के निर्माण की डीपीआर
27.	ग्रेटर मुम्बई	अन्य शहरी परिवहन	ठाणे रेलवे सिस्टम ट्रेफिक इम्प्रूवमेंट स्कीम (एसएटीआईएस)
28.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	डा. बी.आर. अम्बेडकर रोड पर फ्लाईओवर-एमयूआईपी
29.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	मुम्बई में विभिन्न पाइप लाइनों का प्रतिस्थापन तथा पुर्नस्थापन
30.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	वेरावली हिल रिजस्वायर से आदर्श नगर यारी रोड तक भूमिगत सुरंग (65 किमी.)
31.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	मालावार हिल रिजरवायर से क्रास मेडन तक भूमिगत सुरंग (3.6 किमी.)
32.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	मारोशी से रूपरेल कालिज तक भूमिगत सुरंग (12 किमी.)
33.	ग्रेटर मुम्बई	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन
34.	ग्रेटर मुम्बई	ठोस कचरा प्रबंधन	ठाणे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम चरण-1
35.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	मीरा रोड और भयंदर के बीच आरसीसी पाईप पुलिया का निर्माण (सं. 4)
36.	ग्रेटर मुम्बई	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	जैशल पार्क भयन्दर में सब-वे का निर्माण
37.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	विकेन्द्रीकरण प्रणाली पर आधारित मीरा भयन्दर भूमिगत सीवरेज परियोजना

1	2	3	4
38.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	नवी मुंबई द्वारा डाली गई एनएमएमसी क्षेत्र में 24×7 आपूर्ति के लिए कालामबोली से डिगे तक स्वच्छ जल ट्रांसमिशन मेन तथा संबंधित कार्य
39.	ग्रेटर मुम्बई	जल आपूर्ति	नवी मुंबई के एनएमएमसी क्षेत्र में जल वितरण नेटवर्क में सुधार
40.	ग्रेटर मुम्बई	सीवरेज	नवी मुंबई में एनएमएमसी क्षेत्र में एसटीपी की पुनर्संरचना
41.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	सड़क चौड़ा करना/सुधार
42.	नागपुर	जल आपूर्ति	नहर के एवज में मोर्टर लाइन्ड एमएम पाईप लाईन द्वारा पेंच रिजरवायर से महादुल्ला तक पानी ऊपर लाना
43.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)
44.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	बाहरी रिंग रोड
45.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	ब्रिज ओवर रिवर
46.	नागपुर	अन्य शहरी परिवहन	यातायात सुधार तथा प्रबंधन
47.	नागपुर	जल आपूर्ति	नागपुर शहर में जलापूर्ति वितरण नेटवर्क का विस्तार तथा उन्नयन
48.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति के लिए ऊर्जा लेखा परियोजना
49.	नागपुर	ठोस कचरा प्रबंधन	भण्डेवाड़ी में सैनेटरी लैण्ड फिल साइट का विकास और उन्नयन-एसडब्ल्यूएम
50.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल क्षेत्र (लीक डिटेक्शन)
51.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल लेखा परियोजना
52.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति पेंच-4 (भाग 2)
53.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति पेंच-4 (भाग 3)
54.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति पेंच-4 (भाग 4)
55.	नागपुर	जल आपूर्ति	कान्हा आगमेन्टेशन स्कीम
56.	नागपुर	जल आपूर्ति	जल अपशिष्ट का पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग
57.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	आनन्द टाकीज के नजदीक पुल के ऊपर सड़क का निर्माण
58.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	मोमिनपुरा में पुल के ऊपर सड़क का निर्माण
59.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	मस्कासथ में पुल के ऊपर सड़क का निर्माण
60.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	ईटावरी में पुल के ऊपर सड़क का निर्माण

1	2	3	4
61.	नागपुर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	नागपुर रायपुर स्टेशन पर रेलवे के पुल पर सड़क का निर्माण (नजदीक-मोमिनपुरा)
62.	नांदेड	जलाशयों का संरक्षण	गोदावरी नदी पर पवित्र स्नान हेतु जलाशय का निर्माण-एम्दुरा जलाशय, बजेगांव जलाशय
63.	नांदेड	हेरीटेज क्षेत्रों का विकास	रिवर फ्रंट डेवलपमेंट
64.	नांदेड	हेरीटेज क्षेत्रों का विकास	पगडंडियों का निर्माण
65.	नांदेड	जलाशयों का संरक्षण	जलाशय के किनारे घाट का निर्माण
66.	नांदेड	जलाशयों का संरक्षण	आई/एस बैंक पर घाट का निर्माण
67.	नांदेड	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	नान्देड में शहरी सड़कों में सुधार (पैकेज-1)
68.	नांदेड	जलाशयों का संरक्षण	आसना नदी पर पवित्र स्नान हेतु जलाशय का निर्माण त्रिकूट जलाशय
69.	नांदेड	जल आपूर्ति	उत्तरी नांदेड में जलापूर्ति में सुधार
70.	नांदेड	सीवरेज	उत्तरी नांदेड जोन-1 में सीवरेज प्रणाली
71.	नांदेड	सीवरेज	उत्तरी नांदेड जोन-2 में सीवरेज प्रणाली
72.	नांदेड	सीवरेज	उत्तरी नांदेड जोन-3 में सीवरेज प्रणाली
73.	नांदेड	जल आपूर्ति	नांदेड (दक्षिण) के लिए जल आपूर्ति
74.	नांदेड	सीवरेज	भूमिगत सीवरेज तथा सीवरेज संशोधन (नांदेड-दक्षिण)
75.	नांदेड	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी)	नांदेड पैकेज 3, 4 तथा 3बी रोड में मूवमेंट नेटवर्क में सुधार
76.	नांदेड	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	नांदेड पैकेज 3बी संरचना के मूवमेंट नेटवर्क में सुधार
77.	नांदेड	हेरीटेज क्षेत्रों का विकास	रिवर फ्रंट डेवलपमेंट नार्थ बैंक जोन-3
78.	नासिक	सीवरेज	नासिक शहर चरण-1 के लिए भूमिगत सीवरेज
79.	नासिक	अन्य शहरी परिवहन	यातायात और परिवहन योजना
80.	नासिक	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति परियोजनाओं का जारी कार्य
81.	नासिक	ठोस कचरा प्रबंधन	नासिक के लिए ठोस कचरा प्रबंधन
82.	नासिक	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	वर्षा जल निकासी
83.	नासिक	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार (सड़क नेटवर्क)
84.	नासिक	द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली	पुणे के लिए बीआरटी प्रायोगिक परियोजना (हदपसर रूट 13.6 किमी.)

1	2	3	4
85.	पुणे	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	सीवरेज संशोधन संयंत्र तथा पंपिंग स्टेशन का विकास तथा उन्नयन
86.	पुणे	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	पुणे में हेरिटेज स्थान के विकास और प्राकृतिक जलाशय निकायों में प्रदूषण रोकने के लिए जल निकासी में सुधार तथा नाली का निर्माण मुलामुथा रिवर इको के पर्यावरणीय पुन: सुधार तथा संरक्षण
87.	पुणे	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	पुणे में जल निकासी निपटान प्रणाली तथा सीवरेज का पुन: नवीकरण तथा प्रबंधन (बेरिस में वृद्धि, झीलों का पुन: स्थापन, जैविक-उपाय करना तथा नाला और नदी का भू-दृश्य)
88.	पुणे	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं.-1 पिम्परी-चिन्चवाड़
89.	पुणे	जल निकासी/वर्षा जल निकासी	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं.-2 पिम्परी-चिन्चवाड़
90.	पुणे	जल आपूर्ति	जल निकासी प्रणाली प्रस्ताव सं.-1 पिम्परी-चिन्चवाड़
91.	पुणे	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति प्रस्ताव सं. 2-पिम्परी-चिन्चवाड़
92.	पुणे	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति प्रस्ताव सं. 3-पिम्परी-चिन्चवाड़
93.	पुणे	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति प्रस्ताव सं. 4-पिम्परी-चिन्चवाड़
94.	पुणे	ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन-पिम्परी-चिन्चवाड़
95.	पुणे	ठोस कचरा प्रबंधन	जोखिमपूर्ण कचरा प्रबंधन-पिम्परी-चिन्चवाड़
96.	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-1 पिम्परी-चिन्चवाड़
97.	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-2 पिम्परी-चिन्चवाड़
98.	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-3 पिम्परी-चिन्चवाड़
99.	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-4 पिम्परी-चिन्चवाड़
100.	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-5 पिम्परी-चिन्चवाड़
101.	पुणे	अन्य शहरी परिवहन	सड़क नेटवर्क और शहरी परिवहन-6 पिम्परी-चिन्चवाड़
102.	पुणे	द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली	द्रुतगामी बस परिवहन प्रणाली (राष्ट्रकुल युवा खेलों, 2008 के लिए अवस्थापना विकास)
103.	पुणे	सीवरेज	पिम्परी-चिन्चवाड़ के लिए सीवरेज प्रस्ताव
104.	पुणे	द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली	पुणे शहर के लिए द्रुतगामी बस परिवहन
105.	पुणे	जल आपूर्ति	जल आपूर्ति प्रस्ताव (सं. 4) पिम्परी-चिन्चवाड़
106.	पुणे	द्रुतगामी जन परिवहन प्रणाली	पिम्परी-चिन्चवाड़ के लिए द्रुतगामी बस परिवहन प्रणाली (बीआरटीएस)

1	2	3	4
107.	पुणे	हेरीटेज क्षेत्रों का विकास	पिम्परी-चिन्चवाड़ में पवाना नदी का रिवर फ्रंट विकास
108.	पुणे	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	शहरी यातायात चक्र में सुधार जंक्शन और फ्लाईओवर सुरंग का निर्माण
109.	पुणे	जल निकास/वर्षा जल निकासी	पीसीएमसी (पुणे) में वर्षा जल निकासी प्रणाली

मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास

2161. श्री अनन्त नायक: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना के दौरान मलिन बस्तियों के निवासियों हेतु कितनी बहुमंजिला इमारतें बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन बहुमंजिला इमारतों में कम लागत वाले कितने फ्लैट बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है; और

(घ) इन बहुमंजिला इमारतों में कम लागत वाले फ्लैटों/मकानों का निर्माण करने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) आवास राज्यों का विषय है अत: राज्य सरकारें बहुमंजिले भवनों सहित आवास परियोजनाएं शुरू करने के साथ ही उनमें कम कीमत वाले फ्लैट बनाने, परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने तथा बहुमंजिले भवनों में कम कीमत वाले फ्लैटों के निर्माण हेतु धनराशि नियत करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 63 चुनिन्दा नगरों के लिए तथा अन्य नगरों/कस्बों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए मकानों का निर्माण करना तथा मूल सुविधाएं मुहैया कराने हेतु राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन दिशा-निर्देशों में मंजिलों की संख्या अथवा प्रत्येक मंजिल पर बनाएं जाने वाले मकानों की संख्या का उल्लेख नहीं है। योजना आयोग नियतन के अनुसार 2005-12 अवधि के लिए जेएनएनयूआरएम के तहत मकानों के निर्माण तथा मूल सेवाओं के प्रावधान के लिए 18100 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है (बीएसयूपी) के लिए (13650 करोड़ रुपये तथा आईएचएसडीपी के लिए 4450 करोड़ रुपये)। विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना तथा उन्हें केन्द्रीय स्तर पर स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदन देने के आधार पर केन्द्रीय धनराशि के लिए भेजना राज्य सरकारों का दायित्व है।

शहरी क्षेत्रों को पुन: परिभाषित करना

2162. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कस्बों और शहरों की परिधि में बड़े क्षेत्रों को सम्मिलित करके और उनकी नगरपालिका सीमाओं का विस्तार करके शहरी क्षेत्रों को पुन: परिभाषित करने हेतु कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, नहीं। बाहरी क्षेत्रों सहित म्यूनिसिपल सीमाओं/नगर सीमाओं का विस्तार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, भारत की जनगणना, 2001 द्वारा परिभाषित क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

(1) नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र समिति, आदि वाले सभी सांविधिक स्थान।

(2) निम्नलिखित तीनों मानदण्डों को साथ-साथ पूरा करने वाला स्थान:

(i) 5000 की न्यूनतम आबादी;

(ii) कार्यरत पुरुष आबादी का कम से कम 75 प्रतिशत गैर-कृषि व्यवसाय में लगा हो; और

(iii) जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. (1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील) हो।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत परियोजनाएं नगरों/शहरी बस्तियों में

शुरू की जाती है जिसमें बाहरी शहरी क्षेत्र और विस्तार क्षेत्र भी शामिल हैं।

बैंकों में नई पदोन्नति नीति

2163. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई सरकारी बैंकों ने फास्ट ट्रैक पदोन्नति नीति पर रोक लगा दी है और नई पदोन्नति नीति अपनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्रदान की गई प्रबंधकीय स्वायत्तता के अनुसार, वे परिचालनात्मक और प्रबंधकीय स्वायत्तता के मामले में पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिसमें अपने बोर्ड के अनुमोदन से पदोन्नति एवं शीघ्र पदोन्नति सहित सभी मामलों के लिए सांविधिक अपेक्षाओं (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लिए आरक्षण) के अध्यधीन अपनी स्वयं की ''मानव संसाधन'' संबंधी नीतियां एवं कार्यविधियां अपनी परिचालनात्मक एवं अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना शामिल है।

बालिकाओं हेतु बीमा सुरक्षा

2164. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बालिकाओं के पालन-पोषण हेतु प्रोत्साहन के रूप में बीमा सुरक्षा आरंभ करने के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बालिकाओं के सम्पूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु ''सशर्त नकदी अंतरण योजना'' को भी अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजनाओं को कब तक चालू किया जाएगा?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) बालिकाओं के लिए बीमा सुरक्षा सहित सशर्त नकदी हस्तांतरण स्कीम वार्षिक योजना 2007-08 में शामिल की गई है तथा बालिका के जन्म और उसके पंजीकरण, प्रतिरक्षण, स्कूली शिक्षा जारी रखने तथा अट्ठारह वर्ष की आयु होने के पश्चात् ही उसके विवाह की चार महत्वपूर्ण शर्तें पूरी होने पर उसके परिवार को इस स्कीम के अंतर्गत नकद राशि प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त स्कीम के अनुमोदन की प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

लघु उद्योगों में ऋण प्रवाह

2165. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि करने की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश में लघु उद्योगों को सरकारी बैंकों द्वारा कितना ऋण दिया गया; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को ऋण देने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार ने लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) को अधिक ऋण देने के लिए 10 अगस्त, 2005 को संसद में एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की थी जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एसएमई क्षेत्र को प्रति वर्ष ऋण में न्यूनतम 20% की वृद्धि करने के उद्देश्य से एसएमई के निधीयन हेतु अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी गई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने एसएमई क्षेत्र को बकाया ऋण में वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 के दौरान प्रति वर्ष 25.81% की वृद्धि दर्शाई है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2005 और 2006 के दौरान लघु उद्योग को प्रदान किये गये ऋण की राज्य-वार राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को एसएमई क्षेत्र को ऋण देने में न्यूनतम 20% की प्रतिवर्ष वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी गई है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान लघु उद्योग को प्रदान किये गये ऋणों की राज्य-वार राशि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	बकाया राशि (करोड़ रु. में)	
	2005	2006
1	2	3
हरियाणा	2778.48	3527.83
हिमाचल प्रदेश	306.05	408.62
जम्मू-कश्मीर	219.80	260.01
पंजाब	4896.90	5838.49
राजस्थान	2252.14	2638.93
चंडीगढ़	448.27	742.35
दिल्ली	5770.54	6288.44
असम	387.76	580.05
मणिपुर	27.04	26.09
मेघालय	144.60	43.41
नागालैंड	37.05	37.64
त्रिपुरा	42.15	35.90
अरुणाचल प्रदेश	11.98	13.11
मिजोरम	39.65	11.68
सिक्किम	24.35	14.43
बिहार	646.48	711.58
झारखंड	729.87	944.56
उड़ीसा	1020.68	1276.59
पश्चिम बंगाल	3872.22	4894.64
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	33.12	11.01
मध्य प्रदेश	1992.84	2461.96
छत्तीसगढ़	670.97	852.65
उत्तर प्रदेश	5287.15	6501.78
उत्तराखंड	517.29	577.64
गुजरात	3488.36	4719.92
महाराष्ट्र	10768.68	15765.32
दमन एवं दीव	23.10	27.11
गोवा	145.59	299.67
दादरा एवं नगर हवेली	13.65	23.66
आंध्र प्रदेश	3733.96	5088.80
कर्नाटक	3469.41	4665.46
केरल	1716.52	2415.80
तमिलनाडु	7117.24	10638.53
पांडिचेरी	60.77	90.05
लक्षद्वीप	0.23	0.34

[हिन्दी]

बच्चों के साथ अपराध

2166. श्री सुभाष महरिया:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों के साथ अपराध (निवारण) विधेयक पुर:स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार का बच्चों के प्रति अपराध (निवारण) विधेयक लाने का प्रस्ताव है, जिस पर विचार किया जा रहा है।

जमानत आदेश का तत्काल कार्यान्वयन

2167. श्री संतोष गंगवार:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यह कहा है कि न्यायालय द्वारा जमानत आदेश पारित किये जाने के तत्काल बाद जमानत पर किसी अभियुक्त की रिहाई सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है अन्यथा इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मजिस्ट्रेट द्वारा फैक्स अथवा ई-मेल से भेजे गए आदेशों को मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार्य कराये जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, शाहनवाज खान बनाम महाराष्ट्र राज्य शीर्षक वाली 2007 की दगांडिक अपील सं. 1423 में तारीख 10.10.2007 को पारित अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ, यह कथन किया था कि ''....... यह आशा की जाती है कि एक बार जमानत आदेश पारित होने के पश्चात् उसका अतिशीघ्रता से अनुपालन किया जाना चाहिए तथा बंदी को मुक्त किया जाना चाहिए, अन्यथा यह सविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा ....''

(ग) मजिस्ट्रेट के आदेशों को, मजिस्ट्रेट के समक्ष अनुज्ञेय फैक्स या ई-मेल के द्वारा भेजने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम

2168. श्री महावीर भगोरा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम' के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाओं हेतु धनराशि जारी की गई है;

(ग) उक्त कार्यक्रम से संबंधित लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। एयूडब्ल्यूएसपी स्कीम का वर्ष 2005-06 से 'छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम' (यूआईडीएसएसएमटी) में विलय कर दिया गया है और वर्ष 2004-05 के बाद एयूडब्ल्यूएसपी के तहत कोई नई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए धनराशियां दी जा चुकी हैं उनका ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) जल आपूर्ति परियोजनाओं को शुरू करने से उन्हें पूरा करने तक सामान्यतया 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं। हालांकि, कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन धनराशियों की विभिन्न किस्तों को जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित किया गया है ताकि स्कीम निर्धारित समयावधि में पूरी हो सके। चूंकि इस स्कीम का विलय यूआईडीएसएसएमटी में कर दिया गया है और 2007-08 स्कीम की कार्यावधि का अंतिम वर्ष है इसलिए यह आशा है कि सभी स्वीकृत योजनाएं 31 मार्च, 2008 तक पूरी हो जाएंगी।

पूरी हो चुकी परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

विवरण I

शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी)

2004-05 के दौरान अनुमोदित स्कीमें

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	
3.	असम	3
4.	बिहार	10
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	गोवा	

1	2	3
7.	गुजरात	19
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू-कश्मीर	10
11.	झारखंड	7
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	19
15.	महाराष्ट्र	9
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	
18.	मिजोरम	
19.	नागालैंड	
20.	उड़ीसा	7
21.	पंजाब	5
22.	राजस्थान	11
23.	सिक्किम	
24.	तमिलनाडु	31
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तर प्रदेश	23
27.	उत्तरांचल	3
28.	पश्चिमी बंगाल	3
	कुल	207

विवरण II

एयूडब्ल्यूएसपी

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए धनराशियां जारी की गई हैं
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	असम	3
4.	बिहार	10
5.	छत्तीसगढ़	1
6.	गोवा	शून्य
7.	गुजरात	19
8.	हरियाणा	4
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	जम्मू-कश्मीर	10
11.	झारखंड	7
12.	कर्नाटक	10
13.	केरल	3
14.	मध्य प्रदेश	19
15.	महाराष्ट्र	9
16.	मणिपुर	2
17.	मेघालय	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य
20.	उड़ीसा	7
21.	पंजाब	5
22.	राजस्थान	11
23.	सिक्किम	शून्य
24.	तमिलनाडु	31
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तर प्रदेश	23
27.	उत्तरांचल	3
28.	पश्चिमी बंगाल	3

विवरण III

शहरी विकास मंत्रालय

केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) पूरी हो चुकी/चालू हो चुकी/अंशतः चालू हो चुकी स्कीमों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	स्वीकृत स्कीमों की कुल संख्या/लक्ष्य	पूरी हो चुकी/चालू हो चुकी/अंशतः चालू हो चुकी स्कीमों की कुल संख्या	चल रही स्कीमों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	35	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	2
3.	असम	21	5	16
4.	बिहार	33	8	25
5.	छत्तीसगढ़	42	36	6
6.	गोवा	4	4	0
7.	गुजरात	70	64	6
8.	हरियाणा	38	35	3
9.	हिमाचल प्रदेश	16	14	2
10.	जम्मू-कश्मीर	15	5	10
11.	झारखंड	16	6	10
12.	कर्नाटक	45	35	10
13.	केरल	13	1	12
14.	मध्य प्रदेश	147	75	72
15.	महाराष्ट्र	37	19	18
16.	मणिपुर	26	18	8
17.	मेघालय	2	1	1
18.	मिजोरम	8	8	0
19.	नागालैंड	2	2	0
20.	उड़ीसा*	35	26	8
21.	पंजाब	16	9	7

1	2	3	4	5
22.	राजस्थान	72	50	22
23.	सिक्किम	2	2	0
24.	तमिलनाडु	93	92	1
25.	त्रिपुरा	12	6	6
26.	उत्तर प्रदेश	390	282	108
27.	उत्तरांचल	22	17	5
28.	पश्चिमी बंगाल	22	10	12
	कुल	1244	866	377

*गोपालपुर नामक एक स्कीम कार्यान्वित नहीं की जानी है।

[अनुवाद]

ब्याज दर का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

2169. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गत दो वर्षों में अर्थव्यवस्था की गति को संयमित करने हेतु ब्याज दरों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बढ़ी हुई ब्याज दर के कारण मुद्रास्फीति की दर घटकर 3.1 प्रतिशत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ब्याज दरों को घटाने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अक्तूबर 1994 से 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों, जिनमें आवास ऋण भी शामिल हैं, पर ब्याज दरों को विनियमन-मुक्त कर दिया है और ये ब्याज दरें स्वयं बैंकों द्वारा उनके संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से निर्धारित की जाती हैं। 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए बेंचमार्क मूल आधार दर (बीपीएलआर) ही उच्चतम उधार दर के रूप में निर्धारित की गई हैं। बैंकों की ऋण योजनाओं के मूल्य-निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, बैंकों को इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बीपीएलआर को नियत करने की सलाह दी गई है (1) निधियों की वास्तविक लागत, (2) प्रचालन संबंधी व्यय, और (3) प्रावधान/पूंजीगत प्रभार तथा लाभ की मार्जिन। संबंधी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम मार्जिन बैंकों को अपनी ऋण योजनाओं का मूल्य निर्धारण अपने बीपीएलआर से कम या अधिक स्तर पर करने और अपने बाजार-बेंचमार्क पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करते हुए अस्थायी दर वाली योजनाएं पेश करने की अनुमति दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 अक्तूबर, 1997 से वाणिज्यिक बैंकों को अपने बोर्डों के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वताओं वाली घरेलू सावधि जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें नियत करने की स्वतंत्रता दी है। बचत बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित की जा रही हैं और 1 मार्च, 2003 से 3.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही हैं।

गत दो वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित महत्वपूर्ण नीतिगत दरों में हुए परिवर्तनों का ब्यौरा निम्नानुसार रहा है:

भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत दरें (%)

प्रभावी तिथि	नकदी समायोजन सुविधा		प्रभावी तिथि	नकदी आरक्षित अनुपात
	रेपो	रिवर्स रेपो		
29 अप्रैल, 2005	5.00	6.00	23 दिसम्बर, 2006	5.25
26 अक्तूबर, 2005	5.25	6.25	6 जनवरी, 2007	5.50
24 जनवरी, 2006	5.50	6.50	17 फरवरी, 2007	5.75
9 जून, 2006	5.75	6.75	3 मार्च, 2007	6.00
25 जुलाई, 2006	6.00	7.00	14 अप्रैल, 2007	6.25
31 अक्तूबर, 2006	6.00	7.25	28 अप्रैल, 2007	6.50
31 जनवरी, 2007	6.00	7.50	4 अगस्त, 2007	7.00
31 मार्च, 2007	6.00	7.75	10 नवंबर, 2007	7.50

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान, अर्थव्यवस्था की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि क्रमशः 9.0 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ) 10 नवंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई, आधार 1993-94=100) में हुई घट-बढ़ में यथामापित मुद्रास्फीति दर 3.01 प्रतिशत थी। मुद्रास्फीति रोधी उपायों में भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति दृष्टिकोण, सरकार का राजकोषीय विवेक और आपूर्ति संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए किये गये उपाय शामिल हैं।

(ङ) और (च) ब्याज दरें बाजार निर्धारित होती हैं।

विश्व बैंक से ऋण

2170. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान भारत के लिए 3.8 मिलियन डालर का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विश्व बैंक द्वारा किसी देश के लिए स्वीकृत ऋण की अब तक की सबसे बड़ी राशि है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस ऋण के अंतर्गत कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। विश्व बैंक ने बैंक वित्त वर्ष 7 (जुलाई 2006-जून, 2007) के दौरान 3.7 बिलियन अमरीकी डालर स्वीकृत किए हैं।

(ख) जी, नहीं। यह विश्व बैंक द्वारा एक वर्ष में किसी देश को उधार दी गयी दूसरी सबसे बड़ी राशि है।

(ग) परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र	ऋण/उधार राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु सिंचित कृषि आधुनिकीकरण और जलाशय नवीकरण और प्रबंधन	23 जनवरी 2007	तमिलनाडु	485.0

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक तालाब प्रबंधन	19 अप्रैल 2007	आंध्र प्रदेश	189.0
3.	बिहार ग्रामीण जीवन यापन	14 जून 2007	बिहार	63.0
4.	पंजाब राज्य सड़क	5 सितम्बर 2006	पंजाब	250.00
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क	5 जून 2007	हिमाचल प्रदेश	220.0
6.	उत्तराखंड ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	5 सितम्बर 2006	उत्तराखंड	120.0
7.	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	14 दिसम्बर 2006	पंजाब	154.0
8.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली	22 अगस्त 2006	कर्नाटक	141.8
9.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य-2	22 अगस्त 2006	केन्द्रीय	360.0
10.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण-2	22 अगस्त 2006	केन्द्रीय	170.0
11.	तृतीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण	26 अप्रैल 2007	केन्द्रीय	250.0
12.	वयवसायिक प्रशिक्षण भारत	5 जून 2007	केन्द्रीय और राज्य	280.0
13.	उड़ीसा सामाजिक आर्थिक विकास ऋण-2	1 अगस्त 2006	उड़ीसा	225.0
14.	तृतीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/उधार	11 जनवरी 2007	आंध्र प्रदेश	225.0

[हिन्दी]

निजी विद्युत वितरण कंपनियों के मीटर

21/1. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत प्रदाय कंपनियों द्वारा देश में विशेषकर दिल्ली में लगाए गए बिजली के मीटर बहुत तेजी से चलते हैं और वास्तव में उपयोग की गई बिजली की यूनिटों से अधिक यूनिटें दर्शाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का दिल्ली में निजी विद्युत वितरण कंपनियों के एकाधिकार और उनके मनमाने व्यवहार को किस प्रकार से रोकने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विद्युत एक समवर्ती विषय है। वितरण राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। तदनुसार, वितरण कंपनियां विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा शासित होती हैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 146 के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी आदेश या निदेश का अनुपालन नहीं करने या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों या इनके अंतर्गत निहित नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन करने या किसी भी प्रकार से उल्लंघन को प्रेरित करने पर डिस्कॉम समेत व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

विद्युत अधिनियम की धारा 14 में उचित विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के मुताबिक समान क्षेत्र के भीतर अपनी वितरण प्रणाली के जरिये विद्युत वितरण के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 में प्रावधान है कि कोई भी लाइसेंसी नियत तारीख से दो वर्षों के समाप्त होने के बाद

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सही मीटर की संस्थापना के बगैर विद्युत की आपूर्ति नहीं करेगा।

सीईए ने 17.3.2006 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापना एवं प्रचालन) विनियम, 2006 अधिसूचित कर दिया है।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने सूचित किया है कि दिल्ली एनसीटी में उपभोक्ताओं से गलत मीटर रीडिंग तथा अधिक बिलिंग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो मुख्यतः उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रानिक मीटरों के तेज चलने जैसी गलत धारणा के कारण है। अनेक मीटर टेस्टिंग अभियान चलाये गये हैं, जिसमें वितरण कंपनियों, डीईआरसी तथा दिल्ली-एनसीटी सरकार द्वारा चलाये गये अभियान भी शामिल हैं। इन सभी अभियानों से पता चला कि मोटा-मोटी तौर पर इलेक्ट्रानिक मीटर भारतीय विद्युत विनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के भीतर ही चल रहे हैं।

1 अक्तूबर, 2005 से 10 जनवरी, 2006 तक डीईआरसी द्वारा चलाया गया अभियान केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर तथा भारतीय मानक ब्यूरो की सहायता से आयोजित किया गया। इसके अंतर्गत 536 मीटरों की जांच की गई तथा केवल 4 ऐसे मीटर पाए गए जो निर्धारित सीमा से अधिक खपत स्तर दर्शा रहे थे।

उड़ीसा और प. बंगाल के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने सूचित किया है कि ऐसा कोई भी मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग ने सूचित किया है कि सरकारी वैद्युत निरीक्षक, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा डिजिटल मीटरों को संस्थापित करने वाले लाइसेंसी के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट से यह पता नहीं चलता है कि डिजिटल मीटर भरोसेमंद नहीं हैं।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलना

2172. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी/निजी बैंकों ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बैंकवार अब तक अपनी कितनी शाखाएं खोली हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शाखाएं अर्थात अपतटीय बैंकिंग एकक खोलने की मौजूदा योजना के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी शाखाएं/अपतटीय बैंकिंग एकक खोलने वाले सरकारी/निजी क्षेत्र के बैंकों का बैंक-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	बैंक	शाखाओं/अपतटीय बैंकिंग एककों का स्थान	संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रों का नाम
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नाम		
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1. एसईईपीजेड, अंधेरी, मुम्बई, तथा 2. कोची	एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र महाराष्ट्र, तथा कोची विशेष आर्थिक क्षेत्र, केरल
2.	बैंक ऑफ बड़ौदा	एसईईपीजेड, अंधेरी, मुम्बई	एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, महाराष्ट्र
3.	पंजाब नेशनल बैंक	एसईईपीजेड, अंधेरी, मुम्बई	एसईईपीजेड विसेष आर्थिक क्षेत्र, महाराष्ट्र
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसईईपीजेड, अंधेरी, मुम्बई	एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, महाराष्ट्र
5.	केनरा बैंक	नोएडा, गाजियाबाद	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का नाम		
6.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	एसईईपीजेड, अंधेरी, मुम्बई	एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, महाराष्ट्र

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले

2173. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बैंकों में बैंकवार भ्रष्टाचार के कितने मामले ध्यान में आए;

(ख) क्या इस संबंध में कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों को रोकने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को भ्रष्टाचार के मामले की सूचना देने की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा धोखाधड़ी के मामले भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किये जा रहे हैं। धोखाधड़ी का बैंक-वार ब्यौरा, उसमें अंतर्ग्रस्त राशि, जैसाकि बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 2004, 2005, 2006 और 2007 (जून तक) के लिए सूचित किया गया है, विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) विद्यमान दिशा-निर्देश के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी की सूचना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और एक करोड़ रुपये से कम राशि की धोखाधड़ी की सूचना स्थानीय पुलिस को देना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी है कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में कर्मचारियों की जवाबदेही की जांच करें। दोषी कर्मचारियों, जो धोखाधड़ी के मामलों में शामिल होते हैं, के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	दोषी ठहराए गए कर्मचारियों की संख्या	बड़े/छोटे दंड लगाए गए कर्मचारियों की संख्या	कॉलम 2 में से बर्खास्त/सेवामुक्त/निकाले गए कर्मचारियों की संख्या	दोषामुक्त कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन लंबित है	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है
	1	2	3	4	5	6
2004	127	1590	461	69	635	1429
2005	120	1506	451	33	658	1404
2006	43	1416	437	48	596	1340
2007 (जून तक)	66	732	183	34	575	1235

(घ) अपनी पर्यवेक्षी जिम्मेदारी के तौर पर, भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को संभावित सामान्य धोखाधड़ी क्षेत्रों के बारे में तथा धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने/कम करने के लिए उपाय किये जाने के बारे में सलाह देता रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को सचेत रहने की सलाह जारी की जाती है, जिसमें बेईमान उधारकर्ताओं और संबंधित पार्टियों, जिन्होंने बैंकों के साथ धोखाधड़ी का अपराध किया है, का विवरण होता है ताकि बैंक उन्हें ऋण देते समय सावधान रहें। बैंकों को यह सलाह भी दी जाती है कि वे धोखाधड़ी के सभी मामलों में स्टाफ की जवाबदेही की जांच करें।

विवरण

वर्ष 2004 से 2006 तक और जून 2007 तक के लिए धोखाधड़ियों पर कैलेन्डर वर्ष-वार आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के बैंक	2004		2005		2006		2007 (जून तक)	
		धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि	धोखाधड़ियों की संख्या	शामिल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	भारतीय स्टेट बैंक	350	32.84	437	136.48	469	72.03	257	57.17
	एसबीआई (विदेशी शाखाएं)	1	0.03	2	0.21	1	0.22	0	0.00
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	27	2.45	24	1.73	41	20.96	30	13.08
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	66	13.32	43	2.23	51	5.16	21	2.05
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	25	2.91	35	39.83	64	5.26	37	3.43
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	7	1.37	27	17.53	167	8.02	16	23.66
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	49	9.59	62	26.14	42	3.68	15	1.81
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	16	2.90	15	33.68	10	3.34	11	4.97
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	19	6.07	16	2.91	34	2.90	29	3.81
9.	इलाहाबाद बैंक	30	2.40	54	34.45	44	8.20	11	15.39
10.	आंध्रा बैंक	65	12.26	42	4.36	49	32.70	21	1.55
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	232	40.07	230	40.67	145	13.91	87	15.92
	बीओबी (विदेशी शाखाएं)	8	0.31	3	0.29	3	0.04	6	0.06
12.	बैंक ऑफ इंडिया	130	17.31	163	83.69	138	29.33	94	27.67
	बीओआई (विदेशी शाखाएं)	1	0.05	3	2.32	1	0.24	0	0.00
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	9	0.87	14	4.87	19	14.11	25	3.77
14.	केनरा बैंक	184	41.87	213	40.51	166	117.15	92	58.68
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	140	52.88	143	56.03	153	53.92	71	21.84
16.	कारपोरेशन बैंक	252	13.97	115	43.35	69	17.05	37	7.80
17.	देना बैंक	38	4.30	31	29.27	53	48.74	31	12.48
18.	आईडीबीआई लि.			60	28.73	80	28.17	23	3.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	इंडियन बैंक	134	23.91	107	51.60	110	22.38	34	1.19
	विदेशी शाखाएं			2	1.72	0	0.00	0	0.00
20.	इंडियन ओवरसीज बैंक	85	10.51	76	57.25	115	56.37	91	22.72
	विदेशी शाखाएं			2	0.01	0	0.00	1	0.12
21.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	40	17.98	59	121.45	24	16.89	14	2.25
22.	पंजाब नैशनल बैंक	222	41.98	197	65.27	181	25.67	83	15.84
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	24	3.87	36	5.24	20	9.26	9	1.87
24.	सिंडिकेट बैंक	148	13.07	119	21.42	96	25.58	48	12.58
	विदेशी शाखाएं	1	0.43	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	71	34.43	94	40.23	114	56.03	41	9.54
26.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	23	28.16	26	17.30	52	62.47	47	9.37
27.	यूको बैंक	72	12.50	110	75.19	91	43.11	49	19.63
28.	विजया बैंक	51	6.43	98	48.43	116	41.87	54	23.58
	कुल	2520	451.04	2658	1134.39	2568	844.76	1385	396.86

[अनुवाद]

बैंकों में कर्मचारियों की कमी

2174. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्टाफ की कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा की कम खपत करने वाले केरोसीन लैंप

2175. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की कम खपत करने वाले केरोसीन लैंप शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजसहायता दर पर इनकी आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 'नूतन दीप' नामक ऊर्जा दक्ष केरोसीन लैम्प उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तथापि, सरकार ने अभी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

चेकों का खो जाना

2176. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सहित विभिन्न बैंकों में ग्राहकों द्वारा जमा किये गए चेकों/ड्राफ्टों के खो जाने के संबंध में बढ़ती शिकायतों से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खो जाने की जिम्मेवारी कलेक्टिंग बैंक की है;

(घ) यदि हां, तो कलेक्टिंग बैंकों द्वारा कितने मामले निपटाये गये तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या हरियाणा में कॉर्पोरेशन बैंक सहित कुछ बैंकों ने बिना उचित जांच किये ऐसे खाताधारक देय चेकों को इनकैश कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार को इन घटनाओं में किसी षडयंत्र का पता है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क), (ख) और (घ) से (ज) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चैक गुम हो जाने की घटनाओं पर कार्रवाई बैंक द्वारा स्वयं आंतरिक रूप से की जा रही है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के डाटाबेस द्वारा पूछे गए ढंग से सूचना नहीं रखी जाती। तथापि, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने ऐसे एक मामले की सूचना दी है जिसमें एक शरारती व्यक्ति द्वारा उनकी शाखा से 70,000 रुपए का एक चैक चुराए जाने तथा कार्पोरेशन बैंक, रिवाड़ी से कपटपूर्ण ढंग से नकद भुगतान प्राप्त करने की सूचना दी गई थी। कार्पोरेशन बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान मामले में, चैक के फलक से यह पता लगाना बहुत कठिन है कि हस्ताक्षर जाली हैं तथा किया गया परिवर्तन प्रामाणिक नजर आता है। चूंकि यह संदेह करना बहुत कठिन था कि हस्ताक्षर जाली हैं, अतः बैंक द्वारा लिखत को संदेहास्पद दस्तावेजों के सरकारी परीक्षक (जीईक्यूडी) को सत्यापन हेतु तथा इसकी सूचना देने हेतु भेजा गया था। जीईक्यूडी का मत है कि रेखन (क्रॉसिंग) निरसन को प्रमाणित करने के लिए प्रयुक्त हस्ताक्षर जाली हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर दी गई है।

(ग) जी, हां।

[हिन्दी]

तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों में कुपोषण और कम वजन

2177. श्री महावीर भगोरा: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीन वर्ष की आयु तक के कम वजन वाले बच्चों का राज्य-वार, ग्रामीण/शहरी क्षेत्र-वार, और बालक-बालिकावार ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व में तीन वर्ष तक की आयु के कम वजन वाले बच्चों के मामले में भारत का कौन सा स्थान है;

(ग) तीन वर्ष की आयु तक के बच्चों में कम वजन की समस्या के समाधान के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि और निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान कुपोषण की वजह से राज्य-वार बाल मत्यु दर का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) के अनुसार, 3 वर्ष से कम आयु के अल्प वजनी बच्चों का राज्य-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष से कम आयु के 31.1% बच्चे अल्प वजनी हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी आयु वर्ग के 43.7% बच्चे अल्प वजनी हैं। तथापि, 3 वर्ष से कम आयु के लड़कों एवं लड़कियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

तथापि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार, 6 माह से 59 माह तक के अल्प वजनी बच्चों के लिंग-वार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि इस आयु वर्ग में 41.9% लड़के तथा 43.1% लड़कियां अल्प वजनी हैं।

(ख) विश्व स्तर पर 3 वर्ष की आयु के अल्प वजनी बच्चों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, यह संभव नहीं है कि इस श्रेणी में अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति का पता लग सके।

(ग) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की समेकित बाल विकास सेवा स्कीम बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने हेतु कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों में एक प्रमुख कार्यक्रम है। ममेकित बाल विकास सेवा स्कीम 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित करने वाला एक अंतरक्षेत्रीय कार्यक्रम है।

(घ) वर्ष 2004-05 से 2007-08 (7.8.2007 तक) के दौरान समेकित बाल विकास सेवा (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि का विवरण संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रचालन हेतु लक्ष्यित एवं प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-III में दर्शाई गई है।

(ङ) कुपोषण के कारण होने वाली बाल मृत्यु के आंकड़े परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कुपोषण मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं है। यद्यपि, यह संक्रमण से लड़ने की शरीर की प्रतिरोधन क्षमता को कम करके अक्षमता एवं मृत्यु होने की संभावना को बढ़ा सकता है। भारत के महापंजीयक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2005 में बाल मृत्यु दर (0-4 वर्ष की आयु वर्ग में) 17.3 प्रति हजार थी।

विवरण I

3 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का राज्य-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	3 वर्ष से कम आयु के कुपोषित बच्चों का प्रतिशत
1	2	3
1.	मिजोरम	21.6
2.	सिक्किम	22.6
3.	मणिपुर	23.8
4.	पंजाब	27.0
5.	केरल	28.8
6.	गोवा	29.3
7.	जम्मू-कश्मीर	29.4
8.	नागालैंड	29.7
9.	दिल्ली	33.1
10.	तमिलनाडु	33.2
11.	हिमाचल प्रदेश	36.2
12.	आंध्र प्रदेश	36.6
13.	अरुणाचल प्रदेश	36.9
14.	उत्तरांचल	38.0
15.	त्रिपुरा	39.0
16.	महाराष्ट्र	39.7
17.	असम	40.4
18.	कर्नाटक	41.1
19.	हरियाणा	41.9
20.	पश्चिम बंगाल	43.5
21.	उड़ीसा	44.0
22.	राजस्थान	44.0
23.	मेघालय	46.3
24.	उत्तर प्रदेश	47.3
25.	गुजरात	47.4
26.	छत्तीसगढ़	52.1
27.	बिहार	58.4
28.	झारखंड	59.3
29.	मध्य प्रदेश	60.3
	भारत	45.9

स्रोत: रा.प.स्वा.स. (2005-06)

बाडी मास इन्डैक्स - वजन कि.ग्रा. में/कद मीटर में

विवरण II

आई.सी.डी.एस. (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05 जारी की गई निधियां	2005-06 जारी की गई निधियां	2006-07 जारी की गई निधियां	2007-08 जारी की गई निधियां (7.8.2007 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7277.34	14750.69	21877.67	15407.02
2.	बिहार	9408.47	5036.11	20976.12	5082.36
3.	छत्तीसगढ़	3275.49	4412.01	4561.5	[illegible]
4.	गोवा	286.33	373.53	397.96	105.55
5.	गुजरात	12405.58	9917.54	12732.62	6010.22
6.	हरियाणा	4674.34	5312.47	6015.49	3780.47
7.	हिमाचल प्रदेश	2617.26	3480.88	2882.29	2206.66
8.	जम्मू-कश्मीर	3457.78	4989.19	5410.99	1636.65
9.	झारखंड	3824.62	4288.33	7845.37	4115.16
10.	कर्नाटक	11023.50	14176.11	19122.28	3161.61
11.	केरल	5546.74	5725.65	8115.91	2207.69
12.	मध्य प्रदेश	6263.10	9498.48	13002.16	8198.59
13.	महाराष्ट्र	11930.96	16808.92	20433.15	11337.65
14.	उड़ीसा	9968.40	10600.69	12137.96	6373.98
15.	पंजाब	3904.27	5591.61	5861.62	2722.13
16.	राजस्थान	7849.67	7459.77	13809.14	6471.80
17.	तमिलनाडु	1203.16	15212.94	12786.6	8233.69
18.	उत्तरांचल	1723.77	2861.67	1676.39	862.47
19.	उत्तर प्रदेश	15100.87	31989.58	24768.42	19929.74
20.	पश्चिम बंगाल	12633.07	19391.00	17182.73	11871.46
21.	दिल्ली	1118.36	1290.03	1379.78	657.55
22.	पांडिचेरी	218.89	233.68	195.22	115.63

1	2	3	4	5	6
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	185.39	212.82	174.11	109.55
24.	चंडीगढ़	155.26	156.87	163.41	136.00
25.	दादरा व नगर हवेली	48.27	70.10	62.33	28.14
26.	दमन व दीव	38.98	47.74	56.78	29.86
27.	लक्षद्वीप	25.15	42.67	38.34	21.20
28.	जीवन बीमा निगम	500.00	800.00	1200.00	200.00
29.	अरुणाचल प्रदेश	1697.61	1780.28	3145.86	938.38
30.	असम	15799.37	22462.56	16077.475	4580.29
31.	मणिपुर	2054.55	1664.87	3631.405	770.78
32.	मेघालय	1450.81	2158.35	2114.925	753.83
33.	मिजोरम	781.68	1476.66	1573.255	340.90
34.	नागालैंड	1358.50	2531.64	2471.215	726.72
35.	सिक्किम	332.88	354.75	782.6	192.87
36.	त्रिपुरा	1414.45	2779.91	4475.41	1073.54
	कुल	172654.87	229940.10	269138.48	135033.61

विवरण III

गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रचालन हेतु लक्षित तथा प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		2005-06 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		2006-07 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		प्रचालन हेतु लक्षित	31.3.2005 तक प्रचालित	प्रचालन हेतु लक्षित	31.3.2006 तक प्रचालित	प्रचालन हेतु लक्षित	31.3.2007 तक प्रचालित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	54312	53760	54312	56364	63853	61761
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	2359	2359	23569	2901	3037
3.	असम	24516	25302	25416	25447	30743	25447
4.	बिहार	60813	33736	60813	57767	76585	57767
5.	छत्तीसगढ़	20289	20289	20289	20286	27607	26801

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गोवा	1012	1012	1012	1012	1012	1012
7.	गुजरात	37961	37101	37961	37498	40779	38391
8.	हरियाणा	13546	13546	13546	13546	15796	16359
9.	हिमाचल प्रदेश	7354	7354	7354	7354	16069	7354
10.	जम्मू-कश्मीर	11821	10398	11821	10398	17408	16409
11.	झारखंड	23078	18436	23078	21792	29517	22304
12.	कर्नाटक	40301	40301	40301	40669	49351	51111
13.	केरल	25393	25318	25393	25376	27999	27980
14.	मध्य प्रदेश	49787	49710	49787	49594	57416	56737
15.	महाराष्ट्र	62716	61689	62716	64130	73007	74528
16.	मणिपुर	4501	4500	4501	4501	4501	4501
17.	मेघालय	2218	2218	2218	2265	2986	3162
18.	मिजोरम	1361	1361	1361	1361	1545	1592
19.	नागालैंड	2770	2770	2770	2770	2982	2770
20.	उड़ीसा	34201	34201	34201	33953	36824	36527
21.	पंजाब	14730	14730	14730	14730	16882	14730
22.	राजस्थान	35821	35821	35821	35817	44653	41985
23.	सिक्किम	500	500	500	500	890	886
24.	तमिलनाडु	42677	42677	42677	42677	45116	45726
25.	त्रिपुरा	3874	3768	3874	3768	5650	6114
26.	उत्तर प्रदेश	106059	97302	106059	104879	131257	128859
27.	उत्तरांचल	6658	6550	6658	6657	7565	7747
28.	पश्चिम बंगाल	57540	54518	54540	54961	71220	56774
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	527	527	527	621	602	621
30.	चंडीगढ़	300	300	300	329	323	329
31.	दिल्ली	3902	3842	3902	3852	4322	4425
32.	दादरा व नगर हवेली	138	138	138	138	199	138
33.	दमन व दीव	87	87	87	87	95	97
34.	लक्षद्वीप	74	74	74	74	74	74
35.	पांडिचेरी	677	677	677	677	685	688
	अखिल भारत	754773	706872	754773	748229	908414	844743

[अनुवाद]

बच्चा गोद लेने के लिए नये दिशा-निर्देश

2178. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चा गोद लेने के लिए नये दिशा-निर्देश जारी करने का है जिससे कि इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त सुरक्षा जांच और निगरानी तंत्र विद्यमान रहे जैसाकि दिनांक 10 अक्तूबर, 2007 के "द हिन्दू" में साचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार गोद लेने की प्रक्रिया में संलग्न घरेलू और विदेशी एजेंसियों के आंकड़े रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन घरेलू एजेंसियों को कोई अनुदान प्रदान करती है; और

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) दत्तक ग्रहण के संबंध में नए दिशा-निर्देश तैयार किये जा रहे हैं और इस कार्य के शीघ्र संपन्न होने की संभावना है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) दत्तक ग्रहण के कार्यों में शामिल स्वदेशी एवं विदेशी अभिकरणों के संबंध में आंकड़ा-आधार रखती हैं और ये जानकारी कारा की वेबसाइट (www.adoptionindia.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ङ) और (च) 'कारा' द्वारा कार्यान्वित की जा रही 'देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुगृहों को सहायता स्कीम' के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखरेख एवं उनका दत्तकग्रहण कराने हेतु स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी शिशुगृहों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान से संबंधित ब्यौरे 'कारा' की वेबसाइट (www.adoptionindia.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

विद्युत परियोजनाओं को समय पर मंजूरी दिया जाना

2179. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्यारहवीं योजना संबंधी राज्यों के विद्युत मंत्रियों और केन्द्र के बीच पहली बैठक में राज्य सरकारों ने विद्युत मंत्रालय से देश में विद्युत परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरणीय और सड़क क्षेत्र की मंजूरी शीघ्र देने और इसे सरलीकृत बनाने की प्रक्रिया आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैठक में यह भी घोषणा की गई थी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सड़क नेटवर्क को दर्शाते हुए एक रोड मैप तैयार करेगा जिसका उपयोग विद्युत परियोजनाओं की मशीनरी के परिवहन हेतु किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी निर्धारित समय-सीमा के अनुसार इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) दिनांक 24.9.2007 को आयोजित स्थायी मंत्रिसमूह की पहली बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निश्चित किया गया कि इसकी अगली बैठक में पर्यावरण एवं वन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाए। इसके अतिरिक्त, 660 मेगावाट एवं 800 मेगावाट की यूनिटों के उपकरणों के परिवहन के संबंध में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) मार्गों का सुदृढ़ीकरण (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से) किया जाना चिन्हित करेगा, उन्हें राज्यों के मानचित्रों पर दर्शाएगा तथा इन मानचित्रों एवं विवरणों को राज्यों को उपलब्ध करवाएगा। सीईए ने विद्युत उत्पादक यूटिलिटीज से 600/800 मेगावाट यूनिट रेटिंग वाले विद्युत संयंत्र स्थापित करने के संभावित कार्यस्थलों के विवरण प्रदान करने के लिए कहा है।

एसईजेड की वजह से राजस्व घाटा

2180. **श्री के. सुब्बारायण:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एसईजेड में स्थित उद्योगों को कर छूट देने के कारण होने वाले राजस्व घाटे का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक की अवधि के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों में इकाइयों को कर छूट के कारण 1,02,621 करोड़ रुपये की राजस्व हानि अनुमानित की गई है। इसमें से प्रत्यक्ष करों के कारण राजस्व हानि 53,740 करोड़ रुपये अनुमानित है और अप्रत्यक्ष करों के कारण 48,881 करोड़ रुपये अनुमानित है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण की अनुपलब्धता

2181. श्री नवीन जिन्दल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और मध्यम आकार के उद्यम पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से इन उद्यमों को मदद देने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) अगस्त 2005 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे 5 वर्षों में, यथा वर्ष 2009-10 तक, ऋण को दोगुना करने के उद्देश्य से, एसएमई क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में न्यूनतम 20% की वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हासिल करें। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2005-06 की तुलना में वर्ष 2006-07 में एसएमई क्षेत्र को प्रदत्त बकाया ऋण में 25.81% की वार्षिक वृद्धि दर्शाई है। भारत सरकार ने छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, यथा बैंकों द्वारा एसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए स्व-लक्ष्यों का निर्धारण, एसएमई क्षेत्र में औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाने के उपाय, एसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए समूह-आधारित नीति, एसएमई क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों की लागत को युक्तिसंगत बनाने के उपाय, एसएमई वित्तपोषण तथा ऋण पुनर्निर्धारण में प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारिता प्राप्त समितियों का गठन, एसएमई क्षेत्र के लिए एकबारगी निपटान योजना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 बनाना।

[हिन्दी]

बैंकों से ऋण

2182. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों, उद्योगों और संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन पर बकाया धनराशि एक करोड़ रुपये से अधिक है; और

(ग) इस संबंध में वसूली की क्या स्थिति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा प्रबंध सूचना प्रणाली द्वारा अपेक्षित रूप मे आंकड़े नहीं रखे जाते। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के गोपनीय प्रयोग हेतु छमाही आधार पर (अर्थात् 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार) 1 करोड़ रुपये और इससे अधिक के मुकदमा दायर नहीं किये गये (संदिग्ध एवं घाटे वाले) ऋण खातों की सूची उन्हें देता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के गोपनीय प्रयोग हेतु तिमाही आधार पर भी 25 लाख रुपये और इससे अधिक के जानबूझकर चूक करने वाले मुकदमा दायर नहीं किये गये खातों की सूची उन्हें दी जाती है। इसके अतिरिक्त, ऋण सूचना ब्यूरो (भारत) लि. (सीआईबीआईएल) 1 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक के मुकदमा दायर नहीं किये गये खातों तथा 25 लाख रुपये तथा इससे अधिक के मुकदमा दायर नहीं किये गये खातों (जानबूझकर चूक करने वालों) के संबंध में आधारभूत आंकड़े रखता है। यह सूचना सीआईबीआईएल की वेबसाइट (www.cibil.com) पर प्राप्त की जा सकती है।

(ग) भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की शीघ्र वसूली हेतु कुछ उपाय निर्धारित किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों द्वारा वसूली नीति विकसित करना और उसका कार्यान्वयन करना, न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों में मुकदमे दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 2002 के तहत कार्रवाई,

समझौता-वार्ता द्वारा निपटान, आदि शामिल हैं। ऋण सूचना कंपनियों के विनियमन तथा ऋण के कुशल संवितरण को सुकर बनाने के लिए तथा उसके द्वारा नई अनुपयोज्य आस्तियों का बनना बंद करने हेतु ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 बनाया गया है।

ग्रामीण बैंकों में सुधार

2183. श्री बालेश्वर यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण बैंकों में सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित थोराट समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) समिति ने अनेक सिफारिशें की हैं। इनमें से कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का स्टॉफिंग पैटर्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के वर्गीकरण के आधार पर होना चाहिए;

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वर्गीकरण व्यवसाय स्तर या शाखा नेटवर्क के आधार पर करना।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भर्ती प्रोन्नत नियमावली 1998 में संशोधन करके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वेतनमान-IV और V में नये पदों का सृजन कर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों को प्रोन्नति के अवसर प्रदान करना;

(4) विशिष्ट श्रेणी के अधिकारियों की भर्ती के अतिरिक्त मौजूदा ग्रेड में प्रोन्नति की दो स्तरीय प्रणाली शुरू करना;

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों के लिए उपयुक्त स्थानान्तरण नीति और प्रशिक्षण सुविधाओं की रूपरेखा तैयार करना, आदि।

समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट्स

2184. श्री संतोष गंगवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऐसे डिमांड ड्राफ्ट जारी किये जा रहे हैं जो प्रायोजित बैंक शाखाओं पर भुगतान योग्य हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुविधा कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने प्रायोजक बैंकों के साथ, उनकी शाखाओं के माध्यम से, समझौता किया है, वे प्रायोजक बैंक की विनिर्दिष्ट शाखाओं पर मांग ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं।

(ख) कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कुछ वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये बहु नगर चैकों को जारी करके ग्राहकों की निधियों के अन्तरण का वैकल्पिक तरीका अपनाया है। ऐसी सुविधा को ग्राहकों ने अधिक बेहतर पाया है। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजक बैंक की शाखाओं से एजेन्ट के रूप में ग्राहकों की ओर से मांग ड्राफ्ट स्वीकार कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उपर्युक्त सुविधाओं में से किसी सुविधा को अभी अपनाया जाना है क्योंकि उन्होंने प्रायोजक बैंकों से अभी कोई समझौता नहीं किया है।

(ग) आशा की जाती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण के बाद प्रायोजक बैंकों के साथ समझौता करके विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में यह सुविधा शीघ्र आरम्भ की जाएगी।

[अनुवाद]

एलआईसी एजेंट का कमीशन

2185. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, एलआईसी एजेंटों के कमीशन और अन्य संबंधित खर्चों पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा कुल कितना खर्च किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान एलआईसी द्वारा अर्जित कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाजार में इस व्यापार में कई कंपनियों की मौजूदगी की वजह से एलआईसी की आय पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके एजेंटों को अदा की गई कमीशन की राशि और उनके द्वारा अर्जित किया गया राजस्व इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	एलआईसी एजेंटों के कमीशन और अन्य संबंधित खर्चों पर एलआईसी द्वारा किया गया खर्च	एलआईसी द्वारा अर्जित किया गया राजस्व
2006-07	9169.07	174424.76
2005-06	7094.92	132146.88
2004-05	6245.16	112392.74

(ग) जी, नहीं। एलआईसी ने सूचित किया है कि बाजार में कई कंपनियों की मौजूदगी के बावजूद भी उसकी कुल आय में अच्छी वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एकलव्य आदर्श विद्यालय

2186. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों की तुलना में विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले जनजातीय छात्रों के बालक और बालिकाओं के लिए अनुमोदित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार अवसंरचना विकास और आवर्ती खर्चों संबंधी अनुदान में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मंत्रालय ने देश के अनुसूचित जनजाति के लड़के तथा लड़कियों के लिए 100 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना के लिए अब तक 24 राज्यों को 307.45 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की है।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2007-08 से प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए अधिकतम आवर्ती व्यय की राशि पहले ही 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 72.50 लाख रुपये कर दी है।

[हिन्दी]

किसानों हेतु पैकेज

2187. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''किसानों के लिए एक और पैकेज की तैयारी'' की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) समाचार रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, एक ऋण राहत पैकेज, कम ब्याज दर पर किसानों को ऋण, प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ऋण राहत से संबंधित दिशा-निर्देशों तथा किसानों को उधार देने की प्रक्रिया के सरलीकरण पर चर्चा की गई है।

(ग) महाराष्ट्र (6), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (6) और केरल (3) के 31 जिलों के किसानों की भीषण परिस्थितियों को देखते हुए जहां किसानों ने आत्महत्या की है, सरकार ने 2006 में किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत 1.7.2006 को अतिदेय ऋण पर समूचे ब्याज को माफ कर दिया गया है। इस तरह इस तारीख को सभी किसानों पर कोई पिछला ब्याज भार नहीं है। इसके अंतर्गत 1.7.2006 को एक वर्ष के ऋण स्थगन सहित 3-5 वर्ष की अवधि तक किसानों के अतिदेय ऋण का पुनर्निर्धारण भी किया गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुई तकलीफें कम करने के लिए प्राकृतिक आपदाग्रस्त इलाकों को राहत प्रदान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों का बैंक पालन करते हैं। दिशा-निर्देश में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को नीचे लिखी अनुमति दी गई है:

- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लगातार फसल खराब होने/फसल के अधिक नुकसान होने पर ऋण का 3 से 9 वर्ष तक की अवधि के लिए परिवर्तन/पुनर्निर्धारण।

- प्रभावित किसानों को नये फसल ऋण प्रदान करना।
- उन कृषकों को उपभोग ऋण प्रदान करना जिनकी फसलों को नुकसान हुआ है।

इसके अलावा सरकार ने कृषि उद्देश्य के लिए ऋण संवितरण सुनिश्चित करने हेतु नीचे लिखे कदम उठाए हैं:

- निचले स्तर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण प्रतिवर्ष 7% की दर से संवितरित किये जा रहे हैं।
- वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पिछले 3 वर्षों के दौरान हर वर्ष 50 लाख नए किसानों को वित्त प्रदान करने की सलाह दी गई है।
- बैंकों को कृषि ऋण के लिए कागजी प्रक्रिया आसान बनाने की सलाह दी गई है।
- 50 हजार रुपये तक के ऋण को संपार्श्विक तथा मार्जिन राशि मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा, ऋण की ऐसी राशि के लिए किसी 'अदेयता प्रमाण पत्र" की जरूरत नहीं है।
- "वित्तीय रूप से वंचित" आबादी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लाने के लिए, बैंकों को परिवारों को सामान्य क्रेडिट कार्ड के प्रावधान के जरिये वित्तीय पहुंच बनाने, सीमित ओवरड्राफ्ट सुविधा वाले अतिरिक्त सुविधा रहित खाता खोलने, किसान क्लबों, गैर-सरकारी संगठन, कारोबार सुसाधक/कारोबार संपर्ककर्ता मॉडल, आदि के रूप में डाकखानों जैसे नागरिक सामाजिक संगठन की सेवाएं प्रयोग करके वित्तीय पहुंच प्रदान करने के लिए बैंकों को अनुदेश दिये गये हैं।

समुदाय आधारित सेवाओं को आरम्भ करना

2188. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत समुदाय आधारित सेवाओं की एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार यह परियोजना किन-किन क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मानसून पूर्वानुमान प्रणाली

2189. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बार-बार होने वाले सूखे और बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए मानसून पूर्वानुमान लगाने के लिए मानसून पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां।

(ख) मानसून पूर्वानुमान की मौजूदा प्रणाली के आधार पर अतिवृष्टि जिससे बाढ़ आ जाती है, अधिक वर्षा और सूखे की स्थितियों के विभिन्न कालिक और स्थानिक अवधियों के लिए वर्षा संबंधी पूर्वानुमान दिये जाते हैं।

(1) तीन दिनों तक के लिए अल्प अवधि वर्षा पूर्वानुमान देश के सभी 36 मौसम वैज्ञानिक उपप्रभागों द्वारा प्रतिदिन तैयार किये जाते हैं।

(2) मध्यम अवधि (3-7 दिन) वर्षा संबंधी पूर्वानुमान कृषि मौसम सलाहकार सेवा (एएसएस) के जरिये कृषि जलवायुवीय मंडल स्तर (इसमें कई जिले आते हैं) पर सप्ताह में दो बार उपलब्ध किये जाते हैं।

(3) दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून-सितम्बर) के दौरान दीर्घ अवधि वर्षा पूर्वानुमान पूरे देश के लिए तथा चार समान क्षेत्रों के लिए भी जारी किये जाते हैं, प्रथम अप्रैल में जो मार्च तक के आंकड़ों पर और दूसरा जून के अंत में जो मई तक के आंकड़ों पर आधारित है।

वर्षा पूर्वानुमानों की सटीकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये गये:

(1) वर्ष 2007 की मानसून ऋतु के लिए 125 स्वचालित मौसम केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.एफ.) को प्रचालनात्मक बनाया गया है।

(2) 50 कि.मी. वियोजन वाले एक विकसित मौसम पूर्वानुमान संख्यात्मक मॉडल को कार्यान्वित किया गया है।

(3) मई 2007 से वर्षा पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए उपग्रह से प्राप्त अतिरिक्त प्रेक्षणों को भी संख्यात्मक मॉडलों में शामिल किया जा रहा है।

(4) पूर्वानुमान कुशलता में वृद्धि करने के लिए मानव-मशीन मिश्रित एक बहु-मॉडल विचारधारा को अपनाया गया है।

इन प्रयासों से अल्प और मध्यम अवधि वर्षा पूर्वानुमानों में कुछ सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की आधुनिकीकरण योजना के तहत उन्नत पूर्वानुमान प्रणालियों सहित और अधिक स्वचालित मौसम केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.एस.) स्वचालित वर्षा मापियों (ए.आर.जी.), डॉप्लर मौसम रेडारों (डी.डब्ल्यू.आर.), अपरितन वायु आंकड़े प्राप्ति हेतु विकसित प्रणाली और उच्च कार्यक्षमता वाली कम्प्यूटर (एचपीसी) प्रणलियों के अधिग्रहण द्वारा प्रेक्षण प्रणाली को सघन बनाया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लघु ऋणों की आवश्यकता

2190. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लघु ऋण की आवश्यकता का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभी केवल लगभग 11,000 करोड़ रुपये के लगभग ही ऋण दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विभिन्न पूर्वानुमानों पर आधारित कई प्राक्कलन हैं। नाबार्ड द्वारा वर्ष 1999 में स्थापित व्यष्टि वित्त हेतु सहायक नीति एवं विनियामक ढांचे संबंधी कार्य बल ने प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक व्यष्टि ऋण और निधनों की आवास संबंधी आवश्यकता हेतु 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि को आवश्यक बताया है। तथापि, व्यष्टि वित्त हेतु मांग का यह केवल मोटा अनुमान है और यह व्यष्टि वित्त हेतु ग्राहकों के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

(ग) और (घ) नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा स्वयं-सहायता समूह (एनएचजी) बैंक संयोजन कार्यक्रम देश में एक महत्वपूर्ण माइक्रो फाइनैन्स कार्यक्रम है। वर्ष 2006-07 के दौरान 6.86 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग व्यवस्था में ऋण से जोड़ा गया था जिनमें वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 6,643.19 करोड़ रुपये का बैंक-ऋण शामिल है। संचयी आधार पर, 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार 29.24 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग व्यवस्था में ऋण से जोड़ा गया है, जिनमें 18,040.74 करोड़ रुपये का बैंक ऋण अन्तर्ग्रस्त है।

वंचित क्षेत्रों हेतु वरीयता क्षेत्र ऋण लक्ष्य

2191. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंककारी क्षेत्र ने वंचित वर्गों के लिए कोई वरीयता क्षेत्र ऋण लक्ष्य तैयार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के द्वारा समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) या बाह्य तुलन-पत्र एक्सपोजर, जो भी अधिक हो, का 40% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी के भीतर समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का कम से कम 10% कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने पर संशोधित दिशा-निर्देश आरबीआई की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्ग में (क) लघु और सीमान्त किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है, और भूमिहीन मजदूर, काश्तकार और बंटाईदार किसान; (ख) कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग जहां व्यक्तिगत ऋण सीमा 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है; (ग) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लाभान्वित; (घ) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां; (ङ) विभेदी ब्याज दर (डीआरआई) योजना के लाभान्वित; (च) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत लाभान्वित; (छ) सिर पर मैला ढोने वालों की विमुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के अंतर्गत

लाभान्वित; (ज) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अग्रिम; (झ) उचित संपार्श्विक अथवा सामूहिक सिक्योरिटी राशि के एवज में पीड़ित गरीबों को अनौपचारिक क्षेत्र के लिए हुए कर्ज को चुकाने हेतु ऋण ऋण; (ञ) जैसा समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (क) से (झ) के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को दिये गये ऋण शामिल हैं।

चीन की मशीनरी का उपयोग

2192. श्री चन्द्रशेखर दुबे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए चीन की मशीनरी और अन्य संबंधित उपस्करों के प्रयोग के लिए पृथक दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग अवधि का विस्तार

2193. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी एवं विदेशी बैंकों के साथ मुकाबला करने के लिए शहरी क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंककारी सेवाओं को बारह घन्टों तक करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई प्रणाली कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(घ) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैकों ने कुछ चयनित शाखाओं में पहले ही पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 8 बजे तक बैंकिंग सेवा देनी प्रारम्भ कर दी हैं।

(घ) सरकार ने बैंक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, जो कदम उठाए हैं, उनमें शामिल हैं:

(1) दिनांक 10 अप्रैल 2004 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र की शर्तों के अनुसार बैंक ग्राहकों को बैंकों को ड्राप बॉक्स सुविधा और सामान्य संग्रह काउंटर से चेक-पावती सुविधा, दोनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(2) बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन ढांचे को सुदृढ़ करने और बैंकों द्वारा प्रदत्त ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र/निजी क्षेत्र के सभी बैंकों और चयनित विदेशी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति का गठन करने की सलाह दी है।

(3) जन सेवाओं की प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक, दिनांक 16 अप्रैल 2005 के परिपत्र द्वारा ग्राहक सेवा पर विद्यमान तदर्थ समितियों को स्थायी समितियों में बदलने की सलाह दी है।

(4) शाखा स्तर पर ग्राहकों एवं बैंक के बीच संपर्क को एक औपचारिक माध्यम को प्रोत्साहन देने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 3 सितम्बर 2007 के अपने परिपत्र द्वारा बैंकों को ग्राहकों की ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ, शाखा स्तर पर, ग्राहक सेवा समितियों को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत धनराशि का उपयोग

2194. श्री रामपाल सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी की गई धनराशि खर्च नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ग) एनआरईजीए मांग आधारित है। योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग क्षेत्र में काम की मांग पर निर्भर करता है। राज्यों द्वारा निधियों के उपयोग और पिछले वर्ष काम की मांग के आधार पर अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बजट में प्रावधान किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों में से कम से कम 60% के उपयोग को दर्शाने वाले एक प्रमाण-पत्र के साथ-साथ एक प्रस्ताव की प्राप्ति पर राज्यों को निधियां रिलीज की जाती हैं। 2006-07 तथा 2007-08 (अक्तूबर, 2007 तक) के दौरान राज्यों के पास कुल उपलब्ध निधियां और उनके उपयोग को दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	2006-2007		2007-2008	
		कुल उपलब्ध निधियां (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)	कुल उपलब्ध निधियां (रु. लाख में)	व्यय (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	114224.39	68020.32	147788.73	93478.79
2.	अरुणाचल प्रदेश	1211.25	221.34	105.38	0
3.	असम	70769.1	59252.93	57533.41	14117.59
4.	बिहार	119117.81	71276.16	102548.4	29166.61
5.	गुजरात	12374.74	8585.03	9724.84	4743.26
6.	हरियाणा	4652.85	3594.67	4623.42	1793.29
7.	हिमाचल प्रदेश	5719.2	3940.12	9721.05	4112.97
8.	जम्मू-कश्मीर	5012.4	3454.44	6427.78	219.01
9.	कर्नाटक	34131.33	24829.67	29135.61	12607.85
10.	केरल	4835.18	2789.73	5634.56	3336.28
11.	मध्य प्रदेश	213368.36	186268.63	225597.2	125464.48
12.	महाराष्ट्र	48693.66	17461.18	268127.18	647.41
13.	मणिपुर	2037.59	2025.5	1465.69	951.77
14.	मेघालय	2583.63	2111.85	4201.36	2109.92
15.	मिजोरम	2598.21	1643.11	2304.99	2029.99
16.	नागालैंड	1595.96	1457.62	2309.72	289.8
17.	उड़ीसा	89018.66	73346.62	59857.95	24234.74
18.	पंजाब	3839.21	2500.21	3842.04	545.3

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	85617.3	69306.14	87509.57	70451.56
20.	सिक्किम	456.5	261.89	1276.26	284.98
21.	तमिलनाडु	25210.92	15163.63	56521.5	36866.43
22.	त्रिपुरा	4977.63	4507.68	14765.75	9251.63
23.	उत्तर प्रदेश	102871.22	77967.46	103797.1	45418.8
24.	पश्चिम बंगाल	63023.42	39462.63	104798.17	18818.31
25.	छत्तीसगढ़	84088.78	66882.16	95608.41	36412.33
26.	झारखंड	98220.95	71155.13	70962.09	39193.55
27.	उत्तरांचल	7105.31	4849.7	10487.42	3197.42
	कुल	1207355.57	882335.55	1486675.59	579744.08

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत असम से प्रस्ताव

2195. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत गुवाहाटी के सौंदर्यीकरण हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित धनराशि को कम कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय तथा योजना आयोग ने इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

त्रिवेणी ग्रामीण बैंक का कार्यकरण

2196. श्री श्यामा चरण गुप्त: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद बैंक के अनुषंगी त्रिवेणी ग्रामीण बैंक की शाखाएं उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कुछ शुल्क लिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जैसाकि त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने सूचित किया है कि इस बैंक की शाखाएं, उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा और चित्रकूट जिलों में स्थित शाखाओं सहित, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समुचित प्रकार से कार्य कर रही हैं। बैंक ने बांदा जिले में वर्ष 2006-07 के लिए खातों में लक्ष्य का 77.51% और ऋण संवितरण में लक्ष्य का 94.28% प्राप्त किया है, इसी प्रकार, इस बैंक ने चित्रकूट जिले में खातों में लक्ष्य का 96.17% और ऋण संवितरण में लक्ष्य का 101.92% प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त जहां सभी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का संयमित ऋण-जमा अनुपात 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार 58.51% है जबकि इस बैंक का ऋण-जमा अनुपात बांदा और चित्रकूट जिलों में क्रमश: 74.73% और 60.27% है।

(ख) बैंक ने सूचित किया है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कोई भी राशि प्रभार के रूप में नहीं ली जा रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रशासनिक और कानूनी अधिकार

2197. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी पहचान और कानूनी अधिकारों के संबंध में कोई कमी महसूस कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जनजाति आयोग को उसी प्रकार के प्रशासनिक और कानूनी अधिकार देने पर विचार कर रही है, जैसांकि निर्वाचन आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक दिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि इसे अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध सुरक्षापायों से संबंधित सिफारिशों को अधिदेशात्मक बनाते हुए और सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आयोग के उपाध्यक्ष तथा दो सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने की भी आवश्यकता है।

(ख) से (घ) चूंकि आयोग की स्थापना संविधान के अंतर्गत एक सलाहकारी निकाय के रूप में की गई है, अत: इसे चुाव आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समतुल्य बनाने हेतु कोई संशोधन विधेयक लाने का प्रस्ताव नहीं है। जहां तक अनुसूचित जनजाति आयोग में विद्यमान रिक्तियों का संबंध है, उनें भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

[अनुवाद]

शिक्षा ऋण

2198. श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री ए.वी. बेल्लारमिन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा ऋण की ब्याज दर बैंकों द्वारा दिये जा रहे अन्य सभी ऋणों में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की ब्याज दर को कम करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। बैंकों द्वारा दिये गये सभी ऋणों की तुलना में शिक्षा ऋण पर ब्याज दर अधिकतम नहीं है। विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, 4 लाख रुपए तक के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर बैंक की आधार मूल उधार दर (बीपीएलआर) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 4 लाख रुपये से ऊपर के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर बीपीएलआर+1 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सूचना दी है कि शिक्षा ऋण पर वे अपने बीपीएलआर से कम ब्याज दर प्रभार लगा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं। अग्रिमों पर ब्याज दर को विनियमित कर दिया गया है और बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्वयं ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नारायण गुरु की प्रतिमा

2199. श्री पी.सी. थामस: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को श्री नारायण गुरु की प्रतिमा के निर्माण के लिए दिल्ली में एक भूखण्ड हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) मामले पर विचार किया गया है और भूमि तथा विकास कार्यालय के पास भूमि की कमी को देखते हुए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका। आवंटन हेतु विचार के लिए मामले को दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भी भेजा गया है। संबंधित एजेंसियों/विभागों से टिप्पणियां/संगत सूचना की प्राप्ति पर प्रस्ताव की और आगे जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

2200. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का स्थान-वार, राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) जी नहीं। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का वित्तपोषण पूरी रह से भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार तथा लाभार्थियों द्वारा किया जाता है। इसमें विश्व बैंक सहित कोई विदेशी वित्तपोषण घटक नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बैंकों के ऋण लक्ष्य

2201. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए ऋण लक्ष्य को कम करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विभिन्न कार्य-निष्पादन मानदंडों जैसे अग्रिमों, जमाओं, अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए), आय अनुपात लागत, आस्तियों से प्राप्त आय (आरओए), लाभ इत्यादि के आधार पर इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लक्ष्य हेतु आशय विवरण में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों का अंतिम निर्धारण संबंधित बैंक के परामर्श से सरकार करती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के इस वर्ष में पहले ही परस्पर स्वीकृत ऋण लक्ष्यों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई. की उच्चतम सीमा

2202. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाए जाने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत राष्ट्र-स्तरीय मॉनीटरों का प्रदर्शन

2203. **श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत राष्ट्र-स्तरीय मॉनीटरों का प्रदर्शन क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरों द्वारा किये गये किसी निरीक्षण को असंतोषजनक पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं (एनक्यूएम) के निष्पादन की नियमित अंतराल पर कार्यों की रिपोर्टों के निरीक्षण का मूल्यांकन करके स्वतंत्र निष्पादन समीक्षा समिति द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है।

(ख) राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं द्वारा अगस्त, 2007 तक जिन 16717 पूरे हो चुके कार्यों का निरीक्षण किया गया था उनमें

से 1886 असंतोषजनक नहीं पाए गए तथा चल रहे 26713 कार्यों में से 7223 संतोषजनक नहीं पाए गए।

(ग) राष्ट्र-स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं की रिपोर्टें कार्यों में पाई गई कमियों में सुधार के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दी जाती हैं। यदि कार्यों में कमी को पूरा कर लिया जाता है तथा पुनर्निरीक्षण में इसे संतोषजनक पाये जाने पर उसे संतोषजनक माना जाएगा। राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि यदि कमियों को सुधार योग्य न पाया जाए तो संबंधित ठेकेदार तथा अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाए। उन मामलों में, राज्य सरकारों को कार्यों की जरूरी मरम्मत का इंतजाम करना होगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में धोखाधड़ी

2204. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में दुर्विनियोजन/धोखाधड़ी के कितने मामले सामने आए तथा इसमें कितनी धनराशि शामिल थी;

(ख) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण क्षेत्रों में धोखाधड़ी/दुर्विनियोजन के मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

2205. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना में 2007-12 की अवधि के लिए 60,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को कम कर दिया गया है, जैसाकि दिनांक 5 अक्तूबर, 2007 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) योजना आयोग ने सूचना प्रदान की है कि 11वीं योजना दस्तावेज को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी बैंकों को घाटा

2206. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कई सहकारी बैंक घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक ऐसे प्रत्येक बैंक को कितना घाटा हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा कुल कितना प्रशासनिक व्यय किया गया; और

(ङ) इन घाटों को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) देश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे 10 राज्य सहकारी बैंकों और 100 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों में से कुछ को सभी तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान हानि हुई जबकि कुछ को एक या दो वर्ष के दौरान हानि हुई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में उपलब्ध ऐसे राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के इन तीन वर्षों के दौरान अर्जित लाभ/हुई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों के इन सहकारी बैंकों की हानि के कारण निधियों की अधिक लागत, कम कारोबार, कम वसूली, प्रबंधन की अधिक लागत, ऋण वसूली पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई, कम संसाधक आधार, कम उधार सदस्यता, प्रबंधन में समानता एवं पेशेवर सोच की कमी, अपर्याप्त लाभ प्राप्ति, अपर्याप्त कानूनी कार्रवाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बार-बार बदलना, आदि है।

(घ) पिछले लगातार तीन वर्षों 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान जनजातीय क्षेत्र में कार्यरत घाटा उठा रहे राज्य

सहकारी बैंक और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा किये गये प्रशासनिक खर्चों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) अल्प अवधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने एक पुनरुत्थान पैकेज को मंजूरी दी है। जो राज्य इस पैकेज को लागू करना चाहते हैं, उन्हें कुछ विधिक और संस्थागत सुधार के लिए केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने होंगे।

31 मार्च 2004 तक के तुलन-पत्र को सही करने और विधिक और संस्थागत सुधारों के अध्यधीन पूंजी को एक विनिर्दिष्ट न्यूनतम स्तर तक बढ़ाने के लिए, इस पैकेज के अंतर्गत एसटीसीसीएस के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एसटीसीसीएस के वित्तीय, प्रबंधकीय और शासकीय मापदंडों की सुदृढ़ता बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए, एसटीसीसीएस के संस्थागत और मानव संसाधन के उन्नयन करने, कम्प्यूटरीकरण और उचित आंतरिक नियंत्रण और लेखा प्रणाली के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी।

विवरण I

जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत उन राज्य सहकारी बैंकों तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की सूची जिन्होंने वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान हानि दर्ज की

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का नाम	लाभ (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)			हानि (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
झारखण्ड							
1.	दिओघर जामतरा	0.00	0.00	2192.77	267.95	219.79	0.00
2.	गिरीडीह	0.00	442.78	0.00	98.52	0.00	22.61
3.	गुमला-सिमडीगा	0.00	12.09	265.84	42.93	0.00	0.00
4.	हजारीबाग	0.00	391.75	0.00	226.08	0.00	138.10
5.	रांची-खुंटी	0.00	1002.68	81.98	414.16	0.00	0.00
उड़ीसा							
6.	बौद्ध	0.00	228.64	104.34	14.30	0.00	0.00
पश्चिमी बंगाल							
7.	पुरुलिया	4.68	14.44	0.00	0.00	0.00	173.91
मध्य प्रदेश							
8.	मंडला	399.38	0.00	0.00	0.00	1001.62	10.11
9.	सिओनी	0.00	170.59	41.50	1893.34	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	शहडोल	0.00	9.39	83.07	138.07	0.00	0.00
11.	सिद्धि	0.00	0.00	0.00	692.18	191.93	110.70
गुजरात							
12.	बड़ौदा	0.00	1822.18	0.00	1061.51	0.00	411.83
13.	पंचमहल	0.00	1789.60	0.00	3267.55	0.00	1355.88
महाराष्ट्र							
14.	अमरावती	446.53	0.00	913.78	0.00	212.32	0.00
15.	धुले	0.00	500.37	0.00	1253.78	0.00	623.11
16.	जलगांव	0.00	5064.29	463.51	760.95	0.00	0.00
17.	नागपुर	0.00	0.00	0.00	2004.93	2229.58	2386.74
18.	नांदेड	0.00	0.00	0.00	5576.21	2636.41	11834.30
कर्नाटक							
19.	चिकमगलूर	0.00	0.00	3025.84	780.52	781.05	0.00
तमिलनाडु							
20.	डींडीगुल-अन्ना	0.00	1830.23	0.00	2383.08	0.00	1447.35
21.	नीलगिरीस	0.00	783.11	1329.61	242.95	0.00	0.00

क्र.सं.	एस.सी.बी.*/ राज्य का नाम	लाभ (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)			हानि (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	2599.49	343.37	180.37
2.	असम	0.00	0.00	517.91	1750.17	1399.00	0.00
3.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	253.64	176.64	411.20
4.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	653.74	101.86	1687.22

*पूरे राज्य में

विवरण II

जनजातीय क्षेत्रों में हानि दर्ज करने वाले बैंकों द्वारा वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान किये गये प्रशासनिक व्ययों का राज्य-वार, एस.सी.बी. (डीसीसीबी-वार ब्यौरा)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	एससीबी का नाम	डी.सी.सी.बी. का नाम	2003-04	2004-05	2005-06
1.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	-	460.35	494.23	858.37
2.	असम	असम एससीबी		1566.00	1588.00	1709.60
3.	गुजरात		बड़ौदा	610.71	549.76	537.00
			पंचमहल	455.48	395.13	392.63
4.	झारखण्ड		दिओघर-जमतारा	101.67	122.80	117.60
			हजारीबाग	62.99	66.43	79.78
			गिरीडीह	44.04	44.90	52.30
			रांची-खुंती	127.02	141.79	314.84
			गुमला-सिमडोगा	145.13	210.06	100.19
5.	कर्नाटक		चिकमगलूर	298.45	305.92	470.39
6.	मध्य प्रदेश		मंडला	272.72	268.30	258.12
			सिओनी	228.46	176.09	122.24
			शहडोल	107.22	109.55	123.47
			सिद्धि	156.25	154.06	151.15
7.	महाराष्ट्र		अमरावती	1000.74	1090.53	1105.30
			धुले	1497.88	1599.66	1580.99
			जलगांव	3197.30	3308.68	3399.69
			नागपुर	1614.84	1222.92	1281.22
			नांदेड	2305.29	1813.00	367.20
8.	नागालैण्ड	नागालैण्ड एससीबी	-	447.90	432.23	524.82
9.	उड़ीसा		बौद्ध	112.05	137.97	138.61
10.	तमिलनाडु		डिंडीगुल	663.00	629.00	660.43
			नीलगिरी	264.00	240.00	225.43
11.	त्रिपुरा	त्रिपुरा एससीबी	-	548.61	540.16	529.82
12.	पश्चिम बंगाल		पुरुलिया	106.62	106.87	116.65

[अनुवाद]

वित्तीय आसूचना नेटवर्क को सुदृढ़ करना

2207. श्री के.एस. राव: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) काले धन और आतंकवाद संबंधी धनराशि तथा धन-शोधन से संबंधित लेन-देन पर रोक लगाने हेतु सरकारी तथा निजी वित्तीय संस्थाओं पर इस समय कौन-कौन से उपाय लागू हैं;

(ख) आसूचना एजेंसियों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदिग्ध वित्तीय लेन-देन के कितने मामलों का पता लगाया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी स्रोतों द्वारा जताई गई सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर आतंकवाद के वित्तपोषण तथा धन के इलेक्ट्रानिक हस्तांतरण पर निगरानी रखने के लिए विशेष उपाय करने के साथ-साथ वित्तीय आसूचना नेटवर्क को और सुदृढ़ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थान और मध्यवर्ती के लिए सभी लेन-देनों के नियमों के अंतर्गत विहित प्रकृति और मूल्य के रिकार्ड रखना और निदेशक, भारत वित्त आसूचना एकक (एफ.आई.यू.-आई.एन.डी.) को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। हाल ही में 'संदेहास्पद लेन-देन' की परिभाषा को संशोधित किया गया है जिससे इसमें उन लेन-देनों को शामिल किया जा सके जो कि इस संदेह के लिए पर्याप्त आधार देते हैं कि वे आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के वित्त पोषण में सम्मिलित हैं।

(ख) 31 अक्तूबर 2007 की स्थिति के अनुसार बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्तियों से भारत वित्त आसूचना एकक को 1999 संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टें प्राप्त हुई थी।

(ग) और (घ) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन के साथ ही रिपोर्टिंग करने वाली इकाईयों को आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित लेन-देन की रिपोर्टें प्रस्तुत करना अपेक्षित है। धन के इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण के संबंध में सरकार को धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत रिपोर्टिंग प्रणाली में नई इकाइयों को जोड़ने के लिए बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। धन के इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण से संबंधी एजेंसियों को शामिल करना एक ऐसा ही प्रस्ताव है।

यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत महाराष्ट्र से प्राप्त परियोजनाएं

2208. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छोटे और मध्य कस्बों हेतु शहरी अवसंरचना एवं विकास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजनाओं हेतु स्वीकृति, जारी धनराशि और उनके लंबित रहने संबंधी स्थिति क्या है; और

(ग) लंबित परियोजनाओं के लिए स्वीकृति देने और धनराशि जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) ने दिनांक 8.6.2006, 28.9.2006, 29.12.2006 और 4.5.2007 को हुई अपनी बैठकों में छोटे और नगरों/नगरपालिका परिषदों/नगर निगमों के लिए विभिन्न अवस्थापना विकास घटकों की 62 परियोजनाओं की सिफारिश की है जिनमें अनुमोदित लागत 2206.87 करोड़ रुपए है। योजना आयोग द्वारा राज्य को आबंटित राशियों के अनुसार 18 नगरों की 25 परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) की पहली किश्त के रूप महाराष्ट्र राज्य को अब तक 190.87 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने स्वीकृत परियोजनाओं में से एक परियोजना अपनी स्वयं की धनराशि से शुरू की है इसलिए परियोजना के तहत जारी राशि को वापस करने का उनसे अनुरोध किया गया है।

(ग) कोई विलंब नहीं। राज्य को वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान आवंटित राशि पहले ही खर्च कर ली गई है। राज्य सरकार की प्राथमिकता और राज्य को मुहैया किये गये आबंटन के अनुसार बाद के वर्ष (वर्षों) में शेष परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी करने हेतु विचार किया जाएगा।

विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	नगर/नगर निगम/नगर पालिका परिषद का नाम	स्कीम/घटक का नाम	अनुमोदित लागत	कुल पात्र केन्द्रीय अंश	2006-07 के दौरान जारी एसीए की पहली किस्त	2007-08 के दौरान जारी एसीए की शेष/पहली किस्त	कुल जारी
1	2	3	4	5	6	7	8
पहली एसएलएससी बैठक में संस्तुत परियोजनाएं							
1.	लातूर	नालियों का निर्माण	5531.00	4424.80	2212.40	0.00	2212.40
2.		आर्टीरियल व आर्टीरिकल सड़कों का सुधार	3591.00	2872.80	1436.40	0.00	1436.40
3.		6 लेन सड़क जौगर ट्रैक सहित	755.00	604.00	302.00	0.00	302.00
4.		सड़क विभाजक व फुटपाथ निर्माण	880.00	704.00	352.00	0.00	352.00
5.		गोलाई का सौंदर्यकरण	63.00	50.40	25.20	0.00	25.20
6.		गंजगोलाई में पार्किंग प्लाजा	37.00	29.60	14.80	0.00	14.80
दूसरी एसएलएससी बैठक में संस्तुत परियोजनाएं							
1.	कोल्हापुर	सीवरेज	3198.00	2558.40	1327.17	0.00	1327.17
2.	कोल्हापुर	हैरिटेज	101.70	81.36	42.21	0.00	42.21
3.	कोल्हापुर	जल आपूर्ति	5844.00	4675.20	0.00	2425.26	2425.26
4.	शिरडी	सीवरेज	2426.00	1940.80	1006.79	0.00	1006.79
5.	इस्लामपुर	जल आपूर्ति	1454.00	1163.20	603.41	0.00	603.41
6.	पुसाड़	जल आपूर्ति	838.90	671.12	348.14	0.00	348.14
7.	आस्था	जल आपूर्ति	673.50	538.80	279.50	0.00	279.50
8.	छोपदा	जल आपूर्ति	486.00	388.80	201.69	0.00	201.69
9.	मांगलवेधा	जल आपूर्ति	796.50	637.20	330.54	0.00	330.54
10.	अंबाद	सीवरेज	811.00	648.80	336.57	0.00	336.57
11.	भोर	जल आपूर्ति	319.20	255.36	132.47	0.00	132.47

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	भद्रावती	जल आपूर्ति	1725.20	1380.16	715.96	0.00	715.96
13.	सावनेर	सीवरेज	631.50	505.20	262.07	0.00	262.07
14.	सांगली, मिरज, कुपवाड़	जल आपूर्ति	7902.00	6321.60	0.00	1432.56	1432.56
15.	जालना	जल आपूर्ति	12399.00	9919.20	0.00	0.00	0.00
तीसरी एसएलएससी बैठक में संस्तुत परियोजनाएं							
1.	बारामती	जल आपूर्ति	1368.00	1094.40	0.00	567.72	567.72
2.	मालेगांव	जल आपूर्ति	4611.00	3688.80	912.40	1001.17	1913.57
3.	चिपलुन	जल आपूर्ति	95600	764.80	189.17	207.57	396.74
4.	अचलपुर	जल आपूर्ति	3759.00	3007.20	743.81	816.18	1559.99
5.	बीड़	जल आपूर्ति	2076.00	1660.80	0.00	861.54	861.54
6.	मालेगांव	भूमिगत निकासी	12254.00	9803.20	0.00	0.00	0.00
7.	संगोला	जल आपूर्ति	2145.00	1716.00	0.00	0.00	0.00
8.	बीड़	भूमिगत निकासी	1977.00	1581.60	0.00	0.00	0.00
9.	अमरावती	भूमिगत निकासी	16004.00	12803.20	0.00	0.00	0.00
10.	अमलनेर	जल आपूर्ति	2487.00	1989.60	0.00	0.00	0.00
11.	सतारा	भूमिगत निकासी	3970.00	3176.00	0.00	0.00	0.00
12.	वशीम	जल आपूर्ति	2997.00	2397.60	0.00	0.00	0.00
13.	दपोली	जल आपूर्ति	142.00	113.60	0.00	0.00	0.00
14.	सांगली, मिरज, कुपवाड़ा	मिरज जल आपूर्ति	3562.00	2849.60	0.00	0.00	0.00
15.	सांगली, मिरज, कुपवाड़	सांगली भूमिगत निकासी	6191.00	4952.80	0.00	0.00	0.00
16.	सांगली, मिरज, कुपवाड़ा	मिरज भूमिगत निकासी	3379.00	2703.20	0.00	0.00	0.00
चौथी एसएलएससी बैठक में संस्तुत परियोजनाएं							
1.	पाथरी	जल आपूर्ति	1043.00	834.40	0.00	0.00	0.00
2.	अकोट	जल आपूर्ति	1557.00	1565.60	0.00	0.00	0.00
3.	सैलू	जल आपूर्ति	1189.00	951.20	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	जिंतूर	जल आपूर्ति	909.00	727.20	0.00	0.00	0.00
5.	बस्मात	जल आपूर्ति	3213.00	2570.40	0.00	0.00	0.00
6.	सोनीपेट	जल आपूर्ति	298.00	238.40	0.00	0.00	0.00
7.	मुर्तिजापुर	जल आपूर्ति	1767.00	1413.60	0.00	0.00	0.00
8.	परोला	जल आपूर्ति	403.00	322.40	0.00	0.00	0.00
9.	मनमाड	जल आपूर्ति	336.00	268.80	0.00	0.00	0.00
10.	श्रीरामपुर	जल आपूर्ति	4357.00	3485.60	0.00	0.00	0.00
11.	परभनी	जल आपूर्ति	10448.00	8358.40	0.00	0.00	0.00
12.	तेलंहारा	जल आपूर्ति	614.00	491.20	0.00	0.00	0.00
13.	यावतमल	जल आपूर्ति	1096.00	876.80	0.00	0.00	0.00
14.	शाहदा	जल आपूर्ति	1724.00	1379.20	0.00	0.00	0.00
15.	चालिसगांव	जल आपूर्ति	407.00	325.60	0.00	0.00	0.00
16.	तासगांव	जल आपूर्ति	1456.00	1164.80	0.00	0.00	0.00
17.	कराड	जल आपूर्ति	2910.00	2328.0	0.00	0.00	0.00
18.	अमरावती	जल आपूर्ति	9329.00	7463.20	0.00	0.00	0.00
19.	अमहदनगर	जल आपूर्ति	2539.00	2031.20	0.00	0.00	0.00
20.	औरंगाबाद	जल आपूर्ति	35967.00	28773.60	0.00	0.00	0.00
21.	कतोल	भूमिगत निकासी	1592.00	1273.60	0.00	0.00	0.00
22.	पंढरपुर	भूमिगत निकासी	3175.00	2540.00	0.00	0.00	0.00
23.	अकोला	भूमिगत निकासी	13275.00	10620.00	0.00	0.00	0.00
24.	दपोली	भूमिगत निकासी	909.00	727.20	0.00	0.00	0.00
25.	वशीम	भूमिगत निकासी	1432.00	1145.60	0.00	0.00	0.00
	कुल		220686.50	176549.20	11774.69	7312.01	19086.70

बिजली का अंतर-राज्यीय अंतरण

2209. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर राज्य विद्युत परियोजनाओं से विद्युत खरीदने के इच्छुक राज्यों के लिए अपेक्षित शर्त को हटाने का फैसला किया है, जैसाकि 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 9 अक्तूबर, 2007 को समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मौजूदा मेगा विद्युत नीति के संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग निधि (निधि के गठन और उपयोजन की रीति) तथा बजट तैयार करने का स्वरूप और समय नियम, 2007, जो 22 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 675(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2007, जो 22 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007, जो 1 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/25(5)/2003-सीईआरसी) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7484/2007]

(2) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7485/2007]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7486/2007]

(ख) (एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7487/2007]

(ग) (एक) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7488/2007]

(घ) (एक) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, न्यू शिमला के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7489/2007]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7490/2007]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 7491/2007]

(4) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अधीन जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 692(अ), जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो पेंशन में कटौती करने के लिए अनुशासनिक शक्तियों की शास्ति के प्रत्यायोजन तथा प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ किये जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 7492/2007]

(5) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7493/2007]

(6) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7494/2007]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2007, जो 7 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1374(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2007, जो 30 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1484(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2007, जो 16 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1762(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2007, जो 23 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1805(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (13वां संशोधन) नियम, 2007, जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1895(अ) में प्राकशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2007, जो 7 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1896(अ) में प्राकशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। **देखिए** संख्या एल.टी. 7495/2007]

(2) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2007 जो

7 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1375(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7496/2007]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं श्री पी.आर. किन्डिया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) ट्राईबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राईबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7497/2007]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): महोदय, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7498/2007]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं, श्री कपिल सिब्बल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर अंटार्कटिक एंड ओसिएन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर अंटार्कटिक एंड ओसिएशन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7499/2007]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रापिकल मिटीयोरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसक्रण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटीयोरोलॉजी, पुणे के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7500/2007]

(3) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, मानेसर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेन्टर, मानेसर के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7501/2007]

(4) (एक) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7502/2007]

(5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर के वर्ष 2006-07 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7503/2007]

(6) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7504/2007]

(7) (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), बुलंदशहर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), बुलंदशहर के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7505/2007]

(8) (एक) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन वैक्सिन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7506/2007]

(9) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसार्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसार्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7507/2007]

(10) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर प्लांट जीनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7508/2007]

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी ससंकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7509/2007]

(12) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7510/2007]

(13) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7511/2007]

(14) (एक) सेन्टर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7512/2007]

(15) (एक) इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7513/2007]

(16) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवीं मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्सकरण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवीं मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7514/2007]

(17) (एक) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7515/2007]

(18) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7516/2007]

(19) (एक) इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7517/2007]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): महोदय, मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2006 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 548(अ) जो 14 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 14 अगस्त, 2007 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगी।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7518/2007]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन रिन्युवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्युवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7519/2007]

(2) इंडियन रिन्युवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7520/2007]

(3) (एक) सेन्टर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर विंड एनर्जी टेक्नॉलोजी, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7521/2007]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलेपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7522/2007]

(2) (एक) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथ अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्टर फॉर डेवलपमेंट इकोनोमिक्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7523/2007]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकानामिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एंड इकानॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7524/2007]

(4) (एक) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7525/2007]

(5) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7526/2007]

(6) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7527/2007]

(7) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 के खंड 21 के उपखंड (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) "जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव" के सम्मान में पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 684(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "भारतीय वायु सेना की प्लैटिनम जुबली (1932-2007)" के अवसर के स्मरण हेतु एक सौ रुपए तथा दो सौ रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ''नृत्य मुद्रा'' विषय पर एक रुपए का फेरीटिक स्टेनलेस स्टील सिक्का निर्माण नियम, 2007 जो 15 अक्तूबर, 2007 के भरात के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 659(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7528/2007]

(8) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ), जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सिक्कों के गुणक, विमा, डिजायन और संरचना का अवधारण किया गया है, की एक प्रदि (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7529/2007]

(9) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7530/2007]

(10) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सा.का.नि. 721(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य तथा थाईलैंड में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 8 अक्तूबर, 2008 सहित इस तारीख तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 680(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 681(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 96/2005-सी.शु. को रद्द किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 683(अ) जो 30 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय स्विट्जरलैंड तथा चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले विटामिन-ए पाल्मिटेट (विटामिन-ए पाल्मिटेट 1.6 एम.आई.यू./ग्राम को छोड़कर) के भारत में आयात पर अंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) भारत गणराज्य तथा चिली गणराज्य के बीच अधिमानी व्यापार करार के अंतर्गत माल के उद्गम का अवधारण नियम, 2007 जो 17 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1426(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7531/2007]

(11) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 जो 11 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 602(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 सितम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या 19/2004-के.उ.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत, सा.का.नि. 642(अ) जो 4 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विनिर्दिष्ट माल को छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेनवेट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम, 2007 जो 7 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सेनवेट क्रेडिट (दसवां संशोधन) नियम, 2007 जो 13 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 709(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 691(अ) जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विनिर्मित अथवा खरीद किये गये और भारतीय नौसेना अथवा तटरक्षक बल के पोत पर उपभोग हेतु स्टोर के रूप में आपूर्ति किए गए ईंधनों पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं, **देखिए** संख्या एल.टी. 7532/2007]

(12) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) जो 11 सितम्बर, 2007 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थी तथा जिसका आशय विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्मित तथा 21.2.2007 से 26.2.2008 के दौरान घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किये गये मदर बोर्डों के अतिरिक्त, कम्प्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर; फ्लापी डिस्क ड्राइव; हार्ड डिस्क ड्राइव; सीडी-आरओएम ड्राइव; डीवीडी ड्राइव; यूएसबी फ्लैश मेमोरी; कॉम्बो ड्राइव; सेल्युलर फोन; और रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल्स को उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7533/2007]

(13) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1474(अ) जो 29 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका शुद्धिपत्र, जो 10 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1512(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1475(अ) जो 29 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका शुद्धिपत्र, जो 10 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1512(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1595(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1596(अ) जो 25 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा इसका शुद्धिपत्र, जो 29 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1842(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1839(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित तथा निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में या भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1486(अ) जो 31 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ थथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सीमा-शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का अवधारण) नियम, 2007 जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सीमा-शुल्क मूल्यांकन (निर्यात माल के मूल्य का अवधारण) नियम, 2007 जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 1557(अ) जो 17 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 1699(अ) जो 4 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1755(अ) जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 7534/2007]

(14) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(क) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-07 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-07 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7535/2007]

(ख) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7536/2007]

(ग) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7537/2007]

(घ) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7538/2007]

(ङ) (एक) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7539/2007]

(15) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार में संबद्ध व्यक्तियों का प्रमाणन) विनियम, 2007 जो 17 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11/एलसी/जीएल/2007/4567 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड) (दूसरा संसोधन) विनियम, 2007 जो 31 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 11/एलसी/जीएल/2007/4646 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7541/2007]

(16) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) दूसरा संशोधन नियम, 2007 जो 21 अगस्त, 2007 के भरात के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1444(अ) में प्रकाशित थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7542/2007]

(17) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत पल्लवन ग्राम बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2007 जो 21 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीएचबीके/82/2000-01 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7543/2007]

(18) वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 94, 95 और 113 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ) जो 13 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 10 अक्तूबर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको उक्त अधिनियम की कतिपय धाराओं के उपबंध प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7544/2007]

(19) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2007 तक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 7545/2007]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा की दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2007 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03¼ बजे

लोक लेखा समिति

साठवां और बासठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं लोक लेखा समिति (2007-2008) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "निर्माण कार्य का अनियमित ठेका प्रदान करना" के बारे में 60वां प्रतिवेदन।

(2) "दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों (2004-2005) पर अधिशेष" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 31वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 62वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

याचिका समिति

बत्तीसवां से चौतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, मैं, याचिका समिति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं:

(1) सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद में कार्यरत दैनिक मजदूरों को अन्य नैमित्तिक कर्मकारों के समतुल्य मजदूरी और अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु अस्थायी दर्जा दिये जाने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की याचिका के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) से संबंधित 32वां प्रतिवेदन।

(2) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा उड़ीसा सरकार की पुनर्वास नीति, 1989 का कार्यान्वयन नहीं किये जाने के बारे में श्री धर्मेन्द्र प्रधान, संसद सदस्य की याचिका के संबंध में कोयला मंत्रालय से संबंधित 33वां प्रतिवेदन।

(3) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राजस्थान के स्वैच्छिक-सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को 1.1.1992 से 31.12.1998 की अवधि तक का वेतन पुनरीक्षण बकाया राशि का भुगतान किये जाने के बारे में श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्य की याचिका के संबंध में भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित 34वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03¼ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

तैंतीसवां से छत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 33वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में

[श्री प्रबोध पाण्डा]

कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 34वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 29वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 35वां प्रतिवेदन; और

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 30वां प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 36वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): महोदय, मैं 'हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाओं की कार्य दशा' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय मैं, यह विवरण माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क, जो निम्नलिखित अनुसार है, के अनुसरण में प्रस्तुत कर रहा हूं:

"अपने मंत्रालय के संबंध में विभाग से संबंधित लोक सभा की स्थायी समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में संबंधित मंत्री छह माह में एक बार सदन में विवरण देंगे।"

सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि शहरी विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों संबंधी 14वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की 20वीं रिपोर्ट लोक सभा में 27 अप्रैल, 2007 को रखी गई थी। रिपोर्ट में 13 सिफारिशें निहित हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शाई गई है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर जुलाई, 2007 के अनुसार की गई कार्रवाई का नोट शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति को 23 जुलाई, 2007 को भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा जिन 13 सिफारिशों को स्वीकारा गया है उनके संबंध में, जहां कहीं आवश्यक होगा आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस विवरण का अनुलग्नक सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.05¼ बजे

(दो) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी समिति के इकतालीसवें, बयालीसवें, छियालीसवें और बावनवें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन, भाग-II के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के 73-क वें निर्देश के अनुसरण में, वित्त पर स्थायी समिति की राजस्व विभाग से संबंधित इक्तालीसवें, बयालीसवीं, छियालीसवीं एवं बावनवीं रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

वित्त पर स्थायी समिति ने लोक सभा में दिनांक 28.11.2006 को 41वीं एवं 42वीं रिपोर्ट, दिनांक 14.12.2006 को 46वीं रिपोर्ट

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7546/2007।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7547/2007।

एवं दिनांक 28.4.2007 को 52वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। 41वीं रिपोर्ट में, समिति ने नए आयकर विवरणी प्रपत्र को लागू करने को विधिवत स्पष्ट किया एवं दस सिफारिशें की जिनमें सरकार से कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था। सभी दस सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था। दिनांक 13 जुलाई, 2007 को समिति को सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

42वीं रिपोर्ट में समिति ने समिति की पूर्व रिपोर्ट जैसे कि कराधार को बढ़ाने एवं कर अपवंचन पर तैंतीसवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई जैसे मामलों की विधिवत व्याख्या की एवं कुल मिलाकर आठ सिफारिशें कीं जहां सरकार से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सरकार द्वारा सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं एवं उन पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट दिनांक 19 अप्रैल, 2007 को समिति को प्रस्तुत कर दी गई थी।

46वीं रिपोर्ट में समिति ने आयकर अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके प्रतिदायों को कपटपूर्ण तरीके से जारी करना; विहित समय सीमा के भीतर प्रतिदायों को जारी न करना; आयकर आयुक्त मेरठ के प्रभार में फर्जी प्रतिदाय दावे, दोषी आयकर अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई; अनुसंधान संस्थानों द्वारा आयकर छूटों का दुरुपयोग; एवं आयकर कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण जैसे मामलों की विधिवत व्याख्या की। समिति ने कुल मिलाकर 9 सिफारिशें कीं, जिनमें से सरकार ने आठ सिफारिशें मान ली हैं एवं एक सिफारिश को अंशत: स्वीकार कर लिया है। समिति को 5 नवम्बर, 2007 को सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

52वीं रिपोर्ट में, समिति ने कर छूट, दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार, माल तथा सेवा कर, लाभ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के लाभ, राजस्व संग्रहण, बकाया कर राशि की वसूली, 2006-07 के संशोधित अनुमानों की तुलना में बजट अनुमान 2007-08, आयकर कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण पर एन.आई.पी.एफ.पी. तथा योजना आयोग के विचारों को ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर क्षेत्र आधारित छूटों सहित सभी विषयों पर विचार-विमर्श किया। कुल मिलाकर, समिति ने 27 सिफारिशें कीं जिनमें से अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और जहां कहीं अगले बजट प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित कोई सिफारिश शामिल थी, वहां कार्यान्वयन विवरण में यह दर्शाया गया है कि उचित समय पर इसकी जांच की जाएगी। 52वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टें दिनांक 11 सितम्बर, 2007 को समिति को प्रस्तुत कर दी गई।

वित्त संबंधी स्थायी समिति को उपर्युक्त चारों रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण अनुबंध 'क' से 'घ' में दिया गया है।

मैं अनुबंधों की अन्तर्वस्तु को पढ़ने में सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। अत: अनुरोध है कि इन्हें पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.05½ बजे

(तीन) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, श्री कपिल सिब्बल की ओर से मैं 1 सितम्बर 2004 को लोक सभा के बुलेटिन भाग-2 द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश सं. 73क के अनुसरण में विभाग से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखता हूं। यह रिपोर्ट पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2007-08 की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबधित है। समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष में की गई प्रगति की समीक्षा की और अनुदान मांगों (वर्ष 2007-08) पर विस्तार से विचार किया।

समिति ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समीक्षा तथा उसकी विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार करते समय मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में अनुदान मांगों का विश्लेषण किया और तत्पश्चात सदन में 26 अप्रैल, 2007 को अपनी 173वीं रिपोर्ट पटल पर रखी गई। इस रिपोर्ट में तेइस (23) सिफारिशें हैं।

समिति की सभी सिफारिशों पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में विचार किया गया है। मंत्रालय ने इन सिफारिशों पर की गई विस्तृत

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7548/2007।

[श्री विजय हान्डिक]

कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट अगस्त 2007 में समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दी है। की गई कार्रवाई संबंधी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अपराह्न 12.05$^{3}/_{4}$ बजे

(चार) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति की 55वीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

समिति द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट में कुल 18 सिफारिशें की गई जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति इस विवरण के अनुलग्नक में दी गई हैं जिसे सदन के सभापटल पर रखा गया है। मैं अनुलग्नक के सभी अंशों को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.06 बजे

(पांच) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): माननीय लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-II द्वारा निदेश 73ए के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 19वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में, मैं यह विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7549/2007।

**सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7550/2007।

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 19वीं रिपोर्ट दिनांक 27 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों (2007-08) की जांच से संबंधित है।

समिति की 19वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों/निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण दिनांक 12 अक्तूबर, 2007 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया था।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 18 सिफारिशें की गई हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी है। इन सिफारिशों का संबंध मुख्यतया बजटीय संसाधन को बढ़ाने, विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दों से है।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है जो सदन पटल पर रखा है। सदन के बहुमूल्य समय की बचत की दृष्टि से मैं अनुलग्नक को नहीं पढ़ना चाहूंगा। मैं अनुरोध करता हूं कि इन्हें पठित मान लिया जाए।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

(छह) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुसरण में, मैं निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह सूचित करना चाहूंगी कि आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदान मांगों संबंधी 14वीं लोक सभा की शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट लोक सभा में 27 अप्रैल, 2007 को रखी गई थी। रिपोर्ट में 22 सिफारिशें निहित है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा इन सिफारिशों पर जुलाई, 2007 के अनुसार की गई कार्रवाई का नोट शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति समिति को 19 जुलाई, 2007 को भेजा गया था।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7551/2007।

सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति संलग्न विवरण में प्रत्येक सिफारिश के आगे दर्शायी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगी कि जहां कहीं आवश्यक होगा आगे की अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

इस विवरण का अनुलग्नक सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अपराह्न 12.07 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) उड़ीसा के बोलंगीर में आयुध निर्माणी से गोला बारूद ले जा रहे दो रेल वैगनों के गायब होने के बारे में

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान अविलम्बनीय महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं।

दिनांक 7.9.2007 की आर.आर. संख्या-301492 के द्वारा उड़ीसा की बोलनगीर आयुध निर्माणी से 19, एफ.ए.डी, एन.आर.एस., बनार, जोधपुर, राजस्थान के लिए 25 गोलाबारूद से भरे बीसीएन वैगन बुक किये गये थे। इन 25 वैगनों में से लदे हुए दो वैगन एम.सी.-36747 तथा एस.सी.-37413 अपने गन्तव्य स्थान पर आज तक नहीं पहुंचे हैं। भारतीय सेना को इस गोला-बारूद की अतिशीघ्र आवश्यकता थी। इन पर लदा माल अत्यंत संवेदनशील विस्फोटक पदार्थ थे। चौका देने वाले इस समाचार से भय की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। दो महीने बीतने के पश्चात् भी इन दो वैगनों का कुछ अता पता नहीं लग पाया है। न तो रक्षा मंत्रालय के और न ही रेल मंत्रालय के संबंधित अधिकारी गायब हुए इन वैगनों का पता लगाने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इन वैगनों में संवेदनशील गोला-बारूद है, जो कि रक्षा कार्यों के लिए था। ये वैगन गायब हैं और कोई नहीं जानता कि इस समय गायब वैगन हैं कहां।

सरकार इस प्रकार कार्य कर रही है। वह रक्षा तथा सेना के मामले में भी इतनी लापरवाह है। गोला बारूद से लदे दो वैगन गायब हैं। वह उनकी तलाश नहीं कर रहे हैं। आयुध निर्माणी के उपमहाप्रबंधक ने रेलवे बोर्ड तथा संबंधित अधिकारियों को एक दो-बार इसके बारे में स्मरण कराया है। परन्तु वे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

मैं इस संबंध में वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं। यदि यह हमारे दुश्मनों के हाथ लग गए, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। महोदय, आप जानते हैं कि आतंकवादी देश में किस प्रकार सक्रिय हैं। यदि यह गोला-बारूद उनके हाथ लग गया तो क्या होगा?

मैं सरकार से स्पष्ट रूप में यह जानना चाहता हूं कि गोला-बारूद से लदे गायब हुए इन वैगनों के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है। वे अब कहां है? क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई जानकारी है। मैं इस विषय पर सरकार से एक वक्तव्य चाहता हूं। अब यह एक संवेदनशील और भयावह स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसलिए मैंने आपको इसे उठाने की अनुमति दी है। श्री महताब और श्री प्रसन्न आचार्य भी श्री त्रिपाठी के साथ स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

इस मुद्दे पर श्री सुग्रीव सिंह, श्री मोहन जेना और श्रीमती अर्चना नायक को भी श्री त्रिपाठी के साथ स्वयं को सम्बद्ध करने की अनुमति है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं यहां एक छोटा उल्लेख करना चाहूंगा।

जोधपुर से बडमाल आयुध कारखाने को 17 तारीख को एक फैक्स-संदेश प्राप्त हुआ था कि उन्हें 22 वैगन प्राप्त हुए हैं और दो वैगन गुम है और आज 30 तारीख है। पहले ही ढाई महीने बीत चुके हैं। यह जिम्मेदारी रेलवे की है। उन्हें यह बताना चाहिए कि ये गुम हुए दो वैगन कहां है। यह आयुध कारखाने से गोलाबारूद को सीमा तक ले जाने का मामला है। कहां से ये गोला-बारूद गुम हुए, इसका स्पष्टीकरण कौन देगा?

अध्यक्ष महोदय: आपने इसका उल्लेख किया है। मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में कोई उत्तर मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, हम माननीय रेल मंत्री से उत्तर की उम्मीद करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): इस घटना को हुए लगभग तीन माह हो चुके हैं। रेल लाइन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरती है। इसलिए, मै जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को

[श्री प्रसन्न आचार्य]

जानकारी है, क्या यह नक्सलवादियों के हाथों में चला गया है, क्या गोलाबारूद आतंकवादियों के हाथ में चला गया है। क्या ये हथियार तस्करों के हाथ में चला गया है। यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है जोकि सेना से संबंधित है। रेल मंत्रालय के साथ-साथ सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आपमें से हरेक सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है। आप जानते हैं कि उत्तर देने के लिए मंत्री को बाध्य करने का सवाल ही नहीं है। माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं। उन्होंने यह सुना है। मैं उम्मीद करता हूं कि उपयुक्त उत्तर मिलेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने स्वयं कहा है कि मुझे उपयुक्त उत्तर की उम्मीद है।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं इस बात को माननीय गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री के संज्ञान में लाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो लोग इससे सम्बद्ध होना चाहते हैं, वे कृपया पर्चियां भेजें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या का मामला उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके बैठने से बहुत मेहरबानी होगी। आप अपनी सीट पर जाइए और ठीक ढंग से मामला उठाइए। आप बहुत अनुभवी मैम्बर हैं।

[अनुवाद]

यदि मेरी हिन्दी खराब नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.15 बजे

(दो) संसद की बैठकों की संख्या में लगातार हो रही कमी के बारे में

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं संपूर्ण संसद से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। संसद को असंगत बनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष सत्र की अवधि कम होती जा रही है। यह भी सत्य है कि सत्र को बीच में समाप्त करने से संसदीय प्रणाली अक्षम होती जा रही है। ऐसा लगता है कि सत्ता में आने वाली सरकारों के लिए संसद अत्यंत असुविधाजनक हो गई है।

संसद देश का सबसे बड़ा मंच है। वाद-विवाद, चर्चा, मतभेद और भिन्नता सदैव ही रहेगा क्योंकि हमारा समाज बहुल स्वरूप का समाज है। लेकिन इस चर्चा से मतैक्य बनता है या बनाने की कोशिश की जाती है। जिससे सरकार को राय मिल सकती है। इससे देश भारत की स्थिति की सच्चाई को समझ सकता है। संसद का नियमित सत्र कार्यकारी निकायों और सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बना सकते हैं क्योंकि हम सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है।

आज क्या हो रहा है। पहले संसद की बैठक 120 दिन हुआ करती थी, कभी-कभी तो इसकी बैठक 128 दिन भी हुई है। दुर्भाग्यवश, यह संख्या अब घटकर 65 से लेकर 80 दिन तक हो गई है।

मैं वर्तमान संसदीय सत्र की बात करता हूं। वर्तमान संसद सत्र नौ वर्षों में सबसे छोटा रहा है। यह 17 दिन का होना था। पहले दिन हमने अपने साथियों को श्रद्धांजलि दी और दो दिन व्यवधान के कारण बर्बाद हो गए। इसलिए, बैठक केवल 14 दिन ही चली। इन 14 दिनों में से तीन दिन शुक्रवार का दिन रहा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम सभी को यह पता है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसका मतलब हुआ कि हमारे पास केवल 11 दिन बचे। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। मैं आत्मनिरीक्षण करने के लिए आह्वान करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत ठीक। इस मामले पर कार्यमंत्रणा समिति में हमें चर्चा करनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः जिस तरह से संसद की अनदेखी हो रही है, यह बहुत गलत है और संसदीय प्रणाली के लिए अशुभ है।

पूरे दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हमें इसको बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः जी हां, निश्चित तौर पर।

लोकतंत्र संसद के सार्थक कार्यकरण पर निर्भर करती है। नेपाल में लोग संसद के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग चुनाव के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास अपनी संसद है। लेकिन हम संसद की अनदेखी कर रहे हैं। परिणामतः, हम मूल्यवृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हम विस्तार में न जाएं। यह वाद-विवाद का विषय नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः हम सेनगुप्ता समिति की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कहा गया कि भारत की आवादी का 77 प्रतिशत गरीब तथा कमजोर है। इसलिए, मैं सरकार से इस सुझाव पर कार्रवाई करने की मांग करता हूं कि संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम सौ दिन होनी चाहिए जैसाकि दो वर्ष पूर्व अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन में सुझाव दिया गया था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह बिल्कुल सही बात है। नाम दर्ज किए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): मैं गुरुदास जी की बात पर कहना चाहता हूं कि हम गवाह हैं कि क्वैश्चन ऑवर के बाद क्या स्ट्रैंथ रहती है, कितने मैम्बर रहते हैं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, मैं सहमत हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः सभी पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए। मैं सभी पक्षों से बार-बार सहयोग के लिए अनुरोध करता रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदय, कृपया मुझे एक वाक्य बोलने की अनुमति दीजिए। मैं चाहता हूं कि पूरी संसद आत्मनिरीक्षण करें। मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह अच्छी बात है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, सर्वप्रथम मैं इस बात का जोरदार शब्दों में खंडन करता हूं और अपनी असहमति व्यक्त करता हूं कि संसद दिनों-दिन असंगत होती जा रही है। मैं तथा यह सरकार भी श्री गुरुदास दासगुप्त की इन बातों से सहमत नहीं हैं कि संसद निरर्थक होती जा रही है। दूसरी तरफ संसद सदस्य जिस प्रकार देर शाम तथा रात तक जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं और कभी-कभी तो मैंने दस सदस्यों को ही काम करते हुए पाया है, उसके लिए मैं ईमानदारी से उनका सम्मान करता हूं। इसलिए संसद निरर्थक नहीं है। यह मेरी ओर से पहली बात है।

दूसरी बात कि सरकार दो-तीन वर्षों से अध्यक्ष सम्मेलन के संदेश तथा स्वर्णजयंती सम्मेलन में किये गये आह्वान के लिए कोशिश कर रही है। दो गंभीर वायदे किये गये थे। पहला, यह था कि सौ दिन का सत्र होना चाहिए। दूसरी बात कि प्रश्न काल के दौरान कोई भी सभा के बीचों बीच 'वेल' में नहीं जाएगा कि प्रश्न काल के दौरान तथा कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालेगा। दूसरी बात नहीं मानी गई। पहले के लिए हम इकट्ठा नहीं हो पाये। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): क्या सभा में इन बातों पर चर्चा होगी? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं। चूंकि मुद्दा उठा है इसलिए मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः किसी का नाम नहीं लिया गया है। मंत्री जी, कृपया किसी का नाम मत लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ...*(व्यवधान)* आप क्यों खड़े हो रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों और मंत्री महोदया, कृपया मुझे मेरी बात कहने दीजिए। इस मुद्दे पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मैं पुनः एक बार बैठक बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: श्री दासगुप्त, यथोचित सादर के साथ, मैं तीसरी बात को दुरुस्त करना चाहता हूं। यह नौ वर्षों में सबसे छोटा सत्र नहीं है। यदि आप पूर्व तुलन पत्र को देखें तो आप पायेंगे कि 16 दिन का शीतकालीन सत्र तथा 5 दिन का भी शीतकालीन सत्र रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, वे सभा को गुमराह कर रहे हैं। उस समय चुनाव का समय था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं इस मुद्दे पर विशेष चर्चा के लिए एक बैठक करने जा रहा हूं। अब इस विषय पर आगे कोई चर्चा नहीं होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सही नहीं है कि आप अपनी बात कहें और अन्य सदस्य अपनी बात न कह सकें। यह उचित नहीं है। संसदीय प्रजातंत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धैर्यपूर्वक औरों का दृष्टिकोण सुनें। कृपया इस बात को समझें।

इसलिए, हम इस पर अपना ध्यान दे रहे हैं तथा आपके नेतृत्व में हल ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। संसद की कितनी ही बैठक हों हम हमेशा संसद के प्रति जवाबदेह रहेंगे। यही एक मात्र हल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत धन्यवाद। सभी पक्षों द्वारा संसद के सुचारू रूप से कार्य किये जाने के प्रति दर्शाई गई चिंता से मैं बहुत प्रभावित हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा वास्तव में होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम देर रात्रि तक बैठक कर रहे हैं परन्तु सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। ...*(व्यवधान)* हम सामान्य समय से देर रात्रि तक बैठक कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए 'अतिरिक्त भत्ता' नहीं मिलेगा। मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार से करीब दो सौ करोड़ रुपये की राशि रोकने से राजस्थान प्रदेश में ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी नेताओं की बैठक बुलाऊंगा। यह यहां चर्चा करने का विषय नहीं है। चूंकि यह श्री दासगुप्त का प्रिय मुद्दा है इसलिए मैंने उनको अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में शांति होनी चाहिए। श्री दासगुप्त आपकी सीट रिक्त दिखाई जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा में शांति होनी चाहिए। माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जल ग्रहण विकास की 3584 योजनाएं ठप हो गई हैं। सूखा तथा मरूस्थल रोकने के लिए जल ग्रहण विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना में केन्द्र व राज्य 75:25 राशि खर्च करते हैं। इसमें 75 परसैन्ट केन्द्र सरकार देती है और 25 परसैन्ट राज्य देते है। ये परियोजनाएं पांच वर्ष तक चलती हैं, जिसमें एनीकट, जल संग्रहण ढांचा निर्माण सहित अन्य कार्य होते हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस समय जारी करीब 6500 परियोजनाओं में से 3584 परियोजनाओं का विकास रुक गया है। केन्द्र से जल्दी करने पर परियोजनाओं के बारे में कुछ जानकारी मांगी गई थी, जो उपलब्ध करा दी गई है। लेकिन पैसा नही मिला है। राजस्थान की मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में भारत सरकार को दो बार पत्र लिखे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है

कि परियोजनाओं का काम ठप हो गया है और इस कार्य से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिसमें खासकर किसानों का नुकसान होगा। खाद, बिजली समय पर नहीं मिलने के कारण चने व जौ की फसलों का नुकसान हो रहा है। बनास योजना का काम रुका पड़ा है और शहर में पानी की गम्भीर समस्या है। पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है और हरियाणा को घग्घर नदी पर ओड झील की खुदाई करने से नहीं रोका गया तो राजस्थान में पानी की समस्या और बढ़ जायेगी।

इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वह हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को पाबंद करें और हमारी जो परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार पैसा दें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): अध्यक्ष जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। 1984 के जो दंगा पीड़ित ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: शाहनवाज जी पूर्व में आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। मुझे पता है कि अब और भविष्य में भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए इसको खराब न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम करेंगे, सब वक्त पर होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): सर, शाहनवाज जी जो मुद्दा उठा रहे हैं, हम भी उस पर बोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 100 डेज का मुद्दा या गिरधारी लाल भार्गव जी ने जो मुद्दा उठाया था।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: शाहनवाज जी को हमने परमीशन नहीं दी। वह ऐसे ही उठकर बोल रहे हैं। सब डिलीट हो गया, कुछ भी रिकार्ड में नहीं गया। टाइम होगा तो आपको बुलायेंगे। श्री शैलेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको हमेशा अवसर देता हूं।

[हिन्दी]

आपने कोई लैटर भी नहीं दिया।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मलेशिया में जो अत्याचार हुआ है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह मामला कल हो गया है।

[अनुवाद]

एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा कृपया सहयोग दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आज आप वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, आपने अति लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर दिया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आज दो बजे वक्तव्य हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं। प्रश्न काल से पूर्व, डी.एम.के. तथा विभिन्न अन्य दलों ने मुद्दा उठाया था। मैंने माननीय विदेश मंत्री को जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि वे दो बजे के बाद आ सकेंगे क्योंकि दो बजे तक वे एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यस्त हैं। वे सभा में दो बजे के बाद आएंगे तथा इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। मैंने सभा को सुबह जानकारी दी थी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अति लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या से भारत में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है, जिसके कारण भारत में सामाजिक विकृति पैदा हो गई है और निम्न जाति की गरीब लड़कियों की खरीद-फरोख्त इस समय जबरदस्त है। सीमा पार से तस्करी करके भी लड़कियों को लाये जाने के मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद इन लड़कियों को यौन दासी बनाकर रखा जाता है। पांच करोड़ के करीब कन्या शिशु लापता हो गई हैं या उन्हें गर्भ में मार दिया गया या जन्म के बाद उनकी हत्या हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स में कल या परसों निकला था कि पंजाब में एक विदेशी मैडिकल किट आई है, जिससे अगर आप ब्लड ग्रुप टैस्ट कर लें तो प्रेगनैन्ट लेडी के पेट में मेल या फिमेल शिशु है, यह पता लग जाता है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इसे गंभीरता से ले और पुत्री के जन्म, शिक्षा और शादी तक की जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी चाहिए। इसके अलावा पंजाब में एक मैडिकल टीम भेजी जाए और पता लगाया जाए कि कौन सी विदेशी किट आई है, जिससे ब्लड ग्रुप लेने से मेल, फिमेल का पता लग जाता है। सरकार को इस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए, ताकि भ्रूण हत्याओं पर रोक लग सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ अपने को सम्बद्ध करती हूं। भ्रूण हत्या एक लज्जाजनक बात है। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए तथा दोषियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। पंजाब में विदेशी मैडिकल किट आई है, उस पर बैन लगाने के लिए एक निगरानी कमेटी भेजी जाए।

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई): सर, मैं भी अपने आपको इस मामले से संबद्ध करती हूं।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): मैं भी अपने आपको इस मामले से सम्बद्ध करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सब इस मामले से सम्बद्ध हो रहे हैं, समस्त सभा सम्बद्ध हो रही है। अब श्री आलोक कुमार मेहता बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक बार मैंने चर्चा की अनुमति दी थी। मुझे अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ऐसे विषय पर मुझे नोटिस नहीं मिलता है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: सर, मुझे इस बात पर बहुत छोटी टिप्पणी करनी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: टिप्पणी न करें। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा।

[हिन्दी]

आलोक मेहता जी, आप जल्दी बोलिये।

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, देश में युवाओं की जनसंख्या लगभग 40 प्रतिशत है। क्राइम करने वाले जो लोग पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े जाते हैं, उसमें लगभग 78 प्रतिशत युवा पाये जाते हैं। असेम्बली और पार्लियामेंट से लगभग 11 प्रतिशत लोग ही युवा हैं, त्री स्तरीय पंचायती राज में 55 प्रतिशत है।

महोदय, देश के पोपुलेशन में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है और युवा अतिवादी, नक्सलियों तथा उग्रवादी संगठनों के टार्गेट पर रहता है। उनकी मजबूरियों, परेशानियों और परिस्थितियों का फायदा उठाकर ऐसे संगठन उनको अपने नापाक कार्यों के लिए रिक्रूट करते हैं। इसके अलावा चूंकि वे बेरोजगारी के भी शिकार हैं, इसलिए उस तरफ जाने में बहुत आसानी होती है। इसलिए युवाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए उनके सामाजिक,

राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की जो स्थिति है और उनके पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए और उसका समाधान करने के लिए मैं भारत सरकार से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि देश में राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाए जो महिला आयोग, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग तथा पिछड़ा आयोग की तरह हो और युवाओं की स्थिति का अध्ययन करे और उसके समाधान के लिए रास्ता निकाले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको पता है कि संसद ने एक युवा मंच गठित किया है। आप दिलचस्पी लेकर उसमें भाग क्यों नहीं लेते हैं। धन्यवाद, मद-24 भी रूपचंद पाल।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभा तथा सरकार भी इस बारे में बहुत चिंतित है कि चाय उद्योग का पुनरुद्धार कैसे करें तथा निर्यात कैसे बढ़ाएं। परन्तु दुर्भाग्यवश, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ईरान को चाय निर्यात हेतु ईरानी बैंक का साख पत्र अस्वीकार करना सरकार द्वारा अमरीकी ट्रेजरी द्वारा अमेरीकी वित्तीय प्रणाली के माध्यम से ईरान के तीन बैंकों के साथ तीसरे देश द्वारा लेन-देन पर प्रतिबंध लगाए जाने के एक तरफा निर्णय के प्रति अनावश्यक रूप से झुकने का एक और उदाहरण है। ये प्रतिबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा नहीं लगाए गए हैं। यह एक तरफा कार्यवाही है हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ संपर्क कर बता दिया है कि ईरानी चाय बाजार भारतीय चाय निर्यातकों के हाथ ले निकल जाएगा। ऐसा ही कुछ दिन पूर्व 'एस्सार इंडिया' के मामले में भी हुआ था। जब एस्सार इंडिया द्वारा ईरानी तेलशोधन उद्यम खरीदा जा रहा था तो अमरीका आधारित 'एस्सार ग्लोबल' ने कंपनी को ऐसा करने से मना कर दिया था। इस प्रकार भारतीय कंपनियों को हानि हो रही है क्योंकि सरकार ने अमरीकी घरेलू कंपनियों तथा अधिकारियों द्वारा एकतरफा निर्णय जिसका संयुक्त राष्ट्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है के आगे घुटने टेक दिये हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारतीय स्टेट बैंक को तत्काल ईराकी बैंकों के साख पत्र के बारे आदेश दे। धन्यवाद महोदय।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मैं अपने को इस मामले से सम्बद्ध करना चाहता हूं। अमेरिका द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग किये जाने का यह एक स्पष्ट उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मोहम्मद सलीम आप बिना अनुमति बोल रहे है। श्री एस.के. खारवेनथन-उपस्थित नहीं। श्री गणेश सिंह। परन्तु आपका मामला चुनाव आयोग से है। सरकार क्या कर सकती है? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है परन्तु यह चुनाव आयोग से संबंधित है। मैं आपको अनुमति दूंगा। बिना टिप्पणी किए केवल मुद्दे का उल्लेख करें।

[हिन्दी]

यह चुनाव आयोग का मुद्दा है। यह हमारा मुद्दा नहीं है। क्या आप समझ गए?

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष जी, क्या हम इस मुद्दे को को यहां नहीं रख सकते? सर, उसमें जो वोटर्स लिस्ट बन रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वोटर्स लिस्ट इलेक्शन कमीशन बनाता है।

...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह: सर, लेकिन उसमें समस्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सॉरी, आप अपना मुद्दा इलेक्शन कमीशन को भेज दीजिए।

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर राज्य सरकारें मतदाता सूची तैयार कर रही हैं। लेकिन उसमें परिचय पत्र में मतदाताओं की फोटो चस्पा होनी है लेकिन बड़ी संख्या में मतदाताओं की फोटो नहीं खींची गई है।

मेरा कहना है कि इससे बहुत बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह जायेंगे। मध्य प्रदेश में सूची का प्रकाशन हुआ है उसमें बड़ी संख्या में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि दुबारा वहां पर फोटो पहचान पत्र का कार्य कराए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई नहीं कर सकता। मुझे खेद है।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक): अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि खान का तथा विभिन्न प्रकार की खानों का विकास राज्य का विषय है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय प्रारूप खनिज नीति का अनुमोदन किया जाएगा। इस संबंध में खनिज उत्पादक राज्य जैसे उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान आदि ने माननीय प्रधान मंत्री से मिलने का आग्रह किया है जिससे कि उन बिन्दुओं पर, जिन पर उनका हित जुड़ा हुआ है वे चर्चा कर सकें। यदि उनके विचारों पर ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य

[श्री अर्जुन सेठी]

सरकारों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाएगी। इसलिए विभिन्न राज्यों के 20-25 लोक सभा के माननीय सांसदों ने परसों माननीय प्रधानमंत्री से भेंट की और इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भेट के महत्व पर बल दिया जिससे कि वे अपने हितों के मुद्दों को उजागर कर सकें। केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय प्रारूप खनिज नीति का अनुमोदन करने से पहले उनकी बातें सुनी जानी चाहिएं तथा उनकी बातों को ध्यान में रखा जाए। यदि उनकी बातों पर विचार नहीं किया जाता है तो संविधान की संघीय ढांचा प्रभावित होगा क्योंकि यह राज्य का विषय है।

महोदय, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है तथा सबको अन्य की बात भूलनी चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय प्रारूप खनिज नीति का अनुमोदन करने से पहले उन्हें खनिज उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात सुनें। महोदय, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को कृपया निर्देश दें कि माननीय प्रधान मंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्रियों को एक अवसर दें।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भी अपने को इस मामले से सम्बद्ध कर सकते हैं। आप ऐसे ही भाषण नहीं दे सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मैं अपने को इस मामले से सम्बद्ध करता हूं। परन्तु आपको इस मामले पर भी बहस की अनुमति देनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस समय इस पर डिबेट नहीं होगा। आप नोटिस दीजिए, हम देखेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक का नाम भी इस मामले के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।

श्री पी.सी. थामस, आपको कोई एक विषय चुनना होगा।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अध्यक्ष महोदय, आइसक्रीम मीठी और स्वादिष्ट होती हैं।

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में?

श्री पी.सी. थामस: आइसक्रीम मीठी और स्वादिष्ट होती हैं। लेकिन यदि उनमें कृत्रिम पदार्थ न मिलाए जाएं तो ये अधिक मीठी और स्वास्थ्य के लिए अधिक लाभदायक हो जाएंगी। अब, आइसक्रीम बनाने में वनीला के सत का उपयोग किया जाता है। हमारे किसान वनीला का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पहले वनीला का मूल्य 3000 रुपये प्रति किलो था और अब यह घटकर 50 रुपये प्रति किलो और उससे भी कम पर आ गया है। अत: किसान संकट में हैं। अत: मैं सरकार से दो कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। पहला तो यह कि जब विदेशों में कृत्रिम वनीला का उपयोग किया जाता है तो वे उसके लिए एक लेबल लगाते हैं। इसी प्रकार, यहां भी जब आइसक्रीम या अन्य वस्तुओं में कृत्रिम वनीला का उपयोग किया जाए तो उनके पैकेट पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए 'कृत्रिम वनीला'। वस्तुत: वाणिज्य मंत्रालय ने इसे बहुत गंभीरतापूर्वक लिया है और उन्होंने भी स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी सिफारिश की है।

इसका दूसरा पहलू यह है कि ये गरीब किसान जिन्हें, विशेषकर केरल और कुछ दक्षिणी राज्यों में वनीला की फसल उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, वे संकट में हैं। अत: मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह राजसहायता देकर या बाजार में हस्तक्षेप करके इन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन दें। वस्तुत:,किसानों ने एक सहकारिता समिति बनाई है और वे आगे आए हैं, वाणिज्य मंत्रालय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आइसक्रीम खट्टी होती जा रही है।

श्री पी.सी. थामस: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को वनीला के लिए समर्थन मूल्य देकर किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, श्री फ्रांसिस जार्ज इस विषय के साथ सम्बद्ध होते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, मुझे खेद है। कृपया कुछ नियमों का पालन कीजिए।

अपराह्न 12.30 बजे

(तीन) दूरदर्शन में कथित अनियमितताओं और कदाचार के संबंध में सीबीआई जांच कराये जाने के बारे में।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं सरकार का ध्यान फिल्मों और टेलीविजन माध्यम से जुड़े सैकड़ों लेखकों, अनुसंधानकर्त्ताओं, तकनीकविदों, निर्देशकों और निर्माताओं की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वे दूरदर्शन के कुछ उच्चाधिकारियों के लगातार भ्रष्ट और कपटी आचरण के कारण ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

महोदय, थोड़े से फिल्म निर्माता इन अधिकारियों की मिलीभगत से सभी धारावाहिकों और अन्य कार्यक्रमों को अपने पक्ष में कर रहे हैं तथा जाने माने लोगों को लगातार इनसे वंचित किया जा रहा है।

दूरदर्शन ने 1955 से ही एक तरीका निकाला हुआ है जिससे वह प्रक्रिया शुल्क का मनोरंजन शुल्क के नाम पर प्रत्येक निर्देशक से 2000, 5000 या 10,000 रुपये लेता है। लेकिन पिछले, 5 से दस वर्षों में वे उन्हें उस प्रक्रिया शुल्क के बारे में नहीं बताते। केवल कुछ ही लोगों को सब कुछ मिलता है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को, यदि वे उन्हें मिले अनुदान का 25 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत के रूप में देने को तैयार हैं तो उन्हें धारावाहिक मिल जाएंगे।

वहां एक जांच हुई थी। उन्होंने बताया था कि कुछ धोखेबाज लोगों को लगभग 100 धारावाहिक मिले, उन्होंने 50 धारावाहिक और 50 खाली टेप दे दिये तथा पूरा भुगतान प्राप्त कर लिया। लगभग छह कंपनियों की पहचान की गई लेकिन उनमें से एक को पुनः अपने धारावाहिक के लिए अनुमति मिल गई। अतः मैं इसकी सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं क्योंकि सतर्कता जांच से कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी तक किसी को कोई सजा नहीं दी गई है। कुछ पता लगाया गया था परन्तु किसी को भी दंडित नहीं किया गया। अतः मैं सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं क्योंकि ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसका लोप कर दिया जाएगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हन्नान मोल्लाह: महोदय, मैं इसकी सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं और माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और किसी के भी विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, सबसे पहले, मैं इस सभा में माननीय सदस्य से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वे मेरे सामने ऐसा एक भी मामला ले आते हैं तो मैं 48 घंटे के अंदर-अंदर यदि उसे सी.बी.आई. के हवाले नहीं करता तो मैं संसद छोड़ दूंगा। अतः उन्हें ऐसा कोई मामला बताना होगा।

दूसरे, कश्मीर चैनल पर मुझे सं.प्र.ग. सरकार की अध्यक्षता से एक शिकायत मिली थी, मैंने तुरंत उस मामले को देखा और नई नीति के तहत उन्हें निकाल दिया। कुछ अभी भी सी.बी.आई. के जाल में हैं।

लेकिन जहां तक श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा उठाए गए मामले का संबंध है, यदि वे मेरे सामने ऐसा मामला लाएं जिसमें किसी ने पैसा दिया हो और अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देने की मांग की हो तो मैं 48 घंटे के अंदर-अंदर इस मामले को निपटा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: हमें इनके उत्तर की प्रशंसा करनी चहिए। अब आपको इसका उत्तर देना है।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे उत्तराखंड में रसोई गैस की आपूर्ति बहुत कम हो गई है जिससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। इसमें भी विशेष रूप से आई.ओ.सी. की ओर से गैस सप्लाई बहुत कम हो गई है जिसका 90 प्रतिशत शेयर है। नए कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं और पुराने कनैक्शन्स के अगेन्स्ट में गैस नहीं मिल रही है। हिन्दुस्तान पैट्रोलियम और भारत पैट्रोलियम की तो प्रापर सप्लाई है लेकिन उनका 10 प्रतिशत ही शेयर है। पहले विशेष छूट दी गई थी और यहां के लिए ट्रांसपोर्ट में सब्सिडी थी, वह इसलिए दी गई थी कि ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों का जंगलों पर दबाव कम हो। लेकिन आज फिर से वही स्थिति आ गई है कि लोग जंगलों पर दबाव डाल रहे हैं। यह वन और पर्यावरण के लिए भी खतरा है। खाद्यान्न कटौती, मिट्टी के तेल की कटौती या चीनी कटौती होती है तो उसको तो बाजार से ले सकते हैं।

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

लेकिन वहां जंगल के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इसलिए दोनों चीजों को देखते हुए, लोगों की कठिनाई और विशेष रूप से महिलाओं की कठिनाई को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र में गैस की जो सप्लाई नहीं हो रही है, उसके ऊपर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे और उसकी आपूर्ति शीघ्रातिशीघ्र कराए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में, नीमच के पास नया गांव में सी.सी.आई. के दो सीमेंट के संयंत्र हैं। उनके पास करोड़ों रुपये की मशीनरी और भूमि है। वहां पर अच्छा खनिज भी है, जिसके कारण वहां काफी समय तक सीमेंट उत्पादित होता रहा। आगे भी भरपूर स्टाक है लेकिन केवल बिजली के थोड़े से बिल न चुकाने के कारण वह सीमेंट संयंत्र बन्द कर दिया गया। धीरे-धीरे वहां के श्रमिकों को निकाला गया। आज सैकड़ों की तादाद में श्रमिक बाहर आ गए हैं और आज वे बेरोजगार हैं। सरकार द्वारा बार-बार कहा गया कि श्रमिक इसे चलाना चाहते हैं। बीच में एक बार डीजल से चलाने के प्रयत्न किया गया, लेकिन डीजल के कारण उत्पादन महंगा पड़ता है और डीजल से संयंत्र चलाना महंगा पड़ा और अब वह संयंत्र बन्द है। आज स्थिति यह है कि करोड़ों रुपये की सम्पत्ति बर्बाद हो रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार उसे चलाने पर विचार करे और अगर सरकार नहीं चला सके और यदि कुछ उद्यमी उसे चलाने के लिए तत्पर हों, तो नियमानुसार कार्रवाई करके उन्हें उसे चलाने दिया जाए, ताकि श्रमिकों को रोजगार मिल सके तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति और भूमि जिस पर लोग अतिक्रमण कर नष्ट कर रहे हैं, उस सम्पत्ति को बचाया जा सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जयाप्रदा जी, आपका मामला राज्य से संबंधित है। मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसका केन्द्र से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: अध्यक्ष महोदय, वैट के कारण वहां के व्यापारी बहुत परेशान हैं। आप मुझे केवल एक मिनट में अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको उत्तर प्रदेश विधान सभा में अपने किसी मित्र के माध्यम से वहां उठाना होगा। मैं इसे एक विधानसभा में नहीं बदलना चाहता।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: सर, सिर्फ एक मिनट का टाइम मुझे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है, मैं आपका आदर करता हूं इसीलिए मैंने आपके सामने यह स्पष्ट किया है अन्यथा मैंने ऐसा नहीं किया होता।

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा: सर, सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पार्लियामेंट और असैम्बली में डिफरेंस जानती हैं।

श्रीमती जयाप्रदा: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कर दूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह नहीं हो सकता। इसका केन्द्र सरकार से कोई लेना-देना नहीं है। मैं इसकी अनुमति क्यों दूं?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की अनुमति से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। इसमें भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। यदि एक बार स्टेट सब्जैक्ट को यहां उठाने का मौका दिया, तो बाद में मुसीबत हो जाएगी।

[अनुवाद]

मुझे बहुत खेद है, मैं आपका आदर करता हूं, मैं आपका आदर करता हूं इसीलिए मैंने आपको यह बताया है।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारा देश, कृषि प्रधान देश है। यहां करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन खाद्यान्न है। इस मुल्क में प्रति वर्ष तीन परसेंट उपजाऊ जमीन के क्षेत्रफल में कमी आती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि देश में सर्वांगीण विकास हो रहा है और जमीनें एक्वायर की जा रही हैं। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, उसके द्वारा भी बहुत से राज्यों में, बहुत से विकास कार्यों हेतु, जमीनें एक्वायर की जा रही हैं, कहीं ताज हाइवे बन रहा है और कहीं गंगा हाइवे बन रहा है। इनमें लाखों हैक्टेयर जमीन एक्वायर की जा रही है। एक तरफ तो हम उद्योग बढ़ाकर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसान की जमीन एक्वायर करने के कारण वह बेरोजगार हो रहा है और देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें रोजगार हीं देना है, तो जिस प्रकार से हरियाणा में जमीनें एक्वायर करने पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, उस तर्ज पर केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें भी किसानों को मुआवजा दें। हरियाणा में 30 लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। 10 हजार रुपये से लेकर 30 हजार रुपए रायल्टी प्रति वर्ष, प्रति एकड़ दी जा रही है तथा इसमें एक हजार रुपये का प्रति वर्ष इजाफा किया जा रहा है। इस प्रकार से जहां किसानों की जमीनें अधिग्रहीत की जाएं, उनको उनकी जमीनों का हरियाणा प्रदेश के बराबर मूल्य दिया जाए या इस पर एक राष्ट्रीय नीति बने। जमीन देश की राष्ट्रीय सम्पदा है। इस पर भारत सरकार कोई राष्ट्रीय नीति बनाए, जिससे राज्य सरकारें और भारत सरकार जब किसानों की जमीनों का अधिग्रहण करे, तो मार्केट रेट किसानों को उनकी जमीनों के मिलें और जब उनकी जमीन चली जाए, तो उन्हें रोजगार पर लगाए, जिससे बेरोजगारी दूर हो और खाद्यान्न की कमी की भी हम पूर्ति कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में दो दिन पहले खाद की कमी का मामला उठा था। देश का सबसे बड़ा खाद का कारखाना इफको, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के फूलपुर में है। उसमें डी.ए.पी. और यूरिया पैदा किया जाता है, लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतने बड़े कारखाने को, जो सहकारी क्षेत्र में है, उसमें प्रबंध तंत्र की गड़बड़ी के कारण मजदूरों में असंतोष पैदा हुआ जिसके कारण लाठीचार्ज और अब कारखाना बन्द है। एक ओर खाद की कमी है और दूसरी ओर खाद का बड़ा कारखाना बन्द कर दिया गया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देश दें कि मजदूरों से तत्काल बात करके, उस कारखाने को चलाया जाए, जिससे खाद की कमी दूर हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, माननीय रेवती रमन सिंह द्वारा उठाए गए विषय से मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह इलाहाबाद का मामला है।

अध्यक्ष महोदय: इलाहबाद से बहुत कैपेबल रिप्रजेंटेटिव यहां है।

[अनुवाद]

अब, श्री लोनाप्पन नम्बाडन।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): कलाड़ी, जो कि श्री शंकराचार्य और मल्यातूर का जन्म स्थान है और जहां सेंट थॉमस के पवित्र चरण पड़े हैं, को भारत के तीर्थ पर्यटक केन्द्रों की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भी कलाड़ी में ही है। कोच्वी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और कलाड़ी रेलवे स्टेशन के लिए अंकामाली भी इसी क्षेत्र में हैं।

अंकामाली फरोहा चर्च, जो कि भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है और भारत की पहली मस्जिद कोडान्गलौर चेरामन जामा मस्जिद भी निकट ही स्थित्र हैं। कोडल मनिक्याम मंदिर, जो कि भरत को समर्पित एकमात्र मंदिर है, भी निकट ही इरिंगालुक्कुड़ा में स्थित है।

निकटवर्ती माला में यहूदियों का एक उपासनागृह अभी भी सही स्थिति में मौजूद है। अथिरापल्ली झरना और जंगली हाथियों को पालतू बनाने के लिए कोडानाड केन्द्र भी पर्यटकों के आकर्षण के स्थल हैं।

सेंट थॉमस पहली बार 52 ईस्वी में कोडान्गलौर में ही उतरे थे। इसीलिए, मुकुन्दपुरम में बहुत से प्राचीन पवित्र और ऐतिहासिक स्थलों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से एक महत्वपूर्ण विषय से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। गोवा एक बहुत शांत प्रदेश है, किंतु अन्य राज्यों की तरह गोवा में भी आतंकवाद की झलक दिखाई देने लगी है। हाल ही में गोवा के राज्यपाल जब नागालैंड में थे, वहां उनके ऊपर भी, उनके कन्वय के ऊपर भी विस्फोट हो गया, यह बहुत दुख की बात है। गोवा में वर्तमान में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी ने वहां जाकर इनोगुरेशन भी

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री श्रीपाद येसो नाईक]

किया तथा अभी भी फेस्टिवल चल रहा है। उसी स्थल से दो किलोमीटर की दूरी पर 23 नवम्बर को रात के दो बजे वहां के नोगौरी अपार्टमेंट के दूसरे फ्लोर में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। वह स्थान गोवा विधान सभा से डेढ़ किलोमीटर के आस-पास है। यह भी पता चला है कि उक्त स्थान पर अनजान व्यक्तियों का आना-जाना लगा रहता था। पुलिस को शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी किसी प्रकार की कार्यवाही और विस्फोट होने के बाद भी किसी तरह की कार्यवाही अब तक नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री श्रीपाद नायक, हम आंतरिक सुरक्षा पर पूरी चर्चा करेंगे। कृपया राज्य सरकार को इसमें न लाएं। हमें अपनी ऐसी प्रवृत्ति को रोकना होगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष जी, यह आतंकवाद से संबंधित है, इसलिए मैं सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। दो महीने पहले वहां के निवासियों ने पुलिस को कम्प्लेंट की थी, वहां अनजाने लोग आते जाते हैं। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन मैं स्वयं पुलिस से मिला, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह जो विस्फोट हुआ है, वह गैस लीकेज के कारण हुआ है। बिना जांच कराए गैस सिलेंडर से विस्फोट हुआ है, ऐसा पुलिस कैसे कह सकती है। मेरी सरकार से मांग है कि विस्फोट की जांच कराए और गोवा जैसे शांत प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाने का काम करे।

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदय, आज 30 नवम्बर है। आज से ठीक एक साल पहले इसी सदन में मंत्री जी जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रखी थी। पूरे देश को यह उम्मीद थी कि यूपीए सरकार आने के बाद कुछ अफ्फरमेटिव एक्शन लिया जाएगा। हमने पिछले चार सत्र में कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन हो और सरकार इस बारे में क्या इम्प्लमेंटेशन कर रही है, इसकी चर्चा हो, इसके लिए नोटिस देते आए हैं। महोदय, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि दो-तीन बार यह विषय लिस्ट में आ भी गया था, पिछले सत्र में भी लिस्ट में आया था, लेकिन हंगामे की वजह से या किन्हीं दूसरे कारणों से चर्चा नहीं हो पाई। अगस्त महीने में हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री श्री अंतुले जी एक फलो-अप एक्शन लाए थे।

उन्होंने एक फॉलो-अप एक्शन लिया था, आपने जो सैक्रेटरीज कमेटी बनाई थी, आपने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया था, खुद अपने मिनिस्टर के नेतृत्व में जो समितियां बनाई थीं, एक्सपर्ट्स कमेटीज बनाई थीं, उनकी भी तमाम चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट्स हैं, अफसोसजनक बात यह है कि एक साल में उन्हें सरकार ने आज तक लागू नहीं किया। चाहे वह 11वीं पंचवर्षीय योजना हो, चाहे वह इस साल का 2007-2008 का बजट हो। सरकार के अन्य विभागों में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में जो कदम उठाने चाहिए थे, वे आज तक नहीं उठे। तीन साल से लोगों ने उम्मीद थी कि रिपोर्ट आयेगी। एक साल से हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार चर्चा करेगी। अब यू.पी.ए. सरकार पांच साल के लिए बनी है, वह कब इसे लागू करेगी और सदन को कब बताएगी कि क्या करना है? ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय को माननीय सलीम जी ने उठाया था। इस देश की 15 प्रतिशत आबादी, जो अल्पसंख्यक है, जिसकी आर्थिक दशा को सुधारना, उसकी सामाजिक दशा को सुधारना, उसकी शैक्षणिक दशा को सुधारना, उसको रोजगार में लगाना ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप इसे उठा चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: देश की 15 प्रतिशत आबादी, 15 करोड़ आबादी अल्पसंख्यक है, राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है, जब 15 प्रतिशत आबादी, जो बिल्कुल वंचित है, राष्ट्र की मुख्य धारा से कटी हुई है, भी आगे बढ़े। इसीलिए सच्चर समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से इसको लिखा है। इसको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सच्चर समिति की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करना चाहिए, प्रभावी करना चाहिए। लगातार सरकार की ओर से यह आश्वासन मिला है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट ...*(व्यवधान)* आपको तकलीफ क्यों हो रही है। इनके चलते ही तो चर्चा नहीं हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आपको इस पर भाषण नहीं देना चाहिए, आप केवल स्वयं को इससे संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप उनसे संबद्ध होना चाहते हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, मैं अपने आपको उनसे अलग रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसका विरोध करते हैं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हां, मैं इसका विरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अपोज करने का यह मौका तो नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देश को बांटने वाली है, देश के टुकड़े करने वाली है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा स्वयं को उनसे अलग करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सदन के पटल पर एक साल से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। इसे लिस्ट ऑफ बिजनेस में भी अंकित किया गया, लिस्टेड किया गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो सकी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो भी इससे संबद्ध होना चाहते हैं, वे अपने नाम भेज दें और कार्यवाही-वृत्तांत में उनके नाम इससे संबद्ध व्यक्ति के रूप सम्मिलित किये जायेंगे।

[हिन्दी]

डिस-एसोसिट करते हैं, यह बोलते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि सच्चर समिति की रिपोर्ट को तुरन्त प्रभावी किया जाये और इसको तुरन्त इम्प्लीमेंट किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं इस मामले से स्वयं को अलग करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): महोदय, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): महोदय, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): महोदय, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): महोदय, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री मधु गौड़ यास्खी (निजामाबाद): महोदय, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल): महोदय, मैं इनके साथ एसोसिएट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री हंसराज गं. अहीर।

श्री अहीर एक अत्यन्त जिम्मेदार सदस्य हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मेरे मामले का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय: आपने राज्य का विषय उठाने की सूचना दी है। क्षमा करें।

श्री राम कृपाल यादव: नहीं महोदय, यह केन्द्र का विषय है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो ऐसे मामले उठाना चाहते हैं, वे मुझसे असहमत होते हैं। अतः यह बेकार हो जाता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष जी, मैं देश में जो विभिन्न जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम अविलंबनीय लोक महत्व के मामले ले रहे हैं। यह अविलंबनीय मामला नहीं है। प्रो. मल्होत्रा, यह 23 वर्ष पुराना मामला है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: लेकिन यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: इस विषय में महाराष्ट्र में जो ओ.बी.सी. संबंधित जातियों पर अन्याय हो रहा है, मैं उस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान में जो जातिगत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, उसमें महाराष्ट्र में ओ.बी.सी. संबंधित जातियों को 19 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन मेरे क्षेत्र में जो चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिले आते हैं, इन दो जिलों में पिछले कुछ वर्षों में आरक्षण में कटौती करके 19 प्रतिशत के बजाय 11 और छ: प्रतिशत आरक्षण किया गया है, जिसमें ओ.बी.सी. संबंधित जातियों में भारी असंतोष और रोष है। इन दोनों जिलों में नक्सलाइट मूवमेंट बड़े पैमाने पर चल रहा है, उसे देखते हुए मैं आपके माध्यम से जो राज्य सरकार ने आरक्षण में कटौती की है, आरक्षण घटाया बढ़ाया गया है, यह राज्य सरकार का अधिकार नहीं होता है, इसके बावजूद भी राज्य सरकार के ऐसा करने से मैं केन्द्र से विनती करता हूं कि वह इसमें हस्तक्षेप करे और ओ.बी.सी. से संबंधित जो जातियां हैं, उन पर हो रहे अन्याय को दूर करने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आप चुप बैठेंगे तो मौका मिलेगा।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लखनऊ से गोरखपुर के लिए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 है, उसकी अत्यन्त जर्जर स्थिति को देखते हुए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप अपनी सीट पर नहीं हैं। आप इसके लिए इजाजत मांग लीजिए।

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूं।

उसकी अत्यन्त खराब स्थिति है, लगता ही नहीं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। जगह-जगह एक से डेढ़ फुट तक गहरे गड्ढे हैं। गांव में जो खडंजा मार्ग होता है पूरी सड़क की उससे भी खराब स्थिति है। इस संबंध में मैंने सड़क परिवहन मंत्री जी को कई बार लिखा और एनएचसीआई के अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मिला, लेकिन इस सब के बावजूद उसमें अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। इस संबंध में केवल आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले दो महीनों के अंदर संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, दो बार 48-48 घंटे ट्रैफिक के लिए बाधित हो चुका है। वहां ट्रैफिक को पूरी तरह रोकना पड़ा था और उस पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए स्वयं मौके पर एक दल भेजकर संपूर्ण मार्ग को दिखा लें और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश की राजधानी से जोड़ता है, इस महत्वपूर्ण राजमार्ग के उच्चीकरण और जीर्णोद्धार के लिए अविलंब कदम उठाएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी पांच लोगों को मौका देना है। कई सदस्यों ने नोटिस दिया है और आपका नोटिस भी नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल हाथ उठाने से नोटिस नहीं होता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (मध्य प्रदेश) के शाहगढ़ के समीप अपर चंदिया बांध की डूब भूमि में कुछ जगह वन विभाग की आ रही है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग को एनओसी का प्रस्ताव भेजा गया है।

इस बांध से लगभग 1785 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, इसके कार्य में लगभग 132 लाख रुपया खर्च हो चुका है, जो वर्ष 1980 से पहले कार्य हुआ था। 27 मार्च 2006 तक 9.65 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। राज्य शासन द्वारा सभी पालन-प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को भेजे जा चुके हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के वन विभाग से अनुरोध है कि अपर चंदिया बांध के लिए एनओसी दिलाने में

सहयोग करें। एनओसी प्राप्त होने पर टेंडर लगाकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। कनाल सिस्टम पूरा बन चुका है। वहां लोअर चंदिया बांध से सिंचाई होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवन्ना, आप कर्नाटक में छात्रावास में हुई अनियमितताओं का जिक्र करना चाहते हैं। यदि वे केन्द्र सरकार से संबंधित हैं तो उनका जिक्र करें। अन्यथा जिक्र न करें।

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): हां महोदय। यह केन्द्र सरकार से संबंधित है। कर्नाटक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के डेढ़ लाख छात्र पढ़ रहे हैं। यह छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह भारत सरकार का है?

श्री एम. शिवन्ना: नहीं, महोदय। खाद्यान्न की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई थी। यह (निगम) केन्द्र सरकार के अंतर्गत आता है।

मोहम्मद सलीम: अब कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागू है।

अध्यक्ष महोदय: क्षमा करें। मैंने भूल सुधार कर ली है।

श्री एम. शिवन्ना: यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। पिछले एक वर्ष से उन्होंने छात्रावास में खाद्यान्न नहीं भेजा है।

*महोदय, मैं सरकार का ध्यान सरकारी छात्रावासों की दयनीय हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, कर्नाटक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के छात्रावासों की हालत अत्यन्त दयनीय है। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जा रहे छात्रावासों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग डेढ़ लाख छात्र रहते हैं। इन छात्रावासों में खाद्यान्नों की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम करता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से दुर्भाग्यवश, पिछले दो वर्ष से इन छात्रावासों में खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप, ये छात्रावास छात्रों को भोजन प्रदान नहीं कर रहे हैं। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भारतीय खाद्य निगम इन्हें खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं कर रहा है। यह चिन्ता का विषय है कि छात्रावास के अधिकारियों ने छात्रों को सप्ताहांत अर्थात शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपने-अपने घर जाने के लिए कहा है। यदि भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं कर रहा है तो छात्रावास चलाना संभव नहीं है। अतः, मैं सरकार से शीघ्र पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आग्रह करता हूं ताकि गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को भूखा न रहना पड़े।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: पार्लियामेंट में यही होगा कि होस्टल में खाना देते हैं कि नहीं।

[अनुवाद]

ऐसा लगता है कि आप के मामले की वजह से ही, अब वहां राष्ट्रपति शासन है।

अब श्री राम कृपाल यादव, आप केवल माओवादी मामलों का जिक्र करें न कि जेल मामलों का।

श्री राम कृपाल यादव: धन्यवाद, महोदय ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, हमारा क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): 84 के दंगों के बारे में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामकृपाल जी भी एक सांसद हैं। उनको जब बुलाया गया है, तो उनको बोलने का मौका दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये भी मेंबर आफ पार्लियामेंट हैं। इनका भी मुद्दा है। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अत्यंत लोक महत्व के विषय में बोलने की अनुमति दी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, आप ठीक से और थोड़े शब्दों में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री राम कृपाल यादव: नेपाल हमारा मित्र देश है। नेपाल से हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ता है, खून का भी रिश्ता है और वह हमेशा हमारी मुसीबतों में खड़ा रहा है। इन दिनों नेपाल में मधेसी लोगों का शान्तिपूर्ण आन्दोलन चल रहा है। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक आंतरिक मामला है। नेपाल के आंतरिक मामले का जिक्र न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही तो समस्या है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आंतरिक मामलों का जिक्र न करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, इससे अलग तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ...*(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मधेशी भारतीय मूल के लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसे मेरे पास लाएं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहां पर राज्यों के मामले और अन्य देशों के आंतरिक मामले उठाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: बड़े पैमाने पर मधेसी लोग नेपाल से भारत में आ रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री उदय सिंह, श्री सैयद शाहनवाज हुसैन और योगी आदित्यनाथ भी इनके साथ एसोसिएट करते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सबका नाम लिख दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: मैं कहना चाहता हूं कि मधेशियों की उत्पन्न स्थिति का निपटारा करने के लिए सरकार के माध्यम से सकारात्मक कदम उठाए जाएं ...*(व्यवधान)** उनके आने की वजह से कोई प्रतिकूल स्थिति पैदा न हो और शान्ति और सद्भावना बनी रहे। ...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करके इसका समाधान निकाले। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मधेशियों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से जायज मांगों के लिए आन्दोलन चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा। यदि किसी मित्र राष्ट्र के आंतरिक मामले का जिक्र किया जाता है तो मैं इसे हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, वहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने सभा में वायदा किया था, माननीय विदेश मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी अपराह्न 2.30 बजे वक्तव्य देंगे।

अपराह्न 2.05$^1/_2$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 23, अर्थात नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

श्री पुन्नूलाल मोहले – उपस्थित नहीं।

श्री संतोष गंगवार – उपस्थित नहीं।

प्रो. रासा सिंह रावत।

(एक) राजस्थान के अजमेर में अन्नासागर झील और पुष्कर सरोवर की गाद निकालने तथा उनके सौंदर्यीकरण के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, राजस्थान की हृदयस्थली अजमेर में स्थित ऐतिहासिक अन्नासागर झील तथा सुप्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर में स्थित पुष्कर सरोवर की वर्तमान स्थिति अत्यंत दयनीय है। विगत 4-5 वर्षों से अजमेर तथा पुष्कर क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होने के कारण अन्नासागर झील तथा पुष्कर झील में पानी की आवक बहुत कम हुई है। इन झीलों के आस-पास के पहाड़ों से बहकर आने वाले छोटे-छोटे नदी नालों पर लोगों ने बहुत अतिक्रमण कर लिया है। इससे भी बहुत कम पानी इन झीलों तक पहुंच पाता है। पुष्कर सरोवर के चारों ओर 52 घाट बने हुए हैं, जिनके किनारे चारों और सैकड़ों मंदिर हैं, जो इस तीर्थस्थल को अनुपम छटा प्रदान करते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक मेले के अवसर पर लाखों यात्री यहां आकर पुष्कर सरोवर में स्नान कर अपने को पुण्य का भागी समझते हैं।

वर्षभर विभिन्न पर्वों पर पुष्कर में यात्रियों का लगातार आना-जाना लगा रहता है। विदेशी पर्यटक भी पुष्कर में बहुत बड़ी संख्या में आते हैं जिनसे विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। परन्तु पहाड़ों से निरन्तर कटकर आने वाली मिट्टी की गाद पुष्कर सरोवर में भर गयी है तथा आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कुएं से जल का दोहन करने के कारण पुष्कर सरोवर में बहुत कम पानी रह जाता है।

इसी प्रकार अजमेर की अन्नासागर झील के किनारे बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गयी संगमरमर की बारादरी है जो भारत सरकार की देखरेख में है। अन्नासागर से लगा हुआ प्रसिद्ध सुभाष उद्यान, एक तरफ लवकुश उद्यान और ऋषि उद्यान है। इन सब बाग-बगीचों और हरियाली से अन्नासागर की प्राकृतिक छटा देखने योग्य होती है। अन्नासागर के बीचोंबीच एक टापू भी है जहां तक नौका विहार किया जा सकता है, परन्तु आस-पास के क्षेत्र से अतिक्रमण होने तथा मिट्टी की गाद जमा होने से पानी की मात्रा कम हो गयी है और जो पानी बचा है, वह भी प्रदूषित है।

अतः भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुरोध है कि अजमेर की अन्नासागर झील तथा पुष्कर सरोवर की ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटन एवं पर्यावरण सबंधी महत्व को देखते हुए इनका सुन्दरीकरण किया जाए तथा इनमें पानी की आवक सुनिश्चित की जाए और जमा मिट्टी को शीघ्र निकलवाकर इन्हें वास्तविक प्राकृतिक रूप से विकसित किया जाए जिससे इनकी सुरक्षा तथा सुव्यवस्था होकर पर्यटकों के लिए आकर्षण का स्थल बन सके।

(दो) उत्तर प्रदेश के बरेली में लम्बित रेल परियोजनाओं की गति में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

***श्री संतोष गंगवार** (बरेली): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं लम्बित हैं, इस संबंध में पहले भी काफी कहा गया है। मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री संतोष गंगवार]

बरेली की निम्नलिखित महत्वपूर्ण समस्याओं को शीघ्र हल करने हेतु अतिशीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही करें:

1. बरेली इज्जतनगर स्थित पूर्वोत्तर रेल कारखाने जो अब कम कार्य होने के कारण बंद हो रहा है, उपर्युक्त नए कारखाने की स्थापना, इस हेतु उपयुक्त स्थान व साधन।
2. बरेली महानगर के मध्य पूर्वोत्तर रेल के हार्टमेन, इज्जतनगर व कटघर (शमशान भूमि) पर उपरिगामी सेतु निर्माण।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग 24 (बरेली के निकट) भिटौरा (फतेहगंज पश्चिमी), नागरिया सादात (मीरगंज) पर उपरिगामी सेतु निर्माण।
4. इज्जतनगर कारखाना से बरेली जंक्शन तक आमान परिवर्तन का कार्य
5. बरेली पीलीभीत खीरी मार्ग का आमान परिवर्तन
6. बरेली नगर के मध्य सिटी बुकिंग एजेंसी की स्थापना
7. बरेली जंक्शन पर महिलाओं, विकलांग व वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त खिड़कियों की स्थापना।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मंजुनाथ कुन्नुर-उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी, आपसे अनुरोध है कि आप वापस अपने स्थान पर जाएं और वहां से बोलें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, मुझे इसी स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपको इसी स्थान से बोलने की अनुमति दी जाती है।

(तीन) मध्य प्रदेश और राजस्थान में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए केन्द्रीय राजसहायता जारी किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, देश में विद्युत उत्पादन की तुलना में खपत काफी अधिक है और प्राय: प्रत्येक राज्य इस संकट से ग्रस्त है और इस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील भी है। केन्द्र सरकार ऐसी विभिन्न ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं को सहायता भी उपलब्ध करा रही है। साथ ही गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन की भी आवश्यकता है, जिसमें पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसे कई स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पवन ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है तथा जो विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए अपना न्यूनतम योगदान तो दे ही सकती है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा की भी काफी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहां पर सौर ऊर्जा की प्रबल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में कार्य भी हुआ है। विभिन्न प्रादेशिक सरकारों ने उर्जा उत्पादन की दृष्टि से जहां अपारम्परिक स्रोतों के दोहन की व्यवस्था की है, वहीं सौर ऊर्जा के बारे में भी कार्य आरम्भ किया गया है। जिसमें केन्द्र की ओर से सहायता भी दी जा रही है।

किंतु स्थिति यह है कि सौर ऊर्जा की दृष्टि से जो योजनाएं अथवा छोटे प्रकल्प मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा तैयार कर केन्द्र को भेजे गए हैं, उन पर केन्द्र की ओर से जो अनुदान (सब्सिडी) दिया जाना था, उनका यथाशीघ्र निस्तारण नहीं हो रहा है, अथवा अत्यधिक विलंब हो रहा है, इसलिए जिन योजनाओं के प्रति जो ग्रामीण क्षेत्रों अथवा छोटे-छोटे ग्रामों के लिए लाभप्रद हैं, उनको विद्युत आपूर्ति में बाधा आ रही है। उन राज्यों को जिनमें प्रमुखत: मध्य प्रदेश और उसके साथ लगा राज्य राजस्थान है, को केन्द्र परियोजनाओं के लिए अपनी ओर से दिये जाने वाले अनुदान को अथवा सहायता का शीघ्र निपटान करें ताकि इन योजनाओं की क्रियान्विति होकर ग्रामीण क्षेत्रों और उनके साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी विद्युत से लाभान्वित किया जा सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी. करुणाकरन-उपस्थित नहीं।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन-उपस्थित नहीं।

(चार) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उत्तर प्रदेश में जनपद कौशाम्बी में शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं जनपद का स्वरूप अच्छा बनाने के लिए दो केन्द्रीय विद्यालयों का खुलना आवश्यक है। जैसाकि केन्द्रीय सरकार एवं मानव संसाधन विकास मंत्री का वक्तव्य है कि

पूरे देश में 900 केन्द्रीय विद्यालय हैं। अगली पंचवर्षीय योजना में देश के कोने कोने में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। कौशाम्बी नव सृजित जनपद होने के कारण यहां अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ने के लिए तहसील सिराथू एवं मंझनपुर में दो केन्द्रीय विद्यालय खुलना आवश्यक है। कौशाम्बी धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी प्रभावित एवं गौरवमयी जनपद है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसी वर्ष केन्द्रीय विद्यालय सिराथू एवं जनपद मुख्यालय मंझनपुर में तत्काल खोला जाए ताकि बच्चों का भविष्य बन सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: एडवोकेट तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील- उपस्थित नहीं।

(पांच) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 और राष्ट्रीय राजमार्ग-5क की चन्डीखोल क्रासिंग पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री मोहन जेना (जाजपुर): चंडीखोल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 5-ए पर स्थित चौराहा अत्यधिक दुर्घटना प्रवण स्थान बना हुआ है। चंडीखोल चौराहे पर अनेक घातक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक लोगों और पशुओं की बहुमूल्य जानें गयी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी इस चौराहे पर नियमित अंतराल पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोक नहीं पाया है। इस सड़क पर अतिक्रमण भी हुआ है। आसपास रहने वाले लोग नियमित अंतराल पर इन घातक दुर्घटनाओं के न रुकने के कारण आंदोलन कर रहे हैं। अतः, मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से चंडीखोल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 और 5-ए पर वर्तमान दोषपूर्ण परिवहन व्यवस्था के स्थान पर यातायात के सर्कुलर मूवमेंट के लिए एक गोलाकार पथ (राउंडएबाउट) बनवाने और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए शीघ्र आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(छह) तमिलनाडु में तुतीकोरिन और तिरूनेलवेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-7 को शीघ्र चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. अप्पादुरई (तेनकासी): तमिलनाडु के विशालतम पत्तन शहर तूतीकोरिन को तिरूनेलवेली जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर, जिसका चार लेन वाली सड़क के रूप में उन्नयन किया गया था, पर अभी तक विस्तार कार्य तेजी से चल रहा था। लेकिन एक वर्ष के लिए कार्य की रफ्तार धीमी हो गई और यह कार्य लगभग ठहर-सा गया। इसके कारण अनेक स्थानों पर यातायात जाम हो गया। परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। यात्री बसों और बंदरगाह पर सामान ले जाने वाले भारी वजन वाले ट्रकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सड़क विस्तार के कार्य में प्रगति न होने के कारण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस विलंब से इसकी लागत में भी वृद्धि हो सकती है। अतः, मैं, केन्द्र सरकार से शीघ्र उचित उपाय कर तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 को चार लेन वाला बनाने की परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने का आग्रह करता हूं।

(सात) असम में ब्रह्मपुत्र नदी से हुए नुकसान को न्यूनतम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान ब्रह्मपुत्र नदी को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय योजना की शीघ्र आवश्यकता के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय यह नदी 15 किलोमीटर की चौड़ाई में अनेक धाराओं में बहती है जिसके कारण व्यापक पैमाने पर बर्बादी और उर्वरक भूमि की क्षति होती है। अब तक, 50,000 से अधिक परिवार अपने स्थायी आवास खो चुके हैं जो सड़कों और किनारों पर अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। उत्तरी किनारे पर जोनाई, सीस, तेकेलीफुता, मटमोरा, माजुली और दक्षिणी किनारे पर धौला, हाटीगुली रोमोरिया, अतागुड़ी से आरंभ होने वाले सर्वाधिक प्रभावित संवेदनशील क्षरण बिंदुओं को देखते हुए ऊपरी असम में स्थायी किनारा बनाकर सुदृढ़ीकरण उपाय और खुदाई के जरिए समूची ब्रह्मपुत्र को सदिया से डुबरी तक उसकी मूल धारा में सीमित करने की आवश्यकता है। अन्यथा असम की 30 प्रतिशत से अधिक आवास योग्य और कृषि योग्य भूमि इस नदी में समा जाएगी जिसके परिणामस्वरूप अपूरणीय क्षति और गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। इस संबंध में, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तैयार की गई प्रायोजिक परियोजना ''ब्रह्मपुत्र का स्थिरीकरण'' पर शीघ्र विचार करने की आवश्यकता है जिसको बोगीबील पुल निर्माण स्थल से आरंभ होने वाली धारा की चौड़ाई सीमित करने के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है। यहां चार किलोमीटर चौड़ी धारा का अनुरक्षण रेलवे द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार, सरकार को सुनामी प्रभावित इलाकों की तर्ज पर इन प्रभावित परिवारों के लिए एक केन्द्रीय पुनर्वास योजना तैयार करनी चाहिए। दूसरी तरफ, दशकों से उनकी जमीन नदी तल में होने के बावजूद उन्हें सरकार को भू-राजस्व देना पड़ता है।

इसलिए, स्थायी समाधान के लिए, जल संसाधन, पोत परिवहन, उत्तरपूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालयों और योजना आयोग की सहभागिता से ब्रह्मपुत्र को नियंत्रित करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है।

अपराह्न 2.15 बजे

(एक) संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान को गोरखा हिल काउंसिल, दार्जिलिंग, बंगाल राज्य में लागू होने के लिए इसमें और संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान को गोरखा हिल काउंसिल, दार्जिलिंग, बंगाल राज्य में लागू होने के लिए इसमें और संशोधन का प्रस्ताव करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.16 बजे

(दो) संविधान (एक सौ सातवां संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुच्छेद 244 और 332 का संशोधन)

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

अपराह्न 2.17 बजे

भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं आरंभ में ही अत्यंत संतुष्टि व्यक्त करता हूं कि 13 वर्ष के पश्चात् अंतत: राज्य सभा में हम इस विधेयक को पारित कराने में सफल रहे। ऐसे युग में, जब भारत में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है, औद्योगिक और निर्माण में रिकार्ड प्रगति हो रही है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है, यह एक क्रांतिक विधान है।

इस विधेयक का आशय भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 में संशोधन करने का है जिसने शुरू के वर्षों में अपने उद्देश्य को भलीभांति पूरा किया था लेकिन प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में विस्तार, बायलर निर्माताओं और बायलर पुर्जे निर्माताओं के लिए नई प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण, इस विधेयक को अधिक प्रभावी बनाने, अधिक सक्षम, व्यावहारिक और प्रयोगकर्त्ता के लिए सुविधापूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने आवश्यक समझे गए।

इसलिए, सभी दावेदारों के व्यापक विचार-विमर्श और बातचीत के बाद, संसद की स्थायी समिति में प्रस्तावित संशोधनों की गहन जांच और प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य सरकारों से बातचीत के बाद ही, हमने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है।

मैं अत्यंत संक्षेप में इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद होने वाली चर्चा अत्यंत लाभदायक होगी। इस विधेयक के 4-5 मुख्य संशोधन मूलत: बायलर की परिभाषा में परिवर्तन से संबंधित हैं।

मुख्य अधिनियम की धारा 2ख में वर्णित बायलर की परिभाषा में संशोधन अपेक्षित है जिससे यह आईएसओ बायलर संहिता के अनुरूप हो जाए ताकि जिसे 'बेबी बायलर' कहा जाता है, मूलत:

22.75 लीटर से कम किसी निश्चित क्षमता वाले बायलर, और अब 25 लीटर से कम क्षमता वाले बायलर भी निरीक्षण की परिधि में आ सकें और विस्फोट होने की संभावना और बायलर के मालिकों की जान, अंग व संपत्ति के खतरे की संभावना टाली जा सके।

इसलिए, अब हमने प्रस्ताव किया है कि क्षमता फीट-चेक वाल्व से मुख्य भाप लघु वाल्व तक मापी जाएगी ताकि बायलर मालिकों द्वारा बायलर के कुछ पुर्जे विशेष हटाकर इसे निरीक्षण की परिधि से बाहर रखने की शरारत की संभावना को पूर्णत: समाप्त किया जा सके।

दूसरा मुख्य परिवर्तन जो हम लाना चाहते हैं वह दुर्घटनाओं की परिभाषा के बारे में जैसा कि मूल विधेयक में दिया गया है। अब हमने यह प्रस्ताव किया है कि ऐसी त्रुटियां जो ऐसी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं जिसमें मृत्यु और संपत्ति की बर्बादी होती है और अंगों को क्षति होती है, उन त्रुटियों को, नगण्य कमियों यथा जंग लगना अथवा जिसे वे तकनीकी भाषा में 'पिनहोल्स' कहते हैं, जो मशीनों के प्रयोग के कारण होने वाली सामान्य घिसावट है, के समान ही दुर्घटना माना जाएगा।

इस प्रकार, हमने इसका युक्तिकरण किया है, हमने इसे अधिक व्यावहारिक बनाया है; हमने इसे अधिक हितकारी बनाया है ताकि सामान्य घिसावट की हरेक कार्यवाई को दुर्घटना की परिभाषा में शामिल न किया जा सके। हम जो संशोधन कर रहे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, उसका मूलभाव यह है कि हम तृतीय पक्ष निरीक्षण शुरू करना चाहते हैं।

महोदय, अनुभव से आपको ज्ञात होगा कि राज्य निरीक्षण निदेशालय अकेले उस आवश्यक निरीक्षण कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं थे जो बायलरों के बढ़ते प्रयोग के कारण आवश्यक था। यह भी महसूस किया गया था कि पांचवीं पीढ़ी के बायलरों के निरीक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी उत्कृष्टता ही उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, हमने तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण की संभावना शामिल की है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार के निरीक्षकों के अलावा, ऐसे संगठन और व्यक्ति जो बायलरों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने के लिए तकनीकी अनुभव, कुशलता और इंजीनियरी सक्षमता में योग्य हैं, निरीक्षण कर सकें।

आपको यह भी ज्ञात होगा कि राज्य सरकार के निरीक्षण से विलंब और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है; और अनुचित प्रमाणीकरण आदि की भी शिकायतें थी। नए संगठनों को शामिल करके और निजी क्षेत्र के अन्य अभिकरणों को आगे लाकर तथा यह अत्यंत क्रांतिक कार्य निष्पादित कराकर इन सभी का समाधान करने का प्रयत्न किया गया है।

अन्य मुख्य परिवर्तन जो हम लाए हैं-जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इसकी तरफ आपका ध्यान विशिष्ट रूप से आकर्षित करना चाहूंगा-वह यह है कि हमने केन्द्रीय बायलर बोर्ड के गठन का विस्तार किया है। पहले इसमें केवल 15 सदस्य थे; अब हमने यह आवश्यक कर दिया है कि केन्द्रीय बायलर बोर्ड में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व हो। इससे हमने केवल यही सुनिश्चित नहीं किया है कि राज्य सरकारों की उनके प्रतिनिधियों के जरिए अहम भूमिका हो बल्कि बोर्ड के कार्यों का विस्तार भी उस सीमा तक किया है जहां प्रत्येक मुख्य निर्णय, बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, और कोई भी मुख्य निर्माण तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक राज्य सरकारों के प्रतिनिधि उन निर्णयों से सहमत न हों।

इस प्रकार, यह संदेह कि राज्य सरकारों की भूमिका कम कर दी गई है, पूर्णत: अस्वीकार्य है; हमने न केवल राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण को बनाए रखा है बल्कि उनके प्रतिनिधियों के जरिए, हमने पहली बार राज्य सरकारों को उनकी बात कहने का अवसर दिया है।

महोदय, एक और संदेह जो बार-बार व्यक्त किया गया है, वह यह है कि तकनीकी सलाहकार जो इस संशोधन के जरिये बनाया गया है, अपने आप में कानून न बन जाए अर्थात तकनीकी सलाहकार को इतनी शक्तियां न दी जाएं कि एक अकेला व्यक्ति उन्हें मनमाने ढंग से प्रयोग करे।

महोदय, मैं इस गलत अवधारणा को दूर करना चाहूंगा। संसद की स्थायी समिति की अनुशंसाओं के उत्तर में, हमने 1994 के संशोधन विधेयक की धारा 4(ग) को उसका लोप कर दिया है और उसके स्थान पर हमने कहा है कि तकनीकी सलाहकार केवल वही कार्य करेगा जो उसे पूर्ण बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किये जाएंगे और वह किसी भी समय जो कुछ करेगा वह पूर्ण बोर्ड की पर्यवेक्षण के तहत होना, इसका अर्थ है कि हमने निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बना दिया है तथा हमने तकनीकी सलाहकार अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा मनमाना निर्णय लेने की सभी सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया है।

महोदय अंतिम बात जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं वह यह है कि हमने निरीक्षणों के समय की अवधि में ढील दी है। 1923 के मूल अधिनियम में यह उपबंध था कि एक विशेष क्षमता के बायलर को बारह महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण अवश्य

[श्री अश्विनी कुमार]

किया जाएगा। प्रौद्योगिकी में उन्नयन के साथ-साथ नये बायलरों का उत्पादन किया जा रहा है। भारत में ही 800 मेगावाट क्षमता के बायलरों का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि हर बारह महीने बाद बायलर का निरीक्षण करना अब अनिवार्य नहीं हैं। जैसाकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं कि हर बार जब भी हम बायलर का निरीक्षण करते हैं, तो हमें फैक्ट्री को बंद करना पड़ता है। इससे उत्पादन की काफी क्षति होती है, बायलर मालिक तथा पूरे वाणिज्यिक औद्योगिक प्रतिष्ठान का भारी व्यय होता है। इसलिए बायलर की उन्नत तकनीक को ध्यान में रखते हुए हमने कहा है कि इस अन्तराल के पश्चात जब आवश्यक समझा जाएगा निरीक्षण किया जाएगा। हमने केवल इसे युक्ति संगत बनाया है। हमने निरीक्षण समाप्त नहीं किए हैं। हमने केवल निरीक्षण समयावधि में ढील दी है।

हमने अब न केवल पहली बार प्रयोग में लाए जा रहे बायलरों के निरीक्षण, बल्कि विनिर्माण तथा संरचना के चरण में भी निरीक्षण आरम्भ किया है ताकि विनिर्माण दोषों अथवा बायलर संरचना के समय किसी भी प्रकार के दोषों को दूर किया जा सके। इसका अर्थ यह है कि हमने न केवल प्रयोग के चरण में बल्कि बायलर के विनिर्माण तथा संरचना के चरण में भी सुरक्षा नियमों को लागू किया है, जिससे कि दुर्घटनाओं में विस्फोटों की संभावना को कम करना सुनिश्चित किया जा सके। महोदय, हमने ये व्यापक संशोधन लागू किये हैं।

निष्कर्ष में मैं यह कहना चाहता हूं कि 35 वर्षों का समय लगाकर हमने इस विधान में संशोधन करने के बाद इसे इस सम्मानित सभा में प्रस्तुत किया है। संशोधित करने के लिए 1972 में पहली तकनीकी समिति को मनोनीत किया गया था तथा 1994 में पहली बार संशोधन विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। अत:, 13 हम वर्ष बीत चुके हैं। राज्य सभा से परसों ही इस विधेयक की स्वीकृति प्राप्त कर पाए हैं। अब यह विधेयक इस सभा के समक्ष है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर उद्देश्यपूर्ण बहस हो। मैं आशा करता हूं कि इस बहस के पश्चात मैं इस सम्मानित सभा को यह विधेयक पारित कराने के लिए मना पाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, इंडियन बायलर अमेंडमेंट बिल 2007, ओरिजनली 1923 का विधेयक था। इसमें सुधार लाने के बारे में सोचा गया और 1972 में हाई पावर्ड कमेटी बनायी गई। उसकी रिपोर्ट 1974 में आई। उसके बाद यह बिल इंट्रोड्यूस करने में 30 साल लग गए। जहां सुधार लाना था, उसे इंट्रोड्यूस करने में 30 साल बीत गए। इसके बाद पार्लियामेंटरी कमेटी, विभिन्न राज्य सरकारों से 1974 से 1984 के बीच में व्यूज लिये गये और 1994 में यह बिल इंट्रोड्यूज हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से दो-चार क्लेरिफिकेशन्स चाहता हूं, वे चाहें तो वहां प्रचार कर सकते हैं। जब राज्य सरकार से व्यू लिया गया, मुझे लगता है कि 1974 से 1984 के बीच में 14-15 साल बीत गए। दुनिया भर में बॉयलर में इतने चेंजिस आ गए हैं, इतने बड़ी टैक्नोसिटी के बॉयलर आ गए और आज 1000 मेगावाट के भी बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लग रहे हैं। विदेशों में बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है, नए बॉयलर आ गए हैं और इस बीच में हमारी बहुत सी सरकारें भी बदल गई हैं। मुझे लगता है कि जितना समय बीत गया है, आप दो-चार महीने और ले लीजिए, सारी राज्य सरकारों से व्यूज ले लीजिए, सिर्फ दो-चार महीने की बात है। इसमें जो दो-तीन प्रावधान किये हैं और इस पर बहुत चर्चा हो रही है। इसमें आपने थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन का प्रावधान रखा है, यह अच्छा है लेकिन इसे प्राइवेट एजेंसी को देने वाले हैं इस पर डाउट क्रिएट हो रहा है। क्यों न इसे हमारी संस्था, जो इसकी मांग करे, जो थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन कर सके, उसको दें, आप इस संबंध में सोच कर उत्तर दीजिए। जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, राज्य सरकार को यह पावर होनी चाहिए क्योंकि यह विषय कन्करंट लिस्ट में है, आप पावर सेंट्रलाइज करें, इस विषय में आप क्या चाहते हैं, ये भी क्लियर कीजिए। इस बिल में भारतीय शब्द निकाला गया है लेकिन हम फॉरेन से डील करेंगे तो क्या ये सारी बातें एक्ट के लिए जरूरी हैं? इसे भी क्लियर कीजिए।

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र): महोदय, क्या मैं अपने स्थान से बोल सकता हूं?

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): इन्हें आज के लिए अलाऊ कर दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): इनको प्रमोट किया जाए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: शाहनवाज जी, आप तो हमारे साथ आ गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए आगे आकर बैठ गए हैं।

श्री नवीन जिन्दल: आपने मुझे इंडियन बॉयलर (अमेंडमेंट) बिल, 2007, जो अश्विनी कुमार जी ने पेश किया है, उस पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इसके साथ ही मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं अश्विनी कुमार जी को बहुत मुबारकबाद भी देता हूं कि दस साल से ज्यादा यह बिल राज्य सभा में पेंडिंग था और इसके पास होने से देश को दस हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा होगा। वह इसलिए होगा, क्योंकि आज जितनी भी इंडस्ट्रीज बॉयलर चलाती हैं, लेकिन जो कम्पिटैन्ट अथॉरिटी आज की तारीख में होते हैं, वे सिर्फ बॉयलर इंस्पैक्टर्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमैन्ट से होते हैं। हम जो अपने देश में इंस्पैक्टर राज की बात करते हैं, सही मायनों में इंस्पैक्टर राज अगर कहीं हैं तो वह बॉयलर इंस्पैक्टर्स में था। जब किसी के हाथों में पूरे तरीके से पावर का केन्द्रीकरण होता है तो उसमें भ्रष्टाचार भी होता है और डिले भी होता है जिसके कारण बहुत नुकसान होता था। हमारा पहले का बॉयलर बिल 1923 का बना हुआ था, जिसे 75 साल से ज्यादा हो गये हैं। इन सालों में बहुत से टैक्नोलोजिकल इम्प्रूवमैन्ट्स हुए हैं। आज से 75 साल पहले वैल्डिंग नहीं होती थी, स्टील के अंदर रिवटिंग की जाती थी और अब टैक्नोलोजी बहुत इम्प्रूव हो गई है। पहले रूल्स थे कि हर साल के बाद बॉयलर को रोका जायेगा, फिर उसकी दोबारा चैकिंग की जायेगी। लेकिन आजकल विदेशों में जो मॉडर्न बॉयलर्स हैं, उनमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि हमारे यहां अननैसेसेरिली बॉयलर्स को रोका जाता था और उन्हें रोककर इंस्पैक्शन की जाती थी। इंस्पैक्शन के बाद इन्हें तब तक चालू नहीं किया जा सकता था, जब तक बॉयलर इंस्पैक्टर्स आकर चैक नहीं करते और बॉयलर इंस्पैक्टर्स की कमी के कारण बहुत परेशानी होती थी। बॉयलर इंस्पैक्टर्स की पूरे देश में इतनी कमी थी कि जब उन्हें आना चाहिए, कई बार वे हफ्ते-दस दिन के बाद आते थे और उनके बिना इन्हें चालू नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इसके बाद सैन्ट्रल बॉयलर बोर्ड को यह पावर दी जायेगी। जैसाकि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन भी अलाऊ किया जायेगा। इसके अलावा जो सैंट्रल बॉयलर बोर्ड है, उसमें तीस मैम्बर्स होते थे, उसमें हर स्टेट से एक-एक चीफ बॉयलर इंस्पैक्टर होगा और 30 मैंबर बाहर से आयेंगे, जिसके कारण इसमें बहुत से चेंजिज ला पायेंगे ताकि थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन जैसे बाकी देशों में अलाऊ होता है, वह थर्ड पार्टी इंस्पैक्शन हो सके। यह इंस्पैक्शन मैन्युफैक्चरिंग के समय और आपरेशन के समय होगा जिससे बैटर क्वालिटी के बॉयलर बन सके, जिनका ऑपरेशन भी सेफ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बिजली की बहुत कमी है। इसलिए हमारे यहां बहुत आवश्यक है कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ाये और बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह लाजिमी है कि बॉयलर्स भी बढ़ेंगे, पावर जनरेशन इक्युपमैन्ट्स भी बढ़ेंगे और उसके अंदर कम्पीटैन्ट अथोरिटीज कई होंगी तो बाहर से भी नई टैक्नोलोजी आयेगी कि अच्छे बॉयलर्स कैसे बन सकें। इसके अतिरिक्त इसमें बॉयलर्स इंस्पैक्टर्स का जो एकाधिकार था, जब बॉयलर बोर्ड का पुनर्गठन होगा, उसके अंदर नई-नई चीजें, जो मॉडर्न कांसैप्ट्स हैं, जो नई तकनीकें बॉयलर इंस्पैक्शन के लिए आई हैं, उन्हें इण्ट्रोड्यूस किया जायेगा, जिससे कि इसमें कोई विलम्ब न हो और हमारे देश में विलम्ब के कारण हर साल जो कम से कम दस हजार करोड़ यूनिट्स का नुकसान होता था, वह खत्म होगा और ज्यादा बॉयलर्स बन सकेंगे और अच्छी क्वालिटी के बॉयलर्स बन सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जिन्होंने इस बिल जो रुकवा रखा था, इसमें उन लोगों का एक बड़ा फायदा था। वे चाहते नहीं थे कि यह बॉयलर बिल पास हो। लेकिन मैं सरकार को और माननीय मंत्री, श्री अश्विनी कुमार को मुबारकबाद दूंगा कि वह हिम्मत करके यह बिल लाये। इससे देश का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 2.39 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य-*जारी*

(सात) हिन्दू राइट्स एक्शन फोर्स (एचआईएन डीआरएएफ) द्वारा 25 नवम्बर, 2007 को क्वालालम्पुर में आयोजित रैली में भाग लेने वालों को कथित रूप से परेशान किए जाने तथा तदन्तर संबंधित मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इससे पहले की मैं अगले सदस्य का नाम पुकारूं, सभा के नेता श्री प्रणब मुखर्जी मलेशिया के मुद्दे पर एक वक्तव्य देंगे।

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, प्रातःकालीन सत्र के दौरान 25 नवम्बर, 2007 को कुआलालम्पुर में हिन्दू राइट्स एक्शन फोर्स (हिन्दराफ) द्वारा आयोजित रैली में भाग लेने वालों के कथित उत्पीड़न एवं इससे संबंधित परवर्ती मामलों के संबंध

[श्री प्रणब मुखर्जी]

में कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इस रैली का उद्देश्य अनुबंधित श्रमिकों के रूप में मलेशिया लाए गए भारतीयों के शोषण के लिए यूनाइटेड किंगडम में दायर एक क्लास एक्शन मुकदमे के लिए महारानी एलिजाबेथ-II का समर्थन प्राप्त करने हेतु कुआलालम्पुर स्थित ब्रिटिश उच्चायोग को एक याचिका सौंपना था।

सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के कल्याण के लिए काफी चिंतित रहती है। जैसाकि सदस्यों को मालूम है मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों का एक विशाल समुदाय है जो उस देश के नागरिक हैं। मलेशिया के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस मामले पर हम मलेशियाई प्राधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, मलेशियाई मंत्री द्वारा हमारे नेता डा. करुणानिधि के विरुद्ध अपमानजनक तथा अनावश्यक टिप्पणी से तमिल समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, इसकी निंदा की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैं कह रहा हूं कि कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए, तो आपको बैठ जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: हम सभी जानते हैं कि डा. करुणानिधि हमारे महान तथा सम्मानित राष्ट्रीय नेता हैं और इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में न केवल "रैली" बल्कि "संबंधित मामलों" भी कहा है। वक्तव्य के अंतिम भाग में मैंने कहा है कि मैं मलेशियाई सरकार से सम्पर्क बनाए हूं और मैं इस विषय को उठाऊंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): लेकिन मलेशियन गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने एक चीफ मिनिस्टर को क्या-क्या कह दिया, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: वक्तव्य पर टिप्पणी करने का यह मंच नहीं है।

[हिन्दी]

आप नोटिस दे दीजिए उसके बाद जो फैसला होगा, वह करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.42 बजे

भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007—*जारी*

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, मैं समझती हूं कि भारतीय बॉयलर विधेयक में प्रस्तावित संशोधन वर्तमान अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। यदि ये परिवर्तन उपयुक्त हों, तो उद्योग के हित में तथा बेहतर संरक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें इन परिवर्तनों का स्वागत करना चाहिए।

इस संबंध में, इस विधेयक में उद्योग के विभिन्न हिस्सों में बनाए जा रहे तथा लगाए गए बॉयलरों की जांच प्रणाली में कुछ संरचनात्मक बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्यों और केन्द्र की भूमिका के बारे में भी उल्लेख है। इस संशोधन का एक नया भाग यह है कि इसमें तीसरे पक्ष द्वारा और सक्षम व्यक्ति द्वारा जांच का प्रावधान है। मेरे विचार में इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसके अंतर्गत कामगारों तथा औद्योगिक संस्थापना की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। संक्षेप में, इस विधेयक में निजी जांच का प्रावधान है, जिसे मैं आपत्तिजनक भाग समझती हूं।

महोदय, इस विधेयक में एक केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा एक तकनीकी सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि राज्य बॉयलर निरीक्षक के अधिकार तथा उसका प्राधिकार का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण केन्द्रीय बायलर बोर्ड को हो जाएगा।

राज्य स्तर पर जांच कराकर संरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार इस समय राज्य सरकारों के पास है जो स्पष्ट रूप से अब नवगठित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को स्थानांतरित हो जाएगा। यह इस प्रकार का विचार है जिससे मैं सहमत नहीं हूं।

संरक्षा के दृष्टिकोण से योजना स्तर पर राज्य द्वारा कराई जा रही जांच काफी प्रभावी रही है और संरक्षा के लिए बेहतर गारंटी है। राज्य से अधिकार लेकर केन्द्र को सौंपने से कामगारों और कारखानों की प्रभावी जांच और संरक्षा के मामले में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगी। ये कुछ सामान्य आपत्तियां हैं जिन्हें में प्रस्तावित इस संशोधन विधेयक के बारे में उठाना चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब 10वीं लोक सभा में स्टैंडिंग कमेटीज का गठन किया गया था, मैं उस समय उद्योग विभाग से संबंधित स्थायी समिति का सदस्य था। सभी पक्षों की राय लेने के बाद दो साल में यह विधेयक तैयार किया गया। जिस विधेयक को तुरंत पास किये जाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे पास करने में संसद को इतना ज्यादा समय लग गया, यह दुखद बात है।

उपाध्यक्ष जी, मैं 1977 में उत्तर प्रदेश में उद्योग मंत्री था। उस जमाने में, इतने बड़े राज्य में, जिसका हिस्सा उत्तराखंड भी हुआ करता था, केवल एक इंस्पैक्टर होता था। बॉयलर फटने की बहुत सी घटनायें होती थी। उस इस्पैक्टर के पास मजदूरों की कई शिकायतें आती थीं लेकिन उद्योगपतियों द्वारा कुछ रकम दिये जाने पर 2-3 महीनों तक उस फैक्टरी की इंस्पैक्शन नहीं होती थी और वह बंद रहती थी। मैं अपने निजी अनुभव की बात कहना चाहता हूं कि जब किसी कारखाने में बॉयलर फटता तो कहीं 10-12, कहीं 3-4 लोग मर जाते। यहां तक कि हमारे लोक सभा क्षेत्र मे कागज बनाने का एक छोटा कारखाना है। उसका बहुत छोटा सा यूनिट है। किन्हीं परिस्थितियों में उसका बॉयलर फट गया और दो मजदूर मौके पर ही मर गये। उस कारखाने के मालिक का सुयोग्य इंजीनियर लड़का भी मौके पर मर गया और 7 लोग बुरी तरह जख्मी हुये। यह कितनी गम्भीर समस्या थी जिसका समाधान ढूंढ़ने के लिए सरकार की तरफ से काफी प्रयास चल रहा था। जैसा मंत्री जी ने कहा है, यह अपने आप में स्वयंसिद्ध है कि इसके पीछे निहित स्वार्थ बहुत तेजी से काम कर रहा था। जो इंस्पैक्टर बॉयलर के लिए हुआ करता था, मुश्किल से जूनियर इंजीनियर के पद का होता था। किसी पौलिटैक्नीक से मैकेनिकल इंजीयिनर का डिप्लोमा ले लिया और उद्योग मंत्री ने उसकी नियुक्ति कर दी। इस प्रकार इतने बड़े प्रदेश का कार्यभार एक इंस्पैक्टर के जिम्मे हो गया और उसे किसी जिले की इंस्पैक्शन करने की फुरसत ही नहीं थी। जिले के लोग आते थे, कहते थे कि उनका बॉयलर गड़बड़ रहता है, उसे देख लें। वह इंस्पैक्शन करके घर चला गया और वही बॉयलर महीने के बाद फट पड़ता था और काफी लोग मर जाते थे। यह एक मानवीय पक्ष था जिसे सरकार ने सुना और समझा है। इसलिए सरकार ने इस विधेयक को लाने में तेजी दिखाई। मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष जी, हमारे दो साथियों ने इस पर शंकायें प्रकट की हैं। एक शंका यह प्रकट की है कि तीसरी पार्टी के इंस्पैक्शन करने के पक्ष में नहीं है क्योंकि आजकल जो सरकारी अमले का दोष है, उससे पूरा समाज परिचित है, अगर उस दोष को मिटाने में तीसरी पार्टी का इंस्पैक्शन होता है। इस पर आपत्ति प्रकट की गई है। एक सैंट्रल बोर्ड बन गया। यह कोई नया बोर्ड नहीं बन रहा है, इसका दायरा बढ़ रहा है। उस बोर्ड का विस्तार कर दिया गया है जिसमें 30 सदस्य होंगे। लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों का इसमें समावेश हो जायेगा। इस सवाल पर हमारी एक बहिन और हमारे एक भाई ने दोनों तरह से आपत्ति प्रकट की है।

उपाध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए कहूंगा कि यह कोई गम्भीर बात नहीं है, एक मानवीय पक्ष है, इसलिए हमारे साथियों को मतभेद भुलाकर इस विधेयक का समर्थन करना चाहिए।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने भारतीय बॉयलर विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया है, मैं इसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने सदन के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किये हैं, उससे स्पष्ट होता है कि यह पुराना बिल 1923 में बना था। उससे स्पष्ट होता है कि यह पुराना बिल 1923 में बना था और फिर इसके लिए 1937 में एक केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन भी किया गया था। बीच बीच में इसमें सुधार और संशोधन की बातें आई। उच्च शक्ति प्राप्त समितियों को भी मामले सौंपे गये और उद्योग विभाग से संबंधित स्थायी समिति में भी इस मामले को समीक्षा के लिए भेजा गया। समिति ने अपनी अनुशंसाएं भेजीं, परंतु यह विधेयक आज तक इस सदन के माध्यम से पारित नहीं कराया गया। यह बड़ा ही खेदजनक विषय है। खेदजनक विषय इसलिए है कि यह प्रश्न लाखों लाख श्रमिकों के जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसाकि वरिष्ठ सदस्य माननीय मोहन सिंह जी ने बताया, इनके उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर की मृत्यु हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। सिर्फ उत्तर प्रदेश की यह घटना नहीं है, पूरे भारतवर्ष में आज जो प्रौद्योगिक विकास हो रहा है उसमें छोटे से छोटे और 500 मैगावाट तक बायलर कल-कारखानों में लग रहे है। इसका परिणाम क्या होता है कि एक सर्वे रिपोर्ट भी

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

सरकार के पास आई होगी। उसमें बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों से कम से कम 30 हजार श्रमिकों की मौत हुई है और 50 हजार से अधिक श्रमिक घायल हुए हैं। इसका उदाहरण भोपाल गैस कांड है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गये और हजारों लोग घायल हुए। आज इस बिल की नितांत आवश्यकता थी। आज ही नहीं, बल्कि पहले भी थी। 1923 में जो अधिनियम बना था, उसमें उस समय इतनी भारी मात्रा में और इतने भिन्न-भिन्न तरह के रसायनों का प्रयोग नहीं हो पाता था, लेकिन आज उनका प्रयोग हो रहा है। आये दिन शिकायतें मिलती हैं कि इनसे जो गैस रिसाव होता है, उससे लोगों की तबीयत खराब होती है, बुखार आने लगता है, शरीर में जलन होती है और धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत सारी गैस ऐसी हैं कि उसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता लेकिन आज या कल चलकर वह अपना प्रभाव दिखाती हैं जिससे श्रमिकों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। माननीय मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने पुराने बिल में संशोधन करके मुख्यत: दो-तीन बातें प्रस्तुत की हैं। वे स्वीकार करने योग्य हैं। माननीय मोहन सिंह जी ने ठीक कहा कि प्रदेशों में वास्तव में मैनपावर की कमी है। कहीं कहीं एक या कहीं कहीं दो बाइलर ऑफिसर या इंस्पैक्टर नियुक्त रहते हैं। उनके पूरे क्षेत्र में जहां कल-कारखाने हैं, उनमें निरीक्षण करने में भारी कठिनाई होती है। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी या थर्ड पार्टी की आवश्यकता है।

मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं क्योंकि इसके प्रावधान श्रमिकों के हित में हैं और राष्ट्र के हित में हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

मैं यहां इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे राज्य सभा ने पहले ही पारित कर दिया है।

इस विधेयक के संबंध में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर माननीय मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। आम धारणा यह है कि तथा सभा में भी ऐसी धारणा बन रही है कि यह 1923 से चला आ रहा बहुत पुराना अधिनियम है, और 1935 के इस अधिनियम में, इसकी कार्यप्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। 1994 में एक प्रयास किया गया था। एक विधेयक लाया गया था और उसे स्थायी समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने मार्च, 1995 में अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन संसदीय ग्रंथालय तथा अन्य स्रोतों से जो जानकारी मैंने एकत्र की है उसके अनुसार इस अधिनियम में 2003 तक संशोधन किये गये हैं। इसलिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। यह एक अनावश्यक अधिनियम है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें काफी परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन यह तंत्र स्वयं अठारहवीं शताब्दी का है। वास्म बायलर प्राचीन समय के हैं। प्रसिद्ध जेम्सवाट द्वारा जो वाष्प इंजन लाया गया था उसमें 1769 से 1775 के दौरान काफी सुधार हुआ। इसलिए, यह अठारहवीं शताब्दी का तंत्र है जो आधुनिक प्रौद्योगिकी से विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान विकसित हुआ है। अब, हम ऐसे स्तर पर पहुंच गए हैं जहां हम 500 मे.वा. का बायलर बना सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत से औद्योगिक घराने सामने आ रहे हैं जो बायलर बनाने तथा उनका निर्यात करने के लिए तैयार हैं। वे विश्वस्तरीय गुणवत्ता के हैं। मैं सोचता हूं कि इस कारण इस संशोधन का स्वागत किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत से संशोधन आवश्यक है।

अब मैं इस अधिनियम के तैयारी के पीछे के इतिहास के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। कलकत्ता में घटित एक घटना के साथ ही इसकी शुरुआत हुआ थी यह घटना 1863 में घटी थी। कलकत्ता में एक गंभीर दुर्घटना, बायलर में विस्फोट के कारण घटी थी जिसमें कई जानें चली गई थीं। उस विस्फोट के परिणामस्वरूप, बॉयलर के निरीक्षण की आवश्यकता व्यापक रूप से स्वीकार की गई और बंगाल प्रांतीय विधान सभा में एक विधेयक लाया गया। इसलिए बॉम्बे प्रेसीडेंसी तथा मद्रास प्रेसीडेंसी ने भी इस प्रौद्योगिकी के बारे में जानना चाहा था तथा बॉयलर का निर्माण करना चाहा और प्रांतीय अधिनियम बनाए गए। उन सबने बहुत कम समानता थी। इसलिए, बीसवीं शताब्दी के प्रथम भाग में एक समय आया जब विभिन्न प्रांतों में अपने-अपने प्रान्त में इस उद्योग को लगाने की होड़ लग गई क्योंकि इससे उन्हें राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, इससे उनके यहां रोजगार मिल रही थी। इसलिए, यही कारण था कि एक केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता हुई। 1923 में एक केन्द्रीय अधिनियमों में समानता लागू की गई। इसके पहले नियमों और विनियमों के 7 भिन्न-भिन्न रूप सात विभिन्न अधिनियमों के रूप में लागू थे।

बायलर कानून समिति, जिसकी नियुक्ति प्रथम बार 1920-21 में हुई थी, बायलर कानून को राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करने वाली पहली समिति थी। उसका निष्कर्ष गया था। उसका निष्कर्ष यह था। उन्होंने बताया कि बायलरों के निरीक्षण में 'व्यक्तिगत तत्व'

था। मैं इस बात को स्पष्ट करना जरूरी नहीं समझता कि उसका अर्थ क्या था। माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत तत्व का पता होगा। जैसाकि रिपोर्ट में कहा गया है, यह 1920-21 का वर्ष था। चूंकि इसमें एक व्यक्तिगत तत्व है, इसमें संशोधन होना चाहिए। आज भी, जब कुरुक्षेत्र से हमारे माननीय सदस्य श्री नवीन जिन्दल कहते हैं कि हम अभी भी निरीक्षक राज से लड़ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इस नये विधेयक में इस व्यक्तिगत तत्व का कुछ हद तक संशोधन करना पड़ेगा। इसकी जांच होनी चाहिए।

इस विषय पर स्थायी समिति भी काम कर चुकी है। प्रान्तीय ईर्ष्या है। जैसाकि पहले मैंने कहा था, प्रांतीय ईर्ष्या हुआ करती थी। यही कारण था कि एक केन्द्रीय अधिनियम की आवश्यकता थी।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन उसके साथ ही, शक्तियों का अत्यधिक केन्द्रीयकरण भी कानून को लागू करने में एक कमी है 1935 में बायलर का यह मुद्दा समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इस प्रकार केन्द्रीय बायलर बोर्ड 1935 में अस्तित्व में आया। मैं समझता हूं कि 31 दिसम्बर, 2003 तक संशोधन किया जा चुका है। मैं यह मानने के लिए पूरी तरह तैयार हूं कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और अब देश में 500 मेगावाट तक की क्षमता वाले बायलर अद्यतन अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, बनाये जा रहे हैं। वर्तमान अधिनियम के बहुत से प्रावधान पुराने हो चुके हैं। कुछ नये विधेयक के अनुसार हटा दिये गये हैं जो हमारे समक्ष चर्चा के लिए रखे गए हैं। 1972 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की गई थी जैसाकि मंत्री द्वारा बताया गया था। स्थायी समिति ने किस प्रकार अपनी रिपोर्ट दी थी इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। परन्तु सबसे दिलचस्प बात जो सभा जानना चाहेगी जैसाकि माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने कहा कि समिति ने मंत्रालय को कतिपय रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर देने के लिए कहा था। ऐसा नहीं हुआ। यह जब स्थायी समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़ा विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषम समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: अब मैं विधेयक पर बात करूंगा। वर्ष 1972 में दी गई प्रौद्योगिकी संबंधी सिफारिशों के पश्चात अनेक वर्ष बीत चुके हैं। स्थायी समिति ने इस पर 1994 और 1995 में कार्य किया था। इस बीच तथा समिति का प्रतिवेदन आने के बाद अनेक परिवर्तन हुए हैं। मेरे विचार से आगामी पांच वर्षों में और बदलाव होंगे। सुरक्षा संबंधी नियमों को अधिक सुनिश्चित करना होगा।

अब मैं खंड 3, जो दुर्घटना को परिभाषित करता है इस बारे में बोलूंगा। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया। मूल विधेयक की परिभाषा में थोड़ी खामी थी। परन्तु इस संशोधन के पश्चात्, सरकार द्वारा स्वीकार्य परिभाषा प्रशंसनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। अनेक वक्ता भाषण देने के इच्छुक हैं।

श्री भर्तृहरि महताब: इससे दोनों पहलुओं में सहायता मिलेगी। दुर्घटना के पश्चात प्रभावितों को सहायता देना अच्छी बात है। परन्तु दुर्घटना से पहले निरीक्षण तथा बायलर की स्थिति का भी मुद्दा है। परन्तु, एक अन्य बात भी मेरे विचार से आवश्यक है। दुर्घटना की स्थिति में बायलर के स्वामी पर मुकदमा चलाया जाता है। यदि बायलर की स्थिति खराब है तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है। परन्तु यदि निरीक्षण के बाद दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी मात्र बायलर मालिक की नहीं होनी चाहिए। निरीक्षक पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस बारे में विधेयक में कुछ भी उल्लेख नहीं है। मेरे विचार से इस बारे में मंत्री स्थिति स्पष्ट कर सकेंगे। वह व्यक्ति जो निरीक्षण कर रहा है तथा प्रमाण-पत्र दे रहा है, ऐसी स्थिति में एक निश्चित अवधि में दुर्घटना में मृत्यु होने पर उस निरीक्षक को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए। इसलिए इस संबंध में भी उपबंध आवश्यक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, मुझे दो-तीन और बातें कहनी है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। मैं अपराह्न 3.30 बजे से पहले इस विधेयक को पारित करना चाहता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब: कार्यमंत्रणा समिति में इस विधेयक हेतु दो घंटे आवंटित किये गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने दस मिनट से ज्यादा का समय लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब: इसीलिए मैं बैठ रहा हूं। परन्तु विधेयक पर अपराह्न सवा दो बजे चर्चा आरंभ करना तथा इसे साढ़े तीन बजे से पहले पारित करना अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके दल का समय भी पूरा हो गया है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं मानता हूं। अब मैं इस विधेयक पर नहीं बोलूंगा।

अपराह्न 3.06 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(आठ) विदेश मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-08) के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 22 पर आते हैं। श्री आनन्द शर्मा अब वक्तव्य देंगे।

***विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा):** महोदय, मैं विदेश मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों (2007-2008) पर विदेश मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी वक्तव्य की अंग्रेजी और हिन्दी प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं।

विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति ने वर्ष 2007-08 के लिए विदेश मंत्रालय के अनुदान मांगों की जांच की और 26 अप्रैल, 2007 को लोक सभा में अपनी पन्द्रहवीं रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट में अट्ठारह सिफारिशें की गई थीं जिन पर की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर समिति को 24 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत किया गया। अब मैं समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को सदन के पटल पर रख रहा हूं जैसाकि माननीय सभापति के निदेशों के तहत अपेक्षित है।

हमारी गतिशील विदेश नीति के अनुसरण में मंत्रालय के बढ़े हुए कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए मंत्रालय हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता की सिफारिश करने के लिए हम समिति के आभारी हैं। मंत्रालय ने संशोधित अनुमान 2007-08 में 5758.49 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है। 1324.89 करोड़ रुपये का प्रस्तावित वृद्धि बजट अनुमान 2007-08 का 29.88% है। वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 7295.95 करोड़ रुपये है जो कि 4433.60 करोड़ रुपये के बजट अनुमान 2007-08 से 64.56% अधिक है और 5758.49 करोड़ रुपये के प्रस्तावित संशोधित अनुमान 2007-08 से 26.70% अधिक है।

हम परिमाणन के लिए उत्तरदायी कार्यकलापों के परिणाम के मात्रात्मक मूल्यांकन को समुन्नत बनाने के मंत्रालय के पहलों की सराहना के लिए समिति को धन्यवाद देते हैं। मंत्रालय ने पड़ोसी देशों में 100 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय वाली बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव और कार्यकुशलता का आकलन करने एवं सूचकों के विकास के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदाता की सेवाएं लेकर निष्पादन बजट में रिपोर्ट को सबल बनाने का निर्णय लिया है। अपने कार्यकलापों में समन्वय एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए संसाधनों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की जा रही है।

समिति ने यह टिप्पणी की थी कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंधों को विभिन्न स्तरों पर विशेष रूप से अफ्रीका के आर्थिक विकास में सहभागी के रूप में उन्नत बनाने की आवश्यकता है। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि हाल के महीनों में (26 अप्रैल, 2007 से) अफ्रीका के साथ भारत के संबंध काफी प्रगाढ़ हुए हैं। प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 14-16 अक्तूबर, 2007 को नाइजीरिया की सरकारी यात्रा पर गए जिसे नाइजीरिया की सरकार ने एक 'ऐतिहासिक घटना' बताया है। इस यात्रा के दौरान भारत और नाइजीरिया एक सामरिक भागीदारी कायम करने पर सहमत हुए जिसमें द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अंतरराष्ट्रीय आयाम शामिल होंगे। अवसंरचना, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण तथा नाइजीरिया सरकार द्वारा पहचान किये गये अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत ने नाइजीरिया को 100 अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला की पेशकश की है।

इसके पूर्व विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जुलाई, 2007 में इथियोपिया की महत्वपूर्ण यात्रा पर गए। इस यात्रा के दौरान इथियोपिया के अवसंरचनात्मक विकास में भारत की भागीदारी बढ़ाने और क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दोनों देश आर्थिक और व्यापारिक संपर्क बढ़ाने पर सहमत हुए। उन्होंने दूरस्थ शिक्षा और दूरस्थ औषधि के क्षेत्र में एक पायलट परियोजना का भी उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य उपग्रह और फाइबर आप्टिक नेटवर्क के जरिए अफ्रीकी संघ के 53 राष्ट्रों को जोड़ना और भारत से दूरस्थ-शिक्षा और दूरस्थ-औषधि सेवाएं प्रदान करना है। मैं भी मई-जुलाई, 2007 के दौरान दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, अंगोला और उगांडा के द्विपक्षीय दौरे पर गया जहां हमने इन देशों के साथ तेल, खनन, उद्योग, कृषि, अवसंरचना एवं अन्य क्षेत्रों में अपने बहु-क्षेत्रीय कार्यों को बढ़ाने का निर्णय लिया; उगांडा को प्रथम खेप के रूप में 50 मिलियन अमरीकी डालर का एलओसी, भेल द्वारा एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए रवांडा को 20 मिलियन अमरीकी डालर और चीनी क्षेत्र के विकास के लिए

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 7552/2007।

इथियोपिया को प्रथम खेप के रूप में 122 मिलियन अमरीकी डालर इसी दौरान दिया गया। मंत्रिमंडल के हमारे अन्य कुछ सहयोगी जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा कृषि राज्य मंत्री कांतिलाल भूरिया जी ने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका, मारीशस, उगांडा और रवांडा की यात्राएं की जिसके परिणामस्वरूप इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संपर्क सुदृढ़ हुए हैं।

उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ भारत के सहयोग में भी काफी विस्तार हुआ है। भारत ने सूडान के तेल, विद्युत और परिवहन क्षेत्रों में 1.5 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश किया है और 100 मिलियन डालर का रियायती ऋण और पारस्परिक रूप से सहमत परियोजनाओं के लिए सूडान को 10 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान प्रदान किया है। भारतीय कंपनियों ने मोरक्को के फास्फेट क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों में बड़े निवेश किये हैं। विदेश मंत्री ने 26-28 मई, 2007 को लीबिया की यात्रा की और लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी और अन्य नेताओं से मुलाकात की; दोनों देशों ने निवेश, ऊर्जा और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग के स्तर को बढ़ाने का निर्णय लिया।

अफ्रीकी महाद्वीप से कोमोरोस के राष्ट्रपति महामहिम श्री अहमद अब्दुल्ला मोहम्मद साम्बी, नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति महामहिम डा. गुड लक जोनाथन और इथीयोपिया के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मेलेस जिनावी ने 5-7 नवम्बर, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। युगांडा के विदेशी मामलों के राज्य मंत्री श्री इस्साक मुसुम्बा ने 15-17 सितंबर, 2007 को 25-25 नवंबर, 2007 के दौरान कम्पाला में आयोजित होने वाले सीएचओजीएम (चोगम) में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की। यूगांडा के विदेश मामलों के राज्य मंत्री श्री इस्साक मुसुम्बा ने 15-17 सितम्बर, 2007 को 22-25 नवंबर, 2007 के दौरान कम्पाला में आयोजित होने वाले सीएचओजीएम (चोगम) में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति मुसावेनी की ओर से प्रधानमंत्री को निमंत्रण-पत्र स्वयं सौंपने के लिए यूगांडा के राष्ट्रपति के विशेष दूत के रूप में नई दिल्ली की यात्रा की।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फिक्की के साथ 6-7 नवंबर, 2007 के बीच भारत-अफ्रीका हाइड्रोकार्बन सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें 8 मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों, 26 अफ्रीकी देशों से 100 प्रतिनिधियों, प्रमुख तेल कंपनियों के सी.ई.ओ. और अन्यों ने भाग लिया। इस सम्मेलन से हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए पर्याप्त रुचि जागृत हुई और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु व्यापारिक बैठकों का आयोजन किया गया।

मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि हाल के महीनों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की गतिविधियों का भारत और विदेशों में दोनों ही जगह काफी विस्तार हुआ है। अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे बढ़ते हुए द्विपक्षीय संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए काबुल और काठमांडु में आई.सी.सी.आर. के दो नए केन्द्र खोले गये हैं; बीजिंग स्थित हमारे मिशन के सांस्कृतिक स्कंध के विस्तार का प्रस्ताव है और ढाका में एक क्षेत्रीय केन्द्र के गठन का प्रस्ताव है। आई.सी.सी.आर. के नए क्षेत्रीय कार्यालय दिसम्बर, 2007 में वाराणसी और पुणे में खोले जा रहे हैं। जापान में पूरे वर्ष चलने वाला भारत महोत्सव दिसंबर, 2007 में संपन्न होने वाला है और 2008 में भारत में रूस वर्ष आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं।

सिफारिशों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति सदन के पटल पर रखे गये अनुबंध में दी गई है। मैं इसकी पूरी विषय-वस्तु पढ़कर सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहता किंतु मेरा यह अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 3.07 बजे

भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007—*जारी*

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर सभा में चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से अभी बहुत दिन शेष हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इन विधेयकों को पारित करने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है। तथापि, मैं यह महसूस करता हूं कि बॉयलर अधिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है और मैं भी यह समझता हूं कि यह अधिनियम 84 वर्ष पुराना है। यद्यपि, इसमें पहले भी संशोधन किये गये हैं तथापि, बदलते समय के अनुसार अब इसमें और संशोधन करने की आवश्यकता है। यद्यपि, इस विधेयक में कुछ अच्छे संशोधन किये गये हैं तथापि मैं इस विधेयक को लाए जाने की मंशा से सहमत नहीं हूं। पहले, जुर्माने की राशि 100 रुपये से 1000 रुपये की गई थी और अब इसमें वृद्धि की गई है। अब, यह 1000 रुपये से एक लाख रुपये के बीच है यह आवश्यक है क्योंकि पहले जो जुर्माने की राशि निर्धारित की गई थी उसे बहुत समय व्यतीत हो चुका है, तब

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

रुपये का मूल्य अधिक था। फिर, तकनीकी शब्दावली में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। भाप के पाइप (स्टीम पाईप) के स्थान पर कुछ बॉयलर के हिस्सों का उल्लेख किया गया है और यह आवश्यक है। मेरे विचार से इस विधेयक का एक अच्छा पहलू यह है कि इसमें ऊर्जा लेखापरीक्षा (ऑडिट) का प्रावधान किया गया है इसे प्रत्येक वर्ष के लिए अनिवार्य बनाया गया है। इससे न केवल उद्योग को अपितु राष्ट्र को भी समग्र रूप से लाभ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राज्यों से शक्ति ले लेना, एक अच्छा विचार नहीं है।

इंस्पेक्टर राज की आलोचना होती थी और निरीक्षकों की कमी के कारण अक्सर विलंब होता था। श्री नवीन जिन्दल और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस मुद्दे को उठाया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल विलंब होने के कारण आप निरीक्षकों को उनके दायित्व से हटा नहीं कर सकते। यह एक समस्या है परन्तु और अधिक निरीक्षक नियुक्त करके इस समस्या का हल तलाशा जाना चाहिए।

इसके बाद, एक शिकायत निपटान तंत्र भी होना चाहिए क्योंकि बॉयलरों का निरीक्षण किया जाना एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इससे पहले, एक माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया था कि गत कुछ दशकों में हुई दुर्घटनाओं में हमारे देश में 30,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है। मैं भी यह समझता हूं कि समय के साथ-साथ, बेहतर तंत्र आ रहा है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशों से जो भी आ रहा है वह बहुत उत्कृष्ट है। यहां निजी निरीक्षक हैं और हमारे देश में कार्यशील कुछ बॉयलर बहुत पुराने पड़ चुके हैं। स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है।

उनकी कोई जवाबदेही नहीं है और मेरे विचार से यह अधिनियम और वैश्वीकरण के इस दौर में लाए जा रहे हैं इस प्रकार के परिवर्तनों से देश के स्थान पर उद्योगपतियों को अधिक लाभ होगा। एक तीसरे पक्ष के रूप में एक गैर-सरकारी निरीक्षक की सरकारी निरीक्षक, जिससे कि देश और सरकार के प्रति जिम्मेदार होने की आशा की जाती है, की तुलना में क्या जिम्मेदारी होगी? मेरे विचार से यह एक बहुत खतरनाक बात है।

महोदय, हमारे देश में, हम गत कई वर्षों से शक्ति के अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण और विकेन्द्रीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विकेन्द्रीकरण के स्थान पर संघीय स्वरूप ही बदलता जा रहा है और केन्द्र के पास अधिकाधिक शक्तियां केन्द्रित होती जा रही हैं। मेरे विचार से यह अधिनियम इसका एक उदाहरण है। मेरे विचार से, यह कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है कि केन्द्र के पास अपील संबंधी प्रावधान भी हों और इसी के साथ-साथ यह हस्तक्षेप भी कर सके, लेकिन इन्हें राज्यों के अधिकार नहीं लेने चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने विशेषकर बड़े पैमाने पर हो रहे औद्योगिकरण को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन प्रस्तुत किया है। निश्चित रूप से जब वर्ष 1993 में यह अधिनियम बनाया गया था तो हमारे देश में बड़े पैमाने पर बॉयलर नहीं बनाए जाते थे, अत: उनका प्रबंध करने के अतिरिक्त इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जब हम यहां बने बॉयलरों का निर्यात कर सकते हैं। अत: स्वाभाविक है कि इनकी गुणवत्ता अन्तरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए जिसके लिए निश्चित रूप से इस विधेयक की आवश्यकता है।

पहले के अनुभव यह दर्शाते हैं कि जब इसे राज्य सरकारों के प्रबंधन और निरीक्षकों पर छोड़ा गया था तो खराब गुणवत्ता, खराब निगरानी, मानकों को बनाए न रखना आदि जैसी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। जैसाकि मेरे अन्य साथियों ने उल्लेख किया है, इनमें से कुछ समस्याएं इस प्रकार की हैं कि जो बॉयलर एक राज्य में बनाए गए वे पूर्वाग्रहों या किन्हीं अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में पंजीकृत नहीं थे, जिससे अन्तर्राज्यीय स्तर पर गलतफहमियां और विवाद उभरे। इसके बाद, अपर्याप्त तंत्र, तकनीकी श्रमशक्ति का अभाव, भ्रष्टाचार या लापरवाही, पक्षपात और कई अन्य चीजें निर्धारित मानक स्थापित करने में बाधा बनती हैं। जैसाकि मैंने कहा, बदलती प्रौद्योगिकी, लोगों में जागरूकता, मुकदमेबाजी, मुआवजे के अधिकार और अन्य कई चीजें अधिक हो जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप इस विधेयक को लाने की आवश्यकता और बढ़ जाती है।

इस संबंध में, वर्तमान में इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार और राज्य प्राधिकारियों की शक्तियां छीनी नहीं बल्कि इसमें केन्द्रीय प्राधिकार और उनकी विशेषज्ञता का लाभ जोड़ा है। केन्द्र द्वारा अब गठित किये गये बोर्ड में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, विशेषकर, तकनीकी रूप से कुशल व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इसमें तीसरे पक्ष से निरीक्षण कराने का प्रावधान भी किया गया है। जहां पक्षपात नहीं चल सकता और फिर स्वामी या उपयोगकर्त्ता के अधिकारों को भी संरक्षित किया जायेगा जिससे कि इसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सकेगी। अत: देश में किये गये पिछले प्रावधानों में एक स्वतंत्र निरीक्षण एजेंसी का प्रावधान निश्चित रूप से जोड़ा गया है।

इसके बाद, मानकों में एकरूपता आएगी। विभिन्न राज्यों में विभिन्न मानक अपनाए जा रहे हैं। लेकिन, अब इसे केन्द्रीय बोर्ड के अधीन करने से एक समान मानक अपनाए जा रहे हैं। इसके बाद, आवधिक रूप से निरीक्षण करने का प्रावधान है, पहले यह वर्ष में केवल एक बार होता था। अब, इनके अंतिम चरण में पहुंचने पर, इनके निर्माण डिजायन तैयार करने, परिवहन के दौरान स्थापित करने और कार्यशील होने के दौरान या उसके बाद भी मरम्मत आदि के समय, इनके निरीक्षण का प्रावधान किया गया है।

जब मरम्मत का प्रश्न आता है तो कुछ स्थानीय लोग या अकुशल व्यक्ति मरम्मत कर रहे होते हैं। तब इसका प्रभाव बहुत बुरा होता है और इसके परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं। अब, इसमें इन चीजों को सम्मिलित किया गया है, मरम्मत, यहां तक कि किये जाने वाले ढांचागत परिवर्तनों के लिए भी संबंधित प्राधिकारी से स्वीकृति लेनी होगी और उसके बाद ही मरम्मत की जा सकेगी। कलपुर्जे किस प्रकार के हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है, इन सब चीजों की स्वीकृति लेनी होगी।

इन सब बातों के अतिरिक्त, यह सरल, उपभोक्ता हितैषी है और इस प्रकार इससे सहायता भी मिलती है। निरीक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा।

नवीनीकरण के लिए 15 दिन के अंदर-अंदर स्वीकृति देनी होगी। अधिक से अधिक, निरीक्षण प्राधिकारी किन्हीं परिवर्तनों का सुझाव दे सकता है परन्तु वह इसमें विलम्ब नहीं कर सकता। अपील का प्रावधान पहले से ही है। अंततः इस प्रावधान में राज्य सरकार को खोया नहीं है। जब अति आवश्यक हैं या जनहित में राज्य सरकार इन सभी प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकती है। अतः प्रत्येक पहलू से, विशेषकर प्रौद्योगिकी में आए परिवर्तनों और वैश्विक स्तर पर प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक की आवश्यकता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 2007, जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है; का उद्देश्य वर्तमान कानून को युक्तिसंगत बनाना तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा इत्यादि को अधिक सरल बनाना है। यह सब स्वागतयोग्य कदम है।

भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923, एक केन्द्रीय अधिनियम है। राज्य सरकारों द्वारा पिछले आठ दशकों से इसका कार्यान्वयन किया गया था। निःसंदेह, कुछ परिवर्तन आवश्यक थे परन्तु कुछ मुद्दे जिनकी चर्चा मेरे आदरणीय सहयोगियों ने की है, पर सरकार द्वारा स्पष्टीकरण किये जाने की आवश्यकता है। मूलतः यह विषय समवर्ती सूची में था। वर्तमान समय में, हम शक्तियों को सौंपने की बात कर रहे हैं, कि अधिक केन्द्रीय शक्तियां राज्यों को सौंपी जानी चाहिए। कम से कम, इसे समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए, अब केन्द्र पहले से ही समवर्ती सूची में सूचीबद्ध शक्तियों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है।

अब तक राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग की जा रही शक्तियां को अब केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में दिया जाएगा, जोकि अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। यह संघीय भावना के विरुद्ध है। जैसे कि यहां पहले भी बताया गया है, मैं सरकार से इस विषय पर विचार करने का अनुरोध करूंगा।

दूसरे, यहां राज्य फैक्टरियां तथा बॉयलर विभाग है। कुछ छोटे राज्यों में यह दोनों संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। बड़े राज्यों में पृथक फैक्टरी विभाग है तथा पृथक बॉयलर विभाग है। केरल जैसे राज्य में 2,000 से 3,000 बॉयलर हैं वहीं पश्चिम बंगाल में लगभग 12,000 से 13,000 बायलर हैं। इन विभागों तथा उन कर्मचारियों का क्या होगा जो इन विभागों को चलाते हैं?

निरीक्षण व प्रमाणन का कार्य निजी एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। यह कहा जाता है कि निजी एजेंसियों, ने इसे प्रमाणित किया है-मैसर्स मित्तल जैसी निजी एजेंसी कि विनिर्माता सामग्री की गुणवत्ता गहन निरीक्षण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अगर किसी निजी एजेन्सी द्वारा इस प्रकार का प्रमाणपत्र किया जाना शुरू हो गया, तो उस एजेन्सी को कार्य सौंपने का क्या फायदा? वे कोई भी उत्तरदायित्व नहीं लेती है। इस अधिनियम, कानून का उद्देश्य हमारी फैक्टरियों में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। छोटी व मझौले उद्यमों का क्या होगा, जहां कम क्षमता के बॉयलर हैं। वे इसे निरीक्षण के लिए निजी एजेंसियों को सौंप सकते हैं? इसलिए अब आगे, सक्षम व्यक्ति, सक्षम निरीक्षण प्राधिकरण का कार्य निजी एजेंसियां व निजी परामर्शदात्री फर्म को सौंप देंगे। इसलिए सरकारी निरीक्षक की अब आवश्यकता नहीं होगी। मुद्दा यह है कि क्या यह निजी एजेंसियां सुरक्षा मानदण्डों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे और क्या उनकी कार्य के प्रति जवाबदेही होगी। अभी मैंने केवल एक प्रमाणन का उद्धरण दिया है। अगर इन एजेंसियों से इस प्रकार का प्रमाणन प्राप्त होगा तो ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः क्या आप मंत्री महोदय को लिखित में अपना सुझाव दे सकते हैं ताकि इस पर विचार किया जा सके?

श्री के. फ्रांसिस जार्जः महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

जब 1994 में इस संशोधन का प्रस्ताव किया गया था तब लगभग सभी राज्यों ने इसका विरोध किया था।

सचिव स्तरीय बैठक में, इसका कड़ा विरोध हुआ था। मैं 1997 तथा 2007 में प्रस्तावित संशोधन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखता हूं।

इन मुद्दों-समवर्ती सूची में राज्य की शक्तियों को केन्द्र को सौंपना निजीकरण; वर्तमान कर्मचारियों, फैक्टरियों तथा बायलर विभागों का क्या होगा-इस मुद्दे पर भी विचार करना होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पहले ही राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। वहां एक और वक्ता हैं। साढ़े तीन बजने वाले हैं। महोदय, यदि आप आज विधेयक के लिए दस या बारह मिनट देंगे तो इसे पारित किया जा सकेगा। इसके बाद, हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि सभा मंत्री महोदय से सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब श्री टी.के. हमजा।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मूल अधिनियम 1923 में लागू किया गया था। जब हम इस प्रकार के किसी महत्वपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन करते हैं तो मेरे विचार से हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। महोदय अब तक हमने दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किये हैं। यह सब मानव जीवन व सम्पत्ति से संबंधित है।

इस अधिनियम को 1923 में व्यक्तियों के जीवन व फैक्टरियों की सम्पत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इसलिए, एक मूलभूत परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्ष 1972 में, सुझाव देने के लिए एक विशेष समिति गठित की गई थी। समिति ने वर्ष 1974 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को सभी राज्यों में परिचालित किया गया था तथा राज्यों ने उस रिपोर्ट पर आपत्ति की है। ऐसा क्यों? राज्य कानून एवं व्यवस्था कायम करता है, राज्यों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता का अनुपालन करवाया जाता है। इसी प्रकार, मेरे विचार से राज्य द्वारा इस अधिनियम का अनुपालन कराया जाना चाहिए। महोदय, यह सम्मान ठीक नहीं है चूंकि राज्यों में निहित सभी शक्तियां धीरे-धीरे केन्द्र द्वारा ली जा रही हैं। उत्पाद शुल्क, शक्ति का उदाहरण ले, जिसे केन्द्र ने ले लिया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं।

हमारा उद्देश्य राज्यों तथा राज्यों से पंचायतों तक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना है। अब, हम राज्यों से सभी शक्तियां ले रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार

> ''विनिर्माणाधीन एवं उपयोगगत बॉयलरों के निरीक्षण के लिए राज्य सरकारों की बजाय सर्वोन्मुखी केन्द्र सरकार संगठन का गठन करना...''

विनिर्माण के समय, केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बॉयलर का निरीक्षण किया जा सकता है और इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्र सरकार बॉयलर के उपयोग के समय सभी फैक्टरियों पर नियंत्रण व उनका निरीक्षण किस प्रकार कर पाएगी। विभिन्न राज्यों में अनेक फैक्टरियां हैं। यह असंख्य है। क्या इन फैक्टरियों का नियंत्रण व निरीक्षण केन्द्र सरकार द्वारा किया जा सकेगा? यह असंभव है। केन्द्र सरकार विनिर्माण स्तर पर फैक्टरियों का नियंत्रण और निरीक्षण कर सकती है और इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु बॉयलर के उपयोग के समय, ऐसा नहीं किया जा सकता है।

मैं वास्तविक स्थिति समझ सकता हूं। यह उद्देश्यों व कारणों के विवरण में बताया गया है कि सरकार उदारीकरण की नीति लागू करना चाहती है। उदारीकरण की नीति निजीकरण के उद्देश्य के लिए है। सिद्धांत रूप में, हम इससे सहमत नहीं हो सकते हैं। उदारीकरण हो सकता है परंतु यह निजीकरण के लिए है। यहां यह बताया गया है कि बॉयलरों के विनिर्माण व उनके उपयोग का निरीक्षण करने के लिए निजी एजेंसियों की नियुक्ति की जाएगी। तत्पश्चात् निजी एजेंसियों के पास सारे अधिकार चले जायेंगे। वे सब काम अपनी इच्छानुसार करेंगे। इसलिए जब हम इस प्रकार के अधिनियम का मूलभूत रूप से संशोधन करते हैं तो हमें अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी।

मेरा विनम्र विचार यह है कि राज्यों में निहित शक्तियों को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा लोगों की सुरक्षा राज्यों में निहित है। निसंदेह, केन्द्र

सरकार तकनीकी रूप से राज्यों की मदद कर सकती है, परन्तु इस प्रकार से राज्यों की शक्तियों का अधिग्रहण करना ठीक नहीं है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः अब, श्री शैलेन्द्र कुमार। कृपया दो या तीन मिनट में अपना सुझाव दें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे भारतीय बायलर (संशोधन) विधेयक, 2007 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विधेयक पर इसलिए भी ज्यादा समय देना चाहिए, क्योंकि यह राज्य सभा से पास होकर यहां आया है। यह संशोधन बिल 13 साल बाद आया है।

उपाध्यक्ष महोदयः इसीलिए तो आपको समय दिया है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः जहां तक नई अर्थव्यवस्था, नई प्रौद्योगिकी की बात है और 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होने जा रही है, उसमें यह संशोधन विधेयक एक मील का पत्थर साबित होगा। ज्यादातर कल-कारखाने चाहे छोटे हों या बड़े हों, बायलर का उपयोग करते हैं। हमने टीवी में भी देखा है और समाचार-पत्रों में भी पढ़ते रहते हैं कि अमुख फैक्टरी में बायलर फटने से इतने मजदूर हताहत हो गए। इस तरह की घटना आए दिन होती रहती है। हमारे माननीय सदस्य नवीन जिंदल जी इस बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि वह स्वयं उद्योग जगत से जुड़े हैं और उन्होंने इस पर व्यापक रूप से बताया भी है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पर एक स्तर पर अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। आपने इंस्पेक्टर का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इंस्पेक्टर शब्द हटाकर अधिकारी या कोई अन्य तकनीकी शब्द रखा जाए। इंस्पेक्टर शब्द बड़ा अजीब लगता है। हमने उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर राज खत्म करने का काम किया है।

जहां तक मजदूरों के हताहत होने की बात है, तो उनके परिवार के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो लोग जख्मी हो जाते हैं या विकलांग होकर घरों में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ मालिकों को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक लाइसेंस देने की व्यवस्था है, तो जो लाइसेंसधारक हैं, उन्हें विशेषज्ञों से निरीक्षण कराकर ही लाइसेंस देना चाहिए। बहुत से उद्योग धंधे या संस्थाएं लगती हैं, उनमें एन.ओ.सी. दिया जाता है। देखा गया है कि कई लोग पैसा देकर वह एन.ओ.सी. प्राप्त कर लेते हैं। उससे दुर्घटना होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसमें जुर्माने की राशि को बढ़ाना चाहिए।

जहां तक आपने केन्द्रीय बायलर बोर्ड की व्यवस्था की है, मैं मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तकनीकी बोर्ड में ज्यादातर सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए। वे लोग बेहतर सुझाव दे सकेंगे, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा।

आपने इस विधेयक में जांच की व्यवस्था एक वर्ष रखी है। मेरे ख्याल से इसे कम किया जाए, क्योंकि आज के समय में नई-नई तकनीक आ रही हैं। अभी तो यह होता है कि जब भी कोई इस संबंध में जांच होती है तो उसे पूरा होने में और रिपोर्ट आने में चार, पांच महीने या एक वर्ष तक लग जाता है। इस तरह से उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस व्यवस्था को लचीला करने की जरूरत है।

इसके साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मुझे दो छोटे से प्रश्न पूछने हैं।

पहला प्रश्न निजी निरीक्षकों की नियुक्ति के बारे में है। क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि इन निजी निरीक्षकों को उन फैक्ट्रियों की जांच हेतु सीमित किया जाएगा। जहां निर्यात गुणवत्ता वाले बायलर्स निर्मित होने हैं जिससे कि इन दोनों के बीच अंतर किया जा सके तथा व्यक्त की गई आशंका की जांच की जा सके?

दूसरा मुद्दा यह कि रिपोर्ट पढ़ कर मुझ पता चला कि 25,000 से अधिक गैर-आई.बी.आर. बॉयलर हैं जो प्रचालन में हैं। दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए लोगों का मानना है कि ये बॉयलर से संबंधित हैं। परन्तु लाइसेंस गैर-आई.बी.आर. बायलर के रूप में दिया जाता है। क्या गैर-आई.बी.आर. बॉयलर और वास्तविक बॉयलर का अंतर समाप्त किया जाएगा या यह जारी रहेगा?

उपाध्यक्ष महोदयः अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। सभा में अति उपयोगी वाद-विवाद को मैंने बहुत ध्यान से सुना तथा सभी दलों द्वारा दिए गए व्यापक समर्थन का मैं अति आभारी हूं।

इस सभा के विद्वान सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए मुझे मात्र दो-तीन बातें कहनी हैं। मैं इस आशंका का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं कि राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यक्षत्र में परोक्ष रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है।

महोदय, हमने राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं किया है तथा संशोधन में यहां तक प्रावधान किया गया है कि राज्यों के वर्तमान निरीक्षक ही निरीक्षण करेंगे। तृतीय पक्ष द्वारा निरीक्षण वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त है। राज्यों के निरीक्षकों का वर्तमान कार्यक्षेत्र सुरक्षित रखा गया है तथा उपरोक्त व्यवस्था इनके प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए है न कि कमजोर।

मेरी दूसरी बात यह है कि संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप अधिनियम की परिधि से छूट देने की शक्ति जो पहले राज्य सरकार में निहित थी, के समाप्त किये जाने का मूल प्रस्ताव अब स्थगित कर दिया गया है। संघीय पद्धति के सिद्धांत, राज्य सरकारों के मूल कार्यक्षेत्र को कायम रखने संबंधी माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी वर्ग के बॉयलर्स को निरीक्षण से छूट देने हेतु राज्य सरकार की शक्ति पुनः बहाल कर दी गई है।

मेरा अंतिम मुद्दा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में शनै-शनै अतिक्रमण संबंधी आशंका को दूर करने से संबंधित सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड द्वारा तैयार किये जाने वाले विनियम के कार्यान्वयन से है। यद्यपि, विनियम सेंट्रल बॉयलर्स बोर्ड द्वारा तैयार किये जायेंगे जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार के मनोनीत सदस्य होंगे, इनका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हमने पहली बार यह व्यवस्था की है कि निरीक्षण एजेंसियों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी जिससे कि मनमानी की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके तथा शिकायत दूर की जा सके। ऐसी मांग की गई थी।

दूसरी बात जीवन को होने वाले खतरे के प्रति निजी निरीक्षणों की जवाबदेही के अभाव के बारे में है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निजी निरीक्षण एजेंसियां अधिक जवाबदेह होंगी क्योंकि वे अपना कार्य विनियमों के तहत करेंगे जिसका स्वरूप सांविधिक होगा क्योंकि विनियमों को अधिनियम की धारा 28 के अनुसरण में तैयार किया जाएगा इसलिए इसका स्वरूप अधीनस्थ विधान का होगा, इनको अधिनियम के समान ही कड़ाई से लागू किया जाएगा। इस प्रकार निजी निरीक्षकों को परीक्षण और तकनीकी अर्हताओं को पूरा करना होगा जिनका स्वरूप सांविधिक होगा तथा विनियमों में उल्लेख सभी आवश्यक मानदंडों को पूरा करना होगा।

हमने इसे विनियमों में इसलिए शामिल किया है क्योंकि विधि को समाज और प्रौद्योगिकी में बदलाव के अनुरूप होना चाहिए। समस्त अधिनियम को संशोधित करने की अपेक्षा विनियमों में संशोधन आसान होता है। इसलिए हमने अधिनियम में विधि का ढांचा तैयार किया है तथा हमारा प्रयास अति विस्तृत विनियमों तथा नियमों के द्वारा विधि के ढांचे को पूर्ण करना है तथा जिसे राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाएगा।

निष्कर्ष यह है कि राज्यों के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसके विपरीत संशोधन में राज्य सरकारों की संवेदनाओं का आदर किया गया है।

अंत में मैं यह कहूंगा कि इस अधिनियम में जोड़ा गया एक महत्वपूर्ण पहलू सेन्ट्रल बॉयलर्स बोर्ड की संरचना और गठन को विस्तृत करना है। 15 राज्यों की तुलना में पहली बार प्रत्येक राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व किया है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायियों में से विशेषज्ञों, संघ सरकार के श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा सभी संबंधित संगठन जो बायलर्स से जुड़े हैं या बॉयलर्स के संबंध में बात करने या सुझाव देने के लिए सक्षम हैं प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बोर्ड का अध्यक्ष, प्रशासनिक मंत्रालय जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है, के सचिव होंगे।

न केवल सभी संबद्ध की सुरक्षा के हित में तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधि प्रौद्योगिकी परिवर्तनों और लोगों की आशा के अनुरूप हो, हमने यह सुनिश्चित किया है कि बॉयलर्स बोर्ड समस्त उद्योग की निगरानी करेगा।

महोदय, इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं विधेयक स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"खंड 2 से 30 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अश्विनी कुमार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

'कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.37 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 28 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 28 नवम्बर, 2007 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.38 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुरःस्थापित*

(एक) विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में अनुष्ठापित सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश में अनुष्ठापित सभी विवाहों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण तथा उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.38½ बजे

(दो) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने तथा संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 में और संशोधन करने तथा संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(तीन) जाति या धार्मिक अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि नागरिकों द्वारा नामों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में जाति नाम या जाति या धर्म से संबंधित अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकों द्वारा नामों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में जाति नाम या जाति या धर्म से संबंधित अभिधान के प्रयोग का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद सं. 29 और 30, श्री सुरेश चन्द्र देशमुख—उपस्थित नहीं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.39½ बजे

(चार) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (विजयवाड़ा में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2007*

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की विजयवाड़ा में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की विजयवाड़ा में स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एल. राजगोपाल: मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(पांच) राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक, 2007*

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि देश के युवाओं के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.41 बजे

(छह) विस्थापित कृषक (पुनर्वास और अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2007*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो कृषक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए उनकी भूमि का अर्जन किये जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हो जाते हैं उनके पुनर्वास, औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये गये लाभों में ऐसे कृषकों की हिस्सेदारी तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जो कृषक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए उनकी भूमि का अर्जन किये जाने के परिणामस्वरूप विस्थापित हो जाते हैं उनके पुनर्वास औद्योगिक इकाइयों द्वारा किये गये लाभों में से कृषकों की हिस्सेदारी तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(सात) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.42½ बजे

(आठ) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

अपराह्न 3.43 बजे

(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं विधेयक** पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43½ बजे

(दस) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री तापिर गाव: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य—उपस्थित नहीं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप—उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.44 बजे

(ग्यारह) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2007*

(धारा 129 का संशोधन)

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. आर. सेनथिल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

(बारह) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2007*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

डा. आर. सेनथिलः मैं विधेयक* पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2007*

(नए अनुच्छेद 24क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंहः मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.47 बजे

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004

(नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः इसके पहले कि हम लोग श्री मोहन सिंह द्वारा लाये गये संविधान (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा शुरू करें, मुझे यह बताना है कि इस विधेयक के लिए आवंटित 3 घंटे में से 2 घंटा 58 मिनट का समय पहले ही बीत चुका है। इसलिए, इस विधेयक के लिए निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। अतः इस विधेयक पर चर्चा के लिए सभा को इसके लिए आवंटित समय को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम चर्चा के लिए समय को एक घंटे तक बढ़ा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्यः जी हां।

उपाध्यक्ष महोदयः ठीक है। सभा का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री गिरिधर गमांग—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, जो महत्वपूर्ण निजी विधेयक सदन में पेश किया गया है, आपने मुझे उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मोहन सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण मसले को प्राइवेट मैम्बर बिल के रूप में सदन में बहस करने के लिए पेश किया है। हमारे देश को आजाद हुए लगभग साठ साल हो गये हैं, लेकिन इन साठ सालों के बाद आज जो माहौल और जो हालात हमारे देश के सामने हैं, वे बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। जब हमारे वित्त मंत्री जी ने सदन में बजट पेश किया था तो उन्होंने कहा था कि यह देशवासियों और सरकार के लिए खुशी का अवसर है कि हमारे देश का आर्थिक विकास 9.2 प्रतिशत की दर से ग्रो कर रहा है। इससे देश को खुश होना चाहिए। जिस हिसाब से हमारी इकोनोमिक ग्रोथ हो रही है, उसके लिए हम खुश हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस इकोनोमिक ग्रोथ की वजह से कितने लोगों को फायदा हुआ है, जब हम इस चीज को देखते हैं तो उसमें खुश होने वाली कोई बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूख और बेरोजगारी समाज में दो ऐसी चीजें हैं कि जब तक ये दोनों चीजें रहेंगी, हम अच्छे समाज में रह रहे हैं, यह बात हम कह भी नहीं सकते हैं और सोच भी नहीं सकते हैं। समाज से ये दोनों चीजें कैसे मिटेंगी। आजाद हिन्दुस्तान में आज तक बहुत सी सरकारें आईं और गईं हैं, लेकिन वे इस समस्या को सुलझाने में नाकामयाब रही हैं। हम जिस कांस्टीट्युशनल अमैंडमैन्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सरकार का फंडामैन्टल राइट और डायरेक्टिव्ज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पालिसी है। उसमें इसे जरूर रखा है कि सबको नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन फंडामैन्टल राइट के हिसाब से जब तक कोई चीज सामने नहीं आती है, तब तक उसके महत्व को कोई सरकार नहीं समझेगी।

मैं ज्यादा विस्तार से बात नहीं रखूंगा। मैं 4-5 प्वाइंट सदन में रखना चाहूंगा कि फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे कानून के रूप में ला सकते हैं और आज भी जब हम ग्रामीण भारत में जाते हैं तो कितने लाखों-करोड़ों लोग सरकार की जो लाभ वाली योजना है, वह कैसे प्राप्त की जाती है, उसका भी उनको ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से समाज में गैप है कि जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, इसके बीच में जो फासला दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम तो मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में सैलीब्रेट करते हैं कि हम 20,000 के आंकड़े

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग दो, खण्ड 2, दिनांक 30.11.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[श्री कीरेन रिजीजू]

पार करने वाले हैं, उससे मुझे खुशी नहीं होती है। हिन्दुस्तान के 5-6 प्रतिशत लोग जरूर उससे खुश होंगे लेकिन मैं उस वर्ग के लिए कहना चाहूंगा जिनका मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज से कोई नाता नहीं है और उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार एक ऐसा कदम उठाए, एक ऐसा कानून लाए जिससे जो लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, उनके लिए कानून के जरिए डायरेक्ट इंटरवेंशन हो और सीधा-सीधा लाभ जनता तक पहुंचे।

आज हम नेक्सेलाइट की बात कर रहे हैं, पूर्वोत्तर में हमारे वहां बहुत सालों से आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। इसकी जड़ में यह बात है कि अगर हर आदमी के हाथ में काम हो, हर आदमी को जिंदगी में कुछ करने के लिए काम हो तो वह एंटी-सोशल काम के लिए क्यों समय देगा? मैं पूर्वोत्तर से आता हूं। हमारे ऑस्कर फर्नांडीज जी पूर्वोत्तर में जाते रहते हैं। श्री सुशील कुमार शिंदे जी भी हमारे प्रदेश में पार्टी कांग्रेस की तरफ से इंचार्ज रहे हैं, ये लोग सब सीनियर लीडर हैं, इनको इस समस्या के बारे में मालूम है कि लोग हथियार क्यों उठाते हैं? इसका एक ही तरीका है जिससे हम लोगों को हथियार उठाने से रोक सकते हैं कि हम उन्हें गेनफुल रोजगार दें, हम रोजगार देने का कोई प्रावधान रखें। हमारा देश बहुत बड़ा है और समस्या का समाधान करना आसान नहीं है। मैं यह मानता हूं लेकिन सही तरीके से सरकार ने आज तक पहल नहीं की, यह भी सच्चाई है। केवल कार्य योजना बनाने से समस्या का समाधान हो जाता है, ऐसा नहीं है और समस्या को समझने से भी वह काफी नहीं होता है। समस्या का समाधान करने के लिए उसको अपने दिल में महसूस करना होगा तब जाकर समस्या का समाधान होता है। कोई भी सरकार आए, हम लोगों ने बहुत सी सरकारें देखी हैं और आज यूपीए की सरकार आई है, वह आम आदमी के नाम से सरकार चला रहे हैं। लेकिन आप अच्छी तरह से सोचिए, साढ़े तीन साल सरकार को हो चुके हैं। सही में आम आदमी को क्या लाभ पहुंचा है? आपने नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया, हम सबने समर्थन किया। रूरल हैल्थ मिशन चलाया। बहुत से कार्यक्रम चला रहे हैं लेकिन सचमुच कितने लोगों को और कहां तक लाभ मिल रहे हैं, वह देखने वाली बात है। आपने एनआरईजीएस के माध्यम से कुछ जिलों को आपने सलैक्ट किया। हमारे प्रदेश में 16 जिले हैं और 16 जिलों में से एक को आपने सलैक्ट किया। अब बताइए कि 16 जिलों में से एक को आपने एनआरईजीएस में शामिल किया तो 15 जिले क्या करेंगे? इसलिए मेरा कहना यह है कि जब आप कार्यक्रम शुरू करते हैं तो सम्पूर्ण देश में इसका लाभ होना चाहिए नहीं तो घोषणा तो बहुत बड़ी है लेकिन काम छोटा हो जाता है।

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): 1 अप्रैल, 2008 से यह देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इंटरवीन किया और अच्छा कहा। यू.पी.ए. सरकार के साढ़े तीन साल हो गये हैं और केवल डेढ़ साल बचा है। पता नहीं कब लोक सभा डिजाल्व हो जाये तो समय और कम रह जायेगा। सरकार साढ़े तीन साल में 15 जिले नहीं कर पायी तो आने वाले समय में कैसे होगा? यही मेरा सवाल है। फिर भी मंत्री जी ने जो कहा, वह सराहना योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां सोशल सिक्यूरिटी की बात कही गई है। जहां तक यूरोपियन कंट्रीज यू.एस.ए. और जापान की बात है, वे देश अपने यहां ऐसी स्कीम जोर से इंपलीमेंट करते हैं। वहां अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती तो ऐसा प्रावधान वहां रखा हुआ है कि जिन्दगीभर के लिए गुजारा कर सकते हैं लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए, मैं मोहन सिंह से अनुरोध करूंगा कि वह एक सीनियर मैम्बर हैं, उन्हें सरकार के दबाव में आकर अपना बिल विदड्रा नहीं करना चाहिए। यदि वह विदड्रा करेंगे तो हमें बहुत दुख होगा क्योंकि हमारी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं निकल पायेगा।

उपाध्यक्ष जी, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं। मैं उसका आदर करते हुए कनक्लूड करूंगा। पूर्वोत्तर राज्यों में जो इम्बैलेंस डेवलेपमेंट हुआ है, खासकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और पूर्वी राज्यों में डेवलेपमेंट नहीं हुआ, उसके लिए एक स्पेशल प्लान बननी चाहिए। उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर और पश्चिम भारत में काफी विकास हो रहा है लेकिन हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। देशभर में 9 परसेंट का इकोनमिक ग्रोथ हो रहा है, हमारे यहां केवल 5 परसेंट है, उसे राष्ट्रीय स्तर तक कैसे लाया जाये, सरकार उसके लिए योजना की घोषणा करे।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं एक बार फिर से आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): मैं श्री मोहन सिंह को सदैव ही अच्छे गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता

हूं। मैं माननीय मंत्री, श्री ऑस्कर फर्नांडीस से इस गंभीरता से लेने तथा इसे हल्के रूप में न लेने का अनुरोध मात्र करता हूं क्योंकि यह एक गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक है।

संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है जिसके प्रावधानों के तहत हम सभी इस बात के लिए सहमत हैं कि लोगों के जीवन-स्तर को बढ़ाने के साथ-साथ इस देश के लोगों की आजीविका के लिए भी पर्याप्त संसाधन मुहैया कराया जाए।

अनुच्छेद 41 में, विशेष तौर पर, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अपंगता की स्थिति में सरकारी सहायता का प्रावधान किया गया है।

एक राज्य को कल्याणकारी राज्य में बदलने के लिए हमारी प्रमुख वचनबद्धता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्रथम पचवर्षीय योजना से ही अपनी वचनबद्धता पूरा करने के लिए कई योजनाएं बना रही हैं। योजना-दर-योजना स्थिति बदलती रही है। हम एक ऐसी बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हम रोजगार को विकास का प्रतिफल समझते हैं। इसलिए, हम विकास पर ज्यादा केन्द्रित कर रहे हैं। बाद में, रोजगार को गरीबी के तथा फिर असमानता को दूर करने वाला एक साधन समझा जाने लगा। फिर हमने सोचा कि रोजगार एक मूलभूत अधिकार है। अब, लोगों को लाभकारी रोजगार देने के लिए हम रोजगार की गुणवत्ता में सुधार लाने के बारे में सोच रहे हैं। ये सभी बातें सही दिशा में चल रही हैं लेकिन मेरा विचार है कि ये काम उस गति में नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा नम्र निवेदन है कि वे इन कुछ बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करें जिसे मैं इस सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा।

अपराह्न 3.59 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

इस देश में शिक्षा प्रणाली अभी देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। आपके पास विशेषकर निचले स्तर पर दक्षता में विकास हुआ है, जबकि ऊपर के स्तर पर यह विकास मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन हुआ है। मैं समझता हूं कि इन दोनों चीजों में एक साथ लाने की आवश्यकता है ताकि पूरा दक्षता विकास एक मंत्री के हाथों में हो। साथ ही, बजटीय आवंटन सर्वोपरि होना चाहिए क्योंकि लोगों को दक्षता उपलब्ध कराना ही देश में समय की मांग है।

अपराह्न 4.00 बजे

यदि आप लोगों को विभिन्न व्यवसायों में दक्षता उपलब्ध करते हैं तो आप स्वत: रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। जैसाकि उन्होंने कहा था कि जिस गति से हमें विकास करना चाहिए तथा वह हम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि त्वरित गति से इन चीजों को क्रियान्वित करने के लिए हमारे ऊपर कोई विधेयक या अधिनियम नहीं है। यदि आप रोजगार को अधिकार का दर्जा देने के लिए कोई विधेयक लाते हैं तो आपको बाध्य होकर उन बातों को मानने के बजाए और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। अत: देश में सभी लोगों के लिए काम का अधिकार संबंधी कोई विधान बनाने के पूर्व यह ध्यान रखना आवश्यक है कि देश के लोग पूरी तरह से दक्ष हैं। जब आप उन्हें बनाते हैं तो आप पर दबाव कम हो जाएगा। उन्हें स्वत: रोजगार मिल जाएगा। मैं दक्षता विकास पर इस कारण जोर दे रहा हूं क्योंकि आज हर क्षेत्र में तथा हर व्यवसाय में दक्षता प्राप्त लोगों की कमी है। संसद में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अनुपादक नहीं हैं। आशुलिपिक नहीं हैं। मरम्मत करने वाले यांत्रिक नहीं हैं, प्लम्बर और कारपेंटर आदि नहीं हैं। सभी प्रकार के दक्षता वाले लोगों की कमी है। यहां तक की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी, जहां भारत प्रथम स्थान पर होने का दावा करता है, जब अमेरिका या जर्मनी या जापान सूचना प्रौद्योगिकी के इंजीनियरों की आपूर्ति करने के मामले में भारत की मदद चाह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी का मानना है कि ऐसे कार्य के लिए जरूरी उपर्युक्त लोगों की कमी है। इसका मतलब यह है कि सही दिशा में दक्षता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है जिसका व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सके।

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यदि वे सभी बच्चों को 8वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा देने का प्रावधान करते हैं, जो उनकी अभिरुचि पर आधारित होगा, तो 12वीं कक्षा पास करने तक वे संस्थान से निकलते वक्त दक्षता प्राप्त होंगे। उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास होगा कि वे स्वयं उपार्जन कर लेंगे या उन्हें समाज में लाभदायक रोजगार मिल जाएगा क्योंकि वे उपयोगी हैं और उनकी रोजगार प्राप्त करने की निहित क्षमता में भी बढ़ोत्तरी होगी। उन्हें किसी से मोल-तोल करने या किसी से विनती करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उद्योग स्वयं उनके पास जाएंगे और उनका चयन करेंगे। इसलिए, यदि आप उस तरह की शिक्षा देते हैं तो कई तरह की समस्याएं स्वत: हल हो जाएंगी।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ ऐसे क्षेत्रों को लाना चाहता हूं जहां हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का एक क्षेत्र महिलाओं का स्व-सहायता समूह है जो इस देश में आश्चर्यजनक

[श्री के.एस. राव]

रूप से काम कर रहे हैं। इससे सरकार पर बिना किसी अतिरिक्त बोझ डाले दो करोड़ से अधिक लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। आपको सिर्फ यह करना है कि स्व-सहायता समूहों को तीन प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण उपलब्ध करा दें। सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा। यह अवकलन ब्याज दर है जो 9 प्रतिशत से 3 प्रतिशत है जो 6 प्रतिशत होगा। यदि आप उन स्व-सहायता समूहों को तत्काल 2,50,000 करोड़ रुपये देते हैं तो सरकार पर 6 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा जिसे 2.5 लाख से गुम करने पर 15000 करोड़ रुपये होता है। यदि इसमें राज्य और केन्द्र सरकार हिस्सेदारी लेते हैं तो केन्द्र सरकार पर 7500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस रुपये से आप दो करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं। वे आप पर इस बात का दबाव नहीं डालेंगे कि आपके पास रोजगार नहीं है। कम ब्याज दर पर उनको धन देकर उनके लिए न केवल रोजगार और आय के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करायेंगे बल्कि वे राष्ट्रीय उत्पादकता में भी योगदान करेंगे। आपका विकास दर तेजी से बढ़ेगा। वित्त मंत्री को 0.1 प्रतिशत से 0.2 प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के लिए सर नहीं खपाना पड़ेगा। आप रातों-रात सकल घरेलू उत्पाद को 4 प्रतिशत बढ़ाने में उनकी मदद करेंगे। इसलिए, मैं चाहता हूं कि आप माननीय वित्त मंत्री को सुझाव दें जो ब्याज दर घटाने के मामले में चिंतित हैं।

स्व-सहायता समूहों को खाद्यान्नों को खरीदने की जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसे इस समय भारतीय खाद्य निगम कर रहा है। खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति के लिए भा.खा.नि. को हम 30,000 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रहे हैं। खाद्यान्नों की खरीद तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्यान्न आपूर्ति के कार्य को स्व-सहायता समूहों को उनके अपने-अपने क्षेत्रों में सौंप कर आप इस बोझ को 20,000 करोड़ रुपये कम कर सकते हैं। इसके बाद आप अतिरिक्त खाद्यान्न को अन्य राज्यों को भेज कर सकते हैं। आपको उनको सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध करानी है तथा इस उपयुक्त दक्षता में उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

दूसरा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र आवास है। आज इस देश में लगभग एक करोड़ आवासों की कमी है। यदि इसे 10 वर्ष की अवधि में देखें तो एक करोड़ आवासों के निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जा सकता है जिससे प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे सरकार पर कोई बोझ पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए केवल प्राकृतिक संसाधन जैसे रेत, पत्थर तथा ऐसी वस्तुओं के समुचित उपयोग की आवश्यकता होगी और इस प्रक्रिया में देश के लिए स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा सकेगा। यदि हम अमेरिका को एक समृद्ध देश कहते हैं तो हम आवास, सड़क तथा अवसंरचना जैसे सूचकांक के आधार पर ऐसा कहते हैं। हमारे देश में किस चीज का अभाव है। हमारे देश में योग्य लोग हैं जो सरकार के इशारे पर खून पसीना बहाने को तैयार हैं। बस सरकार द्वारा उत्साहवर्धन किये जाने की आवश्यकता है।

दूसरा मुद्दा सड़क, पोत इत्यादि जैसी अवसंरचना के बारे में है। यदि हम एक ऐसा मार्ग तलाश लेते हैं जिसमें सरकार पर भार न पड़े तो फिर हम अवसंरचना क्षेत्र में ही करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। परन्तु सरकार ऐसे विकल्पों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस तथा अन्य उद्योगों पर निर्भर है। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसके अन्य बहुत साधन हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए तथा बदले में किसान लगभग दो करोड़ लोगों को रोजगार दिला सकेंगे। गरीबी हटाने का यह एक तरीका हो सकता है। लोगों को रोजगार दिला कर देश की अनेक समस्या को हल किया जा सकता है। रोजगार के अवसर रातों-रात प्राप्त नहीं होंगे। ये सभी प्रस्ताव जो हम दे रहे हैं, देश के रोजगार परिदृश्य में एक बदलाव ला सकते हैं तथा इस विधेयक को पारित करके मूल समस्या का हल किया जा सकता है। मैंने जो कुछ भी कहा है वे इस विधेयक के यथा अंतर्विष्ट प्रावधान हैं। इसलिए मंत्री महोदय इस विधेयक को पसंद करें अथवा नापसंद करें उन्हें इस विधेयक को पारित करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। कल वे सोच सकते हैं कि इस विधेयक के पारित होने से रोजगार उपलब्ध कराने का दायित्व सरकार पर आ जाएगा। यह आवश्यक नहीं है। सरकार द्वारा विधेयक पारित होते हैं। सरकारी एजेंसियां स्वतः ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर कार्य करेंगी और इससे ही इस समस्या का उचित समाधान हो सकेगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। सरकार इस विधेयक को स्वीकार कर सकती है अथवा इस प्रकृति का विधेयक लाने पर विचार कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि लोगों को रोजगार का अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाना चाहिए।

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, संविधान के अनुच्छेद 16 में संशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

400 करोड़ बेरोजगार युवकों की दयनीय स्थिति वास्तव में राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। हम जानते हैं कि हमारे देश में 82 करोड़ लोग 20 रु. प्रतिदिन पर गुजारा कर रहे हैं।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 के अनुसार ''राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।''

महोदय, हम जानते हैं कि हमारे रोजगार कार्यालयों में लाखों बेरोजगार लोग रोजगार के लिए पंजीकृत हैं। क्या सरकार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत सभी लोगों को रोजगार प्रदान कर सकेगी? नहीं। सरकार रोजगार के अवसर, स्वरोजगार का सृजन कर सकती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, स्वयं सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि बना सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को देश के सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा है। हम जानते हैं कि एक ऐसी शिक्षा जिसमें कौशल का विकास हो, हमारे देश के लाखों लोगों के जीवन में प्रकाश ला सकती है। यदि हमारा देश उन्हें रोजगार नहीं दे सकता और यदि वे सक्षम हैं तो वे विदेश में जाकर काम कर सकते हैं। कृषि एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी केवल 18 प्रतिशत है 60 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है जिसके कारण कृषि क्षेत्र से प्रति व्यक्ति आय कम है। जिसके कारण कृषि क्षेत्र से प्रति व्यक्ति आय तथा गैर कृषि क्षेत्र से प्रति व्यक्ति आय में भारी अन्तर है। 82 प्रतिशत किसानों के पास बहुत कम भूमि है। अकुशल विपणन स्थितियां शीतागारों का अभाव, लागत तथा निर्गत सुविधाओं के अभाव में किसानों की आय प्रभावित हो रही है।

अत: कृषि अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रसार का सुदृढ़ करने समुचित तथा पर्याप्त आवश्यक लागत जैसे बीज, खाद तथा बिजली और पानी हेतु उचित नीति की आवश्यकता है। सहकारी ऋण की सुविधा को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। ऐसा करके हम किसानों को आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। लगभग 92 प्रतिशत काम अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्थात् असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा किया जाता है। हमारे देश के असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।

इस विधेयक के माध्यम से माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने देश के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता आरम्भ किये जाने की बात की है। जब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक सामाजिक समानता को यथार्थ रूप देना संभव नहीं होगा।

अंत में, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस प्रगतिशील विधेयक को स्वीकार करे तथा भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए श्री मोहन सिंह को बधाई देता हूं।

सभापति महोदय: कृपया पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदय, यह औचित्यपूर्ण नहीं है।

सभापति महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: यह सहयोग का प्रश्न नहीं है। यह उचित नहीं होगा यदि हमें गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर पांच मिनट भी बोलने की अनुमति न दी जाए।

सभापति महोदय: गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के अधीन अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जानी है।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: मैं इसे समझ पाने में असमर्थ हूं। चूंकि यह भी एक महत्वपूर्ण विधेयक है, कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ और समय दीजिए।

यह एक विषय है जिस पर हमारे देश में स्वतंत्रता पश्चात् पिछले छह दशकों से चर्चा हो रही है। अन्य अनेक अधिकारों के साथ-साथ हमारे देश में अनेक लोग कार्य के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले समय में, हमारी अर्थव्यवस्था के सीमित आकार के चलते इस प्रकार के अधिकार को देना अत्यंत समस्या थी परंतु अब हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। हम तरक्की कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9% से अधिक है। संपूर्ण विश्व में, अर्थव्यवस्था तरक्की के पथ पर है परंतु वहां एक अजीब सी स्थिति है। एक तरफ सम्पत्ति का सृजन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण विश्व में गरीबी अंधाधुंध बढ़ती जा रही है। विश्व की वर्तमान सम्पत्ति स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, सड़क तथा संपूर्ण जनसंख्या

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]
के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त हैं। परंतु संपूर्ण वृद्धि का 40% केवल एक प्रतिशत जनसंख्या के पास ही सीमित है। दुर्भाग्यवश भारत में भी हम इसी राह पर चल रहे हैं। हमारी विकास दर उत्कृष्ट है। परंतु एक ओर यह कहा जाता है कि हमारे देश में अत्यंत सम्पत्ति सम्पन्नों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। जापान में, अत्यन्त सम्पत्ति सम्पन्न संख्या में केवल 23 हैं वहीं भारत में अत्यंत सम्पत्ति सम्पन्नों की संख्या 36 है। जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था के आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 36 करोड़ है, हमारी जनसंख्या की 70% आबादी 20 रुपये प्रति दिन से कम की आय अर्जित कर रही है।

हमारे देश में एक कारपोरेट सेक्टर है जो प्रति इकाई 40 लाख रुपये अर्जित कर रहा है। अन्यथा, वे अत्यंत सम्पत्ति सम्पन्न नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि सम्पत्ति सम्पन्न व गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हमारे देश में सम्पत्ति का सृजन हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, बेरोजगारी असाधारण रूप से बढ़ रही है तथा इससे अत्यंत गंभीर समस्याएं तथा हमारे देश के युवाओं में पैदा हुई हैं असंतोष, कुंठा तथा आक्रोश पैदा हुआ है।

हमारे देश के लाखों युवा नौकरी की तलाश में अन्य देशों में जा रहे हैं। केवल पंद्रह दिन पहले हमने संसद में नौजवान लोगों की बात की जो अरब के देशों में फंस गए हैं, जिनके वीजा की अवधि को नहीं बढ़ाया गया। उनमें से 70,000 से अधिक को एक ही देश से निकाल दिया गया। हमारे देश के लोग दूरदराज के देशों जैसे आस्ट्रेलिया तथा अनेक अन्य देशों में जा रहे हैं।

हमारे सम्माननीय सहयोगी, श्री के.एस. राव जी हमारे नौजवानों के तकनीकी कौशल में सुधार के बारे में बात कर रहे थे। तकनीकी रूप से कुशल लोगों को भी विदेशों में रोजगार प्राप्त हो रहा है। वे रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके दूर-दराज के देशों में जा रहे हैं परन्तु जो लोग हमारे देश में निवास कर रहे हैं उन्हें भी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं।

हम नक्सलवाद का समर्थन नहीं करते हैं। परंतु दुखद तथ्य यह है कि देश में 613 जिलों में से 280 जिले नक्सल प्रभावित हैं। हमें यकीन है कि वे सफल नहीं होंगे। जबकि, अनेक नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि नक्सल की औसत आयु 4 वर्ष से कम है, तो नक्सल के लिए भर्ती कम क्यों नहीं होती है? ऐसा बेरोजगारी की कुंठा के कारण हो रहा है।

यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। देश की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता रोजगार उपलब्ध कराना है। कार्य के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया जाना चाहिए। मैं इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए श्री मोहन सिंह को बधाई देता हूं। मैं माननीय मंत्री, श्री आस्कर फर्नांडीज से इस प्रकार के विधेयक पर तुरंत विचार करने की अपील करता हूं।

असंगठित क्षेत्र के विधेयक लाए जाने पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार स्कीम व असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्कीम की चर्चा की जाएगी, उनकी अपनी सीमाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत अकुशल युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराई जा रही हैं। परन्तु यह केवल प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति के लिए है वह भी केवल 100 दिनों के लिए है। इस योजना की अनेक सीमाएं हैं। अनेक लोग, रजिस्टर्ड होते हुए भी, रोजगार नहीं ले पा रहे हैं चूंकि यह ऐसा रोजगार नहीं है जिसकी उन्हें आवश्यकता है परन्तु उन्हें केवल 60 रुपये ही भत्ते के रूप में दिये जाते हैं। आज की वर्तमान महंगाई में किसी भी परिवार के लिए जीवन यापन के लिए 60 रुपये पर्याप्त नहीं हैं।

असंगठित क्षेत्र के विधेयक, जिस पर जल्द ही चर्चा होगी, यह केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए है, तथा यह रोजगार की सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। असंगठित क्षेत्र में 36 करोड़ लोग कार्यरत हैं। उसमें से 20 से 24 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इन लोगों को कोई रोजगार गारंटी नहीं है।

इसलिए, निःसंदेह इन परिस्थितियों के चलते सरकार के लिए रोजगार गारंटी उपलब्ध कराना आवश्यक है। एक मौलिक अधिकार के रूप में कार्य का अधिकार एक आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देगी।

[हिन्दी]

श्री देवव्रत सिंह (राजनंदगांव): सभापति महोदय, आदरणीय मोहन सिंह जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच और विधेयक के रूप में स्थापित हो सकता है। आज अगर हम देश की चर्चा करें और समाचार-पत्रों की कतरनें देखें, तो सबसे ज्यादा कोई समाचार छपते हैं तो वे उग्रवाद और आतंकवाद के समाचार छपते हैं या पलायन के समाचार छपते हैं। देश की आजादी के साठ वर्ष बाद भी यह आम आदमी सबसे बड़ी समस्या है। वह जिस लड़के को या बच्चे को वह पढ़ा-लिखाकर तैयार करता है और नौजवान बनाता है और नौजवान बनाने के बाद जब उसको रोजगार के साधन नहीं मिल पाते, जब वह अपने परिवार पर एक बोझ के रूप में दिखाई देता

है, तो उसके मन में जो एक भावना बनती है, वह कहीं न कहीं उसको नक्सलवाद, आतंकवाद और उग्रवाद की तरफ ले जाती है।

महोदय, आदरणीय मोहन सिंह जी ने यह बात रखी है कि यदि संविधान में इस बात के प्रावधान किये जाएं कि अगर किसी व्यक्ति को शासन रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से अगर किसी को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रखा जाए। निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी सोच है। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी विनती करना चाहूंगा कि आज जब हमारे देश में प्रधानमंत्री रोजगारग योजना लगभग फेल हो चुकी है। फेल इसलिए कहना चाहूंगा कि जितने लोगों ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना में रोजगार के लिए जो ऋण प्राप्त किए, वे बैंक के चक्कर लगाते-लगाते और बैंक का ब्याज देते रहे, लेकिन उनका कभी कोई काम नहीं हो पाया। यदि देश में इसकी पूरी समीक्षा करेंगे तो आज लगभग 70 प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रोजगार के साधन के लिए बैंक से ऋण प्राप्त किया और आज वे ऋण अदायगी की स्थिति में नहीं हैं। वह ऋण उनके ऊपर बोझ बन गया।

इसी प्रकार से मैंने सुना है कि कुछ साथी रोजगार गारंटी योजना के बारे में कह रहे थे। मैं इससे सहमत हूं कि निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से बहुत बड़ी पहल हुई है। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी पहल पर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने उसे पूरे देश में लागू करने की बात कही है। लेकिन यदि रोजगार गारंटी योजना की बात करेंगे तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि उसमें केवल कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर, जिनके पास और कोई साधन नहीं हैं, वे मजदूरी करके काम कर पाते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या पढ़े-लिखे लोगों की है। जो ग्रेजुएट हैं या बारहवीं पास लड़के जो रोजगार ढूढ़ रहे हैं या ऐसे लोग जिनकी उम्र 30-35 वर्ष हो गई है और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास न कोई योजना है, न उनके लिए रोजगार के अवसर हैं और न ही नौकरी के अवसर हैं, तो ऐसे लोग क्या करें। आज आप किसी भी कस्बे, शहर या गांव में चले जाएं, आपको हर पान की दुकान में शाम को 5-6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक ऐसे 10-15 लड़के मिल जाएंगे जो केवल रोजगार की तलाश में हैं। वे दिनभर पान की दुकान में समय व्यतीत करते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। वे कहीं भी प्रयास करते हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज बड़े पैमाने पर जो युवा लोग भटक रहे हैं, उसका कारण यह है कि सरकार की जो योजनाएं बनती हैं, उनकी समीक्षा होती है, कागज में आंकड़े तैयार हो जाते हैं कि इतने लोगों को रोजगार दिया गया, चाहे रोजगार गारंटी योजना हो चाहे और कोई योजना हो। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ राज्य की बात कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पलायन यदि कहीं से हो रहा है तो वह छत्तीसगढ़ से हो रहा है। आप देश के किसी कोने में चले जाएं, आपके वहां छत्तीसगढ़ के मजदूर काम करते हुए मिलेंगे। यदि वहां रोजगार उपलब्ध था तो वे लोग दूसरी जगह क्यों गए? रोजगार योजना लागू होने के बाद क्यों आए? इसका मुख्य कारण यह है कि रोजगार देने वाला व्यक्ति, चाहे शासन की किसी भी योजना के तहत क्यों न हो, उसके इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उसे रोजगार नहीं मिल पाता। यदि संविधान संशोधन करके उसके लिए विशेष राशि की बात की जाएगी, तो वह मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहा है, कम से कम उस पर रोक लगेगी। यदि उसके लिए बेरोजगारी भत्ते का प्रबंध किया जाता है तो निश्चित रूप से यह बहुत अच्छी पहल होगी।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हम रोजगार के अवसर देने की जो बात करते हैं, हर बड़ा राजनैतिक व्यक्ति या निजी क्षेत्र में कोई काम होता है, जब कोई बड़ा एग्रीमैंट साइन होता है, हम देखते हैं कि जंगल के क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को माइनिंग लीज दी जा रही है। जब माइनिंग लीज ऐलॉट करने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि इसके जरिये स्थानीय क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को काम दिया जाएगा। बालको, टाटा छत्तीसगढ़ में बड़े-बड़े प्लांट लगाने की बात की, लेकिन आज उन प्लांट्स में पांच सौ लोगों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम जल, जमीन, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ उन्हें दे रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, उसके बाद भी कोई नीति नहीं बनी है। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि सदन में इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि जो बड़े-बड़े एसइजेड साबित हो रहे हैं जो रोजगार के अवसर देने की बात करते हैं, वे कहीं नहीं रहते। जो उद्योग स्थापित हो रहे हैं, उनमें भी कोई प्रावधान नहीं किये जा रहे हैं।

मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी का इस बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात कही है, वह बहुत अच्छी सोच है, लेकिन हमने महसूस किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्तमान सरकार है, उसने साढ़े तीन साल पहले अपने चुनावी वादे देकर इस बारे में एक नियम बनाया। छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगार लोगों को तीन सौ रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, लेकिन हमने महसूस किया

[श्री देवव्रत सिंह]

है कि जब बेरोजगारी भत्ता देने की बात आती है तो उसमें चिन्हांकित करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो जाता है। उसके नियम, कायदे-कानून कि हर वह व्यक्ति, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो एक निश्चित आयु का हो चुका है, निश्चित पढ़ा-लिखा है, उन्होंने नियम बनाया था कि बारहवीं पास होना चाहिए, तब देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में जहां लगभग ढाई करोड़ की जनसंख्या है, वहां कुल मिलाकर 22 हजार लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बेरोजगारी भत्ता देने का निर्णय हो जाता है, नियम, कायदे-कानून बना लिये जाते हैं, उसमें इस प्रकार के कायदे-कानून बन जाते हैं कि किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाता।

जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल भी रहा है, तो वह 500 रुपये इतनी कम राशि होती है कि वे कुछ कर नहीं पाते। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक अच्छा है, इसकी सोच अच्छी है, लेकिन इसे किस प्रकार से कानूनी अमलीजामा पहनाया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे अपने बात रखें, हो सकता है कि शायद विधेयक वापस लेना पड़े, लेकिन इस बात को जरूर कहें कि यदि रोजगार अवसर या रोजगार भत्ता देने की कोई नीति बन रही है, तो ऐसी नीति बने, ऐसा कानून बने जिसमें उसकी गाइडलाइन बहुत स्पष्ट हों और लाभ मिल सके।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, आप मुझे भी एक मिनट बोलने दीजिए।

सभापति महोदय: आठवले जी, आप इस बिल पर पहले बोल चुके हैं इसलिए अब आप नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

***श्री ब्रह्मानन्द पंडा** (जगतसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, इस सभा के वरिष्ठ सदस्य, श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए प्रस्तुत इस संवेदनशील तथा ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत करता हूं। विराट युवा शक्ति हमारे देश की ताकत है। देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या युवा हैं और वे 25 वर्ष की आयु तक के हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यह विराट युवा शक्ति रोजगार के अभाव में हताश और कुंठाग्रस्त हो रही हैं। हमारे देश में यह व्यापक आर्थिक और सामाजिक विसंगति है। फिर भी हमारा देश एक सार्वभौमिक विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। सन् 2010 तक देश को एक उन्नतशील राष्ट्र बनाने का हमारा दावा कभी पूरा नहीं हो पायेगा, यदि हम देश के विभिन्न समुदायों के बीच व्याप्त व्यापक सामाजिक-आर्थिक विसंगति को दूर नहीं कर पाते।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने जीवन के अनुभव आपके समक्ष रखना चाहता हूं। इस सभा का सदस्य बनने से पूर्व मैं अपने राज्य उड़ीसा में फौजदारी वकालत कर रहा था। अपने पेशेवर दायित्वों के कारण मैंने पूरे उड़ीसा, के.बी.के. जिलों (कालाहांडी, बोलंगीर, कुरापुट) से राउकेला, झारसुगुरा आदि का दौरा किया है।

मेरे पास चोरी, बैंक डकैती आदि के मामले आए। मैंने देखा कि इन अपराधों में शामिल अधिकांश लोग बहुत ही युवा सामान्यत: 18 से 28 वर्ष की आयु के थे, जिसका मुख्य कारण उनकी निराशा तथा कुंठा थी। महोदय, स्नातक तथा स्नातकोत्तर करने के पश्चात् भी युवा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसी कारण छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में नक्सलवाद तथा मार्क्सवाद के रूप में उग्रवाद बढ़ रहा है। देश में बढ़ता उग्रवाद काफी हद तक नवयुवकों की हताशा से जुड़ा है।

हम सभी जानते हैं कि भारत संसाधनों से भरपूर है। हमारे देश में व्यापक क्षमता है। इसलिए युवाओं को सही दिशा दिखाई जानी चाहिए। युवाओं के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए। भारत का वर्तमान समाज अपराध और अपराधियों के लिए और सुभेद्य बनता जा रहा है। हमें युवाओं का सकारात्मक ढंग से मार्गदर्शन कर इसे रोकना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में, मैं यह कहना चाहता हूं कि हर किसी को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है तथा हमारी सरकार को चाहिए कि वह युवाओं को सम्मानपूर्ण जीवन जीने दे। प्रत्येक वर्ष 58 लाख बेरोजगार युवा अपना नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज कराते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस युवा शक्ति का सदुपयोग किया जाए। महोदय, मैं पुन: एक बार श्री मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत इस क्रांतिकारी विधेयक का स्वागत करता हूं और श्रम और रोजगार मंत्री श्री आस्कर फर्नांडीस का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): मैं अपनी संसद सदस्य, श्री मोहन सिंह जी का 18 वर्ष की आयु के सक्षम नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए जाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करता हूं। माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि सरकार प्रत्येक सक्षम नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराये और रोजगार उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में सरकार उस व्यक्ति को लाभप्रद रोजगार मिलने तक

*मूलत: उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

विधि द्वारा विहित निर्बंधन और शर्तों पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान देश के युवाओं द्वारा सामना की जा रही बेरोजगारी की समस्या की ओर आकृष्ट करना है। अतः यह सभी के लिए चिन्ता का विषय है। मैं श्री फ्रांसिस फैन्थम, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री चौधरी लाल सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार चायल, श्री राम कृपाल यादव, श्री निखिल कुमार, श्री भर्तृहरि महताब, डा. सत्यनारायण जटिया, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री सी.के. चन्द्रप्पन, श्री रिजीजू, श्री के.एस. राव, श्रीमती अर्चना नायक, श्री सुधाकर रेड्डी, श्री देवव्रत सिंह जी तथा श्री ब्रह्मानन्द पंडा जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने इस विषय पर अभी-अभी अपने विचार प्रकट किये हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: महोदय, मंत्री जी ने मेरा नाम शामिल नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, यदि कोई नाम मुझसे छूट गया है तो उसके लिए मुझे खेद है ...*(व्यवधान)*। मैं उन सभी का आभारी हूं। जिन्होंने अपनी चिंताएं व्यक्त की और देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिये।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे निर्माण, जमीन-जायदाद (रियल एस्टेट) और आवास, परिवहन, पर्यटन, लघु उद्योग तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं से युक्त सेवाओं के विकास तथा अन्य नई सेवाओं, जिन्हें समर्थित नीतियों, विशेषकर स्व-रोजगार के माध्यम से बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है को बढ़ावा देकर सभी आवश्यक कदम उठा रही है। फिलहाल भारत के संविधान में मूल अधिकारों में रोजगार का अधिकार' शामिल नहीं हैं। तथापि, संविधान में इनकी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में उपबंध किया गया है। संविधान देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों, आर्थिक और सामाजिक विकास के चरण के साथ रोजगार का अधिकार प्राप्त करने के प्रश्न को नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से जोड़ता है। काम के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने में तात्कालिक अड़चन यह है कि नागरिक संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ऐसे अधिकार देने के लिए याचिका दायर कर न्यायालयों के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। यदि काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाता है, तो सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाएगा कि उन सभी लोगों, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, के लिए उपयुक्त रोजगार की तलाश करे।

'रोजगार के अधिकार' के वादे को पूरा करने के लिए अनेक क्षेत्रों जैसे सूक्ष्म स्तर पर योजना बनाना, प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का प्रबंधन, व्यापक स्तर पर स्वरोजगार अवसरों का विकास तथा अन्य संबधित निर्णयों के संबंध में सघन आरम्भिक कार्य करना पड़ेगा। सरकार का यह मत है कि रोजगार के अधिकार की संकल्पना को तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब ऐसी परिस्थितियों को वास्तविकता का रूप दिया जा सके अर्थात जब उत्पादक और स्वतंत्र रूप से चयनित काम उन सभी के लिए मांग पर उपलब्ध हो। वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य में यह सम्भव नहीं है।

केन्द्र सरकार देश में व्याप्त बेरोजगारी की वर्तमान समस्या से भलीभांति परिचित हैं। पिछले 50 वर्षों से रोजगार विकास योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। यद्यपि इस अवधि के दौरान रोजगार सृजन के कार्य से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं।

रोजगार के सृजन में बहुक्षेत्रीय और बहुकोणीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो मूलतः मजदूरी रोजगार और स्वरोजगार के अधिक विशाल अवसर उत्पन्न करने में निहित हैं। उदारीकरण तथा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य के परिप्रेक्ष्य में रोजगार सृजन सतत प्रक्रिया नहीं हो सकती, यदि बुनियादी तथा माध्यमिक शिक्षा और कौशल विकास पर अधिक जोर नहीं दिया जाता। श्री फ्रांसिस फैन्थम, चौधरी लाल सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार तथा श्री राम कृपाल यादव जी ने भी इस बात पर जोर दिया है।

ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी की उच्च दर को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। देश में लाभप्रद रोजगार अवसर सृजन करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) तथा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) इनमें कुछ हैं।

बेरोजगारी की गंभीर समस्या को देखते हुए, 7.9.05 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) का अधिनियमन किया गया था। एनआरईजीए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को जीवनयापन की सुरक्षा प्रदान करता है। जिनके फलस्वरूप सदस्य अकुशल इस कार्य करने के इच्छुक हो। इस प्रकार, एनआरईजीए सरकार को उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी बनाता है, जो इसकी मांग करते

[श्री आस्कर फर्नांडीस]

हैं तथा इस प्रकार यह न केवल सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि रोजगार के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है।

महोदय, श्री मोहन सिंह जी ने मांग की है, निश्चित ही यह वह नहीं है, परन्तु यह एक शुरूआत है। हमने कुछ महीनों के भीतर 330 जिलों में 100 दिन कार्य प्रदान करके एक शुरुआत की है। पहली अप्रैल, 2008 से हम इसे देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं। पहले चरण में 2.2.2006 से इसे देश में चिन्हित 20 जिलों में लागू किया गया था और द्वितीय चरण में 1.4.2007 से इसे 130 और जिलों में लागू किया गया है। तथापि, अब सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) को 1.4.2008 से संघ क्षेत्रों सहित देश के सभी शेष जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। श्री कीरेन रिजीजू ने भी यह मुद्दा उठाया है तथा हमने भी यह निर्णय लिया है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी तथा संप्रग की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा व्यक्त चिंता तथा हमारे युवा सांसद श्री राहुल गांधी और हमारे वित्त मंत्री, जो इस बात पर अडिग हैं कि इसे समूचे देश को इसके अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए। के कारण संभव हो पाया है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अक्तूबर, 2007 तक लगभग 2.11 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 12,000 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान में से 8,303.82 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को अब तक केन्द्र के हिस्से के रूप में जारी कर दी गई है।

इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किसी कामगार, जिसने एनआरईजीए के तहत कार्य के लिए आवेदन किया है, और यदि उसे कार्य हेतु अनुरोध की तिथि के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे इस अधिनियम के तहत विहित दर पर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वर्ष 2004 से देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशासन में सुधार को चिन्हित करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उद्योग के साथ बातचीत की जा सके तथा स्नातकों को बेहतर रोजगार प्रदान किये जा सकें। प्रत्येक वर्ष 5465 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रों के माध्यम से 110 व्यवसायों में 7.50 लाख प्रशिक्षार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से 400 और प्र.स. को श्रेष्ठतर केन्द्रों के रूप में तथा घरेलू वित्तपोषण के माध्यम से 100 औ.प्र.स. का उन्नयन करने हेतु कदम उठाए हैं। शेष 1396 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 2.50 करोड़ रुपये प्रति औ.प्र.स. की लागत से निजी-सरकारी भागीदारी के तहत केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किया जा रहा है। शिशु अधिनियम, 1961 के तहत देश में प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 187 व्यवसायों में लगभग 2.50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 550 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कौशल विकास पहल नामक एक और कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इससे अगले पांच वर्षों के दौरान एक मिलियन लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा और तत्पश्चात् लचीली परिदान अनुसूचियों में बहु प्रवेश एवं बहु-बहिर्गमन विकल्पों के साथ नियामक नियोजक कौशल में प्रतिवर्ष एक मिलियन लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा।

सरकार नौजवानों को नियोजन किये जा सकने वाले प्रशिक्षण देने पर कौशल विकास अत्यधिक महत्व देती है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त 2007 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में 1500 नए औ.प्र.स., 100 नए बहुकला संस्थान, 10,000 और व्यावसायिक शिक्षण विद्यालय तथा 50,000 कौशल विकास केन्द्र की स्थापना करने की घोषणा की है, ताकि प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन लोगों को प्रशिक्षण दिए जा सकें। एक मिशन की भांति इस भारी भरकम काम को पूरा करने के लिए, जल्द ही एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। श्री के.एस. राव जी ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि इन प्रयासों से न केवल उद्योगों को कुशल जनशक्ति प्रदान होगी, बल्कि देश के युवाओं को एक बेहतर रोजगार भी प्रदान होगा।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में और गति से अधिक व्यापक आधार एवं सर्वांगीण विकास पर आधारित नए विजन की प्राप्ति के लिए नीतियों को पुनर्निर्धारण का अवसर प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन को विकास प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग बनाया जाना और रोजगार में वृद्धि हेतु रणनीति तैयार करना है और इसके साथ ही कम भुगतान पा रहे लोगों को उचित मजदूरी उपलब्ध कराना है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण नीति की पहल समाविष्ट है। 70 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर का सृजन करना एक अनुवीक्षणीय सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य होगा। भविष्य में मुख्यत: सेवा व विनिर्माण के क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

भविष्य में मुख्यत: सेवा व विनिर्माण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: चूंकि इस प्रस्ताव का समय समाप्त हो गया है, इसलिए इस आइटम के पूरा होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

[अनुवाद]

श्री ऑस्कर फर्नांडीज: अतः यह देखा जा सकता है कि सरकार बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु पहले ही आवश्यक कदम उठा रही है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी बेरोजगार व्यक्तियों, जिनकी संख्या 41 मिलियन है, को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के लिए, यदि प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को 10,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। प्रतिवर्ष कुल अपेक्षित धनराशि 49,200 करोड़ रुपये बनती है।

इस समय देश बेरोजगारी भत्ते पर इतना ज्यादा व्यय करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए केन्द्र सरकार का यह मत है कि सभी बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान से संसाधनों का व्यापक विकास कार्यक्रम से गैर-विकास संबंधी कार्यों के लिए विपथन होगा। इतने अधिक संसाधन का उन विकास कार्यों के लिए बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए, जो बेरोजगारी भत्ते कैसे निष्फल कार्यों पर उपयोग करने के विपरीत पर्याप्त उत्पादक नियोजन का सृजन करेंगे। इसलिए, केन्द्र सरकार, नीतिगत रूप से बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सभा में बेरोजगारी की स्थिति संबंधी विभिन्न मुद्दों को उठाया है। संप्रग सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है तथा वह बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव कदम उठाती रही है। आप इस बात से सहमत होंगे कि बेरोजगारी की समस्या हम सब के लिए बड़ी चिन्ता का विषय है। हमारी सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी संभव प्रयास करने के प्रति अत्यंत गंभीर है। इसलिए, मैं इस चर्चा को आरंभ करने और इस मुद्दे को उठाने तथा हमें ये सुझाव देने के लिए कि हम बेरोजगारी किस प्रकार दूर कर सकते हैं, माननीय सदस्यों का आभारी हूं तथा श्री मोहन सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस गैर-सरकारी विधेयक को वापस लें तथा सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस विधेयक की मंशा और इस विधेयक के पीछे जो मन्तव्य है, उसे अपना समर्थन दिया है। पार्टी की प्रतिबद्धता को छोड़ कर इस पक्ष और उस पक्ष सभी ने इस विधेयक की भावना का हार्दिक समर्थन किया है। मुझे इसी बात से संतोष है कि यह विधेयक पास हो गया है। यदि सभी दल के सदस्य इसकी भावना का समर्थन करते हैं तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि इस विधेयक को सर्वाधिक समर्थन मिला क्योंकि आज की तारीख में यह सर्वाधिक राष्ट्रीय महत्व का विषय है।

भारत के संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है जिस के तहत राज्यों को निर्देश देने के लिए कुछ नीतियां निर्धारित की गई हैं। उनमें एक प्रमुख नीति यह बनाने का आदेश दिया गया कि सब को रोजगार देने का इंतजाम किया जाए। माननीय मंत्री जी ने लंबी फेहरिस्त सुनायी। अगले सत्र में जब चिदम्बरम साहब बजट पेश करेंगे तो कुछ इन से ज्यादा फेहरिस्त सुना देंगे लेकिन मुश्किल देश की यह है कि "ज्यों-ज्यों दवा की, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया"।

गरीबी उन्मूलन एक मुख्य मुद्दा है। जो कोई सरकार में बैठता है, वह गरीबी दूर करने की बात करता है। गरीबी उसका निष्कर्ष है, उसका कारण बेरोजगारी है, बेरोजगार आदमी ही गरीब होता है। इसलिए यदि गरीबी दूर करनी है तो बेरोजगारी दूर करना ही उसका इलाज है। इलाज को खत्म किये बिना बीमारी समाप्त हो जाए इसकी कल्पना व्यर्थ है। हम भी इस बात को समझते है कि कोई भी संशोधन एक निजी विधेयक के जरिये प्रचारित करके संविधान को तब्दील नहीं कर सकते। हमारे संविधान में जो व्यवस्था है, जो अपेक्षा है, उसे हम अकेले पूरा नहीं कर सकते जब तक सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार न हो जाए। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक की भावना का समर्थन किया सिवाय इस बात के कि वे किसी भी हालत में बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में नहीं हैं। इस असहाय स्थिति को ही समाप्त करने के लिए हमारा कहना है कि यदि इस आर्टिकल को नीति निर्देशक तत्वों से निकालकर संविधान के मूल अधिकार में रख दिया जाए तो विवश होते हुए मंत्री जी को इस तरह का इंतजाम करना ही पड़ेगा। इसलिए इस आर्टिकल को नीति निर्देशक तत्वों में से निकालकर बुनियादी अधिकार में रखने की बात कही है, आग्रह किया है। मंत्री जी की भावना से सहमत हैं लेकिन विस्तार से असहमत हैं। जो बेरोजगारी उन्मूलन की इनकी योजनाएं हैं उनका श्रेय चिदंबरम साहब को भी एक-आध शब्द में दे देते और हमारे मित्र रघुवंश जी का नाम भी ले लेते तो हमें कुछ संतोष होता। इसका सारा श्रेय राहुल जी और सोनिया जी को दिया, लेकिन कुछ और लोग भी हैं।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: हमने लिया है।

श्री मोहन सिंह: ठीक है, रघुवंश जी का नाम भी ले लेते, जिन्होंने सबसे जोर से इसका समर्थन किया। ये भावना से सहमत

[श्री मोहन सिंह]

हैं और हम जानते हैं कि संवैधानिक तब्दीली अकेले हम नहीं कर सकते हैं इसलिए हमारी विवशता है। आपकी आज्ञा से मैं इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः प्रश्न यह है कि:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंहः मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

अपराह्न 4.53 बजे

अंतर-राज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब, हम मद संख्या 45 लेंगे—अन्तर-राज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005।

श्री मोहन सिंह।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अंतर-राज्य नदी जल के वितरण के लिए अंतर-राज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

हम इस बात को सभी जानते हैं और आप इसके सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं, जब कभी वर्षा ऋतु आती है, जिस राज्य से जो नदी निकलती है, उसके पानी को छोड़ दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि नीचे बसने वाले राज्य बाढ़ से निरंतर ग्रस्त हो जाते हैं। इस वर्ष और पिछले दो-तीन वर्षों से बिहार राज्य में तीन-चार बाढ़ आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से बाढ़ शुरू होती है और बिहार में जाकर समाप्त होती है। तकरीबन उत्तर भारत की बीस से पच्चीस करोड़ आबादी हर साल बाढ़ से तबाह होती है। यही स्थिति दूसरों राज्यों की भी है। दिल्ली की आम जनता पीने के पानी के लिए मोहताज हो जाती है, परेशान हो जाती है क्योंकि यमुना नदी जब हिमालय से निकलती है तो हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के भाईयों का आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है कि राजस्थान सबसे एंड पर है इसलिए सारी कोशिश के बावजूद कि इंदिरा नहर को राजस्थान तक पहुंचाएंगे और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को हरा-भरा करेंगे। लेकिन वह स्वप्नमात्र रह गया। इंदिरा जी के जमाने से इंदिरा नहर वहां पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसका पानी नहीं पहुंचता। हर साल तीनों-चारों राज्य दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इस विवाद से परेशान होते हैं कि यमुना के जल का समुचित बंटवारा नहीं हो पाता। दक्षिण के राज्यों की भी यही समस्या है। हमने देखा कि कावेरी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर कितना विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये अवार्ड को भी मानने के लिए दक्षिण के उन तीनों राज्यों में से कुछ राज्य तैयार नहीं थे और जनता की ओर से इस मामले में जबरदस्त आंदोलन खड़े हुए। नर्मदा नदी के पानी को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात में भी यह विवाद चलता रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आज की तारीख में पेयजल की गम्भीर समस्या है। महिलाओं का सुबह एक मात्र काम होता है कि वे दस-बीस किलोमीटर दूर तक अपना टोकरा लेकर जाती हैं और पानी ढोकर लाती हैं, चूंकि वहां पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों में हैं। हमारा जो बुंदेलखंड का इलाका है, वहां के बारे में अब समाचार-पत्रों में खबरें आ रही हैं कि पानी के अभाव में धरती फट रही है और उसमें से ज्वालामुखी निकलने की स्थिति पैदा हो गई है। पिछले चार-पांच वर्षों में जो बुंदेलखंड में जबरदस्त सूखा पड़ा, जिसके चलते आज ज्वालामुखी की स्थिति बनी है, उसके साथ वहां भुखमरी की हालत भी है। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उसके समुचित ढंग से बंटवारे की। इस देश में बहुत पहले एक नीति बनी थी, जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में श्री के.एल. राव साहब भारत के सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम उत्तर की नदियों को दक्षिण तक पहुंचा देंगे। लेकिन बीच में हमारी विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। जैसे हमारे उत्तर में हिमालय खड़ा है, हमारे मध्य में विंध्याचल खड़ा है। इसलिए उत्तर की नदियों को दक्षिण ले जाना एक कठिन काम है। लेकिन एक नीति के ऊपर सरकार ने चलने की बात की कि यदि हम उत्तर की नदियों को दक्षिण नहीं ले जा सकते तो उत्तर की ही नदियों को आपस में इस तरह जोड़ दें कि बरसात के दिनों में जिन नदियों में जल नहीं रहता, वहां

जल पहुंच जाए और गर्मी के दिनों में जब जल की बहुत आवश्यकता होती है तो उसका जल इस रूप में संरक्षित रहे कि गर्मी में भी लोगों को पानी मिल सके, सिंचाई का भी इंतजाम हो सके और पेयजल की समस्या का भी समाधान हो सके।

सभापति महोदय, हमारे पूर्वी हिंदुस्तान की भी एक गंभीर समस्या है। क्योंकि हिमालय हमारे जल का प्रमुख स्रोत है और रोजाना ये खबरें हमारे देश के अखबारों में छपती रहती हैं कि तिब्बत से जिन नदियों का स्रोत है, उस स्रोत को बिगाड़ने की कोशिश हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यह खबर छपती है कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उसे हाइड्रोजन के जरिये तोड़कर उसकी दिशा को बदलने की कोशिश हो रही है। जिन नदियों से कश्मीर तक भूभाग की सिंचाई होती है और कश्मीर में हम बिजली का इंतजाम कर पाते हैं, इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सिंचाई भी होती है, दो वर्ष से हम सुन रहे हैं कि सिंध नदी के ऊपर भी संकट है और जो झेलम और चेनाब नदियां हैं, उनमें इस तरह के अवरोध पैदा कर दिये जाते हैं कि जल से हमारे बिजली बनाने के जो कारखाने हैं, वे कारखाने हिमाचल प्रदेश में पिछले सालों में बर्बाद हो गये। इसलिए नदियों के जल का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण समस्या इस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए भी है और इस देश की आम जनता की सुख-समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इसलिए हमने आग्रह किया है कि बार-बार किसी भी राज्य की जनता को सुप्रीम कोर्ट न जाकर उसकी ओर से पंचाट नियुक्त करके अपनी समस्याओं का समाधान करने की बजाय एक स्थाई रेगुलेटरी अथारिटी इस देश में बना दी जाए, जो राज्यों की अपनी आवश्यकता को देखते हुए जल का वितरण करें। इसलिए हमने इस विधेक में इसका जो कारण और आधार रखा है, उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

देश में छोटे राज्य बनाए जाने के परिणामस्वरूप एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्यों में जाने वाली नदियों की संख्या बढ़ गई है। आमतौर पर यह होता है कि नदी के बहाव के ऊपर की ओर स्थिति राज्य नदियों के स्रोत पर इनके पानी को रोक लेते हैं और नदियों के बहाव के निचली ओर स्थित राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पानी नहीं मिलता। वर्षा के मौसम में नदियों के स्रोत वाले राज्य इन नदियों में पानी छोड़ देते हैं जिसके परिणामस्वरूप धारा के निचली ओर स्थित राज्यों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है। अन्य मौसमों में धारा के निचली ओर स्थित राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ता है। पानी, विभिन्न राज्यों के बीच विवाद के मुख्य कारणों में से एक है। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि सभी अन्तर-राज्यीय नदियों को केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से पानी का बंटवारा करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ता है वहां जल संचयन के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाना भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अतः, मैं इस विधेयक को इस सभा के विचारार्थ पुरःस्थापित कर रहा हूं।

सभापति महोदयः प्रस्ताव यह हैः

"कि अंतरराज्य नदी जल के वितरण के लिए अंतरराज्य नदी जल विनियामक प्राधिकरण के गठन और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री मोहन सिंह जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वह एक अच्छा विषय का प्रस्ताव सदन में लाए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जो उत्तर देंगे, वह हम सभी सांसदों और इस देश के लिए संतोषजनक उत्तर होगा और वह बहुत गहराई से सोच-विचार कर उत्तर देंगे। यह हमारे देश की विडम्बना है कि आज आजादी के 60 साल बाद भी जल प्रबंधन का कार्य जिस तरह से होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। यही कारण है कि जैसाकि मोहन सिंह जी ने बताया और कई बार इस सदन में चर्चा भी हुई कि देश के एक क्षेत्र में सूखा पड़ता है और एक क्षेत्र में बाढ़ आती है। अगर हम अन्तरराज्यीय नदी बंटवारे को देखें, जैसे रबी-व्यास उदाहरण और अब रबी-व्यास के उदाहरण में सैक्शन 14 के अंतर्गत यह विवाद कोर्ट में चला और कोर्ट ने शासन को आदेश दिया कि एक ट्राईब्यूनल गठित करिए। ट्राईब्यूनल गठित हुआ लेकिन उस ट्राईब्यूनल ने आज तक सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी। अब आप सोचिए कि रबी-व्यास का विवाद चल रहा है। इसी तरह से महादेई-मांडेयी नदी का विवाद है। यह विवाद महाराष्ट्र और गोवा सरकार के बीच का विवाद है। कोर्ट ने गोवा सरकार को वर्ष 2006 में आदेश दिया कि आप एक रिपोर्ट भेजिए लेकिन अभी 2007 समाप्त हो रहा है और वह रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इन विवादों को जल्दी से निपटाया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नदी बंटवारे का जो विवाद है, उसे आप वैज्ञानिक तीरके से निपटाइए।

[अनुवाद]

"नदी विवाद को वैज्ञानिक तरीके से हल किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

[श्री लक्ष्मण सिंह]

मैं उससे सहमत हूं। जैसाकि आप सब जानते हैं कि इसमें राजनीति भी होती है। जिस राज्य और जिस पार्टी की सरकार केन्द्र में होती है, वह एक काम कर सकती है कि अगर कोर्ट ने उनसे कुछ जवाब मांगा तो जवाब देने में विलम्ब कर सकती है और ऐसा होता है, हम सब जानते हैं तथा इस विलम्ब के कारण समस्याएं खड़ी होती हैं। पंजाब आज कह रहा है कि हम पानी हरियाणा और राजस्थान को नहीं देंगे। इसमें एकता और अखंडता का भी प्रश्न उठता है। अगर हम एकता और अखंडता की बात करते हैं तो हमें देश को एक और अखंड रखने के लिए कदम भी उठाने चाहिए। मैं पंजाब सरकार के निर्णय से सहमत नहीं हूं और पंजाब सरकार तो यहां तक कह रही है कि हम पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट का सैक्शन 5 जो है, उसी अबॉलिश कर देंगे। अगर उसे अबौलिश कर देंगे तो क्या होगा? आज सुबह ही राजस्थान की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया गया कि वहां पानी की कितनी कमी है। अगर कल हिमाचल प्रदेश यह कह दे कि रावी-व्यास नदियां उसके यहां से निकलती है, वह पंजाब राज्य को पानी देने के लिए तैयार नहीं है तो भाखड़ा में पानी कहां से भरेगा, गोविन्द सागर डैम में पानी कहीं से आयेगा? इसलिए आज इस संबंध में विचार करना आवश्यक है। अभी दिल्ली का उदाहरण दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में न जाने कितने लोग बसते हैं। वर्ष 2010 में कॉमनवैल्थ गेम्स होने हैं। इस संबंध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय सरकार को उन दोनों राज्यों को बुलाकर बात करनी चाहिए और विवाद का अंत करना चाहिए।

सभापति जी, नदियों को जोड़े जाने की योजना बहुत ही अच्छी है। आज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और जिस प्रकार धरती पर तापमान बढ़ रहा है, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अगर हम नदियों को नहीं जोड़ेंगे तो नदियों का सारा पानी समुद्र में चला जायेगा और उसका जल-स्तर और बढ़ जायेगा। इसलिए नदियों को जोड़ने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने नदियों के पानी को जोड़ने की योजना पर आपत्ति जतलाई है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह कृपया इस विवाद का भी निराकरण करें। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इस संबंध में राजनीति की गई है। केन-बेतवा नदी जोड़ने की योजना को केन्द्र सरकार ने स्वीकृति दी थी लेकिन आज पर्यावरणविदों ने आपत्ति यह उठायी कि केन-बेतवा के कारण टाईगर रिजर्व इस योजना से प्रभावित होता है। लेकिन उस समय पर्यावरण विशेषज्ञों ने आपत्ति नहीं की थी और योजना को मंजूरी दे दी गई थी। चूंकि यह योजना पूर्व की केन्द्र सरकार ने मंजूर की थी, इसलिए उसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। आज यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण संबंधी समस्यायें हैं। इस तरह की दोमुंही बातें नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार पार्वती काली-सिंध नदी योजना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को प्रभावित करती है। इस लिंक परियोजना में पर्यावरण का किसी तरह से कोई विवाद नहीं है। यहां तक कि जो छोटे-मोटे विवाद थे, वे भी दूर हो गये हैं। दोनों राज्यों में एक प्रकार से सहमति भी हो गई है। पूर्व में केन्द्र सरकार ने राशि भी आवंटित कर दी थी। आप जानते हैं कि राजस्थान का एक बड़ा भू-भाग सूखाग्रस्त है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया या जल की व्यवस्था नहीं की गई तो मध्य प्रदेश का लगा हुआ ऐरिया रेगिस्तान में बदल जायेगा। लिंक परियोजना से 1360 लाख क्यूसिक पानी बढ़ेगा जिससे लगभग सवा-डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई की जा सकेगी। अभी तक इस योजना को शुरू नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जल्दी ही इस योजना को स्वीकृति दी जाये जिससे राजस्थान और मध्य प्रदेश का वह ऐरिया रेगिस्तान में परिवर्तित न हो जाये। वहां गरीब लोग रहते हैं जो मजदूरी की खोज में दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, उनका पलायन रुक सके। वहां के लोगों की पेयजल की समस्या का हल हो सके और जल स्तर नीचे जाने से रुक सके। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर प्रकाश डाले।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद महोदय।

सबसे पहले, मैं हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री मोहन सिंह को यह विधेयक पुरःस्थापित करने पर प्रशंसा करता हूं व बधाई देता हूं। इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने यह सुझाव दिया है कि भारत सरकार द्वारा एक अन्तर-राज्यीय जल विनियामक प्राधिकरण गठित किया जाए जिसके माध्यम से, जिन राज्यों से नदियां निकलती हैं और जिनके बीच से होकर बहती हैं, उनके बीच विवादों का निपटारा किया जाए।

इस विधेयक के खण्ड 5(1) में इन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस प्राधिकरण के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हों और केन्द्र सरकार के जल संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय के उच्च पदों से सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अन्य चार

सदस्यों के रूप में चुना जाए। इसके बाद, इन्होंने इस विनियामक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया है। इसका पहला कार्य सभी राज्यों में उपलब्ध जल संसाधन और उनकी सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक पानी की आवश्यकताओं की गणना करना है। यह प्राधिकरण सरकार को जल संचयन नीति के बारे में परामर्श भी देगा। इन्होंने इन सब चीजों का सुझाव दिया है।

यदि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरे देश में घूमते हैं तो पाएंगे कि सभी राज्यों में जल के बंटवारे को लेकर समस्याएं हैं। जब हमारे महान् नेता श्री के. कामराज 14 अप्रैल, 1954 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने तमिलनाडु राज्य में सिंचाई कार्य हेतु कई बांध, विशेषकर भवानी सागर बांध और अमरावती बांध बनाने की योजना बनाई थी। अब, सभी राज्य, जहां से नदियां निकलती हैं और जिन से होकर बहती हैं, पानी के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। अत: माननीय सदस्य ने इस विधेयक के माध्यम से राज्यों के बीच इस समस्या को हल करने का सुझाव दिया है।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा के सामने यह कहना चाहता हूं कि राज्यों के बीच इन विवादों को निपटाने हेतु वर्ष 1956 में अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इसमें विवादों का समयबद्ध सीमा में निवारण करने हेतु वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था। इस अन्तर-राज्यीय जल विवाद अधिकरण को बहुत से मामले अग्रेषित किये गये थे और वे मामले वर्षों से इसके पास लंबित हैं। इस समस्या को हल करने के लिए बहुत सी धनराशि व्यय की गई है परन्तु अभी तक यह समस्या हल नहीं हुई है। वर्षा के मौसम में, हम यह देख सकते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में बहुत सा पानी बिना किसी उपयोग के व्यर्थ बह जाता है।

यदि आप तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में जाएं तो देखेंगे कि वहां हमें कृषि कार्यों के लिए समय पर पानी नहीं मिलता। यद्यपि, हमारे यहां तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा है तथापि हमें अन्य राज्यों से पानी की भीख मांगनी पड़ती है अन्यथा राज्य की सारी कृषि नष्ट हो जाएगी। यह स्थिति है। आजकल हमारे यहां पानी की कमी है। हमें जल विद्युत परियोजनाओं के लिए पानी की आवश्यकता है। जिन राज्यों में आवश्यकता से अधिक पानी है वे उसे पानी की कमी वाले राज्यों को दे सकते हैं।

अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण गठित किया गया था और कई राज्यों से उसे ऐसे मामले अग्रेषित किए गए थे। इस संबंध में मैं कुछ मामलों का उल्लेख करना चाहता हूं। रावी और व्यास नदियों के संबंध में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच विवाद है। वर्ष 2006 तक वे केवल इसी मामले के लिए लगभग 5.45 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। वर्ष 2006 तक लगभग 10.43 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कृष्णा नदी के पानी से संबधित विवाद पर लगभग 2.05 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं। अधिकरण का सारा व्यय विवादों में सम्मिलित राज्यों को वहन करना होता है। इतनी बड़ी धनराशि व्यय करने के बावजूद भी ये समस्याएं हल नहीं हुई हैं।

गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच मादेई, मांडवी और महादायी नदियों को लेकर विवाद है। ये सभी विवाद बहुत समय से लंबित हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बांसधारा नदी के पानी को लेकर इसी प्रकार से झगड़ रहे हैं। इसके बाद, तमिलनाडु और केरल मुल्लापेरियार नदी के पानी को लेकर लड़ रहे हैं। यह लगातार चल रहा है। भारत सरकार प्रभावी रूप से और गंभीरतापूर्वक बातचीत के माध्यम से इन विवादों को हल करने का प्रयास कर रही है। यदि बातचीत से कोई हल नहीं निकलता तो फिर उस समस्या को अधिकरण को अग्रेषित कर देती है। वह मामला अधिकरण में भी लंबित है। जब वह समस्या अधिकरण से भी हल नहीं होती तो फिर वे उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं। उच्चतम न्यायालय में भी वे लंबित रह जाते हैं।

जब तक अन्तर-राज्यीय जल विवादों का देश भर में निपटारा नहीं किया जाता तब तक सिंचाई और विद्युत उत्पादन हेतु आवश्यक पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं होगा। उदाहरण के लिए, यदि राज्य स्वयं किसी समझौते के साथ आगे आते हैं तभी इस समस्या को हल किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संबंध में केन-बेतवा सम्पर्क को लेकर एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये गये थे। इसी प्रकार राजस्थान की चम्बल, काली सिंध, पार्वती और बानस नदियों के सिंचाई और पेयजल कार्यों हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए, हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य, श्री मोहन सिंह, ने यह सुझाव दिया है कि एक अन्तर-राज्यीय नदी जल विनियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए जिसकी सहायता से भारत सरकार सभी नदियों को अपने अधिकार में ले ले। अत:, इस सुझाव के आधार पर भारत सरकार उन राज्यों को जहां पानी का स्रोत उपलब्ध है या जहां से कोई नदी निकलती है—यह निदेश दे सकती है कि जिन राज्यों में पानी की आवश्यकता है उनके लिए पानी छोड़ा जाए। यदि सरकार इस

[श्री एस.के. खारवेनथन]

विधेयक को स्वीकार कर लेती है तो इस देश में यह समस्या हल हो जाएगी। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, हमारे बहुत ही अनुभवी और किसानों के हमदर्द मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत अन्तरराज्यीय नदी जल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2005 का मैं प्रबल समर्थन करता हूं। सचमुच जल ही जीवन है। यह विधाता की अद्भुत देन है। इस पर सबका अधिकार होना चाहिए। अब्दुल रहीम खानकाना कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है-

रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
पानी गए न उबरे मोती मानस चून।

मान्यवर, यह अब्दुल रहीम खानखाना की कविता है। 'रहिमन पानी राखिए' रहीम कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, जल की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। 'बिन पानी सब सून', बिना पानी के, बिना जल के सब सूना है। ''पानी गए न ऊबरे, मोती मानस चून', जिसका पानी उतर जाता है, अगर इंसान का पानी उतर जाता है, उसकी इज्जत चली जाती है, तो इंसान का जीवन बेकार। मोती का पानी, चमक अगर चली गई, तो वह मोती किसी काम का नहीं। इसी प्रकार चूना या आटे का बिना पानी के क्या अस्तित्व है। इसलिए पानी का बहुत महत्व है। यहां 'आबरू' शब्द बना ही 'आब' से है। 'आब' भी जल के लिए आया है। उसी से आबरू यानी प्रतिष्ठा बनी है। वेद के अंदर कहा गया है ''आपौ वै ब्रह्म'' जल ही ब्रह्म है, जल ही ईश्वर है। इस प्रकार की बात कही गई है। इस प्रकार देखें, तो जल के महत्व को प्रारम्भ से ही स्वीकार किया गया है।

मान्यवर, हिन्दुस्तान प्रकृति का पालना कहा जाता है। भारत को प्रकृति का पालना कहा जाता है। हिन्दुस्तान प्रकृति का पालना है। एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आदि हैं। कहीं नदियां हैं और कहीं मैदान हैं, कहीं थार का मरूस्थल है, कहीं दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है और कहीं समुद्र तटीय मैदान हैं। सब प्रकार की जलवायु, सब प्रकार की वनस्पतियां, सब प्रकार की उपज, सब प्रकार की फसलें, सब प्रकार के फल, सब प्रकार के लोग, सब धर्मों, जातियों और भाषाओं के लोग इस देश के अंदर है। 'अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा।'' ऐसे देश के अंदर पानी के नाम पर विवाद हो, इससे बढ़ कर दुखद स्थिति और क्या हो सकती है।

मान्यवर, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को न अपनाकर हम क्षेत्रीयतावाद, प्रान्तीयतावाद या रिपेरियन लॉ के अनुसार चल रहे हैं, यानी जहां पानी है, जहां पानी निकलता है, उस पर केवल उन्हीं का अधिकार है। ऐसा मान कर चलना, उचित नहीं है। जब हमने नदियों को एक बार अन्तरराज्यीय नदियां कह दिया, तो वह नदी जो एक राज्य से दूसरे और दूसरे के तीसरे राज्य में बहकर जाती है, उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन हम सब आपस में लड़ते हैं। आपने एक बहुत सुन्दर हल प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाओ, हाईकोर्ट में जाओ या ट्रिब्यूनल में जाओ। इनमें बहुत समय लगता है। यदि प्राधिकरण होगा और जल को यदि राष्ट्रीय सम्पत्ति मान लिया जाएगा तथा नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति मान लिया जाएगा, तो उससे हमारी राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण विकसित होगा। अगर राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा होगी, तो हम एक दूसरे के दुख-सुख के भागीदार होंगे। निश्चित रूप से जब जल राष्ट्रीय सम्पत्ति होगा, तो प्राधिकरण उसका विभाजन भली प्रकार से कर सकेगा। जहां अधिकता है, वहां से जहां अभाव है, वहां जल दिया जा सकेगा।

मान्यवर, आप तो स्वयं भुक्तभोगी हैं। आपने स्वयं कई दफा अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा है कि बिहार के अंदर बाढ़ का विकट प्रकोप होता है और लगभग दो-तिहाई हिस्सा, प्रति वर्ष बाढ़ के अंदर तबाह हो जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, असम हो और अब तो हमारे राजस्थान में भी बाढ़ आने लगी है। कहां पहले 14-14 साल तक बादलों के दर्शन नहीं होते थे और अब बाड़मेर में बाढ़ आ गई। सारा भूगोल बदल रहा है, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसमें तनिक मात्र भी शंका नहीं है कि राजस्थान के अन्दर पानी की बड़ी कमी है। हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं। लगभग 20-25 साल हो गये, भाखड़ा बांध जब से बना, तब से हम कह रहे हैं कि सतलुज, रावी और व्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से के साथ-साथ राजस्थान का भी हिस्सा होना चाहिए और भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड, हरिके बांध की व्यवस्था में राजस्थान का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, उसकी देख-रेख में होनी चाहिए।

लेकिन 0.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमको पहले मिलता था। पहले यह तय हुआ था कि इतना पानी आपको मिलेगा, जब तक आपके यहां नहरी क्षेत्र का विकास नहीं हो जाता है और जब आपके यहां पूरा नहरी क्षेत्र का विकास हो जायेगा, नहरें बन जाएंगी, उप-नहरें बन जाएंगी, छोटी नालियां बन जाएंगी, सिंचाई का पूरा प्रबंधन हो जायेगा तो फिर आपको पूरा पानी देंगे, लेकिन तब तक आपको इतना ही पानी दिया जायेगा। जब से वह योजना बनी और बांध बने, तब से हमारा पानी वहीं का वहीं है। अब

राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर भी बन गई, करोड़ों रुपया भी खर्च हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर तक पानी पहुंचाने का प्रयास हो गया, लेकिन फिर भी पंजाब हमारे हिस्से का पानी देने से इंकार कर रहा है। अब तो उसने टर्मिनेशन बिल पास करके कह दिया कि राजस्थान को कोई हिस्सा नहीं दिया जायेगा, हरियाणा को कोई हिस्सा नहीं दिया जायेगा। सतलुज-यमुना लिंक नहर जो बननी थी, उसमें भी हरियाणा और पंजाब के अन्दर विवाद चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है। इन सारे विवादों की ओर मैं ध्यान नहीं दिलाना चाहता, हमारे साथी बहुत कह चुके हैं। ...*(व्यवधान)* मुझे अपनी पूरी बात तो कहने का मौका दें।

एक तरफ बाढ़ की विभीषिका है और दूसरी तरफ उसकी कमी है। एक इंसान के नाते, मानवता के नाते हमारा फर्ज हो जाता है कि जहां आवश्यकता हो, वहां पानी दिया जाये और जहां ज्यादा हो तो ज्यादा वाला उदारतापूर्वक उसे दे। जब वहां बाढ़ आती है तो पानी छोड़ देते हैं, बड़े-बड़े बांधों के गेट खोल दिये जाते हैं और नीचे उसकी सूचना भी नहीं हो पाती है और एकदम बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो जाता है। जब बाढ़ नहीं होती है और जब नीचे सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है तो वहां सारा पानी रोक दिया जाता है, चाहे वह दूसरे देश में, पाकिस्तान के अन्दर बहकर चला जाये, लेकिन एक राज्य दूसरे राज्य को पानी देना नहीं चालता। यह स्थिति बड़ी भयावह है।

माननीय राव साहब जब सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने भी प्रयत्न किया और उसके बाद जब एन.डी.ए. की सरकार आई और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां अन्य क्षेत्रों के अंदर, चाहे सड़कों का निर्माण हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात हो, वे सारे काम किये, वहां पर उन्होंने यह भी कहा कि नदियों को जोड़ने का काम किया जायेगा, ताकि अभावग्रस्त, अकालग्रस्त, सूखाग्रस्त पानी की आवश्यकता वाले इलाकों के अन्दर, पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी जल पहुंच सके और बाढ़ वालों को भी परेशानी नहीं हो और वहां की आवश्यकता भी पूरी हो जाये। लेकिन जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तो उन्होंने बजट एलोकेशन भी बहुत कम किया है और उदासीनता बरत रही है, उपेक्षा बरत रही है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सोज़ साहब बैठे हुए हैं, कश्मीर के अन्दर भी आगे पीछे यही समस्या आने वाली है, क्योंकि चीन सिंध का पानी निकालकर ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस पर मंत्री जी का जवाब भी होगा। अमरकंटक को छोड़कर आपके सारे पाइंट्स आ गये हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: मैं यह कह रहा था कि नदियों का पानी सब राज्यों को मिले। प्यासे को पानी मिले, यह तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति में रहा है कि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिले। चाहे खेती प्यासी हो, उसे भी पानी मिले और इन्सान प्यासा हो, पेयजल की समस्या हो, इसलिए जहां बहुलता हो, वहां से पानी दिया जाना चाहिए।

मैं इस बिल का बहुत समर्थन करता हूं। इस बिल के अन्दर 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं, आप भी इसकी प्रशंसा करना चाहेंगे। इसमें यह है कि दो काम इस प्राधिकरण के जिम्मे रहेंगे। एक तो प्रत्येक राज्य को अन्तर्राज्यीय नदियों के जल वितरण का काम करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करेगा। यह जो रेगुलेटरी एथॉरिटी है, जो विनियामक प्राधिकरण है, यह सिफारिश करेगा। दूसरे, जल संचयन भी तो होना चाहिए, उसके लिए प्रत्येक राज्य को निधियां आबंटन करने के लिए भी केन्द्र सरकार को यह सिफारिश करेगा। आपने ऐसा आयोग बनाया है, इसका जो प्राधिकरण बनेगा, इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। इसके दो अन्य सदस्य होंगे, जो रिटायर्ड हों, लेकिन वे केन्द्रीय सरकार के जल संसाधन और ऊर्जा मंत्रालय के उच्च पदों पर हों। इसका अध्यक्ष एवं सदस्य महामहिम राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय सरकार सिफारिश करेगी, पैनल भेजेगी और उसमें से महामहिम राष्ट्रपति जी चाहेंगे, तो ऐसे में किसी को कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। वह चाहे तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच का विवाद हो या राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में काली, सिंध और पार्वती का विवाद हो, क्योंकि हम दो तीन-साल से सुन रहे हैं, कि सब हो गया है, सब बातें कर ली हैं, लेकिन वहां पानी नहीं मिल रहा है।

महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि केन्द्रीय जल प्राधिकरण की शीघ्र स्थापना की जाए, ताकि हमारी समस्याएं हल हो सकें।

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): जनाब वाइस चेयरमैन साहब, मेरे दिल में बड़ी खुशी है कि मोहन सिंह जी बहुत ही अच्छा बिल हाउस में लाए हैं। इनकी स्पिरट का मैं खैरमकदम करता हूं और इनकी बात से सहमत हूं, बल्कि जो मेरे कलीग मोहन सिंह जी, रासा सिंह जी और तमिलनाडु के भाई खारवेन्थम जी ने जो भी बताया, मैं उसकी स्प्रिट से तहेदिल से सहमत हूं। इस बिल का जो स्टेटमेंट है, उससे लगता है कि मोहन सिंह जी के दिल में एक बड़ी चिंता है, जो मुझे भी है और सारे सदन को है। इनको तकलीफ है, इन्होंने पंजाब में देखा, यमुना में देखा कि वहां पानी है, लेकिन पानी रिपेरियंस को, जो नीचे हैं, उनको ठीक तरह से नहीं मिलता है। कृष्णा, कावेरी की बात भी

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

इन्होंने कहीं। वहां बड़ी मुश्किलात हैं। जो दरिया के निचले रुख में रहते हैं, लोअर रेपिरयंस हैं, उनको काफी तकलीफें हैं। इनका यह भी कहना है कि देश में पानी की कमी नहीं है। असल में यह पानी की तकसीम का मामला है। जैसाकि रासा सिंह रावत जी ने अब्दुल रहीम खानखाना के श्लोक भी बताये। जो सारे मौजूदा मेंबरान हैं, उनके दिल में तड़प हैं, फिर झगड़ा किस बात का है, झगड़ा होना नहीं चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं। इन्होंने इंटरलिंकिंग की भी बात की। हालांकि, इस वक्त लगता है कि यह बात जल्दी खत्म हो जाए। मैं आपको दावत देता हूं किसी दिन आपके साथ बहुत जमकर बात करेंगे। यह बहुत जरूरी मसला है। मैं आपको बहुत ही तफसील से बताऊंगा क्योंकि मैंने कुछ इसमें वर्जिश की है। इसे समझने में कुछ टाइम लगाया है। इस वक्त संक्षेप में कुछ बातें बताता हूं। मैं मोहन सिंह जी का समर्थन करता हूं क्योंकि इनकी स्प्रिट बहुत अच्छी है। देशभक्तों का ही यह काम है कि वे सबके लिए चिंता करें। मध्य प्रदेश और राजस्थान योजना को मुकम्मल करना चाहिए। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, पहले मैं जरा दूसरे मेंबर्स की बात करूंगा।

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेनथन ने असली मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कावेरी बेसिन पर केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है, अधिकरण संस्था में ज्यादा समय लगता है और वे न्यायालय जा रहे हैं। लेकिन आप मानेंगे कि संविधान में एक व्यवस्था मौजूद है। यदि हम विलंब करते हैं तो उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है। हमारे संविधान में एक व्यवस्था है। हमारे पास न्यायपालिका है; हमारे पास विधानपलिका है और हमारे पास कार्यपालिका है तथा हमारे पास अधिकार क्षेत्र भी हैं। हमें इन संस्थाओं पर गर्व करना चाहिए। लेकिन वे ठीक हैं क्योंकि न्यायालय में लंबा समय लगता है। जो बातें बातचीत से सुलझाई जा सकती हैं वे अदालतों में एक वर्ष लगाकर भी नहीं सुलझाई जा सकती। इसलिए शीघ्र ही हमें यह करना ही होगा। लेकिन साथ ही मैं यहां यह भी अवश्य कहना चाहूंगा कि हम अधिकरण की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

जल विवाद अधिनियम संवैधानिक उपबंधों अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 पर आधारित है। सर्वप्रथम, मैं श्री मोहन सिंह को बताना चाहूंगा कि जहां तक किसी विनियामक प्राधिकरण का संबंध है, मेरा कहना है कि अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि भारत के संविधान की प्रविष्टि-56 काफी व्यापक है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं सभा का समय बचाना चाहता हूं और इसलिए, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। मेरे पास संविधान की एक प्रति है। संघीय सूची की प्रविष्टि-56 में पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। यह केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है। स्थिति यह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने शक्तियां दी हैं। वे जल को राज्य का विषय बनाना चाहते थे। यहां तक कि जो प्रविष्टि-56 है, वह राज्य सूची की प्रविष्टि 17 को निरस्त करती है। हां, यह आपको आगाह करती है कि इसे इस प्रकार लागू न किया जाए कि राज्य आपसे सहमत न हों। इस प्रकार, इन मुद्दों पर लंबे समय तक विचार करने के पश्चात् हमारे बीच सहमति बनी है।

यह सहमति क्या है? यह मंत्रालय में हमारा समझौता है। संसद की दोनों सभाओं तथा सलाहकार समिति में विचार-विमर्श करने के पश्चात, देश में जो स्थिति मौजूद है कि हम राज्यों से सलाह-मशविरा कर रहे हैं। उनसे सलाह-मशविरा किये बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह सहमति अब दिखाई देती है जबकि हम बेसिन के इष्टतम विकास और जल का युक्तियुक्त उपयोग करने के लिए और मतभेदों को बातचीत के जरिये सुलझाने का निर्णय लेने के लिए सहयोगी बेसिनों के साथ विचार-विमर्श से एक नदी बेसिन संगठन बनाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया लंबी है। कुछ तो होना चाहिए।

मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं। कुछ होना चाहिए, ताकि नदी तट पर पहले पड़ने वाला राज्य जल को इस प्रकार नियंत्रित न करे अथवा प्रयोग न करे कि बाद वाले राज्य को कठिनाई हो। मानसून में उनके पास दूसरों को बाढ़ग्रस्त करने के लिए पर्याप्त पानी होता है और जब पानी की कमी होती है तो सूखा पड़ जाता है। हमें इस स्थिति से बचना होगा। पानी की प्रत्येक बूंद देश की है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई नदी कितने राज्यों से गुजरती है। नदी सबकी है, समूचे राष्ट्र की है।

मैं इस चर्चा को माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ जारी रख रहा हूं। हम देश में व्यापक सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा करेंगे। लेकिन मुझे कुछ संदेह है। कभी-कभी, समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। भारत सरकार के एक अंग के रूप में मैं चाहता हूं कि राज्यों में सहमति बने। लेकिन इसमें कठिनाई हो सकती है। मैंने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मैं पूरे समय उनके बीच सहमति का प्रयास करता रहा। आखिरकार, मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया है। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी तरफ से सहमति बनाने का भरसक प्रयास किया था।

हम सौभाग्यशाली हैं कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार संविधान में अनेक बार संशोधन किया गया है। अत:, भविष्य में हम एक ऐसी व्यवस्था बनाने के बारे में सोच सकते हैं कि देश में जहां भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हों—मैं यह नहीं कहता कि ऐसा आवश्यक रूप से होगा—जहां राज्यों को समझौते के लिए आगे आने के लिए पर्याप्त तर्कसंगत होना पड़ेगा। फिलहाल, लोग विवादों की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले ही 125 समझौते तैयार हैं। जब मैं विदेश में था, तो किसी ने मुझसे कहा कि भारत में जल के संबंध में विवाद है मैंने उसे बताया कि हां विवाद है। हमारे पास अधिकरण हैं, जिनमें काफी समय और धन लगाता है। हम विवादों में समय और धन खर्च करते हैं और उच्चतम न्यायालय जाते हैं। भारत में पहले ही 125 समझौते तैयार हैं। इसलिए हमें विवादों से डरना नहीं चाहिए। दोनों सभाओं के माननीय सदस्यों के साथ सलाह-मशविरा करने के पश्चात् हमें ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जो राज्यों को स्वीकार्य हो और फिर कोई विवाद नहीं होगा। हम इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे को राज्य अपने बीच स्वयं सुलझा देंगे।

इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि नदियों को आपस में जोड़कर जल का समान रूप से और बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। प्रो. रासा सिंह रावत ने अब्दुर रहीम खाने खाना का उद्धरण दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बातें कहीं। वे राष्ट्रवादी हैं। मैं यह मानता हूं। लेकिन सरकार में दोष ढूंढते हुए वे अंतत: राजनीति करने पर आ गए। जहां वे पूर्णत: गलत सिद्ध हुए। वे सोचते हैं कि सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यह बिलकुल गलत है। मेरा मंत्रालय नदियों को आपस में जोड़ने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। केन-बेतवा संपर्क विस्तृत कार्य योजना (डीपीआर) प्रगति में है। 'डीपीआर' अत्यंत कठिन कार्य है। आपको पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है और पर्यावरणविदों को काफी सोच विचार करना पड़ता है। इसमें काफी समय लगता है। फिर आपको डीपीआर पर सहमत होना पड़ता है। भगवान का शुक्र है कि आखिरकार 'डीपीआर' प्रक्रियाधीन है। वे तीन वर्ष का समय चाहते थे। किन्तु मैंने उनसे इसे दो वर्ष में देने का आग्रह किया। मैं नहीं जानता वे इसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। छ: महीने पहले ही गुजर चुके हैं तथा डेढ़ वर्ष और बचा है। लेकिन केन-बेतवा 'डीपीआर' तैयार हो जाएगी और हम कार्य करना शुरू कर देंगे। यह बहुत बड़ी खबर होगी कि दो नदियां आपस में जुड़ जाएंगी। इससे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को काफी राहत मिलेगी।

मैं पार्वती-काली सिंध-चंबल संपर्क पर पूरे मनोयोग से कार्य कर रहा हूं। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश को न केवल समझौता ज्ञापन ही दिया, बल्कि मैं अब तक श्री चौहान जी और मेरी बहन, वसुंधरा जी को तीन अर्धशासकीय पत्र लिख चुका हूं कि यह आपका पानी है, इसका उचित उपयोग करें। इन नदियों को आपस में जोड़ें और लोगों को राहत दें। अर्धशासकीय पत्र लिखने का अर्थ है, मनोयोगपूर्वक प्रयास करना। यह मात्र समझौता ज्ञापन नहीं है। यह उनके पास है। उन्हें निर्णय करने दें। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि आप उस राज्य के माननीय सदस्य हैं। गुजरात-महाराष्ट्र से संबंधित पार-तापी-नर्मदा संपर्क, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से संबंधित दमन-गंगा-पिंजाल संपर्क, पार-तापी-नर्मदा और दमन-गंगा-पिंगल संपर्कों के लिए समझौता ज्ञापन दिए जा चुके हैं। हम इन राज्यों को कुछ करने के लिए मना रहे हैं। यह आपका पानी है और यह राष्ट्र का पानी है। आप कोई समझौता कीजिए और नदियों को आपस में जोड़िए। हम आपको सभी प्रकार की तकनीकी सहायता और अन्य जो भी सहायता चाहिए देने को तैयार हैं।

इसलिए, मुझे उम्मीद है कि यह मंत्रालय नदियों को आपस में जोड़ने में सफल होगा। यदि हम इन पांच संपर्कों को आपस में जोड़ देते हैं, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए हमारे पास 14 व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार हैं। हम हिमालयी संपर्कों पर भी कार्य कर रहे हैं। हम लगातार नेपाल सरकार से संपर्क बनाए हुए हैं क्योंकि अब नेपाल के साथ बेहतर ढंग से कार्य करना संभव है। दुर्भाग्यवश, नेपाल संकटों से पूरी तरह नहीं उबरा है, लेकिन पहले की तुलना में यह बेहतर स्थिति में है। यह लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। इन छ: महीनों में मेरे अधिकारियों ने नेपाल के दौरे किये हैं। हम हिमालयी क्षेत्र में भी कुछ करना चाहते हैं। भारत की स्थिति के लिए दो संपर्कों हेतु हमारी व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार हैं। अब प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए 14 व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार हैं।

अत: नदियों को आपस में जोड़ना एक सकारात्मक बात है। नदियों को आपस में जोड़ने का प्रश्न देश को निश्चित रूप से राहत देगा और मैं इस सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि यह ठंडे बस्ते में नहीं है। मेरा मंत्रालय इस दिशा में सकारात्मक कार्यवाही करेगा।

अब, मैं श्री मोहन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि मैंने उनके विधेयक के मूल भाव को स्वीकार कर लिया है। अत:, मैं उनसे इस विधेयक को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب وائس چیئرمین صاحب میرے دل میں بڑی خوشی ہے کہ موہن سنگھ جی بہت ہی اچھا بل ہاؤس میں لائے ہیں۔ ان کی اسپرٹ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کی بات سے سمجھتا ہوں، بلکہ جو میرے کولیگ موہن سنگھ جی، راسا سنگھ جی اور تمل ناڈو کے ممبر ... جی نے جو بھی بتایا، میں اس کی اسپرٹ سے تہہ دل سے سمجھتا ہوں ... اس سے لگتا ہے کہ موہن سنگھ جی کے دل میں ایک بڑی چنتا ہے، جو مجھے بھی ہے اور سارے ہاؤس کو ہے۔ ان کو تکلیف ہے انہوں نے پنجاب میں دیکھا، ... میں دیکھا کہ وہاں پانی ہے لیکن پانی ... کو مل رہا ہے، ان کو ٹھیک طرح سے نہیں ملتا ہے۔ کرشنا، کاویری کی بات بھی انہوں نے کی۔ وہاں بڑی مشکلات ہیں۔ ... ان کو کافی تکلیفیں ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ اصل میں یہ پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ جیسا کہ راسا سنگھ راوت جی نے عبدالرحیم خان خاناں کے شلوک بھی سنائے۔ جو ہمارے موجودہ ممبران ہیں ان کے دل میں تڑپ ہے۔ پھر جھگڑا کس بات کا ہے، جھگڑا نہیں ہونا چاہئے۔ میں آپ کی بات سے سمجھتا ہوں۔ انہوں نے انٹر لنکنگ کی بھی بات کی۔ حالانکہ اس وقت لگتا ہے کہ یہ بات جلدی ختم ہو جائے۔ میں آپ کو ... آپ کے ساتھ بہت جم کر باتیں کریں گے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بہت ہی تفصیل سے بتاؤں گا۔ کیونکہ میں نے اس میں کچھ ورزش کی ہے۔ اسے دیکھنے میں کچھ وقت لگایا ہے۔ اس وقت سنکشیپ میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ میں موہن سنگھ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کی اسپرٹ بہت اچھی ہے۔ دیش بھکتوں کا ہی یہ کام ہے کہ وہ سب کے لئے چنتا کریں۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں تکلیف ہے۔ اس کے بارے میں ... سنگھ جی نے بتایا۔ مدھیہ پردیش اور راجستھان یوجنا کو مکمل کرنا چاہئے۔ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے میں دوسرے ممبروں کی بات کروں گا۔

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी और सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे जो मंशा थी, उससे अपनी पूरी सहमति जताई है।

महोदय, माननीय मंत्री जी के भाषण से मुझे लगा कि जो पानी की जरूरत है, उसके समाधान और नदियों के विवादों के समाधान के लिए, मंत्री जी के नेतृत्व में इनका विभाग, इनका मंत्रालय तेजी से लगा हुआ है, इसलिए मुझे इस विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि श्री मोहन सिंह को विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: महोदय, मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

अपराह्न 5.41 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय *पीठासीन हुए*]

निर्वाचन सुधार आयोग विधेयक, 2006

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि निर्वाचन सुधार आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विगत में भारत में निर्वाचन प्रणाली में सुधारों के कई प्रयास किये गये हैं। यह बहुत आवश्यक भी है क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और स्वतंत्रता के पश्चात, पिछले 60 वर्षों से हमारे देश में सफलतापूर्वक लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है। यह बहुत ही जीवन्त लोकतंत्र है। हम अपने उन पड़ोसी देशों के समान परिस्थितियां होने का दावा नहीं कर सकते जो कि हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए थे। अतः यह स्वाभाविक सी बात है कि हमारे लिए लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत ही कीमती है। इसी कारण से इस सभा ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है, इस पर चर्चा की गयी तथा तदुपरांत आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया। परन्तु, दुर्भाग्य से, हम देश की निर्वाचन प्रणाली में सुधार के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल पाये।

महोदय, यदि मुझे ठीक-ठीक याद है और आपको भी शायद याद होगा क्योंकि उस समय आप भी उस सभा के सदस्य थे, अब तक इस उद्देश्य हेतु दो आयोग गठित किये गये हैं। इनमें से पहला निर्वाचन सुधार संबंधी इंद्रजीत गुप्ता आयोग था और दूसरा निर्वाचन सुधार संबंधी दिनेश गोस्वामी आयोग था। इससे पहले श्री वाई.बी. चव्हाण की अध्यक्षता में एक अन्य आयोग गठित किया गया था। मुझे याद है कि मैं पहली बार 1971 में इस सभा का सदस्य बना था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्वाचन सुधार पर चर्चा के लिए कहा था। परन्तु, दुर्भाग्य से, हम अभी तक इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही समय है जबकि इस बारे में निर्णय लिया जाए, ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को इससे लाभ हो तथा वह और अधिक सुदृढ़ बन सके।

महोदय, मेरा यह विधेयक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक श्रेणी का है और इसकी कुछ सीमाएं हैं। मैंने इस विधेयक में निर्वाचन सुधार आयोग गठित किये जाने का प्रस्ताव किया है। मैंने इसकी संरचना भी निर्धारित की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के एक वर्तमान सदस्य इस आयोग के सदस्य हों। मेरा सुझाव है कि यह आयोग

चुनाव संबंधी समस्याओं का अध्ययन करे और अपने सुझावों को इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करे और सरकार द्वारा तदनुसार निर्णय लिये जाने चाहिए।

मैं चाहता हूं कि यह आयोग कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर ध्यान दे। पहली बात तो यह है कि चुनावों का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाए। हमारे देश में चुनाव का व्यय भार सहन करने की सामर्थ्य आम आदमी में नहीं है। यह एक अत्यंत खर्चीला मुद्दा बन गया है। इसके साथ ही जैसाकि विभिन्न वर्गों द्वारा शिकायत की गयी है कि चुनाव में बाहुबल, धन बल और अन्य बलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसीलिए इन्द्रजीत गुप्ता समिति और गोस्वामी समिति, इन दोनों ने यह सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि चुनावों का वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और निजी तौर पर किये जाने वाले व्यय पर कतिपय पाबंदियां लगायी जानी चाहिए ताकि चुनाव इस तरीके से कराये जा सकें कि धनबल के मामले में हर किसी की स्थिति समान हो। अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा चुनावों का वित्तपोषण करने के बारे में निर्णय लिये जाने का सही समय है।

दूसरे, मैं चुनाव के वर्तमान तरीके के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। प्रतिनिधियों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यह अच्छी बात है। परन्तु, हमने कुछ ऐसी प्रक्रिया देखी है जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए असम में आंदोलन चल रहा था र असम समझौते के उपरांत राज्य में काफी अव्यवस्था फैली हुई थी। इसी तरह, कश्मीर में समझौते के उपरांत, चुनाव कराये जाने पर, कुछेक प्रतिशत लोगों ने ही मतदान किया था। अत: विधानसभा के लिए चुने गए लोग बहुत थोड़े लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि आप अपने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार से एक मत अधिक पाने पर भी चुने गये माने जाते हैं। मान लीजिए किसी उम्मीदवार को 9 मत प्राप्त होते हैं और मुझे दस मत प्राप्त होते हैं तो मैं चुना जाऊंगा। परन्तु वहां कुल मतदाता 10 लाख भी हो सकते हैं। अत: यह स्थिति समाप्त की जानी चाहिए।

अत: मेरा सुझाव है कि दो प्रकार के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। आधे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को 'लिस्ट प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर भरा जाना चाहिए। यह कुछ कठिन अवश्य है परन्तु आदर्श स्थिति है। दक्षिण अफ्रीका में यह प्रणाली सफलतापूर्वक चलायी जा रही है। 'लिस्ट प्रणाली' में कतिपय अन्य शर्तें भी हैं। महान लेखक, बुद्धिजीवी, पेन्टर और वैज्ञानिक भी समाज में हैं परन्तु आज की स्थिति में उनके द्वारा चुनाव लड़ना और लोक सभा के लिए चुना जाना बहुत कठिन है। वे लोग इस तरह के कार्यों के अभ्यस्त नहीं हैं। परन्तु 'लिस्ट प्रणाली' होने पर अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर राजनीतिक दल को चुनाव से पहले अपनी सूची देनी होगी। उस प्राथमिकता सूची में, ऐसे लोग, जो कि देश में लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायक हो सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के उच्च्व स्तर पर रखा जाए, तत्पश्चात उस राजनीतिक दल को वोट मिलेंगे और उनके प्रत्याशी चुने जाएंगे। इस प्रकार इन लोगों को संसद और अन्य विधान सभाओं के लिए चुने जाने का अवसर मिलेगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है। भारत में संसद और राज्य विधान सभाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में विवाद चल रहा है। सिद्धांतत: सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत थोड़े लोग इसके विरुद्ध हैं। वास्तव में वे इसके विरुद्ध नहीं हैं परन्तु इसमें कुछ सुधार कराना चाहते हैं, परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया जा सका।

दक्षिण अफ्रीका की महिला सांसद यहां आए और उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि उनके देश में 'लिस्ट प्रणाली' है। उन्होंने 50 प्रतिशत के अनुपात का निर्णय लिया है। सूची महिला के नाम से प्रारम्भ होनी चाहिए, दूसरा नाम किसी पुरुष और अगला किसी महिला और इसी तरह सूची बनायी जानी चाहिए।

इस प्रकार, उन्हें उच्च्व प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि हम लोक सभा संसदीय क्षेत्र की 50 प्रतिशत सीटों के लिए 'लिस्ट प्रणाली' अपना सकते हैं, इसमें से 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इस तरह बिना जाति, धर्म और धनबल के वे चुने जा सकते हैं। सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय योग्य लोग धनबल के कारण वंचित कर रहे हैं। उन्हें 'लिस्ट प्रणाली' के माध्यम से चुना जा सकता है। मेरा सुझाव है कि 50 प्रतिशत उम्मीदवारों को 'लिस्ट प्रणाली' से चुना जाना चाहिए। इस 50 प्रतिशत में से 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। इस प्रकार संसद की कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

मेरा सुझाव यह है कि शेष 50 प्रतिशत सीटों पर चुनाव के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीधे मतदान की वर्तमान प्रणाली अपनायी जा सकती है। इसमें मैं महिलाओं के लिए 15 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता हूं। यदि आप गणना करें तो यह 34 से 35 प्रतिशत होता है। यह प्रणाली अपनाई जाए तो बेहतर होगा। सरकार द्वारा चुनावों का वित्तपोषण होने से धनबल के उपयोग को समाप्त किया जा सकेगा और निजी तौर पर उम्मीदवारों की सहायता पर रोक लगायी जा सकेगी जैसाकि आजकल किया जाता है। यदि ऐसा किया जाता है तो धनबल कोई बहुत बड़ा कारक नहीं रहेगा।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और 'लिस्ट सिस्टम' के साथ महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से, हम देश के आधे भाग

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

में जाति, धर्म और अतिराष्ट्रीयता की भावना, जिनसे परिस्थिति विशेष में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, के बिना चुनाव कराये जाने का अवसर मिलेगा। इन 50 प्रतिशत सीटों पर निर्वाचन हेतु उद्देश्यपरक दृष्टिकोण अपनाया जा सकेगा। लोग मेरी 'लिस्ट' और उनकी 'लिस्ट' का तुलनात्मक अध्ययन करके बेहतर उम्मीदवारों को चुन सकेंगे। उम्मीदवारों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से भी विचार किया जा सकेगा। अत: मेरा प्रस्ताव है कि 50 प्रतिशत सीटों पर चुनाव के लिए 'लिस्ट सिस्टम' अपनाया जाना चाहिए। शेष 50 प्रतिशत सीटों के लिए, मैं अपना सुझाव पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

इस प्रणाली को अपना कर हम अपने लोकतंत्र को दृढ़ बना सकेंगे। इस प्रणाली से हम लोकतंत्र को आज की स्थिति से अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं। उदाहरण के लिए पंचायतों और स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण के अनुभवों को परखा जा सकता है। इस सभा ने पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के संबंध में विधेयक पारित किया था। पिछले दो दशकों से इस प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

हमने देखा है कि शिक्षित और प्रबुद्ध महिलाएं कार्यों हेतु सामने आ रही हैं क्योंकि आज उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं जबकि पहले ये अवसर उन्हें उपलब्ध नहीं थे। एक बार ये अवसर उन्हें दिये जाने पर शिक्षित, ऊर्जावान और सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध महिलाएं इन स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आ रही हैं।

मैं इस संबंध में केरल का उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मैं उनके लिए विश्वासपूर्वक कह सकता हूं। हमें पता चला है कि ये महिलाएं अपने निर्वाचन के उद्देश्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध हैं। वे अधिक ईमानदार हैं। विभिन्न संस्थानों द्वारा कराये गये अध्ययनों की राय के अनुसार महिलाएं कम भ्रष्ट हैं। अत: ये कम भ्रष्ट अधिक प्रतिबद्ध और ईमानदार महिलाएं केरल में पंचायती राज संस्थानों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों का अनुभव भी ऐसा ही होगा।

अब यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेंगे ही। यदि वे पंचायती राज संस्थानों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं तो संसद या राज्य विधानसभाओं में सफलतापूर्वक कार्य क्यों नहीं कर पायेंगी। अब यह प्रश्न महिला संगठनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सभी लोगों के द्वारा बड़े जोरदार ढंग से पूछा जा रहा है। बात केवल इतनी है कि अपनी ही समस्याओं के मद्देनजर हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब शायद यही तरीका है कि एक नई प्रणाली के माध्यम से बिना किसी समस्या के आधी सीटों के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है और महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में उनका उचित स्थान भी दिलाया जा सकता है।

एक-तिहाई आरक्षण का यह अधिकार स्वर्गीय राजीव गांधी जी द्वारा दिया गया था ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चन्द्रप्पन, आप कितना समय लेंगे?

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, मैं पांच या दस मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय: मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि हम सायं 6.00 बजे तक ही बैठेंगे।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी श्रीमान्, मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं और तत्पश्चात् किसी और को बोलने का समय दिया जाए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह विधेयक असफल हो। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा इस समस्या पर गंभीरता से चर्चा करे। मैं यह नहीं कह रहा कि यह विधेयक अंगीकृत किया जाए। माननीय मंत्री महोदय आपसे विधेयक वापस लेने का आग्रह करेंगे। परन्तु, हम चुनाव सुधारों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पाये हैं इस विषय पर सभा द्वारा गम्भीरतापूर्वक और निष्पक्ष तरीके से चर्चा की जानी चाहिए ताकि इस संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष निकल सके, इससे सरकार को कोई निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

महोदय, इसी आशा के साथ मैं सभा से इस विधेयक पर विचार करने का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि निर्वाचन सुधार आयोग का गठन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के.एस. राव (एलुरू): सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रप्पन, केरल से इस सभा के सदस्य हैं और वे हमेशा चुनाव सुधारों में रुचि रखते हैं ...*(व्यवधान)* केवल वही नहीं बल्कि पूरा देश ही चुनाव प्रक्रिया में सुधार चाहता है। विशेषकर विपक्षी दल इस मुद्दे पर इस आशंका के अधीन गहन चर्चा कराने का इच्छुक है कि सत्तापक्ष

अपनी स्थिति का लाभ उठा रहा है और चुनाव स्वतंत्र वातावरण में नहीं कराये जाते और वे अपने लोगों को ही चुनाव में जिताना चाहते हैं। परन्तु, जब वही विपक्षी दल, सत्तापक्ष में आता है तो सभी बातें भुला दी जाती हैं। चुनाव सुधार भुला दिये जाते हैं। वे अगली लोक सभा या उससे अगली लोक सभा तक कार्य जारी रखते हैं। देश में यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जारी है। संसद का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, व्यक्तिगत रूप से, चुनाव सुधारों का इच्छुक है। वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का इच्छुक है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 'निर्वाचन अधिकारी' को अतिरिक्त अधिकार न दिये जाएं जिससे वह अपनी स्थिति से लाभ न उठा सके। यहां तक कि नामांकन करते समय भी वे कहेंगे कि उन्होंने गलत और झूठी सूचना दी है या कोई अन्य सूचना उपलब्ध है। इस तरह नामांकन की वैधता ही निरस्त की जा सकती है। उसी समय ही उसकी जांच की जा सकती है। सत्ता से बाहर सभी संसद सदस्यों को यह डर रहता है। परन्तु वे सब भी यही चाहते हैं। जब वे सत्ता में होते हैं तो वे चाहते हैं कि उनका निर्वाचन अधिकारी भी यही करे। इस प्रकार यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं पिछली कई लोक सभा के कार्यकालों से यह देख रहा हूं। यदि हम सभी ईमानदार होकर यह देखें कि चुनाव वास्तव में स्वतंत्र, निष्पक्ष हों और लोगों की हार्दिक इच्छा को अभिव्यक्त करें तब यह प्रश्न ही नहीं उठता कि सदस्यगण सभापटल के निकट आकर बैठे; नारे लगायें और प्रश्नकाल व अन्य चर्चाओं के स्थगन की मांग करें। यदि हम, संसद सदस्य, पूर्णत: गलत तरीकों से सत्ता पाने की इच्छा न रखें, यदि हम सभी नैतिकता और नियमों का पालन करें और यह कह सकें कि चाहे चुनाव हार जाएं परन्तु इन मानदण्डों, नैतिकताओं, दिशानिर्देशों, नियमों का पालन किया जाएगा, हम इस विषय पर किसी को टिप्पणी नहीं करने देंगे।

सायं 6.00 बजे

हम अपने क्षेत्र में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। यदि यह रवैया होता है तो किसी भी चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु यह चर्चा जारी रहती है। यह चर्चा अगले सत्र और उसके पश्चात भी जारी रहेगी। यह चर्चा अगले 20 से 30 वर्ष तक जारी रह सकती है। श्री चन्द्रप्पन, आप जैसे सदस्य कई बार ऐसी चर्चा शुरू कराने का अवसर पाते हैं। अगली बार भी, आप इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

सभापति महोदय: श्री राव, अब 6.00 बज चुके हैं। अपना भाषण आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

श्री के.एस. राव: आप चाहते हैं कि मैं अपना भाषण अगली बार जारी रखूं।

सभापति महोदय: जी हां।

श्री के.एस. राव: महोदय, आपका धन्यवाद, मैं अपना भाषण अगली बार जारी रखूंगा।

सभापति महोदय: अब सभा कल 1 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार, 1 दिसम्बर, 2007/10 अग्रहायण, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री एन.एन. कृष्णदास	221
2.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा	222
3.	डा. टोकचोम मैन्या	223
4.	श्री नरहरि महतो डा. धीरेंद्र अग्रवाल	224
5.	श्री गणेश सिंह	225
6.	श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली श्री संजय धोत्रे	226
7.	श्री मोहन सिंह	227
8.	श्री संतोष गंगवार श्रीमती सुमित्रा महाजन	228
9.	श्री महावीर भगोरा	229
10.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	230
11.	श्री भाईलाल श्री अनन्त नायक	231
12.	श्री चन्द्रभूषण सिंह डा. एम. जगन्नाथ	232
13.	डा. वल्लभभाई कथीरिया	233
14.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	234
15.	श्री पी. करूणाकरन	235
16.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	236
17.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	237
18.	श्री हेमलाल मुर्मू	238
19.	श्री इकबाल अहमद सरडगी	239
20.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री काशीराम राणा	240

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2128, 2201, 2205, 2209
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2031, 2049, 2121, 2171
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2012, 2080, 2153
4.	अजय कुमार, श्री एस.	2114, 2198
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	2041
6.	आठवले, श्री रामदास	2048, 2112, 2149, 2173, 2188
7.	बहुगुणा, श्री विजय	2065, 2125
8.	बर्मन, श्री रनेन	2117
9.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2009, 2054, 2198
10.	भगोरा, श्री महावीर	2090, 2139, 2168, 2177
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2011, 2059, 2124
12.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2021
13.	बोस, श्री सुब्रत	2018, 2117
14.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2081
15.	चौरे, श्री बापू हरी	2068, 2097
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2103, 2113, 2144, 2148, 2150
17.	चिन्ता मोहन, डा.	2051
18.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2064
19.	चौधरी, श्री पंकज	2029
20.	चौधरी, श्री अधीर	2026, 2101, 2140
21.	देवरा, श्री मिलिन्द	2024, 2085

1	2	3
22.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचन्द्र	2061, 2101, 2122, 2157, 2206
23.	धोत्रे, श्री संजय	2068, 2097
24.	दुबे, श्री चन्द्रशेखर	2192
25.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2052
26.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2035, 2099
27.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2072, 2108, 2193
28.	गंगवार, श्री संतोष	2098, 2138, 2167, 2184
29.	गाव, श्री तापिर	2150
30.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2068, 2097
31.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2196
32.	जगन्नाथ, डा. एम.	2088, 2159
33.	जिन्दल, श्री नवीन	2003, 2081, 2181
34.	जोशी, श्री प्रहलाद	2042, 2185
35.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2100
36.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2073
37.	खां, श्री सुनील	2059
38.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2007, 2075, 2133, 2164, 2175
39.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2002, 2084, 2134
40.	कृष्ण, श्री विजय	2071, 2129
41.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2093, 2136
42.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2076, 2112
43.	महरिया, श्री सुभाष	2095, 2137, 2166
44.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2032
45.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2167
46.	माने, श्रीमती निवेदिता	2072, 2108, 2193

1	2	3
47.	मसूद, श्री रशीद	2043
48.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2056, 2118, 2156
49.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	2140
50.	मैन्या, डा. टोकचोम	2094
51.	मिश्रा, डा. राजेश	2057
52.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2006, 2087, 2152
53.	मंडल, श्री अबु अयीश	2046, 2107, 2147
54.	मोरे, श्री वसंतराव	2053, 2130
55.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2091, 2142, 2187
56.	नायक, श्री अनन्त	2110, 2161
57.	निखिल कुमार, श्री	2101, 2140
58.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	2033, 2114, 2151
59.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2008, 2079, 2132, 2163, 2176
60.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2198
61.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2178
62.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2014, 2030, 2143
63.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2034, 2044, 2064, 2104, 2115
64.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2050, 2110
65.	पाठक, श्री ब्रजेश	2018, 2166
66.	पाठक, श्री हरिन	2035
67.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2023, 2126
68.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2038, 2049, 2111, 2113, 2150
69.	राजगोपाल, श्री एल.	2036, 2112
70.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2020
71.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2078

1	2	3
72.	राणा, श्री काशीराम	2115, 2119
73.	राव, श्री के.एस.	2010, 2092, 2153, 2158, 2207
74.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2055, 2189, 2202
75.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2067, 2126, 2160, 2208
76.	रावले, श्री मोहन	2022, 2083, 2155
77.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	2074, 2145
78.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2191
79.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2028, 2089, 2154, 2174
80.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2060
81.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2013, 2111, 2148, 2171
82.	रिजीजू, श्री कीरेन	2009, 2182
83.	साई प्रताप, श्री ए.	2066
84.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2077, 2131, 2170, 2179
85.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2195
86.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2069, 2127, 2204
87.	सत्पथी, श्री तथागत	2015
88.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2054
89.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2016, 2117
90.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2059, 2197, 2200
91.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2102, 2141, 2169, 2178
92.	शिवन्ना, श्री एम.	2037
93.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2004, 2027, 2086, 2135, 2165

1	2	3
94.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	2058, 2093, 2120, 2152, 2203
95.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2103, 2140, 2171
96.	सिंह, श्री गणेश	2096
97.	सिंह, श्री राकेश	2044
98.	सिंह, श्री रामपाल	2194
99.	सिंह, श्री रेवती रमन	2062, 2109
100.	सिंह, श्री सुग्रीव	2025, 2050, 2186
101.	सिंह, श्री उदय	2045
102.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2019, 2082
103.	सुब्बारायण, श्री के.	2038, 2106, 2146, 2172, 2180
104.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2004
105.	सुमन, श्री रामजीलाल	2051
106.	थामस, श्री पी.सी.	2040, 2199
107.	तुम्मर, श्री वी.के.	2038, 2044, 2064, 2104, 2144
108.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2178, 2182
109.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2048, 2108
110.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2063, 2123, 2190
111.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2039, 2101, 2109, 2162
112.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2102, 2128, 2141, 2169, 2178
113.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2119
114.	यादव, श्री बालेश्वर	2017, 2105, 2145, 2183
115.	यादव, श्री गिरिधारी	2005
116.	यादव, श्री राम कृपाल	2056, 2118, 2156
117.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2070

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	
वित्त	:	227, 228, 230, 238, 240
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	224, 232
विद्युत	:	222, 226, 233
ग्रामीण विकास	:	223, 225, 234, 237
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
जनजातीय कार्य	:	231, 235
शहरी विकास	:	
महिला और बाल विकास	:	221, 229, 236, 239

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रणिका

कॉर्पोरेट कार्य	:	2021, 2113, 2159
पृथ्वी विज्ञान	:	2033, 2076, 2097, 2189
वित्त	:	2003, 2005, 2008, 2009, 2012, 2029, 2030, 2034, 2036, 2040, 2043, 2044, 2045, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2054, 2056, 2060, 2062, 2068, 2069, 2070, 2072, 2080, 2081, 2085, 2088, 2096, 2098, 2104, 2105, 2107, 2108, 2109, 2115, 2116, 2123, 2129, 2333, 2135, 2136, 2143, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2155, 2156, 2157, 2163, 2165, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2176, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2187, 2190, 2191, 2193, 2196, 2198, 2201, 2202, 2204, 2206, 2207
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	2011, 2055, 2063, 2095, 2106, 2118, 2119, 2126, 2128, 2161
विधि और न्याय	:	2010, 2014, 2015, 2022, 2023, 2053, 2071, 2084, 2087, 2099, 2112, 2122, 2132, 2144, 2167

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	2020, 2064, 2117, 2175
विद्युत	:	2019, 2024, 2031, 2035, 2046, 2052, 2057, 2082, 2083, 2092, 2100, 2101, 2125, 2127, 2138, 2171, 2179, 2192, 2205, 2209
ग्रामीण विकास	:	2031, 2058, 2059, 2086, 2089, 2091, 2093, 2094, 2120, 2140, 2141, 2152, 2188, 2194, 2200, 2203
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2002, 2017, 2041, 2067, 2114
जनजातीय कार्य	:	2025, 2038, 2039, 2065, 2078, 2090, 2110, 2186, 2197
शहरी विकास	:	2013, 2026, 2027, 2028, 2037, 2042, 2061, 2066, 2073, 2079, 2102, 2111, 2121, 2124, 2130, 2134, 2137, 2139, 2142, 2145, 2154, 2158, 2160, 2162, 2168, 2195, 2199, 2208
महिला और बाल विकास	:	2004, 2006, 2007, 2016, 2018, 2030, 2032, 2074, 2075, 2077, 2103, 2131, 2153, 2164, 2166, 2177, 2178.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/26/11/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. धनराज एशोसिएट्स प्रा. लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।